रजिस्ट्री सं० डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 27, 1980 (पौष 6, 1902)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 27, 1980 (PAUSA 6, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 27 नवम्बर 1980

सूचना

सं० —इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गयी निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री बी० पार्थसार्थी ने दिनांक 15 नवम्बर, 1980 से उप-प्राचार्य, स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद का पदभार ग्रहण किया।

एस० सी० नागर, उप प्रबंधक निदेशक
(कार्मिक एवं सेवाएं)

स्टेट बैंक आफ मैसूर

(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी)

बेंगलूर-9, दिनांक 10 दिसम्बर 1980

सूचना

सं० —दिसंबर, 31, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के शेयरधारियों को—जिनके नाम 14 फरवरी 1981 तक बैंक की बहियों में रजिस्ट्रीकृत हैं, बैंक के 34वीं लाभांश भुगतान करने के लिए स्टेट बैंक आफ मैसूर का शेयर-रजिस्टर 31 जनवरी, 1981 से 14 फरवरी, 1981 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहता है।

एम० बी० देशमुख
प्रबन्ध निदेशक

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली 110002, दिनांक 1 नवम्बर 1980

सं० 5-सी० ए० (18)/80-81—इस संस्थान की अधिसूचना 4-सी० ए० (1)/19/79-80 दिनांक 15 मार्च, 1980, 4-सी० ए० (1)/20/77-78 दिनांक 18 फरवरी, 1978 एवं 4-सी० ए० (1)/28/76-77 दिनांक 9 मार्च, 1977 के सन्दर्भ चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद्

ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
(1)	8580	श्री श्री नारायन व्हेल, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सी०-39, पंचशील एनक्लेव नई दिल्ली-110 017	15-10-80
(2)	10628	श्री अरविन्दर सिंह जौहर, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेंट 17, 1032, हरी सिंह नलवा स्ट्रीट करौल बाग, नई दिल्ली-110 005.	30-9-80
(3)	15519	श्री अजय कुमार सिंह, ए० सी० ए०, मैसर्ज सिंगोरा एण्ड कं० ए०-15/7, वसन्त विहार, नई दिल्ली ।	13-10-80

पी० एस० गोपालाकृष्णन
सचिव

कलकत्ता 700071, दिनांक 5 नवम्बर, 1980

सं० 4-ई० सी० ए०(6)/80-81—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण श्री कल्याण कुमार शाह, 768/ए, ब्लाक-पी, नई एलीपोरी, कलकत्ता-700053 का नाम 3 सितम्बर 1980 से हटा दिया है । उनकी सदस्यता संख्या 5303 है ।

सं० 5-ई०सी० ए०(II)/80-81—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 4-ई० सी० ए०(II) 79-80 दिनांक 15 मार्च, 1980, के सन्दर्भ में चार्टरड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में श्री बी० सनयाल, पी० ओ० अशवनि नगर, बागूआटी, कलकत्ता-700059 का नाम दिनांक 29 अक्तूबर, 1980 से पुनः स्थापित कर दिया गया है। उनकी सदस्य संख्या 5760 है।

पी० एस० गोपालाकृष्णन
सचिव

मद्रास-600 034, दिनांक 31 अक्तूबर, 1980

सं० 4-एस० सी० ए०/5/80-81—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम आगे दी गई तिथि से हटा दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
(1)	229	श्री टी० आर० सुबारामा अय्यार के० के० थामपन एण्ड कं० चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस माधवन नायर रोड चालापुरम कालीकट-673 002	7-10-80
(2)	426	श्री डी० वी० सारोवार, डी० वी० सारोवार एण्ड कं० चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स कार स्ट्रीट, वैल्लेरी-583 101	21-9-80
(3)	773	श्री डी० रामाचन्द्रन, सूरी एण्ड कं० चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस 8, रूटलैण्ड रोड, फोरथ स्ट्रीट, मद्रास-600 006	14-10-80

सं० 4-एम० सी० ए०/7/80-81—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के नाम आगे दी गई तिथि से हटा दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	156	श्री एन० सी० राजगोपाल एन० सी० राजगोपाल एण्ड कं० चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस 12, सथ्यामूर्थी स्ट्रीट, ईरोडे-638 001	25-10-80

(1)	(2)	(3)	(4)
(2)	4993	श्री कोपाल्लेय सुबा राव कृष्णा एण्ड कं० चार्टर्ड एकाउन्टेंटस 251, वेस्ट मारीदपाल्ली, सिकन्दराबाद	18-10-80
(3)	20646	श्री आर० रामाचन्द्रा राजू 45, पारथासाराथाई नायडू स्ट्रीट, त्रिपलीकेन, मद्रास-600005	17-3-80

सं० 5-एस० सी० ए०/7/80-81—इस संस्थान की अधिसूचना 4 एस० सी० ए० (1)/9/79-80 दिनांक 15 मार्च, 1980 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
(1)	5601	श्री बी० एच० बेलगाऊमकार, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेंट पी० ओ० बाक्स 2632, कारटोयूम सूडान।	15-10-80
(2)	18138	श्री एस० गोपालाकृष्णना भट्ट, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेंट पी० ओ० बाक्स 416 मूफूलीरा, जाम्बिया।	13-10-80

सं० 8-एस० सी० ए० (7)/80-81—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10(1)खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गय प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं :—

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	12910	श्री एम० वीरा राघवन, ए० सी० ए०, एकाउन्टस आफिसर (टेलीफोनस), इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दूरवानीनगर, बंगलौर-560 016	1-4-80
2.	19925	श्री आर० शंकरन्, ए० सी० ए०, 16, वर्कशाप रोड मादुराई-625001।	31-7-80
3.	20377	श्री दिनेश शैनोय भामी ए० सी० ए०, नं० 177 गोकुलम, थर्ड स्टेज, मैसूर-570002	31-7-80
4.	20451	श्री मुराली आर० मैनन्, ए० सी० ए०, एकाउन्ट्स आफिसर, मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लिमिटेड, "बम्बई हाउस" 24, होमी मोदी स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-400 023	3-11-79
5.	20769	श्री जी० वैंकाटारामाना रेड्डी, ए० सी० ए०, एम०आई० जी० ब्लाक-1, फ्लैट-11 ए० पी० हाउसिंग बोर्ड फ्लैट्स, मुकारामजाही रोड, हैदराबाद-500 001	19-9-80

दिनांक 17 नवम्बर 1980

सं० 4-एस० सी० ए० /8/80-81—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम आगे दी गई तिथि से हटा दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
(1)	963	श्री थोमस जोसफ, नियर सेलस टैक्स आफिस, चैनगानूर-68912	20-9-80
(2)	5835	श्री बी० के० एन० भगवान् 77/19, रत्ना विलास रोड, बासावानागुडी, बंगलौर-560 004	5-10-80

पी० एस० गोपालाकृष्णन,
सचिव

दी इन्स्टिच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया

कलकत्ता, दिनांक 5 दिसम्बर 1980

सं० 16-सी० डब्ल्यू० आर० (320)/80—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स रेग्युलेशन्स 1959 के विनियम 16 का

अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि इन्स्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एक्काउण्टेंट्स आफ इंडिया के परिषद् ने कास्ट एण्ड वर्क्स एक्काउण्टेंट्स अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री अमरीक सिंह, ओबेराई, बी० ए०, एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, सीनियर सिस्टम इंजीनियर, इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स ली०, फेल्थम, मिडिलसैक्स, यू० के० (सदस्यता संख्या 1050) के नाम को उनकी मृत्यु के कारण सदस्य पंजिका से हटा दिया

एस० एन० घोष,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1980

सं० यू-16/53/78-चिकित्सा-2 (कर्नाटक)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत मुझे निगम की शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में, मैं, इसके द्वारा डाक्टर एस० आर० गोयल, नं० 13/216, मीनाक्षी कोयल गली, शिवाजी नगर, बंगलौर-51 की बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्रों की सत्यता में सन्देह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए दिनांक 1-1-81 से बंगलौर शहर के लिए चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं। यह नियुक्ति 31-12-1981 या पूर्व-कालीन चिकित्सा निर्देशों की नियमित नियुक्ति, इनमें से जो भी पहले हो, तक है।

हरमन्दर सिंह,
महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 1980

सं० एन०-15/13/11/3/79-यो०एवं० वि० (1)—कर्मचारी राज्य बीमा (समान्य) विनियम 1950 के विनियम 5 के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग "क", "ख", तथा "ग" के लिए प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 6 दिसम्बर, 1980 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिये प्रारम्भ व समाप्त होगी जैसा कि निम्न सूची में दिया गया है :—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारंभ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
क	6-12-80	31-1-81	5-9-81	31-10-81
ख	6-12-80	28-3-81	5-9-81	26-12-81
ग	6-12-80	30-5-81	5-9-81	27-2-82

अनुसूची:—

पंजाब राज्य में

"जिला कपूरथला में

राजस्व ग्राम शेखपुरा

हद बस्त नं० 133"

सं० एन०-15/13/11/3/79-योजना एवं विकास (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 7 दिसम्बर, 1980 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम, 95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1953 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमा कित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायगें :—

अर्थात:—

"जिला कपूरथला में

राजस्व ग्राम शेखपुरा

हद बस्त नं० 133"

सं० एन०-15/13/11/2/76-यो० एवं० वि० (1)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 5 के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग "क", "ख" तथा "ग" के लिए प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 6 दिसम्बर, 1980 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए प्रारंभ व समाप्त होगी जैसा कि निम्न सूची में दिया गया है:—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारंभ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारंभ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
क	6-12-80	31-1-81	5-9-81	31-10-81
ख	6-12-80	28-3-81	5-9-81	26-12-81
ग	6-12-80	30-5-81	5-9-81	27-2-82

अनुसूची :—

पंजाब राज्य में

"(i) होशियारपुर के नगरपालिका की सीमाएं, जिसमें नलोइन (हद बस्त नं० 225) होशियारपुर (हद बस्त नं० 226), बासी खवाजु (हद बस्त नं० 227), चोली (हद बस्त नं० 228), बासी जाना (हद बस्त नं० 229), खवासपुर (हद बस्त नं० 246), प्रेम गढ़ (हद बस्त नं० 247), दारापुर (हद बस्त नं० 248), सोतेहारी (हद बस्त नं० 249), सिखलियान (हद बस्त नं०

357), बहादुरपुर (हद बस्त नं० 358), सुखियाबाद (हद बस्त नं० 359), सालबारा (हद बस्त नं० 360) के राजस्व ग्राम सम्मिलित है तथा

(ii) जिला होशियारपुर के चोहल (हद बस्त नं० नं० 494) का राजस्व ग्राम।"

सं० एन० 15/13/11/2/76-यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 7 दिसम्बर, 1980 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम, 95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1953 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे :—

अर्थात्

"(i) होशियारपुर के नगरपालिका की सीमाएं, जिसमें नलोइन (हद बस्त नं० 225), होशियारपुर (हद बस्त नं० 226), बासी खवाजु (हद बस्त नं० 227), चोली (हद बस्त नं० 228), बासी जाना (हद बस्त नं० 229), खवासपुर (हद बस्त नं० 246), प्रेम गढ़ (हद बस्त नं० 247), दारापुर (हद बस्त नं० 248), सोंतहारी (हद बस्त नं० 249), सिखलियान (हद बस्त नं० 357), बहादुरपुर (हद बस्त नं० 358), सुखियाबाद (हद बस्त नं० 359), सालबरा (हद बस्त नं० 360), के राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं तथा

(ii) जिला होशियारपुर के चोहल (हद बस्त नं० 494), का राजस्व ग्राम।"

सं० एन०-15/13/7/3/76-(1)-यो० एवं० वि०—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 5 के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग "क", "ख" तथा "ग" के लिए प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 6-12-1980 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए प्रारंभ व समाप्त होगी जैसा कि निम्न सूची में दिया गया है :—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारंभ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारंभ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
क	6-12-80	31-1-81	5-9-81	31-10-81
ख	6-12-80	28-3-81	5-9-81	26-12-81
ग	6-12-80	30-5-81	5-9-81	27-2-81

अनुसूची :—कर्नाटक राज्य में

1. (क) बीजापुर के नगरपालिका सीमाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और

(ख) जिला तथा ताल्लुक बीजापुर के महल बागपात व भुतनाल के राजस्व ग्रामों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।

सं० एन० 15/13/7/3/76-यो० एवं० वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 7-12-80 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा राज्य कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे :—

अर्थात्

1. (क) बीजापुर के नगरपालिका सीमाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और

(ख) जिला तथा ताल्लुक बीजापुर के महल बागपात व भुतनाल के राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।

फकीर चन्द,
निदेशक (योजना एवं विकास)

गुजरात प्रादेशिक कार्यालय

अहमदाबाद-14, दिनांक 10 दिसम्बर 1980

सं० : जी०/ए०डी०एम०/227(कोनस्टी)/79—संदर्भ स्थानीय समिति ई० एस० आई० सी० पेटलाद संबंधित इस कार्यालय की सम-संख्यक अधिसूचना दिनांक 28-2-1980 भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक: 15, दिनांक 12-4-80 भाग III—खण्ड 4 की पृष्ठ संख्या 1267 एवं 1270 पर प्रकाशित—के क्रम 5 पर अंकित "शक्तिप्रसाद पी० झाला" के स्थान पर "श्री पी० सी० पटेल, द्वारा श्री व्रजेश टेक्सटाईल मिल्स प्रा० लि०, स्टेशन रोड, पेटलाद: 388450।" पढ़ा जाय। अध्यक्ष, क्षेत्रीय मण्डल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गुजरात ने श्री शक्तिप्रसाद पी० झाला को कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) अधिनियमन-1950 के विनियमन 10-अ(4)(ii) के अन्तर्गत स्थानीय समिति पेटलाद की सदस्यता से वंचित घोषित कर दिया है।

आज्ञा से
जगदीश सिंह ग्रेवाल
प्रादेशिक निदेशक एवं
मंत्री गुजरात प्रादेशक मण्डल, कर्मचारी
राज्य बीमा निगम, अहमदाबाद-14

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 1980

सं० रा० स० वि० नि० 1-1/78-प्रशा०—भारत के राजपत्र सं० 9, भाग III—खंड 4, दिनांक 3 मार्च, 1979, में प्रकाशित

अधिसूचना सं० रा० स० वि० नि० 1-1(III)/78-प्रशा०, दिनांक 16 फरवरी, 1979 के कालम 6 के अधीन वाणिज्यिक कलाकार से संबंधित प्रविष्टियां (सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं) निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाएं :—

आवश्यक :

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्यिक कला/ललित कलाओं में डिप्लोमा।

(2) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अर्ध-सरकारी संस्था/सार्वजनिक पत्रम तथा विख्यात विज्ञापन एजेंसियां के प्रचार विभाग में वाणिज्यिक कलाकर के रूप में ललित कलाओं में कलाकार के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :—

फोटोग्राफी की जानकारी।

यह संशोधन 22 सितम्बर, 1980 से प्रभावी होंगे।

कंवरजीत सिंह भाटिया,
महाप्रबन्धक

भारतीय डाक-तार विभाग

डाक-तार महानिदेशक का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर 1980

सूचना

सं० 25/80-एल० आई०—निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसिया विभाग के संरक्षण से गुम हो गई हैं। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसियों का भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमेदारों के नाम पालिसियों की दूसरी प्रति जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। जनता को सावधान किया जाता है कि मूल पालिसियों के संबंध में कोई लेन-देन न करे :—

क्र० सं०	पालिसी नं०	बीमेदार का नाम	राशि
1.	339290-पी दिनांक 2-5-1978	श्रीमती पी० चेलामल	रु० 5000/-

रा० किशोर,
उप महानिदेशक (डाक जीवन बीमा)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर 1980

सा० का० नि०—केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 घ की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन पर कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) संशोधित अधिनियम, 1980 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगा।

2. कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ एमं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1962 की तीसरी अनुसूची के पैरा 3 के नीचे सारणी में :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा (लेखा सेवा परीक्षा भाग-I) के आधार पर 50 प्रतिशत परीक्षा कोटा के विरुद्ध पदोन्नति किये जाने वाले अधीक्षक (मुख्यालय) पद से संबंधित क्रम सं० 1 के सामने :—

(1) प्रधान लिपिक (क्षेत्रीय कार्यालय) आशुलिपिक (वरिष्ठ) मूख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालियों सहायक (मुख्यालय) तथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक (मुख्यालय) पद पर "3 वर्ष का अनुभव रखता हो और होने वाली परीक्षा के वित्तीय वर्ष के पहले दिन 45 वर्ष की आयु से अधिक न हो के अध्यधीन" **शब्द के स्थान पर,** शब्द "दो वर्ष का अनुभव रखता हो और होने वाली परीक्षा वर्ष के जनवरी के पहले दिन तक 45 वर्ष से अधिक आयु का न हो परन्तु यह तब जबकि एक कलेन्डर वर्ष में दो परीक्षाएं हों दूसरी परीक्षा की निर्णायक तारीख होने वाली दूसरी परीक्षा वर्ष के जुलाई के पहले दिन से अध्यधीन" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(2) प्रवर लिपिक (मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय), आशुलिपिक (कनिष्ठ) मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय तथा अवर लिपिक, स्टेनो टाइपिस्ट, टेलीफोन और टैलेक्स आपरेटर "के पद पर 10 वर्ष का अनुभव तथा होने वाली परीक्षा वित्तीय वर्ष के पहले दिन 45 वर्ष की आयु से अधिक न हो के अध्याधीन" **शब्द के स्थान पर।** "5 वर्ष का अनुभव तथा होने वाली परीक्षा वर्ष की जनवरी के पहले दिन 45 वर्ष की आयु से अधिक न हो परन्तु यह तब जबकि एक कलेण्डर वर्ष में दो परीक्षाएं हों दूसरी परीक्षा की निर्णायक तारीख होने वाली दूसरी परीक्षा वर्ष के जुलाई के पहले दिन से अध्यधीन" प्रतिस्थापति किया जाये।

(ख) प्रतियोगिता परीक्षा (लेखा सेवा परीक्षा भाग-I) के आधार पर 50 प्रतिशत परीक्षा कोटा के विरुद्ध पदोन्नति किये जाने वाले भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड-II) के पद से संबंधित क्रम सं० 2 के सामने :—

(1) प्रधान लिपिक मशीन आपरेटर (क्षेत्रीय कार्यालय) आशुलिपिक वरिष्ठ (मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों) सहायक (मुख्यालय) और कनिष्ठ तकनीकी

सहायक (मुख्यालय) पद पर "तीन वर्ष का अनुभव और होने वाली परीक्षा के वित्तीय वर्ष के पहले दिन 45 वर्ष की आयु से अधिक न हो के अध्यधीन" **शब्द के स्थान पर**, शब्द । "दो वर्ष का अनुभव और होने वाली परीक्षा वर्ष के जनवरी के पहले दिन तक 45 वर्ष की आयु से अधिक न हो परन्तु यह तब जबकि एक कलेण्डर वर्ष में दो परीक्षाएं हों दूसरी परीक्षा की निर्णायक तारीख होने वाली दूसरी परीक्षा वर्ष की जुलाई के पहले दिन से अध्याधीन" **प्रतिस्थापित किया जाये**।

(2) प्रवर लिपिक (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों) आशुलिपिक (कनिष्ठ) (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों) प्रवर लिपिक (साथ में स्टेनोटाइपिस्ट, टेलीफोन एवं टेलेक्स आपरेटर) के पद पर "10 वर्ष का अनुभव तथा होने वाली परीक्षा वित्तीय वर्ष के पहले दिन 45 वर्ष की आयु से अधिक न हो के अध्यधीन" **शब्द के स्थान पर**, शब्द । "5 वर्ष का अनुभव तथा होने वाली परीक्षा वर्ष के जनवरी के पहले दिन 45 वर्ष की आयु से अधिक न हो परन्तु यह तब जबकि एक कलेण्डर वर्ष में दो परीक्षाएं हों दूसरी परीक्षा की निर्णायक तारीख होने वाली दूसरी परीक्षा वर्ष के जुलाई के पहले दिन से अध्यधीन" **प्रतिस्थापित किया जाये**।

लक्ष्मीधर मिश्र,
केन्द्रीय भविष्यनिधि आयुक्त

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

32वीं वार्षिक रिपोर्ट

जून 30, 1980

सूचना

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंशधारियों (शेयर होल्डरों) की बत्तीसवीं वार्षिक महासभा, मंगलवार, दिनांक 30 सितम्बर, 1980 को सायं 4.00 बजे (मानक समय) होटल इम्पीरियल, जनपथ, नई दिल्ली में होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर कार्यवाही की जाएगी :—

(1) 30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष को निगम का तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखे का पठन एवं उन पर विचार करना तथा निगम के कार्य के सम्बन्ध में बोर्ड की रिपोर्ट तथा उक्त तुलन-पत्र और लेखों के सम्बन्ध में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना ।

(2) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) में उल्लिखित पार्टियों, अर्थात् अनुसूचित बैंकों, बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों और ऐसे ही अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा सहकारी बैंकों द्वारा मैसर्स रे एण्ड रे, सनदी लेखापाल, कलकत्ता के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का पहला) की धारा 226 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत कम्पनियों के लेखा-परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् अर्हता प्राप्त एक लेखा-परीक्षक को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अन्तर्गत चुनना, जो इस वर्ष के अन्त में कार्य-निवृत्त हुए हैं पर वे फिर से चुने जाने के पात्र हैं।

डी० एन० डावर,
महाप्रबन्धक

14 जुलाई, 1980

सूचना

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली

दिनांक 14 जुलाई, 1980 की अधिसूचना सं० 2/80 के आंशिक संशोधन में एतद्द्वारा अधिसूचित किया है जाता कि निगम के शेयरधारियों की मंगलवार, 30 सितम्बर, 1980 को 4.00 बजे सायं (मानक समय) होटल इम्पीरियल, जनपथ, नई दिल्ली में होने वाली 32वीं वार्षिक महासभा में निम्नलिखित अतिरिक्त विषय पर भी कार्यवाही की जाएगी :—

श्री जे० आर० जोशी के त्यागपत्र के कारण हुई आकस्मिक रिक्ति में, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) में उल्लिखित शेयरधारियों, अर्थात् बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों और ऐसे ही अन्य वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संचालक का चुनाव करना। इस प्रकार चुना गया संचालक, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) की शर्तों के अधीन श्री जोशी की पदावधि के शेष भाग, अर्थात् 25 सितम्बर, 1981 तक पदासीन रहेगा।

डी० एन० डावर,
महाप्रबन्धक

26 अगस्त, 1980

संचालक बोर्ड

बी० बी० सिंह
अध्यक्ष

एन० आर० रंगनाथन
बी० राय
केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित

एम० आर० बी० पुंजा
जे० सी० सन्देसारा
एस० के० दत्ता
(रिक्त)
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित

ओ० पी० गुप्ता
पी० सी० डी० नाम्बियार
अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित

जी० वी० कपाड़िया
(रिक्त)
बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों और ऐसे ही अन्य वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित

एन० एस० सपकल
जे० यू० पटेल
सरकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित

बैंकर्स

भारतीय रिजर्व बैंक

लेखा-परीक्षक

मैसर्स रे एण्ड रे
सनदी लेखापाल

मैसर्स बी० एल० अजमेरा एण्ड कम्पनी,
सनदी लेखापाल

सलाहकारी समितियां

रसायन प्रक्रिया और समवर्गीय उद्योग

बी० बी० सिंह, अध्यक्ष
जे० यू० पटेल
ओ० पी० गुप्ता
जी० वी० कपाड़िया
एस० एस० सचदेवा
डी० जी० राव
एस० एल० कपूर
पी० के० सन्याल
एन० सी० राव
डी० के० राय
जे० पी० कपूर
डी० एम० त्रिवेदी

वस्त्र

बी० बी० सिंह, अध्यक्ष
जे० यू० पटेल
जे० सी० सन्देसारा
एस० के० दत्ता
एम० डी० जोशी
एस० एस० प्रधान
एच० रामाकृष्णाराव
आई० बी० दत्त
एच० पी० भट्टाचार्य
आई० सी० शाह
ए० के० मंसाली
पी० सी० मेहता
एस० एस० छापड़िया

होटल

बी० बी० सिंह, अध्यक्ष
ओ० पी० गुप्ता
जी० वी० कपाड़िया
सी० बी० जैन
कुमारी अंजनी मेहता
एस० आर० रत्नाकर
कुमारी थंगम ई० फिलिप
पेसी एम० शॉ
एस० एन० चिब
पी० आनन्द राव
सी० एल० शर्मा

इंजीनियरिंग

बी० बी० सिंह, अध्यक्ष
जे० सी० सन्देसारा
एस० के० दत्ता
हरि भूषण
के० एन० रामास्वामी
एस० आर० टाटा
के० वी० सरदेसाई
पी० सेन
के० बी० राव
बी० रामाचन्द्रन
चन्द्र मोहन
एस० एम० पाटिल
बी० एन० खोसला

चीनी

बी० बी० सिंह, अध्यक्ष
जे० यू० पटेल
जे० सी० सन्देसारा
एन० एस० सपकल
सी० एन० राघवन
डी० श्रीधरन
एम० डी० जोशी
एन० ए० रमैया
के० जे० एस० भाटिया
जे० पी० मुखर्जी
एम० लक्ष्मीकान्तम
ए० एल० एन० मूर्ति
डी० के० पटेल

पटसन

बी० बी० सिंह, अध्यक्ष
जे० सी० सन्देसारा
एस० के० दत्ता
आर० एन० चक्रवर्ती
एस० के० सरकार
जी० सी० अय्यर
के० मार्गबन्धु
सी० टी० दास
एल० एम० राय
के० के० बजोरिया
एस० के० भट्टाचार्य
एस० सरकार

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बारे में संक्षेप में

निर्गमन और प्रयोजन

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना संसद के अधिनियम के अन्तर्गत 1948 में हुई। इसका उद्देश्य भारत में औद्योगिक संस्थाओं को मध्यम और दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

पूंजी

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की अधिकृत राशि 20 करोड़ रुपये है। 15 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी का 50 प्रतिशत भाग भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा शेष 50 प्रतिशत अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा संस्थाओं और निवेश-न्यासों आदि के द्वारा लगाया गया है।

प्रबन्ध

संचालक बोर्ड में एक पूर्णकालिक (होल टाइम) अध्यक्ष और बारह संचालक हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। दो संचालक केन्द्रीय सरकार तथा चार संचालक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित किए जाते हैं। छः संचालक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भिन्न अंशधारियों द्वारा चुने जाते हैं।

कार्य और उधार नीतियां

भारत में पंजीकृत ऐसी कोई भी लिमिटेड कम्पनी या सहकारी समिति, जो माल के निर्माण, परिरक्षण या अभिसंस्कार (प्रोसेसिंग) में अथवा नौपरिवहन, खनन या होटल उद्योग में अथवा बिजली या अन्य किसी प्रकार की शक्ति के जनन या वितरण में लगी हुई हो या लगने का विचार करती है, निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र है। तीनों क्षेत्रों, अर्थात् सरकारी, निजी और संयुक्त की औद्योगिक परियोजनाएं समान आधार पर निगम से सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं।

यह सहायता विभिन्न रूप में हो सकती है, जैसे रुपये और विदेशी मुद्रा का दीर्घकालीन ऋण, जारी किए गए साधारण (इक्विटी) और अधिमान शेयरों या डिबेंचरों की हामीदारी (अंडर राइटिंग), साधारण, अधिमान और डिबेंचर पूंजी का अभि-दान, विदेशों से आयात की गई या भारत में खरीदी गई मशीनरी के लिए आस्थगित (डेफर्ड पेमेन्ट) गारंटी और विदेशी वित्तीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा के रूप में लिए गए ऋणों की गारंटी ।

निगम के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का उद्देश्य नई औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करना और वर्तमान परियोजनाओं का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, विस्तार या विशाखन (डाइवर्सिफिकेशन) करना है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कम विकसित राज्यों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाएं लगाने के लिए वित्तीय सहायता रियायती दर पर उपलब्ध है।

प्रवर्तन कार्य

निगम ने विभिन्न प्रवर्तन कार्यों को अपने हाथ में लिया है। इस प्रकार के कार्यों का वित्तपोषण दातव्य आरक्षित निधि और सरकार द्वारा आबंटित ब्याज अन्य अन्तर निधियों से किया जाता है।

निधियों के स्रोत

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की निधियों के मुख्य स्रोत इसकी अपनी पूंजी, संचित आय, दिए गए ऋणों की वापसी और निवेशों की बिक्री के अतिरिक्त बांड जारी करके बाजार से रुपया उधार लेना और केन्द्रीय सरकार से ऋण लेना एवं विदेशी ऋण हैं।

कार्यों का संक्षिप्त विवरण

(रुपये करोड़ों में)

	1978–79			1979–80			1948–80		30 जून, 1980 को बकाया रकम
	मंजूरियां		संवितरित रकम	मंजूरियां		संवितरित रकम	मंजूर की गई रकम	संवितरित	
	संख्या	रकम		संख्या	रकम				
ऋण									
रुपया	171	131.63	62.76	188	125.29	82.78	819.76	603.14	418.13
विदेशी मुद्रा	25	11.83	4.12	28	15.16	7.91	95.03	70.51	24.72
जोड़	196	143.46	66.88	216	140.45	90.69	914.79	673.65	442.85
हामीदारियां									
साधारण शेयर	39	9.41	2.22	37	7.38	1.73	48.69	19.44	16.37
अधिमान शेयर	2	0.45	0.30	1	0.10	—	10.66	8.17	4.83
डिबेंचर	1	0.75	—	2	1.12	—	12.63	8.92	0.84
जोड़	42	10.61	2.52	40	8.60	1.73	71.08	36.53	22.04
प्रत्यक्ष अभिदान									
साधारण शेयर	4	0.20	0.59	11	0.58	0.47	5.70	4.39	8.53*
अधिमान शेयर	—	—	0.02	—	—	—	0.32	0.32	0.84*
डिबेंचर	1	0.02	0.02	1	0.04	0.04	1.88	1.88	0.06
जोड़	5	0.22	0.63	12	0.62	0.51	7.90	6.59	9.43
आरंटियां									
आस्थगित अदायगियों के लिए	—	—	—	1	0.14	—	28.96	28.76	0.45
विदेशी ऋणों के लिए	—	—	0.20	—	—	—	23.61	23.53	0.08
जोड़	—	—	0.20	1	0.14	—	52.57	52.29	0.53
कुल जोड़	243†	154.29	70.23	269‡	149.81	92.93	1047.24	769.06	474.85

*इनमें 5 संस्थाओं के 0.87 करोड़ रुपये के बकाया ऋणों का भाग (अतिदेय ब्याज, आदि) सम्मिलित है जिन्हें शेयरों में बदला गया, तथा 3 संस्थाओं के 0.18 करोड़ रुपये के संपरिवर्तनीय डिबेंचर सम्मिलित है जिन्हें साधारण शेयरों में बदल दिया गया और 39 संस्थाओं के 3.85 करोड़ रुपये की बकाया ऋण राशि भी सम्मिलित है, जिसमें ऋण मंजूर करने समय संपरिवर्तन के अधिकार से संबंधित शर्त लगाई गई थी।

†ये मंजूरियां 177 संस्थाओं को मंजूर की गईं।

‡ये मंजूरियां 202 संस्थाओं को मंजूर की गईं।

सहायता का प्रसार

30 जून, 1980 को

उद्योग	मंजूर राशि (रोकड़ रुपये)	परियोजनाओं की संख्या	राज्य/क्षेत्र	मंजूर राशि (करोड़ रुपये)	परियोजनाओं की संख्या
रसायन					
मूल रसायन	77.44	68	आन्ध्र प्रदेश	78.41	101
उर्वरक व कीटनाशक	53.11	19	असम	11.31	11
कृत्रिम रेशे व रेसिन्ज	39.30	35	बिहार	42.59	49
अन्य रसायन	16.97	42	गुजरात	91.01	112
	———		हरियाणा	33.45	56
	186.82		हिमाचल प्रदेश	4.00	10
	———		जम्मू और काश्मीर	2.38	6
			कर्नाटक	89.61	99
वस्त्र	167.24	266	केरल	39.41	39
चीनी :			मध्य प्रदेश	30.65	32
सहकारिताएं	132.51	129	महाराष्ट्र	196.41	251
अन्य	31.72	47	मेघालय	2.84	2
	———		नागालैंड	0.50	1
	164.23		उड़ीसा	22.60	25
	———		पंजाब	31.29	42
सीमेंट	81.76	56	राजस्थान	45.59	42
कागज	81.62	71	तमिलनाडु	112.94	113
लोहा व इस्पात	65.80	85	त्रिपुरा	0.80	1
मशीनरी	45.11	86	उत्तर प्रदेश	115.00	126
परिवहन उपस्कर	36.13	49	पश्चिमी बंगाल	78.87	126
अलौह धातुएं	35.06	23	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	0.39	1
बिजली मशीनरी व उपस्कर	30.01	58	दिल्ली	9.30	11
रबर उत्पाद	26.89	22	गोआ	6.24	6
बिजली व गैस	24.63	11	पांडिचेरी	1.65	3
धातु उत्पाद	19.00	44			
पटसन उत्पाद	16.39	25			
होटल	14.42	29			
अन्य	52.13	100			
जोड़	1047.24	1265	जोड़	1047.24	1265

वित्तीय सार

30 जून, 1980 को

	करोड़ रुपये	अमरीकी डालर के बराबर* (दस लाख में)
पूंजी तथा रिजर्व		
अधिकृत पूंजी	20.00	25.41
प्रदत्त पूंजी	15.00	19.06
रिजर्व	32.18	40.89
प्रदत्त पूंजी और रिजर्व	47.18	59.95
उधार		
बांड	378.28	480.66
विदेशी वित्तीय संस्थाओं से	21.96	27.90
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से	23.50	29.86
सरकार से		
के० एफ० डब्ल्यू० ऋणों के ब्याज से अन्तरजन्य निधियों के अधीन	3.03	3.85
अन्य ऋण	29.04	36.90
कुल उधार	455.81	579.17
आय 1979-80		
सकल आय	39.77	50.53
कराधान से पहले सकल लाभ	10.18	12.94
कराधान के लिए व्यवस्था	5.39	6.85
निवल लाभ	4.69	6.09
अधिलाभांश	0.94	1.19

*रुपये का संपरिवर्तन 7.87 रु० प्रति डालर की दर से किया गया।

वर्ष की समीक्षा

संचालक बोर्ड, 30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परीक्षित लेखा विवरण के साथ निगम के कार्य संचालन के के बारे में अपनी बत्तीसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय तनाव की स्थिति में रही है। कृषि उत्पादन में लगभग दस प्रतिशत की कमी हुई; औद्योगिक उत्पादन में लगभग एक प्रतिशत की दर से सीमान्त ह्रास हुआ। मुद्रा स्फीति दबाव में भी कोई कमी नहीं हुई। देश के कई भागों में भयंकर सूखे के कारण घटनाओं की श्रृंखला आरम्भ हो गई जिसमें रेल परिवहन में गम्भीर अड़चनें, बिजली की कमी, अवरुद्ध कोयला उत्पादन शामिल हैं, जिनसे अन्ततः बहुत ही जटिल एवं कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई। देश के विभिन्न भागों में अपेक्षाकृत अशान्त औद्योगिक सम्बन्धों से औद्योगिक उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ा। कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि से भुगतान शेष की स्थिति पर भी भारी दबाव पड़ा। कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव स्वभावतः विस्तृत रूप से पड़ा जिससे परिवहन लागत और तेल-उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योगों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। फिर भी, खाद्यों के पर्याप्त सुरक्षित भण्डारों और विदेशी मुद्रा निधियों का प्रभावशाली प्रयोग राहतपूर्ण लक्षण रहा है।

उक्त पृष्ठभूमि में उद्योगों की बढ़ती हुई रुग्णता, अत्यधिक चिन्ता का विषय रही है। इस समस्या का सामना करने में संबंधित संस्थाओं का सामान्य दृष्टिकोण, एकीकृत, समन्वित और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) के नेतृत्व में कार्योन्मुख पुनरुत्थान/पुनर्स्थापन कार्यक्रमों में भाग लेना रहा है।

सरकार ने, अर्थव्यवस्था के कुछ उपरिलिखित तनावों को कम करने के लिए सशक्त उपाय अपनाए हैं। मुख्य रूप से प्रयास यह रहा है कि और अधिक समन्वय, निरीक्षण और क्षमता का और अधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित करके ऊर्जा, परिवहन और कोयला जैसे मुख्य औद्योगिक कच्चे माल की अल्पावधि में उपलब्धता में सुधार लाया जाए। साथ ही साथ, मध्यम अवधि नीति योजना के रूप में सरकार ने भी एक प्रगति-उन्मुख औद्योगिक नीति की हाल ही में घोषणा की है। आशा है कि सरकार द्वारा अपनाए जा रहे उपायों और अच्छे मानसून की संभावना से देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहायता मिलेगी।

वर्ष के दौरान कार्यों की समीक्षा

3. निगम में, वर्ष 1979-80 के दौरान 237 परियोजनाओं को 150.58 करोड़ रुपये की सकल वित्तीय सहायता मंजूर की, जोकि पिछले वर्ष 215 परियोजनाओं को 154.77 करोड़ रुपये थी। 0.77 करोड़ रुपये की रद्द की गई मंजूरियों का समायोजन करने के पश्चात् 237 परियोजनाओं को 149.81 करोड़ रुपये की निवल वित्तीय सहायता मंजूर की गई। यह 1978-79 में 214 परियोजनाओं को मंजूर की गई 154.29 करोड़ रुपये की निवल वित्तीय सहायता से मामूली कम थी।

4. 1979-80 में संवितरण 92.93 करोड़ रुपये के थे, जो पिछले वर्ष के संवितरणों से लगभग 32.3 प्रतिशत अधिक थे।

5. वर्ष के दौरान जिन परियोजनाओं को सहायता दी गई, उनके संक्षिप्त विवरण सहित मंजूर सहायता का ब्यौरा रिपोर्ट के परिशिष्ट "क" में दिया गया है। वर्ष के दौरान किए गए निगम के कार्यों की प्रमुख बातें निम्नलिखित अवतरणों में दी गई हैं:

निवल वित्तीय सहायता की संकाय-वार मंजूरी से स्पष्ट है कि रुपया ऋण की राशि 125.29 करोड़ रुपये थी, जबकि हामीदारियां और प्रत्यक्ष अभिदान 9.22 करोड़ रुपये तथा विदेशी मुद्राओं में उप-ऋण की मंजूरियां 15.16 करोड़ रुपये की रहीं। विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए 0.14 करोड़ रुपये की गारंटियां जारी की गईं। वर्ष के दौरान 92.93 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का संवितरण हुआ, जिसमें से रुपया ऋण में 82.78 करोड़ रुपये, विदेशी मुद्रा ऋणों में 7.91 करोड़ रुपये और हामीदारियों एवं प्रत्यक्ष अभिदानों में 2.24 करोड़ रुपये थे।

उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले उद्योगों और अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों को वर्ष के दौरान निगम की सहायता का मुख्य भाग प्राप्त होता रहा, जो कुल मंजूर सहायता का 92.6 प्रतिशत रहा। उदाहरण के लिए, सूती वस्त्र उद्योग को कुल सहायता का 30.4 प्रतिशत और सीमेंट उद्योग को 13.5 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। अन्य उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग जैसे उर्वरक, कागज और कागज उत्पाद, चीनी, विद्युत, आदि को, कुल मंजूर सहायता का 48.7 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ।

परियोजना के प्रकार के अनुसार मंजूरियां

6. पिछले दो वर्षों के दौरान परियोजना के प्रकार के अनुसार मंजूर की गई सहायता का विवरण सारणी 1 में दिया गया है।

सारणी 1

1979-80 और 1978-79 के दौरान मंजूर की गई सहायता का परियोजना के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण

(रुपये, करोड़ों में)

परियोजना का प्रकार	1979-80		1978-79	
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर सहायता	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर सहायता
नई परियोजनाएं	61	57.84	62	83.54
विस्तार/विशाखन	21	18.19	22	15.41
आधुनिकीकरण/नवीकरण, आदि	64	23.77	47	14.63
उप-जोड़	146	99.80	131	113.58
उदार ऋण योजना	91	50.01	83	40.71
जोड़	237	149.81	214	154.29

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मंजूर की गई सहायता के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 61 नई परियोजनाओं को 57.84 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि 64 परियोजनाओं के आधुनिकीकरण/नवीकरण, आदि के लिए 23.77 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। 21 परियोजनाओं के विस्तार/विणाखन के लिए 18.19 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। यह देखा जाएगा कि कुल मंजूरियों का 38.6 प्रतिशत भाग नई परियोजनाओं के लिए था।

7. सहायता प्राप्त 61 नई परियोजनाओं में से 40, औद्योगिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों में स्थित थीं और उन्हें 39.25 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। नई परियोजनाएं विविध प्रकार की थी और इनमें कागज, वस्त्र, लोहा व इस्पात, अलौह धातुएं, ऊनी निर्मितियां, विविध अधातु खनिज उत्पाद, औद्योगिक मशीनरी, कृत्रिम और मानव-निर्मित रेशे, धातु उत्पाद, मूल औद्योगिक रसायन, विविध रसायन, मोटर गाड़ियां और पुर्जे, नारियल जटा उत्पाद, बिजली मशीनरी और उपस्कर, आदि इकाइयां शामिल हैं। इन 61 नई परियोजनाओं में से 11 परियोजनाएं नये उद्यमकर्ताओं द्वारा लगाई जा रही हैं।

8. इस वर्ष में मंजूर की गई सहायता की प्रमुख विशेषता यह रही कि 5 करोड़ रुपये और उससे कम पूंजीगत लागत वाली परियोजनाओं को, नई परियोजनाओं को मंजूर की गई सहायता का 34.5 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ, जबकि 1978-79 में यह 23.8 प्रतिशत था। 10 करोड़ रुपये से अधिक पूंजीगत लागत वाली परियोजनाओं को मंजूर की गई सहायता, कुल मंजूर सहायता का 40.8 प्रतिशत भाग थी, जबकि पिछले वर्ष यह 66.0 प्रतिशत थी।

पिछले दो वर्षों के दौरान वित्तपोषित नई परियोजनाओं की पूंजीगत लागत की मात्रा के अनुसार वर्गीकरण सारणी 2 में दिया गया है।

सारणी 2

नई परियोजनाओं की पूंजीगत लागत की मात्रा के अनुसार वर्गीकरण—1979-80 और 1978-79

पूंजीगत लागत की मात्रा (लाख रुपये)	नई परियोजनाओं की संख्या		परियोजना लागत में प्रतिशत भाग		मंजूर सहायता (रुपये लाखों में)		मंजूर सहायता में प्रतिशत भाग	
	79-80	78-79	79-80	78-79	79-80	78-79	79-80	77-78
300 तक	17	22	6.6	5.0	708.71	814.39	12.3	9.8
301-400	6	7	4.0	3.0	388.35	440.36	6.7	5.3
401-500	11	10	11.3	5.6	898.52	730.25	15.5	8.7
501-1000	14	8	18.8	7.0	1426.32	852.26	24.7	10.2
1000 से ऊपर	13	15	59.3	79.4	2362.56	5516.37	40.8	66.0
जोड़	61	62	100.0	100.0	5784.46	8353.63	100.0	100.0

कम विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए मंजूर सहायता

9. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थित 104 परियोजनाओं को 68.97 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई, जो कुल सहायता का 46.0 प्रतिशत भाग थी, जबकि पिछले वर्ष यह 41.7 प्रतिशत थी। औद्योगिक रूप से अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में वित्तपोषित परियोजनाओं में से, 40 नई परियोजनाएं थीं, जिनमें 11 परियोजनाओं की पूंजीगत लागत 3.00 करोड़ रुपये से कम थी और 12 परियोजनाओं की पूंजीगत लागत 3.00 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये के बीच थी। शेष 17 परियोजनाओं में से प्रत्येक की पूंजीगत लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक थी।

वित्तीय सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण

10. पिछले वर्ष की तरह, सहकारी क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता कम रही। इसका मुख्य कारण यह था कि चीनी सहकारी उद्योग को प्रदान की जाने वाली निगम की वित्तीय सहायता अवरुद्ध रही, क्योंकि विशेषतया, उच्च लागत वाली नई इकाइयों की वित्तीय व्यावहार्यता, सरकार के विचाराधीन प्रोत्साहन-योजना को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण सन्देहास्पद स्थिति में थी। यद्यपि, वर्ष के दौरान किसी नए चीनी सहकारी उद्योग को वित्तीय सहायता नहीं दी गई, दो सहकारी चीनी कारखानों को उनकी विस्तार योजनाओं के लिए और दो अन्य को उनके विस्तार-व-आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वस्त्र सहकारी उद्योग के मामले में, दो नई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मंजूर की गई; इसके अतिरिक्त तीन अन्य सहकारी मिलों को उनके विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

11. सहकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को निगम की वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि हुई। सरकारी क्षेत्र की 33 परियोजनाओं को 25.19 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई, जबकि 1978-79 में ऐसी 23 परियोजनाओं को 20.73 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी। संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं को निगम की सहायता में मामूली वृद्धि हुई, यह 1978-79 की कुल मंजूरियों के 17.2 प्रतिशत से घट कर 1979-80 में 13.6 प्रतिशत रह गई। निजी निगमित क्षेत्र को प्रदान वित्तीय सहायता, लगभग पिछले वर्ष प्रदान की गई सहायता के बराबर रही। सारणी 3 में वर्ष के दौरान मंजूर की गई सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण दिया गया है।

सारणी 3

क्षेत्रवार मंजूर सहायता—1979-80 और 1978-79

(रुपये, करोड़ों में)

क्षेत्र	1979-80			1978-79		
	परियोजनाओं की संख्या	निवल मंजूर सहायता	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	निवल मंजूर सहायता	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहकारी क्षेत्र	9	4.34	2.9	9	4.72	3.1
संयुक्त क्षेत्र	26	20.42	13.6	28	26.57	17.2
सरकारी क्षेत्र	33	25.19	16.8	23	20.73	13.4
उप-जोड़	68	49.95	33.3	60	52.02	33.7
निजी निगमित क्षेत्र	169	99.86	66.7	154	202.27	66.3
जोड़	237	149.81	100.0	214	154.29	100.0

उद्योगवार मंजूरियां तथा संवितरण—1979-80

12. वर्ष के दौरान मंजूर तथा संवितरित की गई वित्तीय सहायता का उद्योगवार वर्गीकरण सारणी 4 में दिया गया है। रिपोर्ट में उद्योगवार सांख्यिकीय आंकड़े राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 1970 के अनुसार प्रस्तुत किए गए है।

सारणी 4

उद्योगवार मंजूरियां तथा संवितरण—1979-80

(रुपये, लाखों में)

उद्योग	मंजूरियां						संवितरण	
	परियोजनाओं की संख्या	ऋण	हामीदारियां/ प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटियां	जोड़	कुल मंजूरियों का प्रतिशत	राशि	कुल संवितरणों का प्रतिशत
सूती वस्त्र								
—सहकारी क्षेत्र	5	237.50	—	—	237.50	1.6	187.00	2.0
—निगमित क्षेत्र	73	4194.00	122.50	—	4316.50	28.8	1562.33	16.8
	78	4431.50	122.50	—	4554.00	30.4	1749.33	18.8

सारणी 4—क्रमश:

उद्योग	मंजूरियां						संवितरण	
	परियोजनाओं की संख्या	ऋण	हामीदारियां/गारंटियां प्रत्यक्ष अभिदान		जोड़	कुल मंजूरियों का प्रतिशत	राशि	कुल संवितरणों का प्रतिशत
रसायन तथा रसायन उत्पाद								
–मूल औद्योगिक रसायन	15	1142.49	174.01	13.65	1330.15	8.9	282.53	3.0
–कृत्रिम रेशे तथा रेसिंज	5	760.26	85.00	—	845.26	5.6	368.87	4.0
–उर्वरक	2	323.50	—	—	323.50	2.1	468.28	5.0
–कीटनाशक	2	92.99	21.40	—	114.39	0.8	14.80	0.2
–अन्य रसायन	7	349.90	32.00	—	381.90	2.5	100.00	1.1
	31	2669.14	312.41	13.65	2995.20	19.9	1234.48	13.3
सीमेंट	14	1904.82	122.50	—	2027.32	13.5	2077.05	22.3
कागज व कागज उत्पाद	24	1279.48	164.86	—	1444.34	9.6	971.72	10.5
लोहा व इस्पात	16	683.96	22.30	—	706.26	4.7	244.51	2.6
मशीनरी और उपस्कर	12	522.79	60.00	—	592.79	3.9	274.37	3.0
मोटर गाड़ियां और पुर्जे	5	463.75	27.50	—	491.25	3.3	246.58	2.7
चीनी								
–सहकारी क्षेत्र	4	197.00	—	—	197.00	1.3	140.95	1.5
–निगमित क्षेत्र	4	134.50	—	—	134.50	0.9	285.60	3.1
	8	331.50	—	—	331.50	2.2	426.55	4.6
धातु उत्पाद	4	297.22	30.00	—	327.22	2.2	48.44	0.5
बिजली	1	320.00	—	—	320.00	2.1	725.00	7.8
अलौह धातुएं	13	271.00	23.75	—	294.75	2.0	34.68	0.4
बिजली मशीनरी और उपकरण	8	264.73	21.33	—	286.06	1.9	279.23	3.0
विविध अधातु खनिज पदार्थ	5	166.50	8.75	—	175.25	1.2	104.57	1.1
कांच	3	126.19	—	—	126.19	0.8	220.26	2.4
मोटरसाइकिल स्कूटर व पुर्जे	3	84.50	—	—	84.50	0.6	45.25	0.5
रबर उत्पाद	4	72.50	1.00	—	73.50	0.5	134.22	1.4
ऊनी उत्पाद	3	66.00	5.00	—	71.00	0.5	—	—
लकड़ी उत्पाद	2	27.10	—	—	27.10	0.2	20.50	0.2
नारियलजपा उत्पाद	1	27.00	—	—	27.00	0.2	—	—
विविध खाद्य उत्पाद	1	23.07	—	—	23.07	0.2	178.48	1.9
खनन	1	12.50	—	—	12.50	0.1	35.00	0.4
होटल	—	—	—	—	—	—	92.23	1.0
विविध निर्माण उद्योग	—	—	—	—	—	—	66.40	0.7
पटसन उत्पाद	—	—	—	—	—	—	43.00	0.5
कृषि मशीनरी	—	—	—	—	—	—	20.00	0.2
चमड़ा उत्पाद	—	—	—	—	—	—	20.77	0.2
जोड़	237	14045.25	921.90	13.65	14980.80	100.0	9292.62	100.0

उदार ऋण योजना

13. वर्ष के दौरान मंजूर की गई सहायता का लगभग 33 प्रतिशत भाग उदार ऋण योजना के अधीन था। निगम ने इस योजना के अधीन 91 परियोजनाओं को 50.01 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की जो पिछले वर्ष से 9.30 करोड़ रुपये अधिक थी। पूंजी सूती वस्त्र उद्योग को इस योजना के अधीन दी गई कुल सहायता का 65.6 प्रतिशत तथा इंजीनियरिंग उद्योग को 24.4 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। सीमेंट उद्योग का हिस्सा 7.3 प्रतिशत तथा चीनी उद्योग का 2.7 प्रतिशत रहा। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के स्वामित्व व नियंत्रण में आने वाली ऐसी मिलों को, जो केवल पिछले वर्ष ही उदार ऋण योजना के अधीन वित्तीय सहायता का पात्र बनीं, उनकी 19 परियोजनाओं के लिये 12.45 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई।

12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में स्थित परियोजनाओं ने इस योजना के अधीन सहायता का लाभ उठाया। इनमें से, पांच राज्यों, अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को इस योजना के अधीन मंजूर की गई कुल सहायता का 83 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। केवल महाराष्ट्र राज्य की परियोजनाओं को मंजूर की गई सहायता 18.78 करोड़ रुपये थी, जोकि कुल सहायता का लगभग 38 प्रतिशत भाग थी। इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में स्थित वस्त्र मिलों ने बड़ी संख्या में इस योजना के अधीन सहायता का लाभ उठाया। उदार ऋण योजना के अधीन मंजूर की गई वित्तीय सहायता का उद्योग-वार ब्योरा सारणी 5 में दिया गया है।

सारणी 5

उदार ऋण योजना के अधीन मंजूर वित्तीय सहायता—1979-80

(रुपये, करोड़ों में)

उद्योग	निगम द्वारा मंजूर की गई सहायता			
	परियोजनाओं की संख्या	राशि		
		दार शर्तों पर	सामान्य शर्तों पर	जोड़
चीनी	5	0.43	0.93	1.36
सूती वस्त्र	59	19.90	12.91	32.81
सीमेंट	5	0.84	2.82	3.66
इंजीनियरिंग	22	2.48	9.70	12.18
जोड़	91	23.65	26.36	50.01

राज्य-वार मंजूरियां और संवितरण—1979-80

14. वर्ष के दौरान राज्य-वार मंजूरियां और संवितरणों का विवरण सारणी 6 में दिया गया है। 15 राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों को निगम की सहायता प्रदान की गई।

वर्ष के दौरान वित्त पोषित परियोजनाओं का आर्थिक योगदान

15. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम द्वारा वित्तपोषित 82 नई, विस्तार तथा विशाखन परियोजनाओं का आर्थिक योगदान सारणी 7 में दिखाया गया है। इसमें, परियोजना लागत में अति-व्यय के मामले और आधुनिकीकरण योजनायें, आदि शामिल नहीं हैं। सारणी से यह देखा जायेगा कि निगम की वित्तीय सहायता, विशेषतः चीनी, सूती वस्त्र, कागज और सीमेंट जैसे उपभोक्ता उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने में सहायक होगी। इन 82 परियोजनाओं की कुल पूंजीगत लागत 613.47 करोड़ रुपये होगी तथा संभावित उत्पादन का मूल्य 566.65 करोड़ रुपये होगा। इन परियोजनाओं के द्वारा 27,525 व्यक्तियों के लिये प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किये जाने की भी संभावना है। इस प्रकार सकल मूल्य का जोड़ 212.84 करोड़ रुपये होगा।

सारणी 6

आन्ध्र-वार मंजूरियां और संवितरण—1979–80

(रुपये, लाखों में)

राज्य/राज्य क्षेत्र	मंजूरियां							संवितरण	
	ऋण		हामीदारियां प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटियां	जोड़	कुल मंजूरियों का प्रतिशत	वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या	राशि	कुल संवितरणों का प्रतिशत
	सहकारी क्षेत्र	निगमित क्षेत्र							
आन्ध्र प्रदेश	20.00	860.70	113.61	13.65	1007.96	6.7	17	974.64	10.5
बिहार	—	296.83	76.00	—	372.83	2.5	8	160.71	1.7
गुजरात	42.50	1303.13	95.45	—	1441.08	9.6	26	1164.78	12.5
हरियाणा	—	360.00	38.50	—	398.50	2.6	7	245.89	2.7
हिमाचल प्रदेश	—	7.69	—	—	7.69	0.1	2	26.47	0.3
जम्मू और काश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	73.75	0.8
कर्नाटक	—	2072.74	140.00	—	2212.74	14.8	20	868.77	9.3
केरल	—	542.50	—	—	542.50	3.6	8	165.09	1.8
मध्य प्रदेश	—	756.32	118.20	—	874.52	5.8	12	595.21	6.4
महाराष्ट्र	145.00	2611.80	50.58	—	2807.38	18.7	53	995.29	10.7
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	10.00	0.1
उड़ीसा	—	100.00	—	—	100.00	0.7	3	123.00	1.3
पंजाब	55.00	486.66	35.00	—	576.66	3.8	9	440.37	4.8
राजस्थान	70.00	526.90	57.00	—	653.90	4.4	13	828.28	8.9
तमिलनाडु	—	844.96	66.00	—	909.96	6.1	15	568.74	6.1
उत्तर प्रदेश	62.00	1951.50	76.50	—	2090.00	13.9	22	1054.34	11.4
पश्चिमी बंगाल	40.00	798.45	56.06	—	894.51	6.0	19	779.43	8.4
दिल्ली	—	23.07	—	—	23.07	0.2	1	180.86	1.9
गोवा	—	12.50	—	—	12.50	0.1	1	37.00	0.4
पाण्डिचेरी	—	55.00	—	—	55.00	0.4	1	—	—
जोड़	434.50	13610.75	921.90	13.65	14980.80	100.0	237	9292.62	100.0

सारणी 7

1979–80 के दौरान निगम द्वारा वित्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक अभिदान

(रुपये करोड़ों में)

उद्योग	परियोजनाओं की संख्या	कुल पूंजी लागत	पैदा किया जाने वाला प्रत्यक्ष रोजगार (संख्या)	उत्पादन का मूल्य	सकल मूल्य वृद्धि	प्रति वर्ष क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चीनी	2	5.27	50	5.05	1.00	20,255 टन चीनी।
सूती वस्त्र	17	64.60	10270	107.95	25.46	2,56,184 तकुये।
कागज और कागज उत्पाद	11	49.74	3295	45.56	17.51	75,775 टन कागज 3,000 टन इलैक्ट्रिकल इंसुलेशन बोर्ड और पहले से कम्प्रैस किये हुए पेपर बोर्ड और 150 लाख कागज और गत्ते की ढली हुई अण्डा ट्रे।

सारणी 7 (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6	7
सीमेंट	6	186.26	2496	92.56	50.21	25.59 लाख टन सीमेंट× ।
रसायन और रसायन उत्पाद	14	109.79	2670	116.90	38.31	5,000 टन फैटी अलकोहल, 62,175 टन कास्टिक सोडा, 39,400 टन हाइड्रोलिक एसिड, 12,500 टन आक्सो-अलकोहल, 13,200 टन तरल क्लोरीन 26,000 टन अमोनियम क्लोराइड, 21,000 टन कैल्शियम कार्बाइड, 5,891 टन हाइड्रोजैनेटिड क्रूड/मिक्सड फैटी एसिड, 1,260 टन ग्लीसरीन, 6,000 टन हाइड्रोजेनेटिड केस्टर आयल, 2,880 टन टायलट साबुन 4,500 टन ऐसेटिक एसिड 15,000 टन औद्योगिक विस्फोटक, 5,000 टन साइड मिक्सड घोल विस्फोटक, 2,000 टन एलिफेटिक एमाइन्स, 1,000 टन तकनीकी ग्रेड फोसोलोन, 400 टन मेलाथिओन कीटनाशक, 320.76 लाख शीशियां, 53.46 लाखएम्पूल, 320.76 लाख केपस्यूल, जीवन रक्षक और अन्य औषधियों की 2886.84 लाख गोलियां तथा 50,000 टन अरण्डी बीज का अभिसंस्कार।
लोहा और इस्पात	3	6.11	614	8.20	3.14	2,650 टन मिश्रित धातु की ढलवां वस्तुयें तथा 1,200 टन शीतकृत परत चढ़ी पत्तियां ।
मशीनरी और पुज	4	28.03	1451	21.84	10.65	31 लाख एन्टीफिकशन बेयरिंग 1250 लाख बेयरिंग में उपयोग की जाने वाली सुइयां, 5 लाख ढांचे और असेम्बली, 300 रिंग स्पिनिंग ैर ट्विस्टिंग फ्रेम और 50 टन विशेष तथा बढ़िया किस्म के औजार।
बिजली मशीनरी	3	9.62	590	9.04	4.16	4,500 टन इंसुलेटर, 1160 लम्पफिलामेंट, डाटा प्रोसेसिंग यंत्र पर आधारित 250 माइक्रो-प्रोसेसर और 250 मैट्रिक्स प्रिटर्न्स।
अलौह धातुयें	7	58.97	867	70.70	30.32	तांबा आधारित 1050 टन मिश्रित धातु पत्तियां, 7001 टन एल्युमिनियम मिश्रित धातु, 13,760 टन एल्युमीनियम सिल्यिां, 10300 टन एल्युमिनियम रोल्ड उत्पाद।
अन्य उद्योग	15	95.08	5222	80.35	32.08	
जोड़	82	613.47	27525	566.65	212.84	

जिन मामलों में सहायता उदार ऋण योजना के अधीन मंजूर की गई, उनमें हुई सीमांत विस्तार क्षमता शामिल नहीं है।

संचालन गतिविधियां

उधार शर्तें

16. ब्याज की दर : वर्ष के दौरान, विभिन्न योजनाओं के अधीन ब्याज की दरों में, हामीदारियों और गारन्टियों आदि पर कमीशन की तरह कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परन्तु, संस्थाओं ने निजी लिमिटेड तथा समीप रूप से धारित, जिनके शेयर किसी स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, कम्पनियों को मंजूर की गई सहायता के सम्बन्ध में उधार दरों से एक प्रतिशत वार्षिक अधिक अतिरिक्त ब्याज लेने का निर्णय किया है। अतिरिक्त ब्याज उस तारीख से लिया जाता है जिससे परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की संभावना हो। वित्त अधिनियम, 1980 के अधीन संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज अन्य आय पर 7 प्रतिशत की दर से कर लगाने के कारण निगम सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने, ब्याज दर के प्रभार को समाविष्ट करने के लिये पहली जुलाई, 1980 से अपनी ब्याज दरों को उपयुक्त रूप से समायोजित कर लिया है। ब्याज की सामान्य दर अब 11.85 प्रतिशत वार्षिक है, जबकि पहले यह 11 प्रतिशत थी और अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थित तथा उदार ऋण योजना के अधीन आने वाली परियोजनाओं पर लागू ब्याज की दरें संशोधित करके 9.5 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत से क्रमशः 10.25 प्रतिशत वार्षिक और 8.10 प्रतिशत वार्षिक हो गई है।

17. ऋणों के लिये प्रतिभूति : अभी तक निगम, इसके द्वारा दी गई वित्तीय सहायता, उदार ऋण योजना के अधीन सहायता में विभिन्न को वर्तमान और भावी दोनों से स्थिर परिसम्पत्तियों के नियमित विधिक बन्धक द्वारा प्रतिरक्षित करता रहा है। निगम, उन मामलों में जिनमें (i) विद्यमान सुविधा पहले ही नियमित विधिक बन्धक द्वारा प्रतिरक्षित की जा चुकी हो, और (ii) जिन में संयुक्त वित्तपोषण के मामले में किसी एक संस्थान ने विधिक बन्ध स्वीकार कर लिया हो, समरूप बंधक स्वीकार कर रहा था। जैसा कि उदार ऋणों के मामले में किया जा रहा था, वित्तीय संस्थानों ने अब आस्थगित अदायगियों/विदेशी ऋणों के लिये गारंटियों की सुविधा के नियमित प्रतिभूति के रूप में समरूप बन्धक स्वीकार करने का निर्णय किया है।

उधार लेने वाली संस्थाओं द्वारा नियमित प्रतिभूति की व्यवस्था होने तक अन्तरिम उपाय के रूप में प्रदान किए जाने वाले पूरक ऋणों की प्रतिभूति के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान बैंक गारंटिकां लेते रहे हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अन्तरसंस्थागत समूह (बुचर समिति के नाम से प्रख्यात) की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने पूरक वित्त सहायता के वितरण के लिये बैंक गारंटियों का आग्रह न करने का निर्णय किया है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान अब, उदार ऋण योजना के मामले में अपनाई गई कार्य विधि के अनुरूप निम्नलिखित द्वारा पूरक ऋण संवितरित करते हैं।

(क) कम्पनी के नियंत्रक प्रवर्तकों/संचालकों की व्यक्तिगत गारंटियां;

(ख) वित्तीय संस्थानों के पक्ष में पूर्णतः प्रथम प्रभार या समरूप प्रभार, जैसा भी मामला हो, तथा सभी चल परिसम्पत्तियों पर चल प्रभार स्थापित करने की अनुमति देने के लिये कम्पनी की स्थिर परिसम्पत्तियों पर प्रभार धारण करने वाले बैंक (बैंकों) से सहमति पत्र;

(ग) मशीनरी और अन्य चल परिसम्पत्तियों की गिरवी ;

(घ) वित्तीय संस्थानों के पक्ष में स्थिर परिसम्पत्तियों का नकारात्मक स्वाभित्वाधिकार; और

(ङ) उधार लेने वाली संस्था का निगम के पक्ष में मांग वचन-पत्र।

18. रियायती वित्तपोषण की प्रयोज्यता : वित्तीय संस्थान, औद्योगिक रूप से अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं को भी रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि संस्थान उल्लिखित पिछड़े हुए जिलों में स्थापित परियोजनाओं को इकाई वार आधार पर वर्तमान सीमा के भीतर रियायती सहायता प्रदान करेंगे, चाहे उसी राज्य या किसी अन्य राज्य में उसी प्रवर्तक/समूह की किसी अन्य इकाई को पहले ही रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई हो।

19. केन्द्रीय निवेश उप सहायता : केन्द्रीय सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति विशेष/कम्पनी/समूह/विधिक अस्तित्व, स्थिर परिसम्पत्तियों पर निवेश के 15 प्रतिशत के समकक्ष केन्द्रीय उप-सहायता के पात्र होंगे, लेकिन यह उप सहायता प्रत्येक इकाई के लिये इकाई वार आधार के अनुसार अधिकतम 15.00 लाख रुपये होगी, जो इकाइयां अन्तिम उत्पाद की विभिन्न श्रेणियों में लगी होंगी, चाहे ये इकाइयां कम विकसित क्षेत्र या राज्य के भीतर अलग अलग कम विकसित क्षेत्रों में स्थित हों।

साझा वित्तपोषण।

20. कार्य चालन के रूप में संयुक्ति वित्तपोषण से अखिल भारतीय वित्तीय स्थानों ने, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्वाधान में समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है। यह समवेय, संस्थानों के प्रमुख अधिकारियों की मासिक अन्तर-संस्थागत बैठकों तथा पाक्षिक वरिष्ठ अधिकारी बैठकों के माध्यम से स्थापित किया जाता है। वर्ष के दौरान, अन्तर-संस्थागत बैठकों तथा वरिष्ठ

अधिकारी बैठकों की भूमिकाओं की रूपरेखा पुनः निर्धारित की गई । वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत, जबकि 2 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत वाली परियोजनाओं को राज्य-स्तर के वित्तीय संस्थाओं और बैंक (बैंकों) द्वारा, और यदि बिल्कुल आवश्यक हो तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की भागीदारी में वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है 2.00 करोड़ रुपये और 3.00 करोड़ रुपये के बीच पूंजीगत लागत वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में या तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम द्वारा, वित्तीय सहायता में अन्तिम साझेदारी या भागीदारी के बारे में भी वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मामला भेजे बिना ही कार्यवाही की जायेगी।

उदार ऋण योजना

21. उदार ऋण योजना की सामान्य नीति में इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि वर्ष के दौरान, अन्तर्दहन इंजिनों के लिये फालतू पुर्जों और घटकों का निर्माण करने वाली इकाइयों पर यह योजना इन शर्तों पर लागू करने का निर्णय किया गया कि ये इकाइयां निगमित क्षेत्र में होनी चाहिये और उत्पादन का कम से कम 10 प्रतिशत भाग मूल उपकरण के निर्माताओं को संभरित किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, आटो और छोटे वल्बों का निर्माण करने वाली इकाइयां भी अब इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता की पात्र हैं। यह भी निर्णय किया गया है कि जहां सम्पूर्ण ऋण उदार शर्तों पर मंजूर किया जाना स्वीकृत हुआ हो और जिन मामलों में मंजूर किया गया उदार ऋण घटक न्यूनतम राशि के 20 प्रतिशत से अधिक हो, आशय पत्रों/ऋण करारों में दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ब्याज दरों के पुनरावलोकन के अधिकार को आरक्षित करने की शर्त लगा दी गई है।

यह निर्णय किया गया है कि ऐसी कम्पनियों के मामले में जो उचित लाभ कमा रही है और जो आधुनिकीकरण के दूसरे चरण के लिये वित्तीय सहायता के लिये वित्तीय संस्थानों के पास पहुंच करती है, उदार और सामान्य ऋण, ऐसी संस्थाओं की अधिलाभांश अदा करने की क्षमता पर ध्यान दिये बिना, 20:80 के अनुपात में निर्धारित किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त, उदार ऋण योजना के अधीन मंजूर की गई सारी वित्तीय सहायता पर इकाई के स्थल क्षेत्र पर ध्यान दिये बिना, ब्याज की केवल दो दरें लगेंगी अर्थात् 8.10 प्रतिशत और 11.85 प्रतिशत वार्षिक । दूसरे शब्दों में, पिछड़े क्षेत्रों की इकाइयों पर उदार ऋण योजना के अधीन वित्तीय सहायता के मामले में लागू रियायती दर की तरह ब्याज की कोई रियायती दर लागू नहीं होगी।

संयंत्र और साज-सामान के आधुनिकीकरण, पुनर्स्थापन तथा नवीकरण के मार्ग में आई बाधाओं को दूर करने के लिये पटनस, सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी और कुछ इंजीनियरिंग उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिये उदार ऋण योजना उपलब्ध की गई है ताकि और अधिक आर्थिक स्तर पर उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और इस प्रकार घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इनकी प्रतिस्पर्द्धा में सुधार हो सके। इन मामलों के सम्बन्ध में, फिलहाल किसी संपरिवर्तनीय धारा को लगाने पर जोर नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने अब निर्णय में, किया है कि यह छूट किसी भी उद्योग के आधुनिकीकरण और रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिये प्रदान की गई सहायता के मामले में भी दी जाये।

परियोजनाओं का आर्थिक मूल्यांकन

22. निगम, परियोजना-मूल्यांकन की अपनी तकनीकों में लगातार संशोधन करता रहा है। वर्ष के दौरान, परियोजना-मूल्यांकन में सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण आरम्भ करने का निर्णय किया गया तथा इस बारे में सम्बन्ध निर्देशक सिद्धान्त जारी किये गये।

अन्य नीति मामले

23. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वित्तीय संस्थानों ने, वित्तीय सहायता की शीघ्र मंजूरी और संवितरण कीकार्य-विधि को सरल बनाने के लिये और उपाय अपनाये हैं। इस मामले में लिये गये दो महत्वपूर्ण निर्णय (i) दीर्घकालीन ऋण के लिये भागीदारी प्रमाण-पत्र योजना आरम्भ करना, और (ii) अग्रणी संस्थान द्वारा अन्य भागीदार संस्थानों की ओर से, अग्रणी संस्थान के पक्ष में किये गये मुख्तारनामें के आधार पर प्रतिभूति सहित विधिक दस्तावेजों का बन्धक किया जाना, से सम्बन्धित हैं । ये मोटे तौर पर निम्नलिखित रूपरेखा पर आधारित होंगे।

भागीदारी प्रमाण-पत्र

24. छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को एक से अधिक वित्तीय संस्थान से सम्पर्क रखने में होने वाली असुविधा को दूर करने के लिये निगम ने, अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर "अवधि ऋण के लिये भागीदारी प्रमाण पत्र" और हामीदारी वित्तीय सहायता की योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है। यह योजना प्रारम्भ में उन परियोजनाओं के लिए जिनकी कुल लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक न हो तो, रुपया ऋण तक सीमित है और यदि सम्भव हो, बाद में विदेशी मुद्रा ऋण के लिये भी लागू की जा सकती है। इस योजना के अधीन, यदि कोई उद्यमी वित्तीय सहायता के लिये किसी वित्तीय संस्थान के पास पहुंच करता है तो वह अग्रणी बन कर परियोजना का मूल्यांकन और वित्तीय सहायता मंजूर कर सकता है। इसके अतिरिक्त अग्रणी संस्थान, संस्था के साथ ऋण करार करेगा और संस्था अग्रणी संस्थान के लिये अनुबद्ध प्रतिभूति स्थापित करेगी जो भागीदार

संस्थाओं के लिये प्रतिभूति को न्यास में धारित करेगा। अग्रणी संस्थान उन वित्तीय संस्थानों को भागीदार प्रमाण-पत्र जारी करेगा जो संस्था को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिये सहमत हों । भागीदार, अग्रणी संस्थान के प्रश्रय के बिना होगी, अर्थात् जोखम भागीदारी संस्थानों द्वारा उठाया जायेगा। ऋण का संवितरण और पुनर्अदायगी अग्रणी संस्थान के माध्यम से की जायेगी। भागीदारी संस्थान, आपस में स्वीकार्य शर्तों पर, अपनी भागीदारी के भाग को अन्य (उप भागीदारों) को बेचने के हकदार होंगे। योजना आरम्भ करने से पहले कुछ पहलुओं की ओर जांच करने की आवश्यकता है। इसी बीच, यह निर्णय किया गया है कि विचाराधीन उद्देश्य को, अग्रणी संस्थान द्वारा भागीदार संस्थानों की ओर से अग्रणी संस्थान के पक्ष में किये गये मुख्तारनामें के आधार पर दस्तावेजों/प्रतिभूति को बन्धक करके सुरक्षित रखा जाये।

25. विधिक दस्तावेज तैयार करना : संयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता की मंजूरी और संवितरण के बीच होने वाले विलम्ब का एक कारण यह है कि प्रत्येक संस्थान द्वारा अलग अलग कानूनी दस्तावेज (प्रतिभूति दस्तावेजों सहित) तैयार करने में बहुत अधिक समय लिया जाता है। अतः इस विलम्ब को समाप्त करने का एक उपाय यह हो सकता है कि वित्तीय संस्थान अपनी ओर से प्रतिभूति सहित दस्तावेज तैयार करने के लिये प्रत्येक मामले में अग्रणी संस्थान को प्राधिकृत कर दें। इस विषय पर अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा विचार किया गया है कि प्रत्येक संस्थान परियोजना के वित्तपोषण में भाग लेने वाले अन्य संस्थानों के पक्ष में मुख्तारनामे का निष्पादन करेगा । जैसे ही सभी भागीदार संस्थानों से उनके द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के भाग के सम्बन्ध में मंजूरी प्राप्त हो जाये, अग्रणी संस्थान उधार लेने वाली संस्था के साथ अपनी ओर से और अन्य भागीदार संस्थानों के एजेन्ट के रूप में दस्तावेजों के एक सामूहिक सेट का निष्पादन करेगा। अनुबद्ध प्रपत्र में प्रतिभूति भी अग्रणी संस्थान द्वारा अन्तिम रूप से तैयार की जायेगी। उसके बाद, अग्रणी संस्थान, भागीदार संस्थानों को इस तथ्य से सूचित करेगा कि दस्तावेज और प्रतिभूति तैयार कर ली गई है। इससे अन्य वित्तीय संस्थान और कोई दस्तावेज तैयार किये बिना अपने हिस्से का ऋण संवितरित कर सकेंगे । उक्त योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट पर अभी लागू नहीं होती क्योंकि उनके द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता निजी रूप से स्थापित डिबेंचरों को अभिदान के रूप में है।

के० एफ० डब्ल्यू० ऋण

26. अभी तक, बड़े उद्यमियों अर्थात् ऐसी औद्योगिक संस्थायें जिनका तुलन-पत्र जोड़ 10 करोड़ रुपये से अधिक हो अथवा कुल वार्षिक बिक्री 20 करोड़ रुपये से अधिक हो, के लिये के० एफ० डब्ल्यू० ऋण के अधीन जर्मन मार्क उप-ऋण आम तौर पर उपलब्ध नही थे। निगम को अब कंदिस्तास्तल्त फूर वाइडरफबऊ (के० एफ० डब्ल्यू०) द्वारा सूचित किया गया है कि आगे से कुल 20 करोड़ रुपये से अधिक तुलन-पत्र जोड़ और 40 करोड़ रुपये से अधिक कुल वार्षिक बिक्री वाली औद्योगिक संस्था को बड़े उद्यम के रूप में समझा जायेगा और इसलिये सामान्यत. के० एफ० डब्ल्यू० ऋण के अधीन वित्तपोषण के क्षेत्र विस्तार में नहीं आयेंगे। इसके अतिरिक्त, ऐसी औद्योगिक संस्था भी, जो अन्य प्रकार से छोटी हो परन्तु जिसकी 50 प्रतिशत या अधिक साधारण पूंजी ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार किसी बड़े उद्यमी द्वारा धारित हो, के० एफ० डब्ल्यू० ऋण के अधीन वित्तीय सहायता की पात्र नहीं होगी। विस्तार परियोजना के मामले में, विद्यमान तुलन-पत्र जोड़ और कुल वार्षिक बिक्री पर, प्रस्तावित आवर्द्धनों सहित, विचार करना जरूरी होगा।

सहायता के लिये आवेदन

27. वर्ष के प्रारम्भ में निगम के पास 20 संस्थाओं से (उदार ऋण योजनाओं के अधीन प्राप्त हुये आवेदनों को छोड़कर) 41.78 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता के लिये आवेदन पत्र विचाराधीन थे। इसमें वे आवेदन-पत्र भी शामिल थे जिनकी अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर वित्त व्यवस्था की जानी थी। इसके अतिरिक्त 92 संस्थाओं से 780.42 करोड़ रुपये के आवेदन अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ निगम के विचाराधीन थे लेकिन इनमें कुछ मूलभूत मुद्दे/नीति विषयक मामले थे तथा इन्हें अभी सुलझाया जाना बाकी था। वर्ष के दौरान, निगम को वित्तीय सहायता के लिये 141 आवेदन प्राप्त हुए।

उदार ऋण योजना से सम्बन्धित आवेदनों को शामिल न करते हुए निगम को 161 संस्थाओं से 653.27 करोड़ रुपये की सहायता के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुए, इसमें वे आवेदन पत्र भी शामिल थे जिनमें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर वित्त व्यवस्था की गई थी।

निगम ने वर्ष के दौरान 132 आवेदन-पत्रों के लिये 96.93 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की, इस सहायता में उदार ऋण योजना के अधीन मंजूर की, इस सहायता में उदार ऋण योजना के अधीन मंजूर 53.65 करोड़ रुपये की सहायता को मिलाने से वर्ष के दौरान मंजूर कुल सकल वित्तीय सहायता 150.58 करोड़ रुपये हो जाती है ।

वर्ष के अन्त में, 25 संस्थाओं से 101.39 करोड़ रुपये की सहायता के लिये आवेदनों पर अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर सक्रिय कार्यवाही की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, 58 सस्थाओं के आवेदन अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ निगम के विचाराधीन थे लेकिन इनमें कुछ मूलभूत मुद्दे/नीति विषयक मामले थे तथा इन्हें अभी सुलझाया जाना बाकी था । इस श्रेणी में ऐसे आवेदन-पत्र है जिनके सामने प्रबन्ध ढांचे या बाजार दबाव की समस्यायें थीं, या इन पर सक्रिय विचार करने से

पहले इन्हें कुछ अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना था। ऐसे 58 आवेदनों में से 13 आवेदनों के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का अग्रणी दायित्व था, शेष 45 आवेदनों के सम्बन्ध में अग्रणी दायित्व भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय औद्योगिक सार एवं निवेश निगम का था।

निगम की सहायता के लिये प्राप्त आवेदनों और उनके निपटान (उदार ऋण योजना के अधीन प्राप्त या विचार किये गये आवेदनों को छोड़कर) का राज्यवार ब्यौरा रिपोर्ट के परिशिष्ट छ में दिया गया है।

उद्योगों की सामान्य समीक्षा

28. 1979-80 में औद्योगिक उत्पादन में लगभग एक प्रतिशत सीमान्त गिरावट हुई जबकि 1978-79 में इसमें 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के अनेक कारण थे। ये थे, बिजली की कमी, अवरुद्ध कोयला-उत्पादन, देश के अनेक भागों में सूखा पड़ना, तनावपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध और दुर्लभ कच्चा माल, ईंधन और कई प्रकार के उपभोक्ता/औद्योगिक माल के उत्पादन में काम आने वाले अन्य कच्चे माल की अपर्याप्त पूर्ति। स्पष्टतः मूलभूत मदों की लगातार कमी का अन्य उपभोक्ता उद्योगों पर उर्मि-प्रभाव पड़ा, और इसलिये औद्योगिक उत्पादन को नीचे गिराने में समग्र रूप से प्रभाव पड़ा। पिछले कुछ महीनों में सरकार के प्रयास रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाये और इस बात की जांच की जाये कि निर्मित औद्योगिक क्षमता का पूर्ण रूपेण उपयोग किया जाता है। इस दिशा में अनेक उपाय किये गये हैं जिनमें कुछ अपर्याप्यताओं, विशेष रूप से ऊर्जा, परिवहन और कोयले से सम्बन्धित प्रमुख अपर्याप्ताओं को समाप्त करना तथा उद्योगों को दुर्लभ औद्योगिक कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करवाना भी शामिल है।

औद्योगिक नीति

29. जुलाई, 1980 में सरकार ने औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया। इस वक्तव्य में सरकार के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों का उल्लेख किया गया, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) स्थापित क्षमता का इष्टतम उपयोग,

(ii) उत्पादन को अधिकतम करना और उच्चतर उत्पादिता प्राप्त करना,

(iii) अधिक रोजगार उपलब्ध करना,

(iv) क्षेत्रीय असन्तुलन में सुधार,

(v) कृषि-आधारित उद्योगों को वरीयता देना,

(vi) निर्यातोन्मुख और आयात-प्रतिस्थापन उद्योगों को प्रोत्साहन देना,

(vii) आर्थिक-संघात्मक धारण का संवर्द्धन,

(viii) उच्च कीमतों और घटिया किस्म के उत्पादों से उपभोक्ताओं का संरक्षण।

वक्तव्य में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका में सरकार का विश्वास दोहराते हुए, इन उपक्रमों में प्रभावशाली परिचालन प्रबन्ध प्रणालियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। परिचालन, वित्त विपणन और सूचना प्रणाली जैसे क्रियान्वयन क्षेत्रों में प्रबन्ध सवर्गों के विकास पर बल दिया गया। निजी क्षेत्र की भूमिका के सम्बन्ध में इस नीति की मान्यता है कि निजी क्षेत्र उपक्रमों को राष्ट्रीय योजनाओं और नीतियों के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुरूप विकास करने की अनुमति देना वांछनीय होगा परन्तु एकाधिकार प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने, अथवा, कुछ हाथों में आर्थिक शक्ति और सम्पदा के केन्द्रीकरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

वक्तव्य में, छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों के बीच कृत्रिम, विभाजन को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर बल दिया गया है तथा यह कहा गया है कि सभी प्रयास एकीकृत औद्योगिक विकास की दृष्टि में होने चाहिये। इस सम्बन्ध में, यह प्रस्तावित किया गया है कि यथासम्भव सहायक और लघु एवं कुटीर उद्योगों की इकाइयां बढ़ाने के लिये, औद्योगिक रूप से कम विकसित प्रत्येक जिले में कुल मूलभूत संयंत्र स्थापित करके आर्थिक संघात्मक धारणा को बढ़ावा दिया जायेगा।

सरकार ने, छोटे पैमाने की और सहायक इकाइयों तथा बहुत छोटे क्षेत्र के उद्योगों के सम्बन्ध में परिभाषात्मक निवेश सीमाओं को भी बढ़ा दिया जायेगा।

सरकार ने, छोटे पैमाने की और सहायक इकाइयों तथा क्षेत्र के उद्योगों के सम्बन्ध में परिभाषात्मक निवेश सीमाओं को भी बढ़ा दिया है। इसके बाद, छोटे पैमाने की इकाई के रूप में वर्गीकृत इकाइयों का निवेश 20.00 लाख रुपये तक और सहायक इकाइयों का निवेश 25.00 लाख रुपये तक और अति लघु इकाई का निवेश 2.00 लाख रुपये तक होगा।

जहां तक क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने का सम्बन्ध है, नीति में उद्योगों के प्रसार को प्रोत्साहन देने और औद्योगिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के आशय का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस प्रयोजन के लिये विशेष रियायतें और सुविधायें दी जायेंगी जो विकास और कार्योन्मुख होंगी।

सरकार के कथन में परिकल्पना की गई है कि समय-समय पर उद्योगों को दिये गये प्रोत्साहनों के प्रभाव का नियमित निर्धारण किया जायेगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस सीमा तक उन्होंने अपने आरम्भिक प्रयोजन पूरे किये हैं। तदनुसार, सरकार समय-समय पर प्रोत्साहन पद्धतियों का पुनरीक्षण करेगी।

सरकार ने अनुभव किया है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण, अथवा, जनसमूह के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले अनेक उद्योगों में, मूल अथवा 1975 अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुसार यथा-संशोधित लाइसेंसों पर पृष्ठांकित उत्पादक क्षमता, इकाई की पूर्ण उत्पादक क्षमता को प्रदर्शित नहीं करती। श्रम उत्पादिता में वृद्धि, या टैक्नोलाजिकल सुधार के परिणामस्वरूप उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो गई होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने, चयनात्मक आधार पर ऐसी क्षमताओं को मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

औद्योगिक रुग्णता के सम्बन्ध में उक्त वक्तव्य में उल्लेख किया गया है कि यद्यपि वह यह स्वीकार करते हैं कि उपयुक्त उपचारक कार्यवाही द्वारा इन उपक्रमों में निवेश की रक्षा करना राष्ट्रीय हित में होगा, लेकिन जिन मामलों में रुग्णता का कारण जानबूझ कर की गई दुर्व्यवस्था और वित्तीय, हेरा-फेरी हो उनके सम्बन्ध में सुदृढ़ कार्यवाही की जानी होगी। उपक्रमों में रुग्णता का समय पर पता लगाने के लिये अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सहायता करने की दृष्टि से सरकार ने, रुग्णता के लक्षणों का पता लगाने के लिये "प्रारम्भिक चेतावनी व्यवस्था" के रूप में कार्य करने के लिये एक जांच सूची आरम्भ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

जहां तक मिलान और समामेलन का सम्बन्ध है, इस नीति में ऐसे वर्तमान रुग्ण उपक्रमों, जिनमें पुनर्जीवन के लिये पर्याप्त क्षमता है, को ऐसी स्वस्थ इकाइयों के साथ मिलाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा जो ऐसे उपक्रमों के प्रबन्ध को चलाने और उनकी व्यावहार्यता पुनः स्थापित करने में योग्य हों। इस प्रयोजन के लिये आयकर अधिनियम की धारा 72 क के अधीन वर्तमान कर रियायतों को, रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के प्रयोजन के लिये मिलान प्रस्तावों के लिये और अधिक उदार रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। सरकार ने प्रस्ताव पेश किया है कि रुग्ण इकाइयों के, व्यवहार्य पुनर्जीवन योजना को कार्यान्वित करने में सक्षम स्वस्थ इकाइयों के साथ स्वैच्छिक मिलान पर और अधिक आस्था बढ़ाने की दृष्टि से विद्यमान निर्देशक सिद्धान्तों का पुनरीक्षण किया जाये।

इसके अतिरिक्त सरकार का यह दृष्टिकोण रहा है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन प्रबन्ध का कार्यभार जनहित के आधार पर केवल विशेष मामलों में, जिनमें रुग्ण उपक्रमों को बचाने के लिये अन्य उपाय व्यवहार्य न समझे गये हों, ग्रहण किया जाना चाहिये। सरकार के वक्तव्य में यह भी उल्लेख किया गया कि जहां प्रबन्ध का कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक हो गया है वहां राज्य सरकार से, उपयुक्त मामलों में, उपक्रम के वित्त और प्रबन्ध के लिये जिम्मेदारी ग्रहण करने की उम्मीद की जायेगी।

वित्तपोषित उद्योग क्षेत्र

30. निगम ने जिन कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को सहायता प्रदान की है, उनकी प्रगति का विवरण निम्नलिखित अवतरणों में दिया गया है। इन उद्योगों को निगम द्वारा वित्तपोषित कुछ संस्थाओं की इकाइयों की वर्ष 1979 के दौरान की प्रगति समीक्षा निम्नलिखित अवतरणों में दी गई है, जो कि इस सन्दर्भ में किये गये सर्वेक्षण पर आधारित है।

उर्वरक

वर्ष 1979-80 के दौरान नाइट्रोजन उर्वरकों की विस्थापित क्षमता 1978-79 के 32.6 लाख टन से बढ़कर 38.9 लाख टन हो गई। फास्फेटीय उर्वरकों की विस्थापित क्षमता में 13.9 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो 1979–80 में पी $_2$ ओ० $_5$ का 12.30 लाख टन है। उद्योग में क्षमता उपयोग बहुत अधिक सन्तोषजनक नहीं रहा।

परन्तु, नाइट्रोजन उर्वरकों का कुल उत्पादन 21.70 लाख टन से बढ़कर 22.26 लाख टन हो गया, जबकि फास्फेटीय उर्वरकों का उत्पादन पिछले वर्ष के 7.70 लाख टन से घटकर 7.57 लाख टन रह गया। बिजली की कमी और कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता से वर्ष के दौरान नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन प्रभावित हुआ, क्षमता उपयोग 1978-79 में 66.6 प्रतिशत की तुलना में केवल 57.2 प्रतिशत रह गया। फास्फेटीय उर्वरकों का निर्माण करने वाली इकाइयों का क्षमता उपयोग वर्ष के दौरान 61.5 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष यह 71.3 प्रतिशत था। फास्फेटीय उर्वरकों के क्षमता उपयोग में गिरावट का मुख्य कारण आयातित फास्फोरिक एसिड की अनुपयुक्त उपलब्धता थी।

देश में उर्वरक की बढ़ती हुई मांग, जिसमें 1977-78 से 1978-79 में 20.5 प्रतिशत वृद्धि हुई, को पूरा करने के लिये सरकार को वर्ष के दौरान लगभग 33 लाख टन उर्वरकों का आयात करना पड़ा था।

वर्ष 1979-80 के दौरान मूल्य उर्वरकों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उर्वरक भाड़ा उप सहायता योजना और सड़क मार्ग द्वारा उर्वरक लाने ले जाने के लिये उप सहायता योजना में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी, जून, 1980 में पैट्रोलियम उत्पादों की कीमत में तीव्र वृद्धि के कारण सरकार ने 8 जून, 1980 से उर्वरकों की कीमतों में संशोधन कर दिया। यूरिया

कीमत खुदरा बिक्री कीमत 2,000 रुपये प्रति टिन पर नियत कर दी गई है और अन्य उर्वरकों की कीमतें भी, नाइट्रोजन और अन्य उर्वरकों के बीच समता बनाये रखने के लिये उचित रूप से बढ़ा दी गई ।

निगम की वित्तपोषित संस्थाओं में से चार की प्रगति बहुत सन्तोषजनक नहीं रही। परन्तु, इकाइयों का क्षमता उपयोग मुख्यत: बिजली की कमी के कारण प्रभावित हुआ। दो संस्थाओं के मामले में उनके कार्यों को, बिजली की अनुपलब्धता के कारण कर्नाटक की एक संस्था के पूर्णत: बन्द हो जाने के साथ साथ परिचालन समस्याओं ने भी प्रभावित किया। तमिलनाडु की एक संयुक्त क्षेत्र परियोजना में उत्पादन, फैक्टरी में विस्फोट होने के कारण लगभग दो महीने के लिये रोकना पड़ा था। चौथी संस्था में क्षमता उपयोग 90 प्रतिशत हो गया। संस्था के विस्तार कार्यक्रमों का उद्देश्य अपने यूरिया संयंत्र की क्षमता को 4.50 लाख टन से बढ़ाकर 6.75 लाख टन प्रतिवर्ष करना है और इसके आन्तरिक बिजली संयंत्र के उपकरण आयात करने के लिये इसके प्रस्ताव को वित्तीय संस्थानों का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

सीमेंट

1979 में देश में 56 इकाइयां कार्य कर रही थीं जिनकी विस्थापित क्षमता 227.5 लाख टन थी। इसके विपरीत, सीमेंट का उत्पादन 181.7 लाख टन था, जिसमें लगभग 80 प्रतिशत क्षमता उपयोग दिखाया गया। सीमेंट का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.39 प्रतिशत कम हो गया। कोयले और बिजली की सप्लाई में कमी तथा परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों से भी उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। सीमेंट का उत्पादन देश में उसकी मांग के अनुरूप नहीं था। तदनुसार, सरकार को सीमेंट का निर्यात बन्द करना पड़ा था और मांग और सप्लाई के बीच दूरी समाप्त करने के लिये लगभग 13 लाख टन सीमेंट का आयात करना पड़ा। सरकार ने, नये औद्योगिक लाइसेंस, आशय-पत्र प्रदान करके और तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा लघु इस्पात संयंत्रों का रजिस्ट्रेशन करके लगभग 275.2 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की मंजूरी दे दी है । सीमेंट उद्योग में प्रोत्साहन दिये जाने के बावजूद विशेष रूप से क्षमता के न बढ़ने के कारणों की जांच किये जाने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा उद्योग का विस्तृत विश्लेषण किया गया। समिति ने एक त्रिपक्षीय प्रति धारण कीमत की सिफारिश की । नई प्रतिधारण कीमत पद्धति मई, 1979 में लागू की गई और 31 मार्च, 1982 तक लागू रहेगी। नई पद्धति के अन्तर्गत न्यून लागत वाली इकाइयां 185 रुपये प्रति टन, मध्यम लागत वाली इकाइयों 205 रुपये प्रति टन और उच्च लागत वाली इकाइयां 220 रुपये प्रति टन प्राप्त करेंगी। जहां तक नई सीमेंट इकाइयों और वास्तविक विस्तार का सम्बन्ध उन्हें भारत सरकार के सितम्बर, 1977 के संकल्प के अनुसार 296 रुपये प्रति टन की उच्च कीमत की अनुमति दी जाती रहेगी।

कमियों के बावजूद, तमिलनाडु में निगम की वित्तपोषित तीन संस्थाओं ने औसत क्षमता उपयोग की लगभग 90 प्रतिशत मात्रा प्राप्त कर ली। फिर भी, वर्ष 1979 की अन्तिम तिमाही में इन इकाइयों को, नवम्बर मास में भारी वर्षा की वजह से बाढ़ आ जाने के कारण खदानों से चूने की कमी का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु की एक और इकाई, जिसने अगस्त, 1979 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया था, कोयले की कमी, बिजली नियंत्रण और प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण 34 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग प्राप्त नहीं कर सकी। बिजली की सप्लाई में लगातार बाधाओं के बावजूद, आन्ध्र प्रदेश स्थित एक वित्त पोषित संस्था की प्रगति सन्तोषजनक रही, हालांकि उसका क्षमता उपयोग कम था। बिहार स्थित एक इकाई क्षमता का केवल 63 प्रतिशत की सीमा तक उपयोग किया गया जबकि पिछले वर्ष यह सीमा 77 प्रतिशत थी। क्षमता के निम्न उपयोग के कारण मुख्यत: बिजली और कोयले की कमी ही थे। उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र की एक संस्था की प्रगति असन्तोषप्रद रही; उसका क्षमता उपयोग लगभग 50 प्रतिशत था। इसका विस्तार कार्यक्रम, जिसे बार-बार अतिव्ययों का सामना करा पड़ा, इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है।

कागज

1979 में देश में कागज और गत्ते का निर्माण करने वाली 106 इकाइयां थी, जो कि पिछले वर्ष 86 थीं । कागज उद्योग में विस्थापित क्षमता 1978 में 12.65 लाख टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 1979 में 13.80 लाख टन हो गई, जिससे 1.15 लाख टन प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। 1979 में कागज और गत्ते का अनुमानित उत्पादन 11.00 लाख टन था जो पिछले वर्ष के उत्पादन से लगभग 1.00 लाख टन अधिक था। उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद देश को कागज की घोर कमी का सामना करना पड़ा। आम आदमी को उचित कीमतों का सफेद छपाई कागज उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने, कागज (उत्पादन विनियमन) आदेश, 1978 के पूरक के रूप में 30 जून, 1979 को कागज नियंत्रण आदेश जारी किया। आदेश के अधीन सफेद छपाई कागज की फैक्टरी कीमत को 2750 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिटन कर दिया गया। कागज की सप्लाई को बढ़ाने के लिये सरकार ने 1979-80 में, 41,000 टन छपाई कागज का आयात किया।

1980-81 के बजट में सरकार ने, कागज के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिये ऐसे लघु निर्माताओं, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में 300 टन कागज और गत्ते से अधिक निकासी न की हो, वे कागज और गत्ते पर उत्पादन शुल्क की दर में मूल्यानुसार 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की रियायत देने की घोषणा की।

निगम द्वारा कागज उद्योग को वित्तपोषित स्थापित संस्थाओं ने वर्ष के दौरान, बिजली की कमी के बावजूद, अच्छी प्रगति की। उनमें से एक ने अपनी क्षमता का पूर्ण से अधिक उपयोग किया जबकि अन्य मामलों में क्षमता उपयोग यथोचित सन्तोषप्रद था। परन्तु, निगम द्वारा वित्तपोषित नई इकाइयों की प्रगति अधिक सन्तोषजनक नहीं थी।

कास्टिक सोडा

देश में 1979-80 में कास्टिक सोडे का उत्पादन 5.50 लाख टन हुआ जो कि पिछले वर्ष 5.64 लाख टन था। इस प्रकार लगभग 2.5 प्रतिशत की गिरावट हुई, जिसका मुख्य कारण बिजली की कमी थी। सरकार को, घरेलू उत्पादन की पूर्ति के लिये कास्टिक सोडे का आयात करना पड़ा, यह निजी आयातों के अतिरिक्त था। 1980-81 के बजट में सरकार ने कास्टिक सोडे पर उत्पादन शुल्क को मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया।

जिन वित्त पोषित संस्थाओं ने सूचना भेजी उनका औसत क्षमता उपयोग 74.0 प्रतिशत था। जबकि उद्योग की प्रगति 71.5 प्रतिशत थी। गुजरात स्थित हमारी एक वित्तपोषित इकाई ने अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग किया और उड़ीसा स्थित एक इकाई ने अपनी क्षमता का 91 प्रतिशत उपयोग किया, तथापि इस में पिछले वर्ष से कुछ सुधार हुआ। उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक इकाई, बिजली की कमी के कारण पिछले वर्ष में किये गये क्षमता उपयोग के अपने स्तर को बरकरार नहीं रख सकी। तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में स्थित दो अन्य इकाइयों ने वर्ष के दौरान बिजली की कमी के बावजूद काफी प्रगति की। तमिलनाडु स्थित एक और इकाई ने फरवरी, 1979 में उत्पादन शुरू किया और क्षमता का 80 प्रतिशत उपयोग किया।

आटोमोबाइल टायर और ट्यूब

आटोमोबाइल टायर और ट्यूब उद्योग की विस्थापित क्षमता में पिछले वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो 79.29 लाख आटोमोबाइल टायरों और 81.73 लाख ट्यूबों पर स्थिर रही। आटोमोबाइल टायरों का उत्पादन 69.30 लाख था जो पिछले वर्ष 69.90 लाख था; इसमें 60,000 टायरों का कम उत्पादन हुआ। आटोमोबाइल टयबों के उत्पादन में भी 6.64 लाख ट्यूबों का कम उत्पादन हुआ। आटोमोबाइल टायरों और ट्यूबों दोनों के उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारण कच्चे माल की कमी, विशेषत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में बिजली की कमी, और अपर्याप्त रेल परिवहन सुविधाओं के कारण कोयले की कमी थी। देश में कार्बन ब्लैक का उत्पादन करने वाली एक बड़ी इकाई में श्रमिकों की हड़ताल भी थी। इसके अतिरिक्त कच्चे माल की लागत बहुत अधिक थी। सरकार ने, स्थिति को सामान्य बनाने के लिये, उद्योग के लिये उपेक्षित प्रमुख कच्चे माल के आयात की अनुमति दे दी है।

आटोमोबाइल टायरों और ट्यूबों की बढ़ती हुई मांग से कुछ वित्तपोषित संस्थाओं के उत्पादन में सुधार हुआ। उत्तर प्रदेश स्थित एक इकाई ने अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग किया।

निगम द्वारा वित्तपोषित दक्षिणी क्षेत्र की तीन इकाइयों में से एक की प्रगति सन्तोषजनक थी, हालांकि बिजली की कमी के कारण इसका क्षमता उपयोग प्रभावित हुआ था। मार्च, 1977 में उत्पादन शुरू करने वाली एक अन्य इकाई के क्षमता उपयोग में सुधार हुआ, हालांकि यह सुधार सीमान्त था, फिर भी, क्षमता के कम उपयोग, प्रारम्भिक कठिाइयां, अप-सामान्य औद्योगिक सम्बन्ध और कच्चे माल की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण इसके कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वर्ष के दौरान एक अन्य इकाई के परिचालन में सुधार हुआ, हालांकि इसकी वित्तीय स्थिति असन्तोषजनक रही। कम्पनी की विस्तर योजना के कार्यान्वियन की मूलत: जून, 1979 में पूरा हो जाने की संभावना थी, जिसमें टायर और ट्यूबों की क्षमता वृद्धि क्रमश: 4.60 लाख तथा 6.00 लाख वार्षिक आंकी गई थी, फैक्टरी में चली आ रही लम्बी हड़ताल से इसके उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ा है, हड़ताल हाल ही में समाप्त हुई है। पश्चिमी बंगाल में स्थित एक अन्य इकाई की क्षमता उपयोग भी बहुत कम रहा, चूंकि इसे श्रमिक समस्याओं, घोर धनाभाव का लगातार सामना करना पड़ा और इसका संयंत्र भी ठप्प हो गया था।

लघु इस्पात संयंत्र

मिल्लियों/छड़ों का उत्पादन करने के लिये लाइसेंस प्राप्त बिजली की चाप भट्टी इकाइयों का अनुमानित उत्पादन लगभग 16.16 लाख टन था, जबकि 1978.79 में यह उत्पादन 16.57 लाख टन था। उत्पादन में गिरावट का कारण बिजली की कमी और कच्चे माल का न मिलना था। व्यावसायिक परामर्शदाताओं की सिफारिशों के परिणाम में सरकार ने, लघु इस्पात संयंत्रों की आर्थिक व्यावहार्यता में सुधार लाने के लिये उपायों की घोषणा की है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) बिजली चाप भट्टी में प्रयुक्त लगभग सभी श्रेणियों की लौह धातु कतरनों पर सीमा शुल्क से छूट;

(ii) भारी धातु कतरन से भिन्न धातु कतरन के आयात पर प्रतिकारी शुल्क में भी छूट दी गई;

(iii) संचरित सूची में कुछ लौह धातु करतनों को निर्यातों में रखने के अतिरिक्त विशेष अपरिस्थितियों के अधीन चयनात्मक आधार पर इकाइयों द्वारा लौह धातु कतरनों के प्रत्यक्ष आयात की अनुमति देना;

(iv) एकीकृत इस्पात संयंत्र से प्राप्त भारी कतरन की कुछ श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क समाप्त करना;

(v) कार्बन और मिश्रित इस्पात के कुछ ग्रेडों के विशाखन की अनुमति;

(vi) लघु इस्पात संयंत्रों से विज्ञापन के आवेदनों पर वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुकूल विचार किया जा सकता है;

(vii) घरेलू सप्लाई को बढ़ाने के लिये ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड के आयात की अनुमति दी गई; और

(viii) इस्पात पुनः ढलाई मिलों और लघु इस्पात संयंत्रों को उदार ऋण योजना के अधीन सहायता का पात्र बनाया गया।

निगम द्वारा वित्तपोषित लघु इस्पात संयंत्रों के परिचालनों में सामान्यतः सुधार हुआ। सूचना देने वाली इकाइयों का औसत क्षमता उपयोग समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 70 प्रतिशत था। अधिकांश वित्तपोषित इकाइयों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, कुछ इकाइयों को कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई, तनावपूर्ण श्रमिक सम्बन्धों और अन्य परिचालन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनमें से एक ने अपने उत्पादन में विशाखन किया, एक ऐसे स्तर पर अपने परिचालनों को सुधारा जिससे कि यह इस पर जमा हुये सारे ब्याज को अदा करने के अतिरिक्त निगम की चालू देयताओं को पूरा करने में समर्थ रही। एक लघु इस्पात संयंत्र, जो कुछ वर्ष पहले परियोजना के पूरी हो जाने के बावजूद पहले उत्पादन शुरू नहीं कर सका था, वर्ष के दौरान आरम्भ किया गया। दो अन्य लघु इस्पात संयंत्रों, जिन्होंने पिछले वर्ष परिचालनों में सुधार किया था, अपनी स्थिति और दृढ़ की तथा वित्तीय संस्थानों को अपने वायदे पूरे करने शुरू कर दिये। उनमें से एक ने जमा हुए ब्याज का भी काफी भाग अदा कर दिया। यद्यपि एक अन्य लघु इस्पात संयंत्र, जिससे प्रारम्भिक वर्षों में अपने परिचालनों को निलम्बित कर दिया था, वर्ष के दौरान उत्पादन शुरू कर दिया। इस इकाई की परिसम्पत्तियां एक अन्य कम्पनी को, उसमें कम्पनी के साथ मिलाये जाने तक पट्टे पर दे दी गई हैं।

कृषि ट्रैक्टर

ट्रैक्टरों की लगातार बढ़ती बहुती हुई मांग से देश में उनका उत्पादन पिछले कुछ वर्षों से बढ़ता जा रहा है। 58,900 ट्रैक्टरों की विस्थापित क्षमता वाली 13 इकाइयां ट्रैक्टरों के उत्पादन में लगी थी। 1979 में 60,060 ट्रैक्टरों का निर्माण किया गया जो कि पिछले वर्ष से 13 प्रतिशत अधिक था। उम्मीद है कि उद्योग लगभग 85,000 ट्रैक्टरों की प्रत्याशित मांग को 1983-84 तक पूरा कर लेगा। उद्योग को, बिजली, लोहा और इस्पात कोयला, भट्टी तेल, टायर और ट्यूब और सहायक आटोमोबाइल की अन्य मदों की कमी का सामना करना पड़ा। सरकार ने इन मदों के आयात की अनुमति दे दी है और सीमा शुल्क कम कर दिया है। हाल ही में, उद्योग ने एफ्रो एशिया क्षेत्र के कुछ देशों को ट्रैक्टर निर्यात करने प्रारम्भ कर दिये हैं।

दो वित्तपोषित संस्थाणों की प्रगति बहुत अधिक असन्तोषजनक थी। एक इकाई ने अपनी क्षमता का 123 प्रतिशत और दूसरी इकाई ने 91 प्रतिशत उपयोग किया। यह इकाई बिजली और कच्चे माल की कमी के कारण अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकी। तीसरी इकाई की प्रगति सन्तोषजनक नहीं थी, क्योंकि इसे बिजली और कच्चे माल की कमी से होने वाली कठिनाइयों के अतिरिक्त ओर धनाभाव के साथ साथ संघटकों के देशीकरण की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था।

पावर टिलर्स

पावर टिलर उद्योग में क्षमता उपयोग, मांग को कमी के कारण लगातार कम रहा। हालांकि, अब यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है। 16,000 पावर टिलरों की विस्थापित क्षमता के मुकाबले 1979 के दौरान 2,488 पावर टिलरों का उत्पादन हुआ। यह पिछले वर्ष के उत्पादन से 17 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने पावर टिलर उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए उत्पाद शुल्क में छूट दे दी। उद्योग की इकाइयों का क्षमता उपयोग बढ़ाने के लिए सरकार और अधिक प्रोत्साहन देने के विषय में विचार कर रही है।

सूचना देने वाली दो वित्तपोषित इकाइयों में से कर्नाटक राज्य की एक इकाई ने अपनी प्रगति बरकरार रखी। बाजार में टिलरों की बढ़ती हुई मांग से कम्पनी की प्रगति में सुधार हुआ है। परन्तु, उत्तर प्रदेश में स्थित एक इकाई की प्रगति निराशाजनक रही और उसका उपयोग नगण्य था। बिजली की कमी के अलावा इकाई को कच्चे माल की कमी और बाजार सीमाओं का भी सामना करना पड़ा।

सूती वस्त्र

1978 में देश में 648 सूती वस्त्र मिलें थीं, जो 1979 में बढ़कर 661 हो गई। इनमें से 370 कताई मिलें और 291 संयुक्त मिलें थी। इनकी कुल विस्थापित क्षमता 206.09 लाख तकुए और 2.06 लाख खड्डियां थीं। 1979 में 32,060 लाख मीटर सूती वस्त्र और 9,522 लाख किलोग्राम सूती धागे का उत्पादन हुआ, जबकि पिछले वर्ष यह उत्पादन 32,513 लाख मीटर वस्त्र और 9,116 लाख किलोग्राम धागा रहा। संगठित क्षेत्र में उत्पादन, बिजली की घोर कमी और लम्बे समय तक चलने वाली हड़तालों से बुरी तरह प्रभावित हुआ। सरकार ने, वस्त्रों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए दो उपाय अपनाए (i) कीमतों को पीछे हटाने की योजना और (ii) स्वैच्छिक रूप से कीमत घटाने की योजना।

देश में उद्योग की सामान्य प्रगति के अनुरुप निगम की वित्तपोषित संस्थाओं की प्रगति अच्छी रही।

कृत्रिम वस्त्र

कृत्रिम वस्त्र क्षेत्र में अब 1.36 लाख प्राधिकृत पावरलूम और 700 बुनाई मशीनें हैं। कृत्रिम रेशम तन्तु सहित सेलुलाजिक और गैर सेलुलाजिक तन्तु धागे की विस्थापित क्षमता 1.84 लाख टन थी। 1978-79 में उक्त धागों का 1.93 लाख टन उत्पादन हुआ जो

1977-78 में 1.73 लाख टन था । अप्रैल 1979 से अक्तूबर 1979 की अवधि के दौरान 1.12 लाख टन उत्पादन हुआ । इस क्षेत्र में 1.42 लाख टन की सीमा तक अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की योजना इस समय कार्यान्वित की जा रही है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिकांश वित्तपोषित संस्थाओं की वित्तीय प्रगति संतोषजनक रही । उनका औसत क्षमता उपयोग भी उचित रूप से संतोषजनक था । हमारी दो वित्तपोषित इकाइयों ने अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग किया । मध्य प्रदेश स्थित एक इकाई, बिजली में कटौती और कच्चे माल की कमी के कारण अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग न कर सकी । उत्तर प्रदेश स्थित एक और इकाई ने पिछले वर्ष से प्रगति की ; पालिएस्टर धागे के मामले में इसका क्षमता उपयोग 124 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष 83 प्रतिशत था । गुजरात की एक वित्तपोषित इकाई ने अपनी प्रगति को पिछले वर्ष की 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 83 प्रतिशत कर लिया । पालिएस्टर रेशा तन्तु निर्माण करने वाली एक अन्य वित्तपोषित इकाई अपने उत्पादन के स्तर को पिछले वर्ष के स्तर पर कायम नहीं रख सकी । इसके निम्न क्षमता उपयोग के मुख्य कारण थे, कच्चे माल और बिजली की कमी, परिचालन सम्बंधी समस्याएं और तनावपूर्ण औद्योगिक सम्बंध ।

पटसन

जनवरी–सितम्बर, 1979 की अवधि के दौरान पटसन उत्पाद का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.5 प्रतिशत कम रहा । उत्पादन में कमी का मुख्य कारण बार-बार होने वाली हड़तालें थी उद्योग को देश और विदेश दोनों में अनुकूल बाजार स्थितियां मिलीं । इसके अतिरिक्त कच्चे माल की सप्लाई उपयुक्त और सस्ती थी तथा उद्योग को अपने तैयार माल के लिए लाभप्रद कीमतें प्राप्त हुईं ।

निगम की वित्तपोषित संस्थाओं की प्रगति समग्र उद्योग की प्रगति के अनुकूल रही ।

चीनी

1979-80 के दौरान 38.77 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की संभावना है जो पिछले वर्ष से 19 लाख टन कम है । उत्पादन में कमी का कारण था कि गन्ना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हुआ । पिछली रिपोर्ट में, अगस्त, 1978 में चीनी से नियंत्रण हटाए जाने का उल्लेख किया गया था । सितम्बर, 1979 में सरकार ने फैक्टरी और खुदरा दोनों स्तरों पर मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाई 1 दिसम्बर, 1979 में सरकार ने दोहरी कीमत प्रणाली लागू की ।

निगम की वित्तपोषित चीनी इकाइयों की प्रगति सामान्यतः संतोषजनक नहीं थी और मुख्यतः गन्ने के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन बहुत कम हो गया ।

अन्तिम उपयोग तक देख-रेख तथा अनुवर्ती कार्यवाही

31. निगम के बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इतनी ही संख्या के बराबर शाखा कार्यालय अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद और कानपुर में हैं, इसके अतिरिक्त 9 अन्य कार्यालय विभिन्न राज्यों में हैं । निगम के इन कार्यालयों में आवश्यक तकनीकी, वित्तीय एवं विधिक स्टाफ की व्यवस्था की गई है, जो प्रधान कार्यालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त करके वित्तपोषित संस्थाओं की नियमित अनुवर्ती कार्यवाही करते हैं । निगम की अनुवर्ती कार्यवाही में इस प्रकार की सूचना मांगी जाती है जो कि परियोजन का प्रभारी कोई भी विवेकपूर्ण प्रबन्धक वर्ग एकत्र कर इस दृष्टि से इसका विश्लेषण करेगा जिससे परियोजना सफलता पूर्वक कार्य करती रहे ।

कार्य विधि

32. निगम द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए निम्नलिखित पद्धतियां अपनाई गई हैं :—

(1) निश्चित फार्मों में नियमित रूप से अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना ;

(2) थोड़े-थोड़े अन्तरालों के पश्चात् वित्तपोषित संस्थाओं के फैक्ट्री स्थल पर जाकर जांच करना तथा लेखा-पुस्तकों की जांच पड़ताल करना ;

(3) वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति तथा कार्य परिणामों से सम्बन्धित अर्ध-वार्षिक/वार्षिक सारणियों की जांच करना ; और

(4) उचित मामलों में, निगम के हित की देख-भाल करने और समय-समय पर कम्पनी के प्रबन्ध तथा संचालन के बारे में सूचना देने के लिए वित्तपोषित संस्थाओं के संचालक बोर्डों/प्रबन्धक वर्ग में सरकारी/गैर सरकारी नामित सदस्यों की नियुक्ति करना ; तथा

(5) वित्तपोषित संस्थाओं की व्यवस्था, जहां कहीं सम्भव हो, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और/अथवा अन्य बाहरी संस्थानों द्वारा प्रायोजित तकनीकी सलाहकारी संगठन को सौंपा जाना ।

अनुवर्ती कार्यवाही अवस्था के दौरान अग्रणी संस्थान की धारणा—साझी पहुंच

33. अनुवर्ती कार्यवाही अवस्था के दौरान समस्याओं, विशेषकर औद्योगिक रुग्णता से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करने के लिए वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाने की दृष्टि से "अग्रणी संस्थान" की धारणा को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुवर्ती

कार्यवाही के क्षेत्र तक विस्तृत किया गया है । सभी अनुवर्ती मामलों के सम्बन्ध में अग्रणी संस्थान निश्चित किए गए हैं । अग्रणी संस्थान, सम्बन्धित संस्थाओं के साथ नजदीकी सम्बन्ध बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है यह अन्य सम्बन्धित संस्थानों के साथ मिलकर समन्वय स्थापित करता है तथा बैंकों के साथ भी समन्वय बनाए रखता है । इन व्यवस्थाओं से सम्बन्धित संस्थाओं की प्रगति की ओर अधिक देख-भाल हुई है । रुग्ण इकाइयों के मामले में, अग्रणी संस्थान अन्य वित्तीय संस्थानों/बैंकों के साथ विचार-विमर्श तथा समन्वय स्थापित करके उनकी पुनर्स्थापन योजनाओं के बनाने कार्यान्वयन करने और संचालन करने का प्रयास करता है । संस्थानों में आपस में हुई सहमति के अनुरूप अब अग्रणी संस्थान वित्तपोषित संस्थाओं से सम्बन्धित कुछ विशेष संचालन मामलों में अन्य संस्थानों से विचार-विमर्श किए बिना भी निर्णय ले सकता है । लेकिन यह लिए गए निर्णय से अन्य भागीदारी संस्थानों और बैंकों को सूचित कर देता है । इसके अतिरिक्त, वित्तपोषित संस्था को अब सामान्यतः, अनुमोदनों के लिए परियोजना के सभी भागीदारी संस्थानों से अलग-अलग सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है । केवल अग्रणी संस्थान से ही सम्पर्क स्थापित करना पर्याप्त होगा ।

प्रगति रिपोर्टें

34. समरूपता की दृष्टि से प्रत्येक उद्योग की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण और संचालन काल में त्रैमासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट देने के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने साझे प्रपत्र बनाए हैं । ये प्रगति रिपोर्टें, निगम तथा अन्य संस्थानों द्वारा उपचारक सलाह प्रदान करने के अतिरिक्त संस्थानों को इनकी प्रगति तथा वित्तीय योजन को ध्यान में रखते हुए परियोजना के लिए निधियों के संवितरण करने में सहायता प्रदान करती हैं ।

अनुवर्ती कार्यवाही के लिए नियत किया गया अग्रणी संस्थान ही अब मुख्य रूप से वित्तपोषित संस्थाओं से समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने और उनकी जांच करने के लिए जिम्मेदार है तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किए जाने वाले उपचारक उपायों से वित्तपोषित संस्था को सूचित भी करता है । अन्य संस्थानों को गतिविधियों से अवगत करा दिया जाता है ।

निरीक्षण

35. ऋण करार के बन्धक हो जाने की तारीख से लेकर जब तक ऋण का कोई भाग बकाया रहता है निगम के अधिकारी फैक्टरी स्थल पर जाकर परियोजना के निर्माण तथा कार्य-संचालन का निरीक्षण करते हैं तथा वित्तपोषित संस्थाओं की लेखा पुस्तकों की भी जांच की जाती है । संयुक्त वित्तपोषित के मामले में विस्तृत निरीक्षण के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व । जिम्मेदारी "अग्रणी संस्थान" की होती है । ये निरीक्षण निगम के वित्तीय तथा तकनीकी अधिकारियों के दल द्वारा किए जाते हैं ।

निरीक्षण दल अपने आपको इस बात से भी आश्वस्त करता है कि निगम से लिए ऋण की मूलधन राशि अलग बैंक खाते में रखी गई है, तथा इसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए उसे मंजूर किया गया है । यद्यपि क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय "तत्क्षण निरीक्षण रिपोर्ट" सम्बन्धित अग्रणी संस्थान द्वारा अन्तिम रूप से तैयार तथा परिचालित की जाती है ।

परियोजना के वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन शुरू कर देने के पश्चात् प्रथम निरीक्षण आम तौर पर पुनर्मूल्यांकन के रूप में किया जाता है ताकि लाभ सम्भावनाओं में होने वाले परिवर्तनों के कारणों का सही प्रकार से पता लगाया जा सके और परियोजना का उसके उचित परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया जा सके । विदेशी मुद्रा उप-ऋणों के मामले में, निरीक्षण रिपोर्टें सम्बन्धित वित्तीय संस्थानों को भी, आवश्यकतानुसार भेजी जाती है ।

लेखा परीक्षित वित्तीय सारणियों, परिपत्रों, आदि तथा शेयरधारियों की बैठकों के कार्यवृत्त का सावधानीपूर्वक अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है ताकि कम से कम पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी प्रगति, लाभ व अन्य वित्तीय पहलुओं की तुलना की जा सके ।

समस्या मामले

36. निगम के प्रधान कार्यालय में 1973 में स्थापित सलाहकारी सेवाएं विभाग नए उद्यमकर्ताओं तथा अन्यों को उनकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की पूर्व अवस्थाओं तथा बाद की अवस्थाओं में, समस्या परियोजनाओं के गहन अनुरक्षण सहित, तकनीकी तथा वित्तीय क्षेत्रों में परामर्श एवं पथ-प्रदर्शन प्रदान कर रहा है, अब इसका नाम समस्या मामले विभाग (पी० सी० डी०) रख दिया गया है । निगम द्वारा वित्तपोषित रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में पुनर्निर्माण प्रस्तावों की जांच करने के लिए उस विभाग में एक वित्तीय पुनर्निर्माण कक्ष भी बनाया गया है । ऐसे रुग्ण उपक्रमों के पुनरुत्थान के मामले में, जिनके लिए समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, विभाग अन्य वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में जांच-समिति के साथ भी नजदीकी सम्पर्क और समन्वय बनाए रखता है । समस्या मामले विभाग, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन प्रबन्ध को अधिकार में लेने के लिए और प्रबन्ध को अधिकार में लेने के बाद अनुरक्षण कार्यवाही के लिए तथा जांच समिति के लिए समीक्षा तैयार करने के लिए आवेदनों के सम्बन्ध में उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग से भी सम्पर्क बनाए रखता है ।

नामित संचालक

37. निगम तथा वित्तपोषित संस्थाओं के प्रबन्धक वर्गों के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण आयाम उनके संचालक बोर्डों में अपने सदस्य नामित करना है । औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 25 (2) के अनुसरण में निगम, नीति के तौर पर वित्तपोषित औद्योगिक संस्थाओं के बोर्डों में दो संचालक नियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । संयुक्त वित्तीय सहायता के मामले में, यदि सहमति हो, यह सुनिश्चित किया गया है कि भागीदारी संस्थानों के एक अथवा अधिक सदस्य सामूहिक रूप से नामित किए जा सकें।

निगम उन सभी वित्तपोषित संस्थाओं के मामले में जिन्हें काफी मात्रा में वित्तीय सहायता दी गई है और/अथवा वित्तीय सहायता प्रदान करने के ऋण करारों में ऋणों के साधारण शेयरों में बदलने की संपरिवर्तन धाराएं अनुबन्धित की गई हैं, अपने प्रतिनिधि नामित करने का अधिकार का प्रयोग कर रहा है । सामान्यतः निम्नलिखित स्थितियों में वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में निगम अपने संचालक नामित करने की स्वेच्छा का उपयोग करता है :—

(i) जिन मामलों में निगम की वचनबद्धता तुलनात्मक रूप से अधिक हो ,

(ii) जिन मामलों में निगम के ऋणों के मूलधन तथा ब्याज की अदायगी में चूक की गई है, तथा

(iii) जिन मामलों में वित्तपोषित संस्थाओं पर सतर्कता रखने अथवा नजदीकी देखभाल रखने की अन्यथा आवश्यकता हो ।

संचालकों के रूप में नामित व्यक्ति या तो निगम के अपने अधिकारी होते हैं अथवा गैर सरकारी । गैर सरकारी व्यक्ति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से उस सांझी नामिका में से उचित व्यक्ति चुन कर की जाती है, जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा रखी गई है ।

निगम द्वारा संचालकों के रूप में नामित व्यक्ति निगम की स्वेच्छा से पद पर रह सकते हैं तथा इनके लिए शेयरों की कोई निश्चित मात्रा रखना अनिवार्य नहीं है और न ही ये क्रमिक रूप से कार्य-निवृत्त होते हैं। नामित संचालकों की व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वित्तीय संथानों का ध्येय रहता है कि जहां तक संभव हो सके, तीन से चार वर्ष की अवधि के बाद वित्तपोषित संस्थाओं के संचालक बोर्डों में नामित संचालकों को क्रमानुसार परिवर्तित कर दिया जाए । इसके साथ ही, गैर सरकारी संचालकों की कुल संख्या, चाहे उनकी व्यक्तिगत हैसियत से हो, चाहे वित्तीय संस्थान के नामित के रूप में हो, सीमित रखी जाती है ताकि वे सम्बन्धित कम्पनियों के कार्य-कलाप में वांछित रुचि ले सकें ।

नामित संचालकों से यह आशा की जाती है कि जहां तक संभव हो सके, वे देखें कि ऐसी संस्थाओं के प्रबन्धक वर्ग कार्यों को इस प्रकार चलाएं कि वे सरकारी नीति के विरुद्ध न हों । संस्था के कार्य-कलापों से अवगत रखने के लिए प्रगति रिपोर्टों की भांति ही उद्योग-वार प्रपत्र बनाए गए हैं जिनमें कम्पनियों से आवश्यक सूचना तथा संचालन आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, जिस पर संचालक बोर्ड की प्रत्येक बैठक में विचार किया जाता है । नामित संचालकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श से संस्थाओं की प्रगति में आने वाली रुकावटों का समय पर निरूपण करने में मदद मिली है।

बैंकों के साथ समन्वय

38. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त अन्तर-संस्थागत समिति (बुचर समिति के नाम से प्रख्यात) ने दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों के आधार कार्यों के समग्र क्षेत्र पर उपयोगी सिफारिशें दीं । इन सिफारिशों के तदनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच परियोजना परिचालन की अवधि तथा अनुवर्ती कार्यवाही और रुग्ण परियोजनाओं के पुनर्स्थापन तथा मूल्यांकन एवं वित्तपोषण की अवधि के दौरान समन्वय को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नवम्बर, 1978 में निर्देशक सिद्धान्त जारी किए ।

बुचर समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकों और दीर्घकालीन ऋण देने वाले संस्थानों के बीच समन्वय सम्बन्धी नीति मामलों पर विचार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उप-गर्वनर की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया गया । यह समिति अपने विचार-विमर्श को सामान्यतः समन्वय सम्बन्धी विस्तृत नीति विषयों और सामान्य नियमों तक ही सीमित रखती है । लघु उद्योग क्षेत्र सहित समग्र औद्योगिक क्षेत्र, जहां अनेक इकाइयां रुग्णता से प्रभावित होती है, के लिए आवश्यक पुनर्स्थापन उपायों से सम्बन्धित मामले भी समिति के सामने पेश किए जाते हैं ।

ऋणों का साधारण शेयरों में संपरिवर्तन

39. सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार निगम अपने द्वारा मंजूर किए ऋण के कुछ भाग को वित्तपोषित संस्था की साधारण पूंजी में संपरिवर्तन का अधिकार आरक्षित रखता है, जिसकी शर्तें विचार-विमर्श करके पहले ही तय कर ली जाती हैं । लेकिन समय-समय पर सरकार द्वारा प्राप्त हुए अनुदेशों के अनुरूप निम्नलिखित मामलों में संपरिवर्तन धारा लागू नहीं की जाती :

(क) विदेशी मुद्राओं में मंजूर ऋण ;

(ख) जिस औद्योगिक संस्था को 25 लाख रुपए से अधिक कुल रुपया वित्तीय सहायता मंजूर न की गई हो ;

(ग) सरकारी क्षेत्र के भी उपक्रमों को मंजूर रुपया ऋण, चाहे उनकी कुछ भी राशि हो अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ख की परिधि में आने वाली कम्पनियां; और

(घ) उदार ऋण योजना के अधीन प्रदान रुपया ऋण ।

सरकार ने, हाल ही में, वित्तीय संस्थानों द्वारा औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता का संचालन करने वाले करारों में परिवर्तनीयता खण्ड जोड़ने के लिए नीति मार्गदर्शक सिद्धान्तों में कुछ परिवर्तन करने की घोषणा की है । ये परिवर्तन निम्नानुसार है :—

(1) परिवर्तनीयता खण्ड को इस प्रकार अनिवार्य रूप से जोड़ना इसके बाद केवल, वर्तमान 50.00 लाख रुपये की बजाए 1.00 करोड़ रुपये से अधिक वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में ही आवश्यक होगा ।

(2) वित्तीय संस्थानों को संपरिवर्तन के विकल्प का इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए कि वे विद्यमान संस्थाओं की शेयर पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक भाग न लें लेकिन, देय राशियों की प्रति अदायगी में निरन्तर चूकों, या कम्पनी की अव्यवस्था, या समुदाय के लिए अनिवार्य माल और सेवाओं की उत्पादक कम्पनी की औद्योगिक इकाई के तीन महीने से अधिक समय तक लगातार बन्द रहने की स्थिति में वित्तीय संस्थान, सरकार की सहमति से, संपरिवर्तन के विकल्प को इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं कि उनकी शेयरधारिता 51 प्रतिशत तक या उससे अधिक हो सकती है ।

(3) उदार ऋण योजना की तरह ही, संपरिवर्तन खण्ड को संस्थानों द्वारा पहले ही वित्तपोषित परियोजनाओं के सम्बन्ध में आधुनिकीकरण वित्तीय सहायता, विद्यमान क्षमता में अतिरिक्त संतुलन उपकरण, रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन अथवा अति-व्यय के मामलों में वित्तीय सहायता देने के मामले में परिवर्तनीयता खण्ड जोड़ा जाना आवश्यक नहीं है।

निगम, 30 जून, 1980 तक 409 संस्थाओं से सम्बन्धित 587 मामलों में (423 मामलों में ऋण करार बन्धक हो चुके हैं) परियोजनाओं के प्रवर्तकों से पूर्व विचार-विमर्श तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अनुमोदन करके रुपया ऋण के साधारण शेयरों में संपरिवर्तन की शर्त लगा चुका था । 30 जून, 1980 को वास्तव में, इस अधिकार का 41 संस्थाओं के मामलों में उपयोग किया गया है और बहुत से अन्य मामलों में या तो विकल्प के उपयोग की अवधि का समय नहीं आया है या प्रतीक्षा करना उपयुक्त समझा गया और कुछ मामलों में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अधिकार के उपयोग से छूट प्रदान करना ही उचित समझा गया है ।

ऋणों की पुनर्अदायगी की प्रगति

40. निगम की कुछ वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा निगम के प्रति उनके दायित्वों को पूरा करने में बाकीदारियों के दो कारण हो सकते हैं : पहला, बाजार के दबावों, कच्चे माल की ऊंची लागत, कच्चे माल की अनुपलब्धता या कमी, बिजली की कमी आदि से सम्बन्धित है, दूसरा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब, कमजोर एवं असफल प्रबन्धक वर्ग जैसे, आन्तरिक कारणों और कमियों से सम्बन्धित है। इनसे वित्तपोषित संस्थाओं के कार्य पर हानिकर प्रभाव पड़ा है । ये कारण अलग-अलग या संयुक्त रूप से वित्तपोषित इकाइयों को प्रभावित करते हैं ।

बाकीदारियों का उद्योगवार विश्लेषण

41. 30 जून, 1980 तक बाकीदारियों का उद्योगवार ब्योरा तथा पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े सारणी 8 में दिए गए हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इंजीनियरिंग उद्योग में बाकीदारी संस्थाओं की संख्या 84 थी जो कि पिछले वर्ष 67 थी । बिजली की कटौती और तनावपूर्ण श्रमिक सम्बन्धों से इनमें से कुछ इकाइयों के परिचालन पर प्रभाव पड़ा और इससे अधिकांश संस्थाओं में कार्यकारी पूंजी की समस्याएं उत्पन्न हो गईं। कुछ मामलों में कमजोर और असफल प्रबन्धक वर्ग भी इन इकाइयों की असन्तोषजप्रद स्थिति का कारण रहा । निगम ने अन्य सम्बन्धित संस्थानों के साथ मिलकर इन इकाइयों के परिचालनों की लगातार समीक्षा की और उन्हें उनके सामान्य कार्य स्तर पर वापस लाने के लिए प्रयास किए गए। जिन मामलों में वित्तपोषित संस्थाओं का प्रबन्ध उपयुक्त नहीं था और इस वजह से उनका कार्य सन्तोषप्रद नहीं था, उनके सम्बन्ध में निगम ने अन्य सम्बन्धित संस्थानों के परामर्श से, इनमें से कुछ संस्थाओं के प्रबन्धक को इच्छुक स्वीकार्य उद्यमियों को सौंपने के प्रबन्ध किए ।

पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि बिजली उद्योग में दो रुग्ण इकाइयों को व्यावसायिक प्रबन्ध प्रवृत्त करके सफलतापूर्वक पुन: स्थापित किया गया । ये दोनों इकाइयां वर्ष के दौरान अपनी स्थिति में और सुधार लाने में सफल रहीं । उनमें से एक ने न केवल अपने वर्तमान दायित्व पूरे करने आरम्भ कर दिए हैं अपितु आंशिक रूप से प्रतिदेय ब्याज की अदायगी भी कर रहे हैं । दूसरी इकाई के सम्बन्ध में नियन्त्रक हित पर्याप्त प्रबन्धकीय और वित्तीय स्रोतों वाले अन्य समूह को सौंपे जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । इस समूह की लाभ कमाने वाली एक संस्था को इस इकाई के साथ मिलाने का प्रस्ताव है ताकि इसकी दीर्घकालीन व्यावहार्यता सुनिश्चित की जा सके। बिजली उपभोक्ता वस्तुओं तथा फ्रेक्शनल हार्स पावर मोटरों का निर्माण करने वाली एक अन्य इकाई को एक स्वस्थ इकाई के साथ मिलाने से उसके परिचालन में बहुत अधिक सुधार हुआ तथा इसने निगम को वर्तमान देय राशि अदा करनी आरम्भ कर दी है। रेडियो, ट्रांजिस्टर और इलैक्ट्रानिक उपकरणों का निर्माण करने वाली एक अन्य इकाई को, सम्बन्धित उच्च न्यायालय से

अनुमोदन प्राप्त होने के बाद एक स्वस्थ इकाई के साथ मिला दिया जाएगा । स्विच गियर, एयर सर्किट ब्रेकर्स और ट्रांसफार्मर्स का निर्माण करने वाली एक अन्य इकाई को बहु इकाई वित्तीय रूप से सक्षम संस्था के साथ मिला दिया गया है । बिजली के मीटर और कंडक्टरों का निर्माण करने वाली एक इकाई के प्रबन्ध को, 1977 में निजी प्रवर्तकों से राज्य सरकार द्वारा ले लिए जाने के बाद, उसके कार्य में बहुत अधिक सुधार हुआ ।

सारणी 8

बाकीदारियों का उद्योगवार वर्गीकरण

(रुपये, लाखों में)

उद्योग	30 जून, 1979 तक बाकीदारियां				30 जून, 1980 तक बाकीदारियां				वकाया राशि की प्रतिशत बाकी-दार
	संस्थाओं की संख्या	मूलधन	ब्याज	जोड़	संस्थाओं की संख्या	मूलधन	ब्याज	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
खनन .	3	47.50	39.75	87.25	4	64.00	52.53	116.53	39.1
चीनी .	46	443.29	300.29	743.58	70	896.40	503.94	1400.34	15.0
विविध खाद्य उत्पाद .	4	1.75	2.20	3.95	4	4.33	5.13	9.46	3.2
वस्त्र .	29	364.92	206.71	571.63	35	389.00	188.20	577.20	9.0
पटसन उत्पाद .	6	86.91	53.68	140.59	8	114.52	41.27	155.79	19.9
लकड़ी उत्पाद	3	2.54	8.95	11.49	4	6.56	18.64	25.20	7.1
कागज व कागज उत्पाद .	15	106.06	70.05	176.11	21	117.30	132.93	250.23	5.7
चमड़ा उत्पाद .	2	6.00	4.27	10.27	3	11.08	7.11	18.19	10.0
रबर उत्पाद .	7	196.37	76.12	272.49	7	216.34	86.89	303.23	18.9
मूल औद्योगिक रसायन .	6	48.98	55.09	104.07	11	84.59	69.69	154.28	9.8
उर्वरक और कीट-नाशक .	3	63.87	58.08	121.95	2	41.37	58.80	100.17	4.8
कृत्रिम रेशे और रेसिन्स .	3	25.75	16.97	42.72	4	56.02	22.39	78.41	5.3
विविध रसायन व रसायन उत्पाद .	6	32.00	7.26	39.26	8	53.75	12.98	66.73	9.8
कांच व कांच उत्पाद .	6	28.61	14.55	43.16	6	35.66	22.22	57.88	12.3
सीमेंट .	2	59.86	51.13	110.99	3	81.96	61.72	143.68	3.7
विविध अधातु खनिज उत्पाद	5	39.68	23.20	62.88	6	29.18	16.40	45.58	7.2
लोहा और इस्पात .	18	306.98	181.80	488.78	17	216.48	118.07	334.55	13.3
अलौह धातु .	3	96.51	19.95	116.46	3	110.86	19.85	130.71	78.9
धातु उत्पाद .	14	57.20	70.12	127.32	16	108.01	86.82	194.83	19.8

सारणी 8—क्रमश:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मशीनरी तथा पुर्जे .	17	136.51	64.09	200.60	24	159.39	97.84	257.23	15.0
बिजली मशीनरी, उपस्कर, उपकरण और पुर्जे .	14	194.37	121.62	315.99	18	227.83	110.59	338.42	20.8
परिवहन उपकरण .	4	138.12	33.75	171.87	9	191.09	66.74	257.83	19.7
विविध निर्माण उद्योग .	—	—	—	—	3	2.00	3.73	5.73	2.8
होटल .	11	45.03	52.48	97.51	10	61.39	70.79	132.18	13.2
बिजली .	1	1.25	—	1.25	—	—	—	—	—
जोड़ .	228	2530.06	1532.11	4062.17	296	3279.11	1875.27	5154.38	11.6

सरकारी क्षेत्र की एक लघु इस्पात इकाई के कार्य में, इसके वरिष्ठ प्रबन्ध को समर्थ बनाने के पश्चात् वर्ष के पिछले भाग के दौरान उल्लेखनीय सुधार हुआ ।

इस्पात ढलाई का निर्माण करने वाली एक इकाई और एल्युमीनियम के बर्तन तथा धातु-मिश्र का निर्माण करने वाली एक अन्य इकाई को, स्वस्थ इकाइयों के साथ मिलाकर पुन: स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जिन तीन इकाइयों के सम्बन्ध में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 30 के अधीन पहले ही रिसीवर नियुक्त किए गए थे, उनके अपने-अपने उच्च न्यायालयों ने बिक्री आदेश पारित किए । इनमें से दो इकाइयों की परिसम्पत्तियों की बिक्री, सम्भावित खरीदारों द्वारा बिक्री की शर्तें पूरी करने के तत्काल बाद किए जाने की सम्भावना है ।

टेप्स, गेज और फास्टनर्स का निर्माण करने वाली दो इकाइयों के मामले में रिसीवर नियुक्त किए गए थे ।

स्कूटर निर्माण करने वाली एक वित्तपोषित इकाई की समस्याओं का वित्तीय संस्थानों द्वारा संयुक्त अध्ययन किए जाने के परिणामस्वरूप, उनमें से कुछ को व्यावहार्य आधार पर लाने के लिए पुनर्स्थापन योजनाएं तैयार की गई हैं।

वस्त्र उद्योग में बाकीदारी संस्थाओं की संख्या 35 थी, जोकि पिछले वर्ष 29 थी । वस्त्र उद्योग की इकाइयों द्वारा संस्थानों को देय राशियों के बाकीदारी होने का मुख्य कारण था उचित प्रबन्ध का अभाव । बिजली की कटौती और तनावपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों से समस्याएं और अधिक बढ़ गई हैं। वित्तीय संस्थान सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग से सहकारी क्षेत्र की वस्त्र इकाइयों की बकाया को वसूल करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

रुग्ण वस्त्र मिल (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अधीन राष्ट्रीयकरण की गई सात इकाइयों के मामले में उक्त अधिनियम के अधीन निर्धारित मुआवजे की राशि, निगम की देयताओं, विशेषकर उस स्थिति में जबकि उक्त अधिनियम के अनुसार मुआवजा वितरण की योजना में निगम की बकाया को तुलनात्मक रूप से निम्न प्राथमिकता मिली है, को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। उक्त सात मामलों में निगम ने अदायगी आयुक्त के सामने अपने दावे पेश किए हैं, लेकिन केवल तीन मामलों में निगम के दावों का निर्णय हो पाया है, और दो मामलों में निगम को राशि प्राप्त हो चुकी थी और बकाया की आंशिक सन्तुष्टि के रूप में इसका समायोजन कर दिया गया था । एक मामले में, मुकदमें में बिक्री प्राप्त हो गई है और प्रतिवादियों ने आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर दी है । एक अन्य मामले में मुकदमा खारिज कर दिया गया है और निगम ने आदेश के विरुद्ध अपील करने का फैसला किया है।

निगम ने, इसके द्वारा वित्तपोषित तीन कोयला कम्पनियों के सम्बन्ध में अदायगी आयुक्त के सामने भी दावे पेश किए । इन कम्पनियों की खानों का कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम/कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अधीन राष्ट्रीयकरण किया गया था । एक मामले में निगम के दावे का निर्णय हो गया है और मुआवजे की राशि में से कुछ राशि निगम को प्रदान की गई । निगम ने अदायगी आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर दी थी ।

वर्ष के दौरान चीनी उद्योग में बाकीदारी संस्थाओं की संख्या 70 थी, जोकि पिछले वर्ष 46 थी । अगस्त 1978 में चीनी का नियंत्रण हटाने से और अनुवर्ती परिणामों तथा देश में सूखा पड़ने से 1979-80 में चीनी के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा तैयार किए गए पुनर्स्थापन उपायों से तमिलनाडु की एक चीनी इकाई जिसके परिचालन में 1975-76 के दौरान बहुत बड़ी बाधा आई थी, पूर्ण रूप से ठीक हो गई और अपने अतिदेय दायित्वों का काफी भाग अदा करने में समर्थ हो गई ।

वर्ष के दौरान रसायन उद्योग की बाकादारी संस्थाओं में सुधार हुआ । सुपर फास्फेट के निर्माण में लगी एक इकाई को एक स्वस्थ इकाई को सौंपे जाने से इसके परिचालनों में सुधार हुआ और इसने निगम के प्रति अपनी वचनबद्धता पूरी करनी शुरू कर दी है ।

चमकीले कागज का निर्माण करने वाली एक इकाई के प्रबन्ध मिलान कार्यक्रम कार्यान्वित होने तक ख्याति प्राप्त प्रबन्धकीय योग्यता वाली एक सुप्रतिष्ठित इकाई को हस्तांतरित कर दिया गया । इकाई ने पहले ही नए प्रबन्ध के अन्तर्गत प्रोत्साहक परिणाम दिखाने शुरू कर दिए थे । 1978 से बन्द पड़ी एक और इकाई को उसके प्रबन्ध में परिवर्तन करके पुनः स्थापित किया गया । इसके परिणामस्वरूप निगम अपनी पूर्ण साधारण शेयर धारिता और अतिदेय ब्याज सहित इसके देय दीर्घावधि ऋण/आस्थगित अदायगी का 55 प्रतिशत भाग वसूल करने योग्य हो गया । इकाई के परिचालन बढ़ने आरम्भ हो गए हैं ।

विदेशी टेक्नोलाजी पर आधारित रबर रसायन का निर्माण करने वाली एक इकाई से, उसे एक बड़े समूह की स्वस्थ इकाई के साथ मिलाकर वसूली आरम्भ कर दी गई है ।

एथिल एल्कोहाल, स्टाइरीन मोनोमर और पोलीस्ट्रीन का निर्माण करने वाली एक इकाई, पिछले वर्ष की रिपोर्ट में जिसके प्रबन्ध में परिवर्तन और परिचालन में अनुवर्ती सुधार का उल्लेख किया गया था, में वर्ष के दौरान सराहनीय प्रगति हुई । इसे वित्तीय रूप से सक्षम किसी इकाई के साथ मिलाने के सम्बन्ध में सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

बिनौले और अन्य बीजों से वनस्पति तेल का निर्माण करने वाली सहकारी क्षेत्र की एक इकाई के पुनरुद्धार के लिए उपाय किए गए हैं, उसी राज्य में सहकारी क्षेत्र की एक स्वस्थ इकाई को इसकी फैक्टरी पट्टे पर दे दी गई है ।

साइकिल टायरों और ट्यूबों का निर्माण करने वाली एक इकाई, जिसकी फैक्टरी फरवरी 1977 में एक अन्य संस्था को पट्टे पर दे दी गई थी, ने निगम को देय राशि अदा करनी शुरू कर दी है ।

42. सारणी 9 और 10 में वे रकमें दिखाई गई हैं, जो पिछले तीन वर्षों के अन्त में ब्याज और मूलधन की अदायगी के रूप में लेनी थीं और जो रकमें वसूल हुई थीं । इसमें प्रत्येक वर्ष के अन्त में बाकादारी की रकमों का ब्योरा भी दिया गया है :—

सारणी 9

ब्याज की वसूली

(रुपये, लाखों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया ऋण	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया ब्याज	वर्ष के दौरान ब्याज की देय रकम	खाना 3 और 4 का जोड़	वर्ष के दौरान ब्याज की प्राप्त रकम	वर्ष के दौरान ब्याज की अदायगी में चूक होने से बकाया रकम
1	2	3	4	5	6	7
1978	28469.84	1211.10	2582.96	3794.06	2082.61	1506.55
1979	32830.31	1506.55	3155.05	4661.60	2613.86	1532.11
1980	37067.64	1532.11	3615.99	5148.10	2941.93	1875.27

*इसमें वे राशियां शामिल नहीं हैं, जिनकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है । तकनीकी रूप से ऐसे मामलों को चूके नहीं माना जाता ।

सारणी 10

मूलधन की अदायगी

(रुपये, लाखों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया ऋण*	वर्ष के प्रारम्भ में मूलधन की देय रकम	वर्ष के दौरान मूलधन की देय रकम	खाना 3 और 4 का जोड़	वर्ष के दौरान ब्याज की प्राप्त रकम	वर्ष के दौरान मूलधन की अदायगी में चूक से बकाया रकम
1	2	3	4	5	6	7
1978	28469.84	1470.38	2532.39	4002.77	1828.63	2115.47
1979	32830.31	2115.47	2987.08	5102.55	2184.83	2530.06
1980	37067.64	2530.06	3683.65	6213.71	2265.51	3279.11

*इसमें बकाया ऋण शामिल नहीं है जिनकी किस्तें अदायगी में चूकें होने के कारण अस्थगित कर दी गई हैं और जिनकी गारंटी निगम ने दी थी और इसलिए निगम को उन्हें अदा करना पड़ा । ऐसे ऋणों और उनके ब्याज का ब्यौरा सारणी 11 में दिया गया है ।

**इसमें वे राशियां शामिल नहीं हैं जिनकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है । तकनीकी रूप से ऐसे मामलों को चूकें नहीं माना जाता ।

30 जून, 1980 को 442.85 करोड़ रुपये के कुल बकाया रुपया तथा विदेशी मुद्रा ऋणों में ब्याज की 1875.27 लाख रुपये बाकीदारी थी जो कि कुल ऋणों का 4.2 प्रतिशत है, यह बाकीदारी पिछले वर्ष 4.1 प्रतिशत थी । उपरिलिखित 1875.27 लाख रुपये की राशि में कुछ वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा वर्ष के दौरान की बाकीदारी शामिल नहीं है जिनकी साख स्थिति बहुत सन्तोषजनक नहीं थी, जैसा कि लेखे के साथ संलग्न टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है । इसके अतिरिक्त मूलधन की 3279.11 लाख रुपये की बाकीदारी थी, जोकि बकाया ऋणों का 7.4 प्रतिशत है, पिछले वर्ष यह बाकीदारी 6.4 प्रतिशत थी ।

जिन आस्थगित अदायगियों के लिए निगम ने गारंटी दी थी उनकी किस्तों में चूकें होने के कारण निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में अदा की गई बाकीदारी रकमें और उस पर देय ब्याज का ब्यौरा सारणी 11 में दिया गया है ।

सारणी 11

निगम द्वारा आस्थगित अदायगियों के लिए दी गई गारंटी की बकाया रकमें

(रुपये, लाखों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बाकीदारी की रकम	वर्ष के दौरान बाकीदारी की रकम	जोड़	वर्ष के दौरान वसूलियां	वर्ष के अन्त में देय बाकीदारी की रकम
1	2	3	4	5	6
1978	138.36	35.36	173.72	9.86	163.86
1979	163.86	20.97	184.83	6.93	177.90
1980	177.90	6.01	183.97	16.27	167.70

पुनर्भुवायगी की समग्र स्थिति

43. समग्र अवधि, अर्थात् 1948–80 के दौरान पुनर्भुवायगी/अदायगी के लिए देय मूलधन और ब्याज की कुल राशि 488.72 करोड़ रुपये थी और तिदेय राशियों में संशोधन करने के समायोजन के बाद, ब्याज और मूलधन दोनों के खाते में उक्त अवधि के लिए ऋण वसूली अनुपात लगभग 88 प्रतिशत रहा ।

कार्यों की समीक्षा—1948-80

44. विकास बैंकिंग के क्षेत्र में अब निगम को बत्तीस वर्ष की अवधि का अनुभव हो गया है । 1265 परियोजनाओं को 1047.24 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करके विविध क्षेत्रों में औद्योगिक प्रगति में निगम ने वास्तव में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय योगदान किया है ।

निगम ने जब अपना परिचालन आरम्भ किया उस समय इसकी सहायता मुख्य रूप से पारम्परिक उद्योगों तक सीमित थी । अब, वर्षों के दौरान विकसित हो रहे ठोस टेक्नोलाजिकल आधार और देश में सामान्य आर्थिक विकास होने से निगम के पास वित्तीय सहायता के लिए विविध प्रकार की परियोजनाएं आती हैं जिनमें विकसित और परिष्कृत टेक्नोलाजी अपनाई गई होती है। टेक्नोलाजिकल परिष्करण और मुद्रा स्फीति दोनों के कारण इन परियोजनाओं के लिए दी जाने के लिए अपेक्षित पूंजीगत लागत भी बहुत अधिक बढ़ गई है । इससे "सांझा वित्तपोषण" देने के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला है, जिसका लक्ष्य जोखिम, स्रोतों और सुविज्ञता को आपस में बांटना है। निगम ने इस सम्बन्ध में मुख्य साझेदार की भूमिका अदा की है ।

परियोजना मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्यवाही के क्षेत्रों में, विशेषत: हाल ही के वर्षों में दी गई चेतावनियां विभिन्न प्रकार की हैं। इस प्रक्रिया में निगम ने काफी महत्वपूर्ण जानकारी और अनुभव प्राप्त कर लिया है, जिसमें न केवल इसे अपने निवेश निर्णय लेने में ही, अपितु इसकी वित्तपोषित संस्थाओं की स्वस्थ प्रगति में भी सहायता प्राप्त होती है । "तेल संकट के बाद की स्थिति", देश और विदेश में मुद्रा स्फीति से औद्योगिक परियोजनाओं के लिए नई और कठिन समस्याएं विशेष रूप से उत्पन्न हो गई हैं । तदनुसार, परियोजनाओं के मूल्यांकन और मूल्य-निर्धारण तथा परियोजनाएं चालू होने पर अनुवर्ती कार्यवाही के लिए संभावनाओं और मापदण्डों में लगातार पुनरावलोकन तथा सुधार की आवश्यकता है । निगम सहित वित्तीय संस्थानों ने, इस सन्दर्भ में परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में अतिव्यय की स्थिति में वित्तपोषण करने की समस्या का भी, हमेशा बढ़ती हुई मात्रा में सामना किया है । कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत जो उत्पादन की समग्र लागत में वृद्धि का कारण रही है, से अक्सर वित्तपोषित परियोजनाओं की यथार्थ व्यवहार्यता संकट में पड़ने की आशंका होती है । आन्तरिक अभावों के साथ मिलकर बाह्य पहलुओं तथा प्रबन्ध समस्यों के कारण कुछ वित्तपोषित संस्थाओं का कार्य असन्तोषजनक हो गया है । निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को, औद्योगिक विकास के उत्प्रेरण के रूप में, परियोजनाओं को रुग्ण होने से बचाने के लिए समय पर उपाय करने में सहायता देने तथा रुग्ण हो गई परियोजनाओं को पुनर्जीवित/पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से औद्योगिक इकाइयों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में निकट सम्पर्क रखना होता है । निगम ने लगातार अपने आपको औद्योगिक मंच पर पनपने के लिए समायोजित किया है, समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, अकेले अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर, जहां भी आवश्यकता हुई, राजकोषीय अथवा अन्य प्रकार से केन्द्रीय और राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त की है ।

"प्रसार" और "परिप्रेक्ष्य"

45. 30 जून, 1980 तक निगम द्वारा 1072 संस्थाओं की 1265 परियोजनाओं को 1047.24 करोड़ रुपये की राशि (जिसमें 7744.27 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत भी शामिल है) की सहायता विभिन्न क्षेत्रों सहित समग्र देश में प्रसारित है ।

"सहकारी" क्षेत्र द्वारा 173 परियोजनाओं के लिए 166.31 करोड़ रुपये की राशि और "सरकारी" एवं "संयुक्त" क्षेत्रों द्वारा 205 परियोजनाओं के लिए 216.10 करोड़ रुपये की राशि की सहायता की मांग की गई। निजी निगमित क्षेत्र की 887 परियोजनाओं के लिए 664.83 करोड़ रुपये की सहायता दी गई ।

46. कुल मिलाकर 769.06 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया, जो मंजूर सहायता का 73.4 प्रतिशत है। 30 जून, 1980 तक 474.85 करोड़ रुपये की सहायता दी गई ।

औद्योगिक सहकारिताएं

47. औद्योगिक "सहकारिता" क्षेत्र में 173 परियोजनाओं को निगम द्वारा 166.31 करोड़ रुपये की संचयी सहायता प्राय: समग्रत: रुपया ऋणों के रूप में प्रदान की गई (निगम द्वारा मंजूर की गई 819.76 करोड़ रुपये की कुल रुपया ऋण सहायता का 20.3 प्रतिशत) ।

"सहकारिता" क्षेत्र को मंजूर की गई सहायता के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस सहायता का लगभग 81 प्रतिशत भाग नई परियोजनाओं के लिए है ।

औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर की गई सहायता का लगभग 45 प्रतिशत भाग अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थित 79 परियोजनाओं को दिया गया है ।

48. 30 जून, 1980 तक औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर की गई सहायता का राज्यवार और उद्योगवार वितरण सारणी 12 में दिया गया है ।

सारणी 12

औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर सहायता—1948–80

(रुपये, लाखों में)

राज्य/क्षेत्र	उद्योगवार मंजूर सहायता								कुल का प्रतिशत
	चीनी		सूत कताई		अन्य		कुल		
	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश .	12	1131.00	4	235.00	—	—	16	1366.00	8.2
असम . .	1	60.00	—	—	1*	78.50	2	138.50	0.8
बिहार .	1	90.00	1	24.70	—	—	2	114.70	0.7
गुजरात .	12	898.50	2	242.50	3**	550.00	17	1691.00	10.2
हरियाणा .	4	286.00	1	100.00	—	—	5	386.00	2.3
कर्नाटक .	13	1095.25	3	179.00	1***	22.50	17	1296.75	7.8
केरल . .	2	180.00	1	82.00	—	—	3	262.00	1.6
मध्य प्रदेश .	1	80.00	1	80.00	—	—	2	160.00	1.0
महाराष्ट्र .	51	6169.70	14	997.00	—	—	65	7166.70	43.1
उड़ीसा . .	2	205.00	2	109.00	—	—	4	314.00	1.9
पंजाब . .	4	370.00	1	100.00	—	—	5	470.00	2.8
राजस्थान .	1	95.00	2	164.50	—	—	3	259.50	1.5
तमिलनाडु .	9	924.00	2	85.00	—	—	11	1009.00	6.1
उत्तर प्रदेश .	15	1517.00	4	290.00	—	—	19	1807.00	10.9
पश्चिमी बंगाल .	—	—	1	40.00	—	—	1	40.00	0.2
गोआ .	1	150.00	—	—	—	—	1	150.00	0.9
जोड़ .	129	13251.45	39	2728.70	5	651.00	173	16631.15	100.0

*पटसन सहकारिता ।

**दो इकाइयां. उर्वरक उद्योग में एक सहकारिता तथा कृत्रिम रेशा उद्योग में एक सहकारिता ।

***वनस्पति तेल पिराई सहकारिता ।

"सहकारिता" क्षेत्र में चीनी सहकारिता को 132.51 करोड़ रुपये की सहायता ("सहकारिता" क्षेत्र को मंजूर की गई कुल सहायता का 79.7 प्रतिशत) देने में यह "सहकारिता" क्षेत्र को दी जाने वाली निगम की सहायता का प्रमुख हिताधिकारी रहा है । सूत कताई क्षेत्र में 39 सहकारिताओं को 27.29 करोड़ रुपये ("सहकारिता" क्षेत्र को मंजूर की गई कुल सहायता का 16.4 प्रतिशत) की सहायता प्राप्त हुई । अन्य उद्योगों जैसे, उर्वरक, वनस्पति तेल पिराई, पटसन और कृत्रिम रेशे की पांच सहकारी परियोजनाओं को 6.51 करोड़ रुपये ("सहकारिता" क्षेत्र को मंजूर की गई कुल सहायता का 3.9 प्रतिशत) की सहायता प्रदान की गई ।

"सरकारी", "संयुक्त" और "निजी" निगमित क्षेत्र

49. 30 जून, 1980 तक निगमित क्षेत्र की 1092 परियोजनाओं के सम्बन्ध में 880.93 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई । इसमें "सरकारी" क्षेत्र की 106 परियोजनाओं के लिए 102.14 करोड़ रुपये और "संयुक्त" क्षेत्र की 94 परियोजनाओं के लिए 113.96 करोड़ रुपये की सहायता भी शामिल है । "निजी" निगमित क्षेत्र की 881 परियोजनाओं के लिए 664.83 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध की गई ।

50. सारणी 13 में "सरकारी" और "संयुक्त" क्षेत्र को तथा सारणी 14 में "निजी" क्षेत्र को मंजूर की गई संचयी सहायता का उद्योगवार वितरण दिया गया है ।

सारणी 13

सरकरी तथा संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं को उद्योगवार सहायता का वितरण

(रुपये, लाखों में)

उद्योग	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	मंजूर सहायता
1	2	3	4
वस्त्र	53	15574.87	3479.00
मूल औद्योगिक रसायन	21	23775.45	3238.23
उर्वरक	6	47899.03	2330.50
सीमेंट	9	23438.00	2174.00
कागज	11	21700.44	2117.90
चीनी	14	7311.88	1370.34
लोहा व इस्पात	13	11822.93	1278.05
बिजली मशीनरी, उपस्कर, उपकरण और पुर्जे	12	6114.47	827.15
विविध रसायन	13	4347.89	801.57
कृत्रिम रेशे और रेसिन्ज	4	8655.00	717.99
मशीनरी	6	3596.98	569.46
स्कूटर और पुर्जे	7	3272.00	338.99
कांच व कांच उत्पाद	4	2801.19	321.26
रबर उत्पाद	3	4846.00	298.50
खनन	4	6550.17	295.00
विविध अधातु खनिज उत्पाद	4	1492.00	295.75
विविध खाद्य उत्पाद	3	1366.00	240.00
पटसन उत्पाद	2	1290.00	225.00
धातु उत्पाद	3	1225.00	214.33
चमड़ा उत्पाद	6	1151.60	212.32
लकड़ी उत्पाद	2	833.00	115.23
विविध निर्माण उद्योग	3	477.00	92.50
प्राकृतिक गैस	1	400.00	30.00
नारियल जटा उत्पाद	1	243.40	27.00
जोड़	205	200184.30	21610.07

सारणी—14

निजी निगमित क्षेत्र परियोजनाओं को मंजूर की गई सहायता का उद्योगवार वितरण

(रुपये, लाखों में)

उद्योग	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर सहायता
1	2	3
वस्त्र	174	10516.05
कागज व कागज उत्पाद	60	6044.23
सीमेन्ट व सीमेन्ट उत्पाद	47	6001.91
लोहा और इस्पात	72	5302.33
मूल औद्योगिक रसायन	47	4505.47
मशीनरी	80	3941.04
अलौह धातु उद्योग	23	3506.10
परिवहन उपस्कर और पुर्जे	42	3273.56
कृत्रिम और मानव-निर्मित रेशे, रेसिन्ज और प्लास्टिक सामग्री	30	2961.93
उर्वरक और कीटनाशक	11	2680.15
बिजली	10	2433.00
रबर उत्पाद	19	2390.95
बिजली मशीनरी, उपस्कर, उपकरण और पुर्जे	46	2173.97
चीनी	33	1801.69
धातु उत्पाद	41	1685.93
होटल	29	1441.75
विविध अधातु खनिज उत्पाद	23	1352.64
पटसन उत्पाद	22	1335.38
विविध रसायन	28	872.74
कांच व कांच उत्पाद	13	649.41
खनन	5	555.00
अन्य	32	1057.13
जोड़	887	66482.36

51. निम्नलिखित अवतरणों में निगमित क्षेत्र को मंजूर सहायता का विश्लेषण किया गया है ।

रुपया ऋण

रुपया ऋणों के रूप में 653.53 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई, जो निगमित क्षेत्र की कुल सहायता का 74.2 प्रतिशत है । रुपया ऋणों के रूप में, निगमित क्षेत्र को संवितरणों की राशि 30 जून, 1980 को 446.54 करोड़ रुपए थी ।

विदेशी मुद्रा ऋण

निगमित क्षेत्र को विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में 94.95 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई, जबकि संवितरण 70.43 करोड़ रुपए का रहा ।

विदेशी मुद्रा ऋणों के सम्बन्ध में 30 जून, 1980 तक की स्थिति सारणी 15 में दी गई है ।

सारणी–15

निगमित क्षेत्र को विदेशी मुद्रा ऋण

मुद्रा	उप-ऋणों की सं०	मंजूरियां (निवल)		जारी किए गए		संवितरित राशि	
		विदेशी मुद्रा (दस लाख में)	रुपए (लाखों में)	विदेशी मुद्रा (दस लाख में)	रुपए (लाखों में)	विदेशी मुद्रा (दस लाख में)	रुपए (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
पश्चिमी जर्मन मार्क .	266	230.536	4711.48	195.567	4007.52	171.291	3497.42
अमरीकी डालर .	57	26.750	1963.27	26.750	1963.27	26.750	1963.27
फ्रांसिसी फ्रांक .	13	14.890	203.34	14.800	202.07	14.800	202.07
पौंड स्टर्लिंग .	41	7.278	1291.91	5.938	812.43	4.608	807.82
स्वेडिस क्रोनर्स .	17	72.936	1325.36	35.822	665.52	29.579	571.84
जोड़ .	394		9495.36		7650.81		7043.42

हामीदारियां

30 जून, 1980 तक हामीदारियों के 600 आवेदनों पर 71.98 करोड़ रुपए की साधारण शेयरों, अधिमान शेयरों और डिबेंचरों के रूप में हामीदारी दी । 30 जून, 1980 तक जारी की गई हामीदारियां तथा जिन हामीदारियों को अन्तिम रूप दिया गया उनका विवरण सारणी 16 में दिया गया है ।

सारणी–16

हामीदारी कार्य

(रुपये, लाखों में)

	हामीदारी	रकम जो निगम को देनी पड़ी	(3) से (2) का प्रतिशत
1	2	3	4
साधारण शेयर	3149.36	1957.42	62.2
अधिमान शेयर	996.84	814.00	81.7
डिबेंचर	1075.50	892.80	83.0
जोड़	5221.70	3664.22	70.2

प्रत्यक्ष अभिदान

30 जून, 1980 तक निगम ने प्रत्यक्ष अभिदान के 105 आवेदनों पर 7.90 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिनमें 5.70 करोड़ रुपए के साधारण शेयर 0.32 करोड़ रुपए के अधिमान शेयर तथा 1.88 करोड़ रुपए के डिबेंचर शामिल थे । इनमें से निगम द्वारा लिए गए शेयरों और डिबेंचरों के सम्बन्ध में हामीदारी दायित्वों के अनुरूप 32 शेयर निर्गमों के लिए 3.83 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष अभिदान करना पड़ा ।

संयंत्र तथा मशीनरी की आस्थगित अदायगियों के लिए गारंटियां

30 जून, 1980 को 45 आवेदनों पर आस्थगित अदायगियों के लिए 28.96 करोड़ रुपए की अमल गारंटियां मंजूर की गईं। 30 जून, 1980 तक जारी की गई गारंटियों की कुल राशि 28.76 करोड़ रुपए थी। गारंटियों के अधीन 30 जून, 1980 को 0.45 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

विदेशी वित्तीय संस्थानों से प्राप्त

विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए गारंटियां

निगम ने 30 जून, 1980 तक 6 आवेदन पत्रों पर 23.61 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा ऋण गारंटियां मंजूर कीं। 5 आवेदनों के सम्बन्ध में वास्तव में जारी की गई गारंटियों की राशि 23.53 करोड़ रुपए थी तथा 30 जून, 1980 तक इन गारंटियों के सम्बन्ध में 0.08 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

कम विकसित क्षेत्रों को सहायता

52. 30 जून, 1980 तक अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की 473 परियोजनाओं को 425.33 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है, जो कुल मंजूरियों का 40.6 प्रतिशत है। सारणी 17 में निगम द्वारा कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं को दी गई सहायता का ब्योरा दिया गया है।

सारणी—17

कम विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं को सहायता

(रुपए लाखों में)

वर्ष	कुल सहायता*	कम विकसित क्षेत्रों/जिलों की परियोजनाओं को सहायता*	प्रतिशत शेयर
स्थापना से लेकर जून 1970 तक	32565	8464	26.0
1970-71	2666	527	19.8
1971-72	3693	1317	35.7
1972-73	4164	1990	47.8
1973-74	3546	1417	40.0
1974-75	3209	1726	53.8
1975-76	4777	2332	48.8
1976-77	9214	5941	64.5
1977-78	10721	5510	51.4
1978-79	15188	6412	42.2
1979-80	14981	6897	46.0
उप-जोड़ : 1970-71 से 1979-80	72159	34069	47.2
कुल जोड़	104724	42533	40.6

*30 जून, 1980 को निवल प्रभावी मंजूरियां।

सारणी 18 में अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूर की गई सहायता का उद्योगवार वितरण दिखाया गया है। जिन प्रमुख उद्योगों को निगम की सहायता का लाभ प्राप्त हुआ है और जो अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थित हैं, वे सामान्यतः चीनी, कागज और कागज उत्पाद, सीमेन्ट, उर्वरक, आदि, जैसे, "उच्च प्राथमिक" उद्योग हैं।

सारणी–18

कम विकसित जिलों/क्षेत्रों को मंजूर सहायता का उद्योगवार विवरण 1948–80

(रुपए करोड़ों में)

उद्योग	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	मंजूर की गई सहायता
1	2	3	4
चीनी	77	897.23	74.49
रसायन और रसायन उत्पाद :			
मूल औद्योगिक रसायन	31	229.70	24.70
उर्वरक	9	512.25	18.78
कृत्रिम रेशे	5	99.18	10.50
कृत्रिम रेसिन्ज़	1	2.70	0.32
अन्य रसायन और रसायन उत्पाद	24	58.22	10.44
वस्त्र	101	294.85	64.78
सीमेंट	25	480.73	52.29
कागज और कागज उत्पाद	39	324.20	50.90
लोहा और इस्पात	32	233.38	21.84
अलौह धातुएं	8	92.12	15.19
रबर उत्पाद	11	136.88	11.95
मशीनरी तथा पुर्जे	15	103.50	11.83
विविध अधातु खनिज पदार्थ	13	48.72	9.42
धातु उत्पाद	12	32.57	8.24
परिवहन उपस्कर	10	70.70	6.72
बिजली मशीनरी और उपस्कर	12	32.59	6.61
पटसन	8	16.34	4.47
विविध खाद्य उत्पाद	8	28.76	4.28
लकड़ी उत्पाद	5	20.18	4.03
कांच	5	25.13	3.94
खनन	5	64.11	3.02
होटल	5	7.81	2.66
चमड़ा उत्पाद	6	12.39	2.15
विविध निर्माण उद्योग	3	5.52	1.08
बिजली	2	0.66	0.43
नारियल जटा उत्पाद	1	2.43	0.27
जोड़	473	3232.85	425.3

रियायती सहायता

53. निगम ने जुलाई, 1970 में अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में नई परियोजनाएं लगाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से रियायती वित्त प्रदान करने की दृष्टि से रियायती वित्त प्रदान करने की घोषणा की थी । समय-समय पर योजना को उदार किया गया और इसका क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया गया । इस योजना के दायरे में सभी परियोजनाएं जैसे, नई, विस्तार अथवा विशाखन आती हैं चाहे उनकी पूंजी लागत कुछ भी हो । इस योजना की मुख्य बातों का उल्लेख परिशिष्ट "ज" में दिया गया है और अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की सूची परिशिष्ट "झ" में दी गई है ।

रियायती वित्त योजना के अधीन निगम ने 30 जून, 1980 तक 323 परियोजनाओं को 168.07 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की । इन परियोजनाओं पर कुल 2187.55 करोड़ रुपए की पूंजी लागत आएगी । सारणी 19 में मंजूर की गई सहायता का प्रकार दिखाया गया है ।

सारणी–19

(रुपये लाखों में)

रियायती दरों पर मंजूर की गई सहायता

सहायता का प्रकार	रियायती शर्तों पर मंजूर सहायता
रुपया ऋण	13928.49
विदेशी मुद्रा ऋण	982.02
हामीदारियां/प्रत्यक्ष अभिदान	1896.46
जोड़	16806.97

परियोजना के प्रकार के अनुसार मंजूरियां

54. 30 जून, 1980 तक निगम द्वारा मंजूर की गई सहायता का परियोजना के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण सारणी 20 में दिया गया है । निगम द्वारा मंजूर की गई कुल सहायता का 62.2 प्रतिशत, अर्थात् 651.49 करोड़ रुपए की राशि नई परियोजनाओं को दी गई । ऐसी परियोजनाओं की कुल पूंजीगत लागत 4794.37 करोड़ रुपए थी ।

विद्यमान परियोजनाओं को उनकी विस्तार और विशाखन योजनाओं के लिए 231.82 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई, जो कुल मंजूर सहायता का 22.1 प्रतिशत था । परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और नवीकरण, आदि के लिए 13.82 करोड़ रुपए की सहायता दी गई, जो उदार ऋण योजना के अधीन मंजूर 120.11 करोड़ रुपए की सहायता के अतिरिक्त है और यह कुल मंजूर सहायता का 15.7 प्रतिशत है ।

सारणी–20

कुल मंजूर सहायता का परियोजना के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण

(रुपए करोड़ों में)

परियोजना का प्रकार	निवल मंजूर सहायता					कुल का प्रतिशत
	परियोजनाओं की कुल लागत	ऋण	हामीदारियां तथा प्रत्यक्ष अभिदान	विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए आस्थगित अदायगियों की गारंटियां	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7
नई परियोजनाएं	4794.34	541.52	67.12	42.76	651.49	62.2
विस्तार/विशाखन	1734.25	212.57	10.25	9.00	231.82	22.1
आधुनिकीकरण, नवीकरण, आदि	556.37	40.59	2.42	0.81	43.83	4.2
उप-जोड़	7084.99	794.68	79.88	52.57	927.13	88.5
उदार ऋण योजना के अधीन	659.28	120.11	—	—	120.11	11.5
जोड़	7744.27	914.79	79.88	52.57	1047.24	100.0

कुल मंजूरियां, संवितरण तथा बकाया :

55. 30 जून, 1980 तक निवल मंजूर वित्तीय सहायता का राज्यवार तथा उद्योगवार वितरण इस रिपोर्ट के क्रमशः परिशिष्ट "ख" और "ग" में दिया गया है । परिशिष्ट "ङ" में 30 जून, 1980 तक प्रत्येक राज्य को मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का उद्योगवार वितरण दिखाया गया है । परिशिष्ट "छ" में निवल सहायता की मंजूर की गई राशियों के अनुसार वर्गीकरण दिया गया है ।

56. 30 जून 1980 को निवल संचयी मंजूरियों की संख्या और राशि और संवितरित राशि तथा बकाया राशि सारणी 21 में दी गई है ।

सारणी–21

कुल मंजूरियां, संवितरण तथा बकाया :

(रुपए करोड़ों में)

		मंजूरियां (निवल)		संवितरित सहायता	बकाया राशि
		मंजूरियों की संख्या	राशि		
1	2	3	4	5	6
1. ऋण :					
रुपया ऋण :					
—उदार ऋण योजना		187	120.11	31.69	31.69
—सामान्य ऋण		1469	699.65	571.45	386.44
	उप-जोड़	1656	819.76	603.14	418.13
विदेशी मुद्रा		339	95.03	70.51	24.72
	जोड़	1995	914.79	673.65	442.85
2. हामीदारियां :					
—साधारण शेयर		413	48.69	19.44	16.37
—अधिमान शेयर		157	10.66	8.17	4.83
—डिबेंचर		30	12.63	8.92	0.84
	जोड़	600	71.98	36.53	22.04
3. प्रत्यक्ष अभिदान :					
—साधारण शेयर		94	5.70	4.39	8.53
—अधिमान शेयर		8	0.32	0.32	0.84
—डिबेंचर		3	1.88	1.88	0.06
	जोड़	105	7.90	6.59	9.43
	1 से 3 तक का जोड़	2700	994.67	716.77	474.32
4. गारंटियां :					
—आस्थगित अदायगी गारंटियां		45	28.96	28.76	0.45
—वि० मु० ऋ० गारंटियां		6	23.61	23.53	0.08
	जोड़	51	52.57	52.29	0.53
	कुल जोड़	2751	1047.24	769.06	474.85

57. पिछले 32 वर्षों के दौरान मंजूर की गई तथा संवितरित निवल वित्तीय सहायता का पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार वर्गीकरण सारणी 22 में दिया गया है ।

सारणी-22

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान मंजूर की गई तथा संवितरित सहायता

(रुपए, करोड़ों में)

वर्ष समाप्ति 30 जून को	मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता				संवितरित वित्तीय सहायता			
	ऋण	हामी-दारियां	गारंटियां	जोड़	ऋण	हामी-दारियां	गारंटियां	जोड़
पहली योजना से पूर्व की अवधि 1949-51 .	8.13	—	—	8.13	5.79	—	—	5.79
पहली योजना (1952–56)	27.02	—	—	27.02	10.94	—	—	10.94
दूसरी योजना (1957–61)	49.05	3.56	16.30	68.91	40.62	1.31	15.11	57.04
तीसरी योजना								
1962	17.84	0.73	0.48	19.05	10.92	0.24	0.41	11.57
1963	19.82	4.63	10.62	35.07	15.05	3.99	3.18	22.22
1964	23.61	4.34	13.16	41.11	16.94	1.96	6.39	25.29
1965	19.39	3.55	3.92	26.86	19.79	3.36	14.65	37.80
1966	21.47	3.96	1.35	26.78	23.99	4.48	2.17	30.64
जोड़	102.13	17.21	29.53	148.87	86.89	14.03	26.80	127.52
वार्षिक योजनाएं :								
1967	12.34	1.87	4.00	18.21	29.52	2.90	5.64	38.06
1968	14.62	1.48	0.85	16.95	23.35	1.06	2.61	27.02
1969	22.43	2.42	0.29	25.14	15.03	1.68	0.28	16.99
जोड़	49.39	5.77	5.14	60.30	67.90	5.64	8.53	82.07
चौथी योजना :								
1970	11.10	1.19	0.13	12.42	16.86	0.85	0.34	18.05
1971	24.04	2.20	0.42	26.66	16.28	0.87	0.20	17.35
1972	32.36	4.57	—	36.93	20.99	1.00	0.11	22.10
1973	39.03	2.02	0.59	41.64	30.00	2.29	0.61	32.90
1974	32.94	2.48	0.04	35.46	28.75	1.46	0.05	30.26
जोड़	139.47	12.46	1.18	153.11	112.88	6.47	1.31	120.66
पांचवीं योजना :								
1975	28.20	3.89	—	32.09	36.02	1.06	0.34	37.42
1976	44.67	3.10	—	47.77	41.57	2.40	—	43.97
1977	83.77	8.37	—	92.14	56.75	1.72	—	58.47
1978	101.45	5.48	0.28	107.21	56.92	5.10	—	62.02
जोड़	258.09	20.84	0.28	279.21	191.26	10.28	0.34	201.88
1979	141.06	10.82	—	151.88	66.88	3.15	0.20	70.23
1980	140.45	9.22	0.14	149.81	90.69	2.24	—	92.93
कुल-जोड़	914.79	79.88	52.57	1047.24	673.65	43.12	52.29	769.06

प्रवर्तन कार्य :

58. हाल ही के वर्षों में, निगम की भांति विकास बैंकों की गतिविधियों में ऐसे कार्य बढ़ते जा रहे हैं जिन्हें सामान्य रूप से प्रवर्तन कार्यों के रूप में उल्लिखित किया जाता है । निगम ने ऐसे कार्य स्वयं अपनी ओर से, तथा कुछ मामलों में अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर किए जाने वाले कुछ कार्य व्यावहार्यता अध्ययन करने, तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण, औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण करने और तकनीकी सलाहकारी संगठन स्थापित करने, आदि से सम्बन्धित हैं । निगम ने दो स्वायत्त प्रवर्तन संगठनों, अर्थात् जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान और प्रबन्ध विकास संस्थान की भी स्थापना की है । निगम द्वारा किए गए कुछ प्रवर्तन कार्य लघु और नए उद्यमियों तथा तकनीकज्ञों, को सहायता प्रदान करने, सहायक और लघु उद्योगों के विकास, देशी तकनीक को प्रोत्साहन देने, आदि से सम्बन्धित हैं । निगम ने, औद्योगिक वित्त/विकास बैंकिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए देश के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों/संस्थानों में "चेयरों" की भी स्थापना की है ।

निगम की विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में 1972 में संशोधन किया गया और एक नई धारा जोड़ी गई जिसमें दातव्य आरक्षित निधि की स्थापना की व्यवस्था की गई है । इस नई धारा में उन कार्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जिनके लिए निधि का उपयोग किया जा सकता है । मुख्यतः ये कार्य हैं : (क) व्यावहार्यता अध्ययन, परियोजना रिपोर्टें, मार्किट और तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण की लागत को पूरा करना; (ख) नए उद्यमियों और तकनीकज्ञों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं की सहायता करना; (ग) विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहित करना; और (घ) वित्तीय संस्थानों के कार्मिकों की प्रशिक्षण लागत पूरा करना, आदि । 30 जून, 1979 को दातव्य आरक्षित निधि में आबंटित की राशि 242.00 लाख रुपए हो गई थी । इसमें से 205.64 लाख रुपए की राशि का पहले ही निगम की विभिन्न प्रवर्तन योजनाओं के लिए उपयोग किया जा चुका है । वर्ष के दौरान निगम के लाभ में से 25.00 लाख रुपए के आबंटन से 30 जून, 1980 को दातव्य आरक्षित निधि में कुल राशि 61.36 लाख रुपए हो गई ।

निगम के प्रवर्तन कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक अन्य स्रोत भारत सरकार से प्राप्त ब्याज जन्य अन्तर निधियां हैं । ये निधियां सरकार से 50 :50 के आधार पर ऋणों और अनुदानों के रूप में प्राप्त होती हैं । 30 जून, 1980 तक निगम को 308.9 लाख रुपए ऋण के रूप में और इतनी ही राशि अनुदान के रूप में प्राप्त हो चुकी थी । ऋण भाग में से वित्तीय सहायता के रूप में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को 163.77 लाख रुपए विमुक्त किए जा सके हैं ताकि वह इसे नए उद्यमियों और तकनीकज्ञों को उधार दे सके, ब्याज निगम द्वारा खपत किया जा रहा है । अनुदान भाग का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ प्रबन्ध विकास संस्थान, तकनीकी सलाहकारी संगठनों आदि के लिए किया गया है ।

59. जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान, प्रबन्ध विकास संस्थान और तकनीकी सलाहकारी संगठनों के कार्यकलापों पर रिपोर्ट में अन्य स्थान पर विचार किया गया है । निगम द्वारा शुरू किए गए अन्य प्रवर्तन कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख नीचे के अवतरणों में दिया गया है ।

60. निगम (i) लघु उद्यमियों को सहायता; (ii) सहायक और लघु उद्योगों का प्रवर्तन; (iii) देशी तकनीक को अपनाना; और (iv) नए उद्यमियों और तकनीकज्ञों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने, से सम्बन्धित चार प्रवर्तन योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है । इन योजनाओं के अधीन निगम की सहायता उद्यमियों को उप-सहायता प्रदान करने के रूप में है । पहली दो योजनाओं के सम्बन्ध में यह उप-सहायता, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रायोजित तकनीकी सलाहकारी संगठनों के माध्यम से दी जाती है ।

लघु उद्यमियों को सहायता देने की योजना का आशय ऐसे उद्यमियों को तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा, विशेष कर, पूर्व व्यावहार्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें, मार्किट अध्ययन तैयार करने, अथवा वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता लेने के लिए दस्तावेज तैयार करने, तकनीकी पथ-प्रदर्शन देने, आदि सम्बन्धी मामलों में दी गई सेवाओं का उपयोग करने के लिए सहायता देना है । इन तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा किए गए दत्तकार्यों की लागत के सम्बन्ध में 80 प्रतिशत या 5000/- रु० की सीमा तक, जो भी कम हो, निगम द्वारा उप-सहायता दी जाती है । शेष लागत उद्यमी द्वारा पूरी की जानी होती है । इस योजना के अधीन, 30 जून, 1980 तक 240 उद्यमियों ने लगभग 6.6 लाख रुपये की उप-सहायता प्राप्त की, जो 235 परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 9 तकनीकी सलाहकारी संगठनों के माध्यम से प्रदान की गई ।

सहायक और लघु उद्योगों के प्रवर्तन के लिए उक्त योजना के अधीन जिन प्रयोजनों के लिए सहायता दी जाती है, वे हैं : (i) सहायकीकरण और लघु उद्योग क्षेत्र में भावी अभिसंस्कार के लिए उपयुक्त उत्पादों का निरूपण; (ii) व्यावहार्यता अध्ययन तैयार करना; और (iii) सहायक और लघु उद्योग इकाइयों को तकनीकी, मार्किटिंग और वित्तीय क्षेत्रों में सलाह देना और मार्ग-दर्शन करना । 30 जून, 1980 तक इस योजना के अधीन 19 सहायक अथवा लघु उद्योग इकाइयां स्थापित करने के लिए 1.20 लाख रुपए की राशि संवितरित की जा चुकी थी ।

देशी तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए निगम की योजना के अधीन, निगम से ऋण लेकर स्थापित की जा रही परियोजनाएं योजना के अधीन सहायता का लाभ उठा सकती हैं । यह परियोजना के परिचालन के पहले तीन वर्षों के दौरान निगम को देय ब्याज अदायगियों को शामिल करते हुए उप-सहायता के रूप में है ।

उक्त योजना के अधीन उप सहायता का लाभ उठाने वाली पहली इकाई टी० के० कैमिकल्स लि० थी । इसकी परियोजना अधिसूचित कम विकसित क्षेत्र, अर्थात् वेली औद्योगिक क्षेत्र, कोचुवेली, त्रिवेन्द्रम, केरल में स्थित है और यह अपनी प्रक्रिया में 1,900 टन मगनीस सल्फेट मोनोहाइड्रेट का उपयोग करके प्रति वर्ष 2,850 टन मैंगनीस सल्फेट मोनोहाइड्रेट और 950 टन इलैक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डायक्साइड का निर्माण करती है । कम्पनी ने भारत के राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम के माध्यम से राष्ट्रीय धातुविज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर से इलैक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डायक्साइड के निर्माण के लिए टैक्नोलाजी प्राप्त की । निगम ने कम्पनी को प्रदान किए गए 33.50 लाख रुपये के ऋण पर देय ब्याज की सीमा तक उप-सहायता प्रदान की है, जो कि तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 3.00 लाख रुपये होंगी । तदनुसार, कम्पनी निगम से उक्त योजना के अधीन उप सहायता के रूप में 7.43 लाख रुपये की राशि प्राप्त कर चुकी है ।

61. निगम ने अगस्त, 1969 में अर्थशास्त्र विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय में एक "चेयर" की स्थापना की । अब एक प्राध्यापक की नियुक्ति की जा चुकी है । निगम ने फरवरी, 1980 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ, विश्वविद्यालय के व्यापार अध्ययन (वाणिज्य) महाविद्यालय में एक "चेयर" की स्थापना के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सहमति की शर्तों के अनुसार निगम "चेयर" के सम्बन्ध में सभी खर्च पूरे करने के लिए प्रतिवर्ष 60,000/– रुपये का अनुदान देगा । इस प्रकार, निगम ने चार "चेयरों" की स्थापना कर दी है; अन्य "चेयरें" भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद और प्रबन्ध अध्ययन संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थापित की जा चुकी है ।

सम्बन्धित विश्वविद्यालयों/संस्थापनों के साथ किए गए सहमति ज्ञापनों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम प्राध्यापकों की नियुक्ति के अतिरिक्त डाक्टरल फैलोशिप संस्थान के लिए भी व्यवस्था की गई है । दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबन्ध अध्ययन संकाय की एक डाक्टरल फैलो को उसके "कम विकसित क्षेत्रों में निवेश निर्णयों की सूचना प्रणालियां" शीर्षक शोध ग्रन्थ के लिए डाक्टरेट डिग्री प्रदान की जा चुकी है ।

62. अप्रैल, 1974 में संस्थापित तकनीकी सहायता योजना में पिछले वर्ष संशोधन किए गए और इसका पुनर्निर्माण किया गया । इस योजना के अधीन विभिन्न राज्य स्तरीय वित्तीय और विकास संस्थानों के नामित व्यक्तियों ने निगम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनका लक्ष्य उन्हें निगम में अपनाई गई नीतियों, पद्धतियों और परिपाटियों से अवगत करवाना है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एक सप्ताह की अवधि के दो कार्यक्रमो मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए और चार कार्यक्रम वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए । योजना के आरम्भ से लेकर 39 राज्य स्तरीय संस्थानों से मध्य स्तर के 123 अधिकारियों और 34 राज्य स्तरीय संस्थानों से 61 वरिष्ठ अधिकारी इस योजना के अधीन सुविधाओं का लाभ उठा चुके है ।

जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान :

63. 1975 में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान का प्रायोजन करके निगम ने देश में औद्योगिक विकास के लिए संस्थागत वित्तपोषण अवस्थापना में एक महत्वपूर्ण कमी की पूर्ति की । जोखिम पूंजी, प्रतिष्ठान की स्थापना देश में उद्यमी आधार को विस्तृत करने की दिशा में एक कदम था ।

जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान, परियोजनाओं के प्रवर्तकों को उनके द्वारा लगाए जाने वाली प्रारम्भिक पूंजी के कुछ अंश को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करना है । शुरू में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की सहायता निगम की वित्तपोषित संस्थाओं तक ही सीमित थी । बाद में इसकी सहायता, तीनों अखिल भारतीय दीर्घावधि ऋण देने वाले संस्थानों में से किसी की भी वित्तपोषित संस्था को दी जाने लगी । जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की सहायता, जैसा कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्धारित किया गया है, परियोजना की साधारण पूंजी में प्रवर्तकों के अंशदान के 50 प्रतिशत भाग तक सीमित है तथा केवल एक प्रवर्तक के मामले में यह 10 लाख रुपये और दो या अधिक प्रवर्तकों के मामले में 15 लाख रुपये तक सीमित है । नए उद्यमियों को जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की सहायता कुछ पात्रता मापदण्ड पूरे किए जाने पर उपलब्ध की जाती है, जैसे कि उनका तकनीकी, या, व्यावसायिक रूप से योग्य होना; उद्योग, या, व्यापार का उचित अनुभव होना; उनका अंशदान परियोजना के प्रवर्तकों के अंशदान का कम से कम 25 प्रतिशत भाग हो और कोई भी उल्लेखनीय अन्तर निगमित निवेश नहीं होना चाहिए, आदि ।

जून, 1976 में, जब जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान ने अपना कार्य शुरू किया, इसकी मंजूरियां और संवितरण धीरे-धीरे बढ़ रहे है । 1976 में इसके कार्य के छः महीने के दौरान पांच परियोजनाओं के सम्बन्ध में नौ प्रवर्तकों को 25.90 लाख रुपये की राशि मंजूर की । अगले दो वर्षों में सीमान्त वृद्धि के बाद 1979 में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की मंजूरियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और नौ परियोजनाओं के 16 प्रवर्तकों को 68.40 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई । 1980 के पहले छः महीनों में पांच परियोजनाओं के नौ प्रवर्तकों को 35.85 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई । 30 जून, 1980 तक 186.04 लाख रुपय की राशि मंजूर की गई जिसका लाभ 28 परियोजनाओं के 48 प्रवर्तकों ने उठाया ।

संवितरण की दिशा में भी लगभग इसी प्रकार की प्रवृत्ति रही । 1976 में 6.75 लाख रुपये से आरम्भ होकर, 1979 में 8 परियोजनाओं के 14 प्रवर्तकों को 49.39 लाख रुपए का संवितरण किया गया । 1980 के पहले छः महीनों में दो परियोजनाओं के पांच प्रवर्तकों को 21.00 लाख रुपये की राशि का संवितरण किया गया ।

30 जून, 1980 तक 18 परियोजनाओं के 30 प्रवर्तकों के सम्बन्ध में 115.44 लाख रुपये की राशि का संवितरण किया गया। 976 से लेकर प्रतिष्ठान की मंजूरियों और संवितरण का विवरण सारणी 23 में दिया गया है ।

सारणी--23

जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की मंजूरियां तथा संवितरण

	1976 (जून--दिसम्बर)	1977	1978	1979	1980 (जनवरी--जून)	जोड़
मंजूरियां :						
—राशि (लाख रुपये) . .	25.90	27.50	28.39	68.40	35.85	186.04
—प्रवर्तकों की संख्या . .	9	4	10	16	9	48
—परियोजनाओं की संख्या .	5	4	5	9	4	28
संवितरण :						
—राशि (लाख रुपये) . .	6.75	21.55	16.75	49.39	21.00	115.44
—प्रवर्तकों की संख्या . .	1	6	4	14	5	30
—परियोजनाओं की संख्या .	1	4	3	8	2	18

उद्यमियों को दी जाने वाली प्रतिष्ठान की सहायता पर कोई ब्याज नहीं लगता । केवल नाममात्र का सेवा प्रभार लगाया जाता है । शुरू में, एक प्रतिशत वार्षिक की समदर से सेवा प्रभार लगाया जाता था । वर्ष के दौरान इसे बढ़ा कर, ऋण की अवधि के आधार पर एक प्रतिशत से 3 प्रतिशत के बीच कर दिया गया है । जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान इसके द्वारा दिए गए ऋण से प्राप्त साधारण शेयरों पर देय सकल अधिलाभांश का 40 प्रतिशत भाग प्रासंगिक सेवा प्रभार के रूप में भी वसूल करता है ।

इस समय प्रतिष्ठान के परिचालन के लिए वित्तीय आवश्यकताएं निगम द्वारा पूरी की जाती हैं। 30 जून, 1980 तक निगम 30.00 लाख रुपये अनुदान के रूप में तथा 175.32 लाख रुपये ऋण के रूप में आबंटित कर चुका था, ब्याज निगम द्वारा खपत कर लिया जाता है । हाल में, निगम ने जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को, निगम द्वारा उपलब्ध किए गए/जाने वाले अनुदानों से 2 से 3 वर्ष की अवधि में 1.00 करोड़ रुपये की निधि बनाने की स्वीकृति दे दी है । यह भी निर्णय किया गया है कि अनुदान के रूप में 25.00 लाख रूपये और ऋण के रूप में 74.22 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि आबंटित की जाए, ब्याज निगम द्वारा खपत कर लिया जाए । इस प्रकार, निगम ने अनुदानों के रूप में 55.00 लाख रुपये और ऋणों के रूप में 249.54 लाख रुपये आबंटित कर दिए; कुल आबंटन 304.54 लाख रुपये हो गया ।

प्रबन्ध विकास संस्थान :

64. निगम द्वारा 1970 के दशक में स्थापित एक अन्य संस्थान है--प्रबन्ध विकास संस्थान । इस सस्थान को प्रायोजित करने का दोहरा लक्ष्य था, अर्थात (I) विकास बैंकों के अधिकारियों की व्यावसायिक कुशलता को उन्नत करना, (II) उद्योग के कार्मिकों को आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान करना ।

प्रबन्ध विकास संस्थान, अपने कार्य के पिछले छः वर्ष के दौरान उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है, लगातार प्रयत्नशील है । प्रबन्ध विकास संस्थान, निगम के व्यावहारिक अनुभव की सहायता से, विशिष्ट उद्योगों के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन करने में सफल रहा है । राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर विकास बैंकों ने, संस्थान के विकास बैंकिंग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर अपने अधिकारियों को भेजा है तथा इस क्षेत्र में अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रबन्ध विकास संस्थान से और अधिक मांग की जा रही है । इसके परिणामस्वरूप नवम्बर, 1977 में, प्रबन्ध विकास संस्थान में विशेषत: विकास बैंकिंग के क्षेत्र में एक अलग इकाई की स्थापना की गई, जिसका नाम विकास बैंकिंग केन्द्र रखा गया है। प्रबन्ध विकास संस्थान का प्रयास रहा है कि व्यावहारिक अनुभव तथा सिद्धान्त को एकीकृत किया जाए तथा यह विकास बैंकों की वित्तपोषित संस्थानों के कार्य पर आधारित केस स्टडीज करके, इसमें सफल रहा है। इसकी केन्द्रीय और अतिथि संकाय में व्यावसायिक प्रबन्धक और शिक्षाविद सम्मिलित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रबन्ध विकास संस्थान ने अपना स्थान बना लिया है और संयुक्त राज्य औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, जर्मनी के अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्रतिष्ठान, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आदि संगठनों ने, विकासशील देशों के भागीदारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रबन्ध विकास संस्थान की विशेषज्ञता का लाभ उठाया है । अतः, प्रबन्ध विकास संस्थान को, न केवल भारत के अफ्रोएशियन क्षेत्र के अनेक देशों के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देने का विशेषाधिकार था ।

पिछले छः वर्षों में, विकास बैंकिंग केन्द्र सहित प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण सारणी 24 में दिया गया है ।

सारणी—24

कार्यक्षेत्रों के अनुसार प्रबन्ध विकास संस्थान के कार्यक्रमों का विवरण (1974—79)

कार्यक्रमों का वर्गीकरण	कार्यक्रमों की संख्या						जोड़
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1974—79
1. विकास बैंकिंग केन्द्र :							
सामान्य भागीदारी	3	6	4	6	10	13	42
"औद्योगिक परियोजनाओं के निरूपण, प्रवर्तन, कार्यान्वयन कार्यक्रम"	—	2	2	2	—	1	7
इन-कम्पनी कार्यक्रम	—	—	—	—	6	4	10
जोड़ (क)	3	8	6	8	16	18	59
भागीदारों की संख्या (ख)	84	298	252	288	420	426	1768
2. प्रबन्ध विकास संस्थान : (विकास बैंकिंग केन्द्र से भिन्न केन्द्र)							
सामान्य भागीदारी :							
विशेष उद्योग कार्यक्रम	2	5	7	5	6	5	30
वित्तीय प्रबन्ध	2	4	6	9	7	9	37
सामान्य प्रबन्ध	3	3	3	4	7	7	27
मार्किटिंग प्रबन्ध	2	2	1	2	2	3	12
कार्मिक प्रबन्ध	2	1	2	2	4	5	16
तकनीकी प्रबन्ध	—	—	1	1	—	1	3
"औद्योगिक परियोजनाओं के निरूपण, प्रवर्तन, कार्यान्वयन कार्यक्रम"	—	—	—	—	1	—	1
इन-कम्पनी कार्यक्रम	1	2	2	7	10	5	27
जोड़ (ग)	12	17	22	30	37	35	153
भागीदारों की संख्या (घ)	370	588	789	863	789	1113	1512
कुल आयोजित कार्यक्रम (क + ग)	15	25	28	38	53	53	212
कुल भागीदारों की संख्या (ख + घ)	454	886	1041	1151	1209	1539	6280

सामान्य प्रबन्ध कार्यक्रम :

65 प्रबन्ध विकास संस्थान का प्रयास रहा है कि वर्तमान कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम सामग्री बढ़ाई जाए और नए क्षेत्रों में नए कार्यक्रमों का चयन किया जाए। प्रबन्ध विकास संस्थान ने 1979 में सामान्य भागीदारों के लिए 30 कार्यक्रमों तथा इस उद्देश्य के लिए प्रबन्ध विकास संस्थान को प्राधिकृत करने वाले संस्थानों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप 5 "इन-कम्पनी" कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

देश में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को अनुभव करते हुए प्रबन्ध विकास संस्थान ने, सरकारी उद्यम कार्यालय, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में वित्तीय योजना और नियन्त्रण पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। पिछले छः वर्षों में प्रबन्ध विकास संस्थान ने 153 कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 4512 भागीदारों ने भाग लिया । इन कार्यक्रमों में 126 कार्यक्रम सामान्य भागीदारी के लिए तथा 27 "इन-कम्पनी" कार्यक्रम थे। प्रबन्ध विकास संस्थान ने 1980 में 61 कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है । इस वर्ष के पहले छः महीनों में यह पहले ही 18 कार्यक्रम आयोजित कर चुका है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित होटल प्रबन्ध कार्यक्रम का आयोजन करने में प्रबन्ध विकास संस्थान की महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यह कार्यक्रम जनवरी, 1979 में शुरू होकर चार वर्ष तक चलता रहा है। पहले वर्ष में प्रबन्ध विकास संस्थान के तीन संकाय सदस्यों ने, एक अध्ययन-दौरा किया ताकि होटल प्रबन्ध कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकें । 1979 में भी होटलों के लिए लेखांकन और वित्तीय प्रबन्ध पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

1980 के प्रथम छः महीनों में कार्मिक प्रबन्ध, होटल मार्किटिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और "होटल परिचालन प्रबन्ध" पर एक त्रि-पक्षीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत विपणन और बिक्री पूर्वानुमान, वित्तीय प्रबन्ध और औद्योगिक सम्बन्ध विषयों पर कार्यक्रम है । वर्ष के अन्तिम छः महीनों में पर्यटन अर्थशास्त्र और योजना, होटलों के लिए वित्त और लेखांकन, होटल एवं पर्यटन उद्योग के लिए संगठनात्मक प्रभावशालिता, तथा होटल सम्पत्तियों की योजना, रूपांकन और वित्तपोषण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है।

विकास बैंकिंग कार्यक्रम :

66. देश में विकास बैंकिंग के क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने में विकास बैंकिंग केन्द्र अग्रणी है । देश और विदेश में विकास बैंकों की आवश्यकताओं के अनुकूल आयोजित किए गए इन कार्यक्रमों का स्वागत किया गया । विकास बैंकिंग केन्द्र द्वारा वर्ष के दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रमों में (1) परियोजना में तकनीकी पहलुओं का महत्व; (2) निदानात्मक और भावी परियोजना निरीक्षण तथा अनुवर्ती कार्यवाही, (3) परियोजना मूल्यांकन की तकनीकी तथा अनुवर्ती कार्यक्रम; शामिल है।

लघु उद्यमों के बढ़ते हुए महत्व से विकास बैंकिंग केन्द्र ने, ऐसे उद्यमों के कार्मिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की ओर अपना ध्यान देना शुरू किया है । बिहार, हिमाचल प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश, प्रत्येक राज्यों में एक-एक उद्यम सम्बन्धी प्रबन्ध कार्यक्रम आयोजित किए गए । ये कार्यक्रम मुख्यतः भावी नए और लघु उद्यमियों के लिए आयोजित किए गए थे । विकास बैंकिंग पर छह सामान्य पाठ्यक्रमों का प्रमुख विषय, जो इस पहले वित्त उपरान्त अनुवर्ती कार्यवाही था, अब लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमों का वित्तपोषण और प्रवर्तन कर दिया गया है। विकास बैंकिंग केन्द्र ने लघु उद्यमों में रुग्णता के कारण और प्रभाव पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया है ।

एशिया और प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन ने, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक के अधिकारी विकास संस्थान के सहयोग से, विकास बैंकिंग केन्द्र को "विकास बैंकों में मध्य स्तर के व्यवसायियों के प्रशिक्षण विकास" पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा । इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के 25 अधिकारियों ने भाग लिया ।

स्मरणीय है कि निगम ने विभिन्न राज्यों में "औद्योगिक परियोजनाओं के निरूपण, प्रवर्तन और कार्यान्वयन" पर कार्यक्रमों का आयोजन किया है। विकास बैंकिंग केन्द्र के माध्यम से आयोजित किए जा रहे इन कार्यक्रमों का आशय, राज्य सरकारों और राज्य स्तर की प्रवर्तक और वित्तीय एजेंसियों को, औद्योगिक परियोजनाओं के निरूपण, प्रतिपादन, मूल्यांकन और कार्यान्वयन के विभिन्न पहलू और अच्छी तरह समझने में सहायता करना है । विकास बैंकिंग केन्द्र ने 1979 में निगम की ओर से हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश के लिए एक "औद्योगिक परियोजनाओं के निरूपण, प्रवर्तन और कार्यान्वयन" कार्यक्रम आयोजित किया । अप्रैल, 1980 में भुवनेश्वर में उड़ीसा के लिए एक "औद्योगिक परियोजना के निरूपण, प्रवर्तन और कार्यान्वयन" कार्यक्रम आयोजित किया गया । उल्लेखनीय है कि उड़ीसा राज्य के लिए यह दूसरा कार्यक्रम था; पहला कार्यक्रम 1975 में आयोजित किया गया ।

30 जून, 1980 तक विकास बैंकिंग केन्द्र (भूतपूर्व विकास बैंकिंग डकाई सहित) ने 59 कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिनमें 1768 भागीदारों ने भाग लिया। इनमें से 10 "इन-कम्पनी" कार्यक्रम है ।

विकास बैंकिंग केन्द्र की योजना 1980 में सामान्य भागीदारों के लिए 19 कार्यक्रम और दो "इन-कम्पनी" कार्यक्रम आयोजित करने की है । वर्ष के पहले छः महीनों में यह एक "इन-कम्पनी" कार्यक्रम सहित 12 कार्यक्रमों का आयोजन पहले ही कर चुका है ।

प्रबन्ध विकास संस्थान परिसर :

67 प्रबन्ध विकास संस्थान, जो अब तक किराए के परिसर में कार्य कर रहा था, जनवरी, 1980 में दिल्ली हवाई अड्डे से 12 किलोमीटर दूर स्थित गुड़गांव में 36.38 एकड़ भूमि के अपने परिसर में चला गया है । इस परिसर के निर्माण की लागत लगभग 165.00 लाख रुपए है, जो पूर्ण रूप से निगम द्वारा उठाई जानी है।

नए उद्यमकर्ताओं के लिए तकनीकी सलाहकारी सेवायें

68. निगम ने तीन तकनीकी सलाहकारी संगठनों का प्रायोजन किया। यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम द्वारा प्रायोजित तकनीकी सलाहकारी संगठनों में भाग लेने के अलावा है। प्रायोजित तीन तकनीकी सलाहकारी संगठन हैं; हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सलाहकारी संगठन लिमिटेड, राजस्थान में राजस्थान सलाहकारी संगठन लिमिटेड और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन लिमिटेड। ये संगठन, मूल रूप से, नए उद्यमकर्ताओं और तकनीकज्ञों को सलाहकारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए है और इसलिए वे परियोजना अभिज्ञान, निरूपण, तकनीकी और प्रबन्धकीय सलाह और मार्गदर्शन, आदि क्षेत्रों में नियमित आधार पर दत्तकार्य करते हैं। इन तीन संगठनों के कार्यों का मूल्यांकन निम्नलिखित अवतरणों में दिया गया है।

हिमाचल सलाहकारी संगठन लिमिटेड

69. हिमाचल सलाहकारी संगठन ने 31 दिसम्बर, 1979 को अपने कार्यों का तीसरा वर्ष पूरा कर लिया। परियोजना—रूप-रेखा तैयार करने, पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन, आदि से आरम्भ करके हिमाचल सलाहकारी संगठन ने अब उद्यमकर्ताओं को, उद्योग निदेशालय में इकाई के पंजीकरण की अवस्था से लेकर कार्यान्वयन और अनुवर्ती परिवीक्षण तक एक मुश्त सहायता देनी आरम्भ कर दी है। हिमाचल सलाहकारी संगठन अपने उद्यमी विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे संभावी उद्यमियों से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करता है : जिन्हें इन-कम्पनी प्रशिक्षण दिया गया हो। उनमें से कुछ ने अब, हिमाचल सलाहकारी संगठन द्वारा बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद, परियोजनाएं स्थापित कर ली है। अनुभवी विकास के क्षेत्र में हिमाचल सलाहकारी संगठन ने, ट्रैक्टर उद्योग में अनुषंगी विकास के लिए परियोजनाओं का अभिज्ञान करने तथा इन इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों का पता लगाने के सम्बन्ध में भी काफी प्रगति की है।

हिमाचल सलाहकारी संगठन ने 1979 में 77 दत्तकार्य पूरे किए जिनमें पूर्व-व्यवहार्यता/व्यवहार्यता रिपोर्टें, विपणन अध्ययन, सर्वेक्षण रिपोर्टें, सहायक उद्योगों के सम्बन्ध में अध्ययन, बहुत छोटे क्षेत्र का अध्ययन, आदि शामिल हैं। परिकल्पित निवेश का अनुमान 9.10 करोड़ रुपये लगाया गया है। और 2700 व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने की संभावना है।

1980 के पहले छः महीनों के दौरान, हिमाचल सलाहकारी संगठन ने 20 दत्तकार्य पूरे किए। हिमाचल सलाहकारी संगठन ने, अपने प्रारम्भ से 146 दत्तकार्य पूरे कर लिए हैं। जिनके लिए 3413.30 लाख रुपये के निवेश की आवश्यकता है। इस अनुमानित निवेश से 7600 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है।

31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त वर्ष में हिमाचल सलाहकारी संगठन को 3.29 लाख रुपये की आय हुई और 3.19 लाख रुपये का व्यय हुआ। इस प्रकार 9,858/- रुपये का सकल लाभ हुआ।

राजस्थान सलाहकारी संगठन लिमिटेड

70. 1978 में स्थापित राजस्थान सलाहकारी संगठन ने अपने कार्य-कलापों में विस्तार शुरू किया है। तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के सम्बन्ध में अध्ययन तैयार करने के अतिरिक्त राजस्थान सलाहकारी संगठन ने रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का संचालन आरम्भ कर दिया है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, अलवर जिले के आर्थिक विकास पर औद्योगिकरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए राजस्थान सलाहकारी संगठन को नियुक्त किया।

31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान राजस्थान सलाहकारी संगठन ने 41 रिपोर्टें पूरी की, जिनमें 33 तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टें जिनमें 5.17 करोड़ रुपये की परियोजना लागत होने का अनुमान है तथा लगभग 1300 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है। ये परियोजना अधिकांशतः छोटे पैमाने के क्षेत्र में स्थित हैं। 31 दिसम्बर 1979 को समाप्त हुए वर्ष में राजस्थान सलाहकारी संगठन ने 46 दत्तकार्य पूरे किए, जिनमें 20 परियोजना संक्षिप्तिकाएं, 21 व्यवहार्यता रिपोर्टें, एक रुग्ण इकाई का अध्ययन और चार अन्य दत्तकार्य शामिल हैं। राजस्थान सलाहकारी संगठन ने अगस्त, 1978 में कार्य-चालन आरम्भ किया और जून, 1980 तक इसने 91 दत्तकार्य पूरे कर लिए हैं। 801.83 लाख रुपये के अपेक्षित निवेश का अनुमान है और संभावित कुल बिक्री 2546.14 लाख रुपये है। लगभग 2200 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किए जाने की सम्भावना है।

31 दिसम्बर 1979 को समाप्त हुए वर्ष में राजस्थान सलाहकारी संगठन को 2.57 लाख रुपये की आय हुई तथा व्यय 3.15 लाख रुपये हुआ तथा 57,470/- रुपये का घाटा दिखाया गया।

मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन लिमिटेड

71. जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन मार्च, 1971 में निगमित किया गया और इसने मई, 1979 में कारोबार आरम्भ किया। अपने परिचालन के पहले आठ महीनों के दौरान मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन ने छः दत्तकार्य पूरे कर लिए थे। 1980 के पहले छः महीनों में मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन ने दस दत्तकार्य पूरे किए।

कुल मिलाकर 30 जून, 1980 को 16 दस्तकार्य पूरे कर लिए गए थे, जिनमें 560 लाख रुपये के अपेक्षित निवेश का अनुमान था और संभावित कुल बिक्री 1807.00 लाख रुपये थी । लगभग 1400 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार दिए जाने की संभावना है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम द्वारा प्रायोजित तकनीकी सलाहकारी संगठन

72. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम द्वारा प्रायोजित तकनीकी सलाहकारी संगठनों के कार्य-कलापों में निगम लगातार रुचि ले रहा है । वर्ष के दौरान निगम ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रायोजित पश्चिमी बंगाल सलाहकारी संगठन लि० और भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक और तकनीकी सलाहकारी संगठन की आरम्भिक प्रदत्त पूंजी में अपना योगदान दिया ।

निधि स्रोत

शेयर पूंजी :

73. निगम की अधिकृत पूंजी 20 करोड़ रुपये है तथा 30 जून, 1970 को जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी 15 करोड़ रुपये थी।

समीक्षाधीन वर्ष में, विभिन्न वर्गों के शेयरधारियों के पास निगम के जो शेयर थे, उनके वितरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

30 जून, 1980 को शेयरों का वितरण निम्न प्रकार था :—

	शेयरों की संख्या	कुल का प्रतिशत
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	15,000	50
अनुसूचित बैंक	6,045	20
बीमा संस्थाएं, आदि	6,440	22
सहकारी बैंक	2,515	8
जोड़	30,000	100

बांड :

74. वर्ष के दौरान निगम ने तीन बांड निर्गमन अर्थात् 6 1/2 प्रतिशत बांड 1989 31.75 करोड़ रुपये के लिए अगस्त, 1979 में, 6 1/2 प्रतिशत बांड 1989 (दूसरी सीरीज) 36.50 करोड़ रुपये के लिए दिसम्बर, 1979 में और 6 3/4 प्रतिशत बांड 1992 35.00 करोड़ रुपये के लिए जून, 1980 में जारी किए। तीनों निर्गमनों में पूरा-पूरा अभिदान हुआ। निर्गमन के 10 प्रतिशत अनुज्ञेय राशि को मिलाकर क्रमश: 113.50 करोड़ रुपये के बांड आबंटित किए गए ।

केन्द्रीय सरकार से उधार :

75. 30 जून, 1979 को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों की राशि 37.91 करोड़ रुपए थी । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने सरकार से, के० एफ० डब्ल्यू० ऋणों से पैदा होने वाली ब्याज दर अन्तर निधियों के अधीन 0.74 करोड़ रुपए उधार लिए जबकि 6.58 करोड़ रुपए की राशि अदा की गई । इस वर्ष के अन्त में ऋणों की बकाया राशि 32.07 करोड़ रुपए थी।

रिजर्व बैंक से उधार

76. समीक्षाधीन वर्ष में भी पिछले वर्षों की भांति भारतीय रिजर्व बैंक से अस्थायी अवधियों के लिए ऋण लिए गए। 30 जून, 1980 को इस शीर्ष के अधीन कोई राशि बकाया नहीं थी ।

विदेशी मुद्राओं में प्राप्त ऋण

77. 100 लाख जर्मन मार्क का एक और अठारहवां ऋण निगम को आबंटित किया गया। वर्ष के अन्त में उपर्युक्त ऋण सहित निगम के पास पश्चिमी जर्मन मार्क का कुल ऋण 2125.0 लाख मार्क हो गया । निगम ने इनमें से 1948.21 लाख मार्क के उप-ऋण मंजूर किए। अब ये ऋण पूर्णतः संपरिवर्तनीय हैं, पूंजीगत माल, इंजीनियरिंग जानकारी और सेवाओं, आदि के आयात के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है ।

सरकार ने निगम को जर्मन मार्क उप-ऋणियों से प्राप्त हुई रकमों को विदेशी मुद्राओं में बदलने की स्वीकृति दे दी है और यह क्रेडिटान्स्टाल्ट फुर वाइडरफबाऊ को अदा करने तक औद्योगिक संस्थाओं द्वारा किए गए आयात का वित्तपोषण करने के लिए उपयोग कर सकता है । इस योजना के अधीन निगम ने पहले ही 141.20 लाख जर्मन मार्क विदेशों में अन्तरित कर दिए गए हैं और उनके विपरीत आयात के लिए 49.08 लाख जर्मन मार्क की वित्तीय सहायता प्रदान की ।

भारत सरकार ने इंडो-स्वेडिश सहयोग करार, 1979 के 250 लाख स्वेडिश क्रोनर का एक और ऋण उपलब्ध कराया है। इस ऋण को मिलाकर वर्ष की समाप्ति पर निगम को उपलब्ध कराये स्वेडिश क्रोनर ऋणों की राशि 750 लाख स्वेडिश क्रोनर हो गई है जिसमें से निगम ने 729.36 लाख स्वेडिश क्रोनर के उप-ऋण मंजूर किए है। यह आबंटन सामान्य आयात भाग का हिस्सा है और जो पूर्णतः संपरिवर्तनीय है तथा पूंजीगत माल एवं सेवाओं के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है।

यू० के० ऋणों की 95.00 लाख पौंड रुपए की कुल राशि भारत सरकार द्वारा यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण/अनुदान के अधीन निगम को उपलब्ध कराई गई, इसमें से 72.78 लाख पौंड की राशि के उप-ऋण वर्ष के अन्त तक मंजूर किए गए।

सारणी—25

निधियों के स्रोत तथा उपयोग

(रुपये, करोड़ों में)

	1977-78	1978-79	1979-80	1948–80
(क) निधियों के स्रोत :	5.00 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के निर्गमन के अतिरिक्त शेयर आवेदन रुपए से सम्बन्धित।			
आन्तरिक स्रोत :				
1. शेयर पूंजी . . .	—	2.50*	2.50	15.00
2. कराधान से पूर्व लाभ . . .	8.58	8.07	10.18	91.44
3. उधार लेने वालों द्वारा ऋणों की अदायगी :—				
(क) रुपया ऋण . .	15.35	19.42	21.11	215.41
(ख) विदेशी मुद्रा पत्र-ऋण . .	2.94	2.68	2.48	35.66
4. निवेशों की बिक्री/विमोचन . .	0.62	0.45	0.45	17.74
5. गारंटी दायित्वों के रूप में वसूली .	0.01	0.07	0.16	4.99**
उप-जोड़ . . .	27.50	33.19	36.88	380.24
	(26.2)	(30.9)	(22.6)	(37.1)

**इनमें दो संस्थाओं से सम्बन्धित 2.66 करोड़ रुपए और 1.22 करोड़ रुपए सम्मिलित नहीं है जो पुनर्स्थापन योजनाओं के अधीन क्रमशः ऋण और शेयरों में संपरिवर्तित करके निपटाए गए।

	1977-78	1978-79	1979-80	1948–80
उधार				
6. बांड जारी करके बाजार से . .	58.39	35.02	113.50	433.94
7. केन्द्रीय सरकार से . . .	2.37	0.62	0.74	115.64
8. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से .	5.00	15.00	—	25.00
9. कुछ ऋणों से सम्बन्धित अधिकारों और हितों के हस्तान्तरण द्वारा .	—	—	—	9.96
10. विदेशी साख संस्थाओं से :—				
(क) संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से अमरीकी डालर में ऋण .	—	—	—	19.63
(ख) पश्चिमी जर्मनी के क्रेडिटान्स्टाल्ट फूर वाइडरफबाऊ से जर्मन मार्क में ऋण . . .	2.44	1.99	1.17	34.05
(ग) पेरिस के बैंक फ्रांसिस डू कामर्स एक्सटिरियर से फ्रांसिसी फ्रांक में ऋण . . .	—	—	—	2.02
उप-जोड़ . . .	68.20	52.63	115.41	640.26
	(64.9)	(48.9)	(70.8)	(62.6)

सारणी 25—क्रमश :

(रुपये, करोड़ों में)

	1977-78	1978-79	1979-80	1948-80
11. सरकार से विशेष अनुदान@	0.46	0.62	0.74	3.09
	(0.4)	(0.6)	(0.5)	(0.3)
12. प्रारम्भ में नकदी और बैंक शेष	8.86	21.10	9.87	—
	(8.5)	(19.6)	(6.1)	(—)
निधियों के स्रोत: जोड़	105.02	107.54	162.90	1023.59
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

@ के० एफ० डब्ल्यू० ऋण करारों की शर्तों के अधीन ब्याज जन्य अन्तर निधियों में से

(ख) निधियों के उपयोग :				
1. सहायता का संवितरण :				
(क) रुपया ऋण	53.12	62.66	82.78	92.98
(ख) विदेशी मुद्रा उप-ऋण	3.64	4.12	7.91	70.51
(ग) हामीदारी दायित्वों के रूप में औद्योगिक इकाइयों के शेयरों/ डिबेंचरों में अभिदान	5.10	3.15	2.24	43.12
(घ) गारंटी दायित्वों के रूप में अदा की गई रकम	0.16	0.10	—	10.16
उप-जोड़	62.02	70.03	92.93	716.77
	(59.1)	(65.1)	(57.0)	(70.0)
2. वित्तपोषित संस्थाओं की शेयर पूंजी में संपरिवर्तित ऋण की राशि	0.25	1.22	0.93	4.00
	(0.2)	(1.1)	(0.6)	(0.4)
ऋणों की अदायगी :				
3. बांडों का विमोचन	2.00	6.13	8.25	55.66
4. केन्द्रीय सरकार को अदा किए गए ऋण	7.61	7.55	6.58	83.56
5. विदेशी साख संस्थानों से प्राप्त ऋणों की अदायगी	2.10	2.13	2.06	32.84
6. अन्य ऋणों की अदायगी	2.27	2.12	1.56	10.90
उप-जोड़ :	13.98	17.93	18.45	182.96
	(13.3)	(16.7)	(11.3)	(17.9)
अन्य उपयोग :				
7. वित्तीय/विकास संस्थानों की शेयर पूंजी/ प्रारम्भिक पूंजी में अभिदान	—	0.34	0.03	1.15
8. प्रबन्ध विकास संस्थान को आबंटन	0.57	0.74	0.78	3.45
9. जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को आबंटन	0.33	0.45	0.93	2.04
10. आय-कर के लिए व्यवस्था	3.11	3.53	5.39	42.05*
11. अधिलाभांश	0.65	0.65	0.94	9.50
12. निवल विविध उपयोग	3.01	2.78	1.68	20.83
उप-जोड़	7.67	8.49	9.75	79.02
	(7.3)	(7.9)	(6.0)	(7.7)

सारणी—25 (जारी)

	1977-78	1978-79	1979-80	1948-80
13. अन्त में नकदी और बैंक शेष . .	21.10 (20.1)	9.87 (9.2)	40.84 (25.1)	40.84 (4.0)
निधियों का उपयोग : जोड़ .	105.02 (100.0)	107.54 (100.0)	162.90 (100.0)	1023.59 (100.0)

*वास्तव में अदा किया गया 38.80 करोड़ रुपए का आयकर सम्मिलित है ।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दी गई संख्याएं जोड़ के प्रतिशत का द्योतक हैं ।

लेखे

78. इस वर्ष सकल लाभ 1017.62 लाख रुपए हुआ जो कि 1978-79 में 807.03 लाख रुपए था । कराधान के लिए 538.82 लाख रुपए (निवल) की व्यवस्था करने के पश्चात् निवल लाभ 1978-79 के 454.00 लाख रुपए की अपेक्षा 478.80 लाख रुपए हुआ । आरक्षित निधियों में 382.80 लाख रुपए का विनियोजन किया गया । कर्मचारी कल्याण निधि को 2.00 लाख रुपए का आबंटन किया गया ।

अधिलाभांश

79. इस वर्ष के लाभों में से 84.80 लाख रुपए की राशि सामान्य आरक्षित निधि को अन्तरित करने से यह निधि 16.73 करोड़ रुपए हो गई । पिछले वर्ष की भांति निगम ने अपनी प्रदत्त पूंजी पर 30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 6 1/2 प्रतिशत का अधिलाभांश देने की घोषणा की ।

रिजर्व

80. 30 जून, 1980 को निगम के पास आरक्षित निधियों की कुल राशि 32.18 करोड़ रुपए थी, जिसमें निम्नलिखित शामिल थे :—

(रुपए, करोड़ों में)

सामान्य आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32 के अधीन) . .	16.73
आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32 क के अधीन) . .	1.00
विशेष आरक्षित निधि [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन] . .	13.84
दातव्य आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32 ख के अधीन) . .	0.61
कुल निधियां	32.18

आरक्षित निधियों की राशि प्रदत्त पूंजी से 17.18 करोड़ रुपए अधिक हो गई है । निगम के पास विभिन्न आरक्षित निधियों का ब्योरा नीचे दिया गया है ।

सामान्य आरक्षित निधि

वर्ष के दौरान निगम को हुए लाभ में से 84.80 लाख रुपए की राशि इस निधि को अन्तरित कर देने से इस निधि की कुल राशि 1672.80 लाख रुपए हो गई है ।

आरक्षित निधि

30 जून, 1980 को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32-क के अधीन इस निधि का कुल जोड़ 100.00 लाख रुपए हुआ जो अधिनियम के अनुसार अधिकतम स्वीकार्य राशि है ।

विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6(1) (viii) के अधीन चालू वर्ष के लाभ में से इस निधि को 273.00 लाख रुपए की राशि अन्तरित की गई थी । पिछले वर्ष 216.00 लाख रुपए की राशि अन्तरित की गई थी । 273.00 लाख रुपए की इस राशि के अन्तरित हो जाने से विशेष निधि की जमा रकम 1383.78 लाख रुपए हो गई है ।

दातव्य आरक्षित निधि

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32-ख के अधीन समीक्षाधीन वर्ष के लाभ में से दातव्य आरक्षित निधि को 25.00 लाख रुपए की राशि अन्तरित कर दी गई है, जिसका उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा :—

(क) व्यावहार्यता अध्ययन, परियोजना रिपोर्टों, बाजार तथा टैक्नो-इकनामिक सर्वेक्षणों तथा ऐसे अन्य उद्देश्यों जो औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दे कि व्यय को पूरा करने के लिए,

(ख) विकास बैंकिंग तथा वित्तीय औद्योगिक प्रबन्ध के क्षेत्रों में :—

(1) शोध करने तथा शोध को प्रोत्साहन देने के लिए,

(2) वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों को भारत में तथा बाहर प्रशिक्षण देने के लिए,

(3) विश्वविद्यालयों शैक्षणिक संस्थानों तथा शोध प्रतिष्ठानों में चेयरों की स्थापना के लिए ।

(ग) तकनीकों तथा नए उद्यमकर्ताओं द्वारा लगाई गई परियोजनाओं को सहायता देने के लिए :—

(1) उनको मंजूर ऋणों अथवा अग्रिमों पर निगम की सामान्य ब्याज दर में सहायता देकर;

(2) उनके द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं, विशेषकर औद्योगिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों में लगाई गई परियोजनाओं को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सहायता देकर ;

(घ) उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहायक अथवा आकस्मिक सहायता प्रदान करना ।

30 जून, 1980 को दातव्य आरक्षित निधि में कुल राशि 61.36 लाख रुपये हो गई है ।

आयकर के लिए व्यवस्था :

81. 30 जून, 1977, 1978 और 1979 को समाप्त हुए वर्षों के लिए कर-निर्धारण की कार्यवाही को वार्षिक लेखा बन्द होने से पूर्व अन्तिम रूप नहीं दिया गया था । 30 जून, 1980 को समाप्त हुए लेखा वर्ष के लिए कर लेखे में 538.82 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है ।

82. वर्ष के दौरान, निगम ने 57,345.12 रुपए (43,950.63 रु०) की राशि का व्यय मनोरंजन पर किया तथा 51,117.22 रुपए (80,134.55 रुपए) की राशि स्टाफ ट्रांजिट रूमों पर व्यय की गई और 1,89,022.11रुपए (1,49,690.06 रुपए) की राशि प्रचार/विज्ञापन पर व्यय की गई ।

83. 30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण का सार सारणी 26 में दिया गया है ।

सारणी—26

लाभ-हानि सार—1979-80

(रुपए, लाखों में)

	इस वर्ष	पिछले वर्ष
इस वर्ष के कारोबार की सकल आय सकल आय में से घटाने के बाद : . .	3977.07	3314.30
बांडों और अन्य ऋणों पर अदा किया गया ब्याज	2629.72	2172.06
अन्य खर्चे	329.73	335.21
कर के लिए व्यवस्था (निवल)	538.82	353.03
वर्ष के निवल लाभ है—	478.80	454.00
समायोजन		
सामान्य आरक्षित निधि को अन्तरित	84.80	137.00
दातव्य आरक्षित निधि को अन्तरित	25.00	35.00
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित निधि को अन्तरित	273.00	216.00
स्टाफ कल्याण निधि को अन्तरित	2.00	1.00
अधिलाभांश की अदायगी	94.00	65.00
	478.80	454.00

84. पिछले पांच वर्षों के कार्य-परिणामों का ब्योरा सारणी 27 में दिया गया है।

सारणी—27

पिछले पांच वर्षों का कार्य परिणाम

(रुपए, लाखों में)

	30 जून को समाप्त हुए वर्ष के लिए				
	1976	1977	1978	1979	1980
उपार्जित ब्याज	1788.94	2245.76	2657.59	3122.92	3722.89
अन्य आय	108.98	117.41	162.24	191.38	254.18
कुल आय	1897.92	2363.17	2819.83	3314.30	3977.07
अदा किया गया ब्याज	1283.89	1545.31	1764.10	2172.06	2629.72
बांडों पर बट्टा और दलाली	51.47	75.77	49.99	15.25	47.91
स्थापना खर्चे जिसमें चिकित्सा शुल्क तथा खर्च और कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज भी शामिल है	138.31	112.50	128.15	148.95	181.93
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
निवेशों की बिक्री से हानि	9.07	63.90	—	5.39	3.72
अन्य खर्चे	52.55	74.72	90.0	160.62	91.17
कुल खर्चे	1540.29	1877.20	2037.31	2507.27	2959.45
सकल लाभ	357.63	485.97	782.52	807.03	1017.62
कर के लिए व्यवस्था (निवल)	148.13	221.97	310.52	353.03	538.82
निवल लाभ	209.50	264.00	472.00	454.00	478.80
आरक्षित निधियां	149.00	203.00	406.00	388.00	382.80
कर्मचारी कल्याण निधि	0.50	1.00	1.00	1.00	2.00
अधिलाभांश	60.00	60.00	65.00	65.00	94.00

संगठन

संचालक बोर्ड

अध्यक्ष

85. श्री बलदेव पसरीचा ने 18 अक्तूबर, 1979 को निगम के अध्यक्ष पद का कार्य भार त्याग दिया। बोर्ड, श्री पसरीचा द्वारा उनके कार्यकाल में की गई अमूल्य सेवाओं की अत्यधिक सराहना करता है।

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10/1/क/की शर्तों के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, 28 सितम्बर, 1979 से श्री बी० बी० सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल फर्टिलाइज़र्स लि०, नई दिल्ली, को श्री सी० टी० दास के स्थान पर निगम के बोर्ड के संचालक के रूप में नामित किया। तदुपरान्त, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, की धारा 10 (1) (क) की शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार ने, अधिसूचना सं० एफ० 9/12/79-बी० ओ०-1 दिनांक 16 अक्तूबर, 1979 के अनुसार श्री बी० बी० सिंह को निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया। श्री बी ०बी सिंह ने, 19 अक्तूबर, 1979 से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया।

अन्य संचालक

86. श्री पी० सी० नायक, संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, के सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाने पर उनके स्थान पर केन्द्रीय सरकार ने, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 (1) (ख) की शर्तों के अधीन 31 अगस्त, 1979 से भी एन० के० दास अपर आर्थिक सलाहकार, औद्योगिक विकास विभाग को निगम के बोर्ड के संचालक के रूप में नामित किया।

तदुपरान्त, केन्द्रीय सरकार ने, श्री बी० राय, संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग को, श्री एन० के० दास के स्थान पर संचालक के रूप में नामित किया । केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री बी० बी० सिंह को निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने पर उनके स्थान पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 (1) (क क) की शर्तों के अधीन, 6 फरवरी, 1980 से श्री एस० के० दत्ता, अध्यक्ष, पश्चिमी बंगाल वित्तीय निगम को निगम के बोर्ड के संचालक के रूप में नामित किया ।

निगम के शेयर धारियों की 24 सितम्बर, 1979 को हुई वार्षिक महासभा में, सर्वश्री डी० सी० गुप्ता, बी० सी० रणदेरिया और शामराव कदम के स्थान पर, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 10 की उप-धाराओं (ग), (घ) और (ङ) के अधीन सर्वश्री ओ० पी० गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पंजाब नेशनल बैंक, जी० वी० कपाड़िया, भूतपूर्व अध्यक्ष, जनरल इंशोरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया और एन० एस० सप्कल, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लि० को निगम के बोर्ड के संचालकों के रूप में चुना गया ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित श्री बागाराम तुलपुले, निदेशक ने 5 मई, 1980 को निगम के संचालक बोर्ड से त्याग-पत्र दे दिया ।

बोर्ड, सर्वश्री पी० सी० नायक, सी० टी० दास, एन० के० दास, डी० सी० गुप्ता, बी० सी० रणदेरिया, शामराव कदम और बागाराम तुलपुले द्वारा उनके कार्यकाल में की गई अमूल्य सेवाओं की अत्यधिक सराहना करता है और नए संचालकों अर्थात् सर्वश्री बी० राय, एस० के० दत्ता, ओ० पी० गुप्ता, जी० वी० कपाड़िया और एन० एस० सप्कल का हार्दिक स्वागत करता है ।

बोर्ड व अन्य समितियों की बैठकें

87. वर्ष के दौरान बोर्ड की बारह बैठकें हुई, जिनमें से नई दिल्ली में नौ और भुवनेश्वर, त्रिवेन्द्रम और मद्रास में एक-एक बैठक हुई। पहले की भांति जहां दिल्ली से बाहर बोर्ड की बैठकें होती हैं, अध्यक्ष और बोर्ड के अन्य सदस्य राज्य सरकार तथा राज्यों की राजधानियों में आधारित अन्य वित्तीय तथा विकास संस्थानों के अधिकारियों तथा स्थानीय व्यापार एवं उद्योग संघों या चेम्बरों के प्रतिनिधियों को मिलने का शुभ अवसर प्राप्त करते है ताकि राज्य अथवा क्षेत्र के औद्योगिक वातावरण और कुछ वित्तपोषित संस्थाओं की समस्याओं का यथोचित मूल्यांकन हो सके ।

सलाहकारी समितियां

88. वर्ष के दौरान विभिन्न सलाहकारी समितियों की बैठकों की संख्या नीचे दी गई है :—

सलाहकारी समिति का नाम	बैठकों की संख्या
रसायन प्रक्रिया और समवर्गीय उद्योग	7
इंजीनियरिंग	4
चीनी	5
वस्त्र	10
होटल	1
पटसन	2

इन बैठकों में कुल 61 संस्थाओं से विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार किया गया उपरिलिखित समितियों ने कुछ रुग्ण इकाइयों के कार्यों का भी मूल्यांकन किया ।

वर्ष के दौरान कोचीन और भुवनेश्वर में निगम की स्थानीय सलाहकारी समितियों की बैठकें हुई । फिलहाल निगम इन समितियों के कार्य का मूल्यांकन कर रहा है ।

लेखा-परीक्षक

89. 30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने मैसर्स बी० एल० अजमेरा एण्ड कं०, जयपुर को निगम के लेखा-परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया । 24 सितम्बर, 1979 को निगम के शेयरधारियों की वार्षिक महासभा में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को छोड़कर अन्य शेयरधारियों की ओर से उक्त अवधि के लिए मैसर्स रे एण्ड रे, कलकत्ता को लेखा-परीक्षक चुना गया ।

निगम में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

90. कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने की सरकारी नीति के अनुरूप निगम में हिन्दी के प्रयोग की अभिवृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । निगम में हिन्दी की प्रगति को देखने तथा प्रगामी प्रयोग सम्बन्धी उठाए गए कदमों पर

सुझाव देने हेतु, तीन राजभाषा कार्यान्वयन समितियां, प्रधान कार्यालय, बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय तथा दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, प्रत्येक में एक-एक, कार्य कर रही हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रधान कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें सात बार हुई।

निगम ने भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना को ग्रहण किया है तथा कर्मचारियों को हिन्दी, हिन्दी टाइपराइटिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप से भेजा जाता है। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं के लिए हिन्दी शिक्षण कक्षाएं निगम के प्रधान कार्यालय में आयोजित की जा रही हैं। निगम के अन्य कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी भी, हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। अभी तक निगम के 39 कर्मचारियों ने हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित प्राज्ञ परीक्षा पास की है। इसके अतिरिक्त चार स्टैनोग्राफरों और उन्नीस टाइपिस्टों ने क्रमशः हिन्दी स्टैनोग्राफी और हिन्दी टाइपराइटिंग परीक्षाएं पास की हैं। हिन्दी सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है, जिसके अधीन हिन्दी टाइपिंग और स्टैनोग्राफी सहित विभिन्न हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर प्रत्येक परीक्षा के लिए 250 रुपए का मानदेय दिया जाता है।

संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के अनुरूप निगम ने, हिन्दी के प्रयोग के कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। निगम के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को सरल बनाने के लिए, शासकीय टिप्पण और पत्र व्यवहार में प्रयुक्त मानक अभिव्यक्तियों, मुहावरों, आदि की एक शब्दावली तैयार की गई है।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण

91. वर्ष के दौरान निगम ने अल्पावधि के सोलह इन-हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 156 वरिष्ठ अधिकारियों और 212 स्टाफ के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, प्रबन्ध विकास संस्थान, नई दिल्ली; आल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, नई दिल्ली; इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली; इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, कलकत्ता, आदि द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए 35 अधिकारियों को भेजा गया।

शिक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध केन्द्र, जेनेवा द्वारा 1-26 अक्तूबर, 1979 तक आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध विकास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक अधिकारी को भेजा गया।

एक अन्य अधिकारी को मनीला में एशिया और प्रशान्त के विकास वित्तीय संस्थानों के संघ द्वारा 4 मई से 6 जून, 1980 तक आयोजित "1980 अधिकारी विकास कार्यक्रम" में भाग लेने के लिए भेजा गया।

कर्मचारी कल्याण निधि

92. वर्ष के दौरान, कर्मचारी कल्याण निधि विनियमों में, कर्मचारियों के बच्चों को चिकित्सा, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण कला, होटल प्रबन्ध, आदि विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में डिग्री पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था के लिए संशोधन किया गया।

निगम, कर्मचारियों और उनके परिवार के हित के लिए श्रीनगर, पुरी, बंगलौर, ऊटकमंड और शिमला में 5 अवकाश-गृह चला रहा है।

स्टाफ सुझाव योजना

93. वर्ष के दौरान, उक्त योजना के अन्तर्गत स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों से आशाप्रद सुझाव प्राप्त हुए और निगम के कार्य के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 109 सुझाव प्राप्त हुए। सुझाव योजना समिति ने, निगम के कार्यों में प्रभावशाली सुधार लाने अथवा बचत करने के लिए इन सुझावों में दिखाई गई या उल्लिखित संभावित क्षमता की दृष्टि से इनकी जांच की।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

94. निगम के अध्यक्ष ने, एशिया और प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन, मनीला, फिलीपाईन्स, जिसका निगम एक संस्थापक सदस्य है, द्वारा प्रायोजित एक विशेष सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन 5-6 मई, 1980 को हुआ। सम्मेलन का विषय था "विकास वित्तीय संस्थानों के परिचालन और सेवाओं का विशाखन"।

स्टाफ की प्रतिनियुक्ति

95. श्री पी० एम० गोपालाकृष्णन्, संयुक्त महाप्रबन्धक की भारतीय यूनिट ट्रस्ट, बम्बई में कार्यकारी न्यासी के रूप में नियुक्ति हो जाने पर उनकी सेवाएं, प्रारम्भ में प्रतिनियुक्ति के आधार पर, 3 मार्च, 1980 से दो वर्ष की अवधि के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट को सौंप दी गई है।

तकनीकी क्षेत्र के एक वरिष्ठ अधिकारी को, पश्चिमी बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि० में दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।

पंजाब वित्तीय निगम में प्रतिनियुक्ति तकनीकी क्षेत्र के एक अन्य अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि को और एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

वरिष्ठ प्रबन्ध में परिवर्तन

96. श्री डी० एन० डावर, संयुक्त महाप्रबन्धक को पहली मार्च, 1980 से महाप्रबन्धक के पद पर पदोन्नत कर दिया।

पहली मई, 1980 से निगम में विधि सलाहकार के पद को संयुक्त महाप्रबन्धक के रैंक के बराबर कर दिया गया। इस समय यह पद श्री ए० के० घोष धारण किए हुए है।

सर्वश्री आर० एन० साहू और एम० एन० खुशु, उप-महाप्रबन्धकों को पहली मई, 1980 से संयुक्त महाप्रबन्धकों के रूप में पदोन्नत कर दिया गया।

श्री पी० एम० गुरूंग सहायक महाप्रबन्धक (तकनीकी) को पहली मई, 1980 से उप-महाप्रबन्धक के रैंक में उप तकनीकी सलाहकार के रूप में पदोन्नत कर दिया गया।

सर्वश्री डी० जी० रमैया और एस० के० भट्टाचार्य, सहायक महाप्रबन्धक को क्रमशः 11 जून, 1980 और 22 अगस्त, 1980 से उप महाप्रबन्धकों के रूप में पदोन्नत कर दिया गया।

सर्वश्री एस० के० ऋषि और के० सी० हुक्मानी, वरिष्ठ प्रबन्धक (तकनीकी) को 3 अक्तूबर, 1979 से सहायक महा-प्रबन्धक (तकनीकी) के पदों पर पदोन्नत कर दिया गया। सर्वश्री एस० पी० बनर्जी, पी० ब्रह्मचारी और एफ० एम० पटनायक, वरिष्ठ प्रबन्धक (तकनीकी) को क्रमशः 3 दिसम्बर, 1979, 14 जुलाई, 1980 और 24 जून, 1980 से सहायक महाप्रबन्धक (तकनीकी) के रूप में पदोन्नत कर दिया गया।

श्री वी० एस० आर० के० शास्त्री, वरिष्ठ प्रबन्धक को 2 जून, 1980 से सहायक महाप्रबन्धक (सांख्यिकी) के पद पर पदोन्नत कर दिया गया।

सर्वश्री एल० एन० जादवानी, क्षेत्रीय प्रबन्धक और एच० सी० शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक को क्रमशः 2 जून, 1980 और 30 जून, 1980 से सहायक महाप्रबन्धकों के रूप में पदोन्नत कर दिया गया।

विभागों का पुनर्गठन

97. 27 सितम्बर, 1979 से प्रधान कार्यालय के सलाहकारी, सेवाएं विभाग का नाम "समस्या मामले विभाग" रख दिया। उस विभाग में, निगम द्वारा वित्तपोषित रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में पुनर्निर्माण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक "वित्तीय पुनर्निर्माण कक्ष" बनाया गया है।

विदेश यात्राएं

98. वर्ष 1979-80 के दौरान, कार्यालय के काम के सम्बन्ध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तीन विदेश यात्राओं पर 36,944.49 रुपए की राशि का व्यय किया गया।

प्राप्त सहायता के लिए आभार प्रदर्शन

99. बोर्ड को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, राज्य सरकारों, राज्य-स्तर के वित्तीय और विकास स्थानों से जो सहयोग और सहायता मिली है उसके लिए वह उनकी प्रशंसा करता है। जिन सदस्यों ने निगम की विभिन्न सलाहकारी समितियों में कार्य किया है तथा जिन्होंने विभिन्न ऋणि संस्थाओं के संचालक बोर्डों में निगम द्वारा नामित किए गए संचालकों के रूप में कार्य किया है, बोर्ड उनकी अमूल्य सहायता और सलाह के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। बोर्ड, क्रेदितांस्तल फ्र वाइडरफब्यू के प्रबन्धक वर्ग, यू० के० सरकार के समुद्र विकास मंत्रालय एवं स्वेडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा निगम की निरन्तर की गई मदद और सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता है। निगम के अधिकारी एवं स्टाफ द्वारा वर्ष के दौरान वफादारी और निष्ठापूर्वक की गई सेवा के लिए बोर्ड उनकी सराहना करता है।

संचालक बोर्ड की ओर से

बी० बी० सिंह

अध्यक्ष

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंशधारी

हम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अधोहस्ताक्षरी लेखा परीक्षक निगम के 30 जून 1980 के तुलन-पत्र और लेखों के बारे में अंशधारियों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने सम्बन्धित लेखों और वाउचरों तथा शाखा कार्यालयों से प्राप्त लेखा परीक्षित विवरणियों के साथ संलग्न तुलन-पत्र की जाँच कर ली है। ये विवरणियां संलग्न तुलन-पत्र में शामिल कर ली गई हैं। हम इस बात की, रिपोर्ट देते हैं कि हमने जहां कहीं भी कोई स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी है, वह सम्बन्धित स्पष्टीकरण या जानकारी हमें दी गई है और सन्तोषप्रद रही है। हमारी राय में, लेखे के भाग से सम्बन्धित टिप्पणियां, विशेषतः टिप्पणी-13, प्रस्तुत तुलन-पत्र तथा उस पर की गई टिप्पणियां पूर्ण और निष्कपट है और जहां तक हमें जानकारी और स्पष्टीकरण दिये गये हैं और जैसा कि निगम के बहीखातों से पता चलता है, यह तुलन-पत्र निगम के नियमों और औद्योगिक वित्त निगम, अधिनियम, 1948 के अनुसार इस प्रकार उचित नीति से बनाया गया है कि इससे निगम के कार्यों का सच्चा और सही चित्र सामने आ जाता है।

रे० एण्ड रे,
बी० एल० अजमेरा एण्ड कम्पनी,
सनदी लेखापाल

स्थान : नई दिल्ली।
दिनांक 26 अगस्त, 1980

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली

30 जून, 1980 को तुलन-पत्र

क्रम सं० देयताएं	अनुसूची	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०	क्रम सं० परिसम्पत्तियां	अनुसूची	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष
(1) शेयर पूंजी	क	15,00,00,000	10,00,00,000	(1) रोकड़ और बैंक शेष	छ	40,84,20,924	9,86,73,618
शेयर आवेदन मुद्रा		—	2,50,00,000				
(2) रिजर्व और आरक्षित निधियां	ख	32,17,94,473	28,64,60'018	(2) निवेश	ज	32,42,92,557	29,69,00,623
(3) दीर्घ कालीन ऋण	ग	455,80,86,234	357,57,71,717	(3) ऋण तथा अग्रिम	झ	442,84,68,344	372,60,57,357
(4) चालू देयताएं तथा व्यवस्थायें	घ	27,72,93,094	23,11,54,614	(4) स्थिर परिसम्पत्तियां	ञ	2,10,14,381	1,48,58,474
(5) अन्य देयतायें	ङ	2,97,48,243	3,73,35,117	(5) अन्य परिसम्पत्तियां	ट	15,47,25,838	11,92,31,394
(6) दुतरफा मदों के अनुसार आकस्मिक देयतायें	च	73,99,241	1,10,95,051	(6) दुतरफा मदों के अनुसार संघटक आभार	ठ	73,99,241	1,10,95,051
		534,43,21,285	426,68,16,517			534,43,21,285	426,68,16,517

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
रे एण्ड रे
बी० एल० अजमेरा एण्ड कं०
सनदी लेखापाल

संचालक :
एन० आर० रंगानाथन
एम० आर० बी० पूंजा
डा० जे० सी० सन्देसारा
एस० के० दत्ता

डी एन० डावर
महाप्रबन्धक

संचालक
ओ० पी० गुप्ता
जी० वी० कपाड़िया
एन० एस० सपकल
जे० यू० पटेल

बी० बी० सिंह
अध्यक्ष

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली

30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि लेखा

व्यय	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०	आय	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
बांडों तथा ऋणों आदि पर ब्याज	26,29,72,177	21,72,06,035	ब्याज*	37,22,88,640	31,22,91,886
विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार	2,54,722	2,22,261	कमीशन	22,16,960	16,06,628
बांडों के निर्गम पर दलाली	47,90,637	15,24,730			
बांडों के निर्गम पर बट्टा	—	—	निवेशों की बिक्री से लाभ	39,18,094	22,87,167
निवेशों पर हानि	3,71,595	5,38,908			
स्थापना व्यय	1,81,93,447	1,48,94,650	परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	2,528	5,232

संचालकों तथा समिति सदस्यों की फीस तथा खर्चे	1,12,813	1,35,410	अधिलाभांश	89,19,339	69,41,017
किराया, कर, बीमा तथा रोशनी	34,05,637	32,57,625			
डाक, तार, टिकटें तथा टेलीफोन	8,25,237	8,25,525	वचन बद्धता प्रभार	1,01,53,680	80,14,369
छपाई, लेखन-सामग्री तथा विज्ञापन	9,68,980	10,91,201			
विधि प्रभार	51,240	35,167	विविध आय	2,08,133	2,83,375
लेखा परीक्षा शुल्क	56,000	46,000			
यात्रा व विराम व्यय	5,76,138	4,74,556			
अन्य व्यय	24,28,596	17,34,854	*घटाइये : वर्ष के दौरान अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिये दी गई व्यवस्था		
बट्टे खाते डाले गये ऋण	—	77,89,499			
ह्रास मूल्य	4,38,515	4,50,666			
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान	5,00,000	5,00,000			
कराधान के लिये व्यवस्था 5,38,81,635					
घटाइये : पिछले वर्षों से सम्बन्धित आयकर की वापसी तथा समायोजन					
	5,38,81,635	3,53,02,587			
वर्ष के लिये निवल लाभ नीचे ले जाया गया	4,78,80,000	4,54,00,000			
	39,77,07,374	33,14,29,674		39,77,07,374	33,14,29,674
अन्तरित राशि :					
सामान्य आरक्षित निधि	84,80,000	1,37,00,000	वर्ष के लिये निवल लाभ नीचे लाया गया	4,78,80,000	4,54,00,000
विशेष रिजर्व (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) के अधीन	2,73,00,000	2,16,00,000			
दातव्य आरक्षित निधि	25,00,000	35,00,000			
कर्मचारी कल्याण निधि	2,00,000	1,00,000			
प्रस्तावित अधिलाभांश	94,00,000	65,00,000			
	4,78,80,000	4,54,00,000		4,78,80,000	4,54,00,000

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

रे एण्ड रे
बी० एल० अजमेरा एण्ड कं०
सनदी लेखापाल

संचालक
एन० आर० रंगानाथन
एन० आर० वी० पुंजा
डा० जे० सी० सन्देसारा
एस० के० दत्ता

डी० एन० डावर
महाप्रबन्धक

संचालक
ओ० पी० गुप्ता
जी० वी० कपाडिया
एन० एस० सपकल
जे० यू० पटेल

बी० बी० सिंह
अध्यक्ष

अनुसूची क

शेयर पूंजी

विवरण	30 जून, 1980 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग	
	इस वर्ष	पिछले वर्ष
	रु०	रु०
अधिकृत :		
पांच-पांच हजार रुपये के 40,000 शेयर	20,00,00,000	20,00,00,000
जारी, अभिदत्त तथा प्रदत्त		
(औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की पुनर्अदायगी और न्यूनतम वार्षिक अधिलाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारन्टी प्राप्त)		
(i) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर	5,00,00,000	5,00,00,000
(ii) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 4,000 शेयर (द्वितीय सीरीज)	2,00,00,000	2,00,00,000
(iii) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 2,692 शेयर (तृतीय सीरीज)	1,34,60,000	1,34,60,000
(iv) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 3,308 शेयर (चतुर्थ सीरीज)	1,65,40,000	1,65,40,000
(v) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (पांचवीं सीरीज)	5,00,00,000	--
	15,00,00,000	10,00,00,000

टिप्पणी : न्यूनतम वार्षिक अधिलाभांशों की गारंटी मद संख्या (1) के लिये $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत, मद संख्या (ii) तथा (iii) के लिये 4 प्रतिशत और मद संख्या (iv) के लिये $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा मद संख्या (v) के लिये 6 प्रतिशत है।

अनुसूची ख

रिजर्व और आरक्षित निधियां

(i) सामान्य आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन)				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	15,88,00,000			14,51,00,000
लाभ-हानि लेखे से अन्तरित	84,80,000			1,37,00,000
		16,72,80,000		15,88,00,000
(ii) आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 क के अधीन)		1,00,00,000		1,00,00,000
(iii) दातव्य आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 ख के अधीन)				
पिछले तलन-पत्र के अनुसार शेष	65,81,656			75,40,712
लाभ-हानि लेखे से अन्तरित	25,00,000			35,00,000
	90,81,656			1,10,40,712
घटाइये : उपयोग की गई राशि	29,45,545			44,59,056
		61,36,111		65,81,656
(iv) विशेष रिजर्व [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन]				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	11,10,78,362			8,94,78,362
लाभ-हानि लेखों मे अन्तरित	2,73,00,000			2,16,00,000
		13,83,78,362		11,10,78,362
(v) संदिग्ध ऋणों के लिये रिजर्व				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष				
घटाइये : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये ऋण				
लाभ-हानि लेखों से अन्तरित		32,17,94,473		28,64,60,018

अनुसूची ग
दीर्घकालीन ऋण

30 जून, 1980 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
1. बांड (आरक्षित —औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 के अधीन जारी—भारत सरकार द्वारा गारन्टी प्राप्त)		
5¾% बांड 1979	—	8,24,86,700
5¾% बांड 1980	8,33,30,800	8,33,30,800
5¾% बांड 1981	5,50,00,000	5,50,00,000
5¾% बांड 1982	4,95,00,000	4,95,00,000
5¾% बांड 1983	8,80,08,800	8,80,08,800
5¾% बांड 1984	11,00,67,300	11,00,67,300
5¾% बांड 1985	13,16,67,800	13,16,67,800
6% बांड 1986	7,99,08,000	7,99,08,000
6% बांड 1984	11,00,12,000	11,00,12,000
6% बांड 1985	12,47,37,800	12,47,37,800
6% बांड 1985 (द्वितीय सीरीज)	16,54,79,200	16,54,79,200
6% बांड 1986 (द्वितीय सीरीज)	19,25,05,400	19,25,05,400
6% बांड 1986 (द्वितीय सीरीज)	32,45,87,200	32,45,87,200
6% बांड 1987	19,88,73,800	19,88,73,800
6% बांड 1987 (द्वितीय सीरीज)	25,39,45,500	25,39,45,500
6¼% बांड 1988	33,00,00,000	33,00,00,000
6¾% बांड 1988 (द्वितीय सीरीज)	35,01,54,000	35,01,54,000
6½% बांड 1989	34,93,75,000	—
6 % बांड 1989 (द्वितीय सीरीज)	40,06,25,000	—
6 % बांड 1992	38,50,00,000	—
	[378,27,77,600	273,02,64,300
2. उधार		
(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 21(4) के अधीन] निगम द्वारा जारी किये गये 25 करोड़ रुपये के अंकित मल्य के 6¾%, 6½%, और 6¼% तदर्थ बांड पर लिये गये।	23,50,00,000	24,00,00,000
(ii) भारत सरकार से [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन]	29,03,74,377	35,59,02,242
(iii) ऋदितास्तल्त-फर-वाइडराफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से	3,03,50,500	2,31,80,500
(iv) विदेशी मुद्राओं में विदेशी साख संस्थानों से (रुपये 42,80,739 की राशि को छोड़कर भारत सरकार द्वारा गारन्टी प्राप्त)	21,95,83,757	22,64,24,675
	455,80,86,234	355,57,71,717

अनुसूची घ
चालू देयतायें और व्यवस्थायें

30 जून, 1980 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
क. चालू देयतायें				
(i) भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पकालीन ऋण 3.25 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के निगम द्वारा जारी किये गये रक्षित बांडों द्वारा (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (3) (ख) के अधीन)			—	3,00,00,000
(ii) फुटकर लेनदार :				
—बांडों पर बकाया दावा न किया गया ब्याज		4,78,39,018		
—परिपक्व बांड, परन्तु भुगतान के लिये प्रस्तुत नहीं किए गये		2,14,61,079		
—अन्य		2,81,95,021	9,74,95,118	2,99,02,478
(iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं :				
(क) उधार				
(i) भारत सरकार से	69,59,275			57,16,293
(ii) विदेशी मुद्रा में विदेशी साख संस्थानों से	1,77,933			2,04,543
	71,37,208			59,20,836
(ख) बांडों पर	3,29,00,992			2,28,37,056
			4,00,38,200	2,87,57,892
(iv) अग्रिम गारंटी कमीशन			47,200	51,712
(v) विधिक प्रभारों के लिए प्राप्त अग्रिम			3,60,550	3,78,000
(vi) दावा न किया गया अधिलाभांश			250	250
(vii) विदेशी साख संस्थानों से विदेशी मुद्रा में ऋण पर प्रोद्भूत वचनबद्धता प्रभार			13,629	283
(viii) आवेदकों से मूल्यांकन खर्चों के लिये अग्रिम			4,32,850	4,96,893
			13,83,87,797	8,95,87,508

अनुसूची ध—जारी
चालू देयताएं और व्यवस्थायें

30 जून 1980 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
ख. व्यवस्थाएं				
(i) विनिमय जन्य उचन्त लेखे में			3,44,79,499	3,77,15,454
(ii) उचन्त खाते डाली गई रकमें				
(क) ब्याज	6,20,59,850			6,54,09,388
(ख) वचनबद्धता प्रभार	66,311			66,311
(ग) प्रासंगिक प्रभार	2,37,704			2,37,704
(घ) गारन्टी कमीशन	1,70,051			1,70,051
			6,25,33,916	6,58,83,454
(iii) कराधान के लिये व्यवस्था :				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		15,82,19,744		12,29,17,157
जोड़िए : वर्ष के लिए व्यवस्था		5,38,81,635		3,53,02,587
		21,21,01,379		15,82,19,744
घटाइए : गत वर्षों के लिए समायोजन		6,63,71,344		—
		14,57,30,035		15,82,19,744
घटाइए : स्त्रोत पर काटा गया कर	72,81,920			99,73,885
अदा किया गया अग्रिम कर	10,59,56,233			11,67,77,661
		11,32,38,153	3,2 1,91,882	12,67,51,546
				3,14,68,198
(iv) प्रस्तावित अधिलाभांश			94,00,000	65,00,000
			13,89,05,297	14,15,67,106
			27,72,93,094	23,11,54,614

अनुसूची ङ
अन्य देयतायें

(i) सरकार से विशेष अनुदान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	59,49,276			41,54,000
कविस्तास्तल्त फूर वाइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार प्राप्त अनुदान	74,22,000			61,65,000
	1,33,71,276			1,03,19,000
घटाइए : उपयोग की गई राशि	74,51,128			43,69,724
			59,20,148	59,49,276

अनुसूची ङ—जारी
चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

30 जून, 1980 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण			इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(ii) स्टाफ कल्याण निधि				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	6,20,043			5,78,158
घटाइए : उपयोग की गई राशि	70,363			58,115
	5,49,680			5,20,043
जोड़िये : लाभ-हानि लेखे से अन्तरित राशि	2,00,000			1,00,000
			7,49,680	6,20,043
(iii) औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि			1,72,20,415	1,43,51,798
(iv) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 ख के अधीन अन्तरित ऋणों तथा अग्रिमों में अधिकार एवं हित के सम्बन्ध में देयता			58,58,000	1,64,14,000
			2,97,48,243	3,73,35,117
अनुसूची च				
दुतरफा मदों के अनुसार आकस्मिक देयतायें				
(i) गारंटियां [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(1)(ख) के अधीन]			44,96,213	62,74,477
(ii) विदेशी ऋण गारंटियां [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(1)(ग) के अधीन]			8,20,812	19,02,892
(iii) मूलधन की अदायगी के लिये आस्थगित फ्रांसिसी ऋण			20,82,216	29,17,682
(iv) हामीदारी संविदा [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(1) (घ) के अधीन] (पिछले वर्ष रु० 18,50,000)		66,33,000		
(v) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23' (1)(घ) तथा धारा 23 (1) (च) के अधीन निवेश के रूप में अंशत:प्रदत्त शेयरों के लिये आयाचित राशि (पिछले वर्ष रु० 13,88,598)		19,67,482		
			73,99,241	1,10,95,051

अनुसूची छ
रोकड़ तथा बैंक शेष

30 जून, 1980 को तुलन पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	रु०	पिछले वर्ष रु०	इस वर्ष रु०
(i) प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं में रोकड़ तथा स्टाम्प हाथ में			49,067	21,230
(ii) चैक हाथ में तथा वसूली के अधीन			3,08,58,058	3,08,54,974
(iii) बैंकों में शेष :				
(क) चालू खाते में :				
भारत में	7,65,72,726			3,90,95,605
विदेशों में	99,902			71,869
		7,66,71,728		3,91,67,474
(ख) जमा खाते में :				
भारत में	25,84,50,000			—
विदेशों में	4,23,92,071			2,86,29,940
		30,08,42,071		2,86,29,940
			37,75,13,799	6,77,97,414
			40,84,20,924	9,86,73,618

अनुसूची ज
निवेश (लागत पर)

(i) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अधीन : कुछ वित्तीय संस्थानों की प्रारम्भिक पूंजी शेयर	—	96,00,000	96,00,000
(ii) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (1) (घ) के अधीन			
(क) औद्योगिक संस्थाओं के स्टाक, शेयर, बांड और डिबेंचर ।	22,04,42,257		20,56,47,798
(ख) शेयरों, डिबेंचरों, आदि पर अदा की गई आवेदन मुद्रा ।	—		—
	22,04,42,257		20,56,47,798
(iii) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (1) (च) के अधीन :			
(क) शेयर	5,38,80,040		5,04,75,140
(ख) शेयरों के लिये अदा की गई आवेदन मुद्रा	—		3,38,000
	5,38,80,040		5,08,13,140

अनुसूची ज
निवेश (लागत पर)

30 जून, 1980 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(iv) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (1) (ख) के अधीन : डिबेंचर	5,59,600			1,69,400
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (1) (झ) के उपबन्ध के अधीन लिये गये शेयर	3,98,10,660			3,06,70,285
			4,03,70,260	3,08,39,685
			32,42,92,557	29,69,00,623
(क) कथित निवेश				
पुस्तक मूल्य			16,94,89,793	11,83,26,715
बाजार मूल्य			23,41,17,977	18,04,90,477
(झ) निवेश, जिनके मूल्य उपलब्ध नहीं हैं।				
लागत			15,48,02,764	17,85,75,908

अनुसूची झ

ऋण तथा अग्रिम

ऋण तथा अग्रिम: (घटाइये : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिये व्यवस्था)				
भारतीय मुद्रा में			418,12,72,668	348,51,35,103
विदेशी मुद्राओं में			24,71,95,676	24,09,22,254
			442,84,68,344	372,60,57,357

टिप्पणियां :

(क) संस्थाओं द्वारा देय ऋण, जिनमें निगम के संचालक नामित संचालक की हैसियत से संचालक के रूप में हितबद्ध हैं।	6,25,64,463	5,62,26,389
(ख) वर्ष के दौरान उन संस्थाओं को संवितरित ऋण की कुल रकम, जिनमें निगम के संचालक नामित संचालक की हैसियत से संचालक के रूप में हितबद्ध हैं।	48,00,000	1,15,37,910
(ग) उन संस्थाओं से मूलधन अथवा ब्याज की किस्तों की कुल अतिदेय रकमें, जिन में निगम के संचालक, संचालक के रूप में हितबद्ध हैं।	7,59,999	41,29,043

अनुसूची (ञ)

स्थिर परिसम्पत्तियां

1. पट्टे पर भूमि तथा बिल्डिंग (जिन पर काम चल रहा है, उनको शामिल करते हुए)				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार मूल्य	53,36,313			16,25,072
वर्ष के दौरान वृद्धियां	63,41,014			37,11,241
			1,16,77,327	53,36,313

अनुसूची (ञ)
स्थिर परिसम्पत्तियां

30 जून, 1980 को तुलन पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

	रु०	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
2. निष्कर भूमि तथा भवन :				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार मूल्य		77,76,263		73,61,700
वर्ष के दौरान वृद्धियां		1,700		4,14,563
		77,77,963		77,76,263
घटाइये : ह्रास मूल्य				
पिछले वर्ष तक	4,30,799			2,86,551
वर्ष के लिये	1,40,684			1,44,248
		5,71,483		4,30,799
			72,06,480	73,45,464
3. मोटर कार, साइकिल, फर्नीचर, जुड़नार, फिटिंग, आदि				
पिछले-तुलन पत्र के अनुसार मूल्य		41,09,787		33,53,68
वर्ष के दौरान वृद्धियां/समायोजन		2,56,563		8,97,336
		43,66,350		42,51,018
घटाइये : बेची गई/फैंकी गई		22,635		1,41,231
		43,43,715		41,09,787
घटाइये : ह्रास मूल्य—				
पिछले वर्ष तक	19,33,090			17,03,899
वर्ष के लिये	2,97,831			3,06,418
	22,30,921			20,10,317
घटाइये : बेची गई/फैंकी गई परि सम्पत्तियों पर	17,780			77,227
		22,13,141		19,33,090
			21,30,574	21,76,697
			2,10,14,381	1,48,58,474

अनुसूची (ट)
परिसम्पतियां

(क) प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं :				
(i) बैंकों में जमा रकमों पर		12,04,654		9,09,913
(ii) डिबेंचरों पर		4,80,336		5,52,829
(iii) ऋणों तथा अग्रिमों पर		9,53,33,938		7,69,06,676
(iv) अन्य		16,31,349		13,53,088
			9,86,50,277	7,97,22,506
			45,46,171	40,91,349

अनुसूची ट
अन्य परिसम्पत्तियां

30 जून, 1980 को तुलन पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(ख) वजनबद्धता तथा अन्य प्रोद्भूत प्रभार			
(ग) फुटकर देनदार :			
—निर्माण तथा परिसार के किराये के तौर पर जमा के लिये अग्रिम	69,96,000		
—विदेशी मुद्रा उप-ऋणों के लिये प्राप्य राशि	97,42,559		
—अन्य	1,20,86,482	2,88,25,041	2,16,74,671
(घ) कर्मचारियों को अग्रिम		47,63,866	45,30,999
(ङ) लेखन सामग्री का स्टाक		—	—
(च) टेलीफोन जमा		17,274	22,998
(छ) पूर्वदत्त खर्चे		44,937	1,66,205
(ज) प्रोद्भूत एजेंसी कमीशन		44,392	57,423
(छ) स्टाफ कल्याण निधि की निवल परिसम्पत्तियां		5,49,680	5,20,043
(ञ) "कम्पनी जमा" (आयकर पर अधिभार) योजना 1976 के अधीन जमा		9,17,200	9,17,200
(ट) जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को ऋण (ब्याज रहित)		1,63,67,000	75,28,000
		15,47,25,838	11,92,31,394

अनुसूची (ठ)
दुतरफा मदों के अनुसार संघटक आधार

(क) गारंटियां (औद्योगिक वित्त निगम, अधिनियम, 1948 की धारा 23(1)(ख)	44,96,213	62,74,477
(ख) "विदेशी ऋण गारंटियां [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(1)(ग) के अधीन]	8,20,812	19,02,892
(ग) मूलधन के लिये आस्थगित फांसिसी ऋण	20,82,216	29,17,682
	73,99,241	1,10,95,051

टिप्पणियां—लेखे का भाग

1. पहले से चली आ रही व्यवस्था के अनुसार निगम द्वारा लिये गये विदेशी मुद्रा ऋणों का रुपये में संपरिवर्तन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सम दरों के अनुसार होगा, अर्थात् 1.00 डालर-7.50 रुपये और 1.00 ज० मा०—2.05 रुपये। 30 जून, 1980 को लागू टेलीग्राफिक ट्रांसफर विक्रय दरों पर इन ऋणों का मूल्य 48.12 करोड़ रुपये था (पिछले वर्ष 47.90 करोड़ रुपये)। उप-ऋणियों को दिये गये विदेशी मुद्रा में उप-ऋणों का गणन विनिमय की विभिन्न दरों के अनुसार किया गया है। 30 जून, 1980 को लागू टैलीग्राफिक ट्रांसफर विक्रय दरों के अनुसार इन उप ऋणों की राशि 46.90 करोड़ रुपये होगी (पिछले वर्ष 45.18 करोड़ रुपये)।

2. (क) "विनियम उच्चन्त लेखे में अन्तर" तुलन पत्र की तारीख को वास्तव में कुल विनियम अन्तर का द्योतक है। इसमें 30 जून, 1980 तक टैलीग्राफिक ट्रांसफर विक्रय दरों पर विदेशी शेषों का संपरिवर्तन भी शामिल है।

(ख) निगम द्वारा अपनाये गये आधार के अनुसार औद्योगिक वित्त निगम की धारा 27(4)(क) के अधीन ली जाने वाली हानि की राशि 30 जून, 1980 को 87.14 लाख रुपये थी पिछले वर्ष 37.78 लाख रुपये) विनियम से हानि को पूरा किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव सरकार के पास भेजे गये हैं लेकिन सरकार का निर्णय मिलने तक इस सम्बन्ध में निगम के खातों में कोई व्यवस्था नहीं की गई।

3. "आकस्मिक देयताओं" के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में अभिव्यक्त 73.99 लाख रु० (पिछले वर्ष 110.95 लाख रुपये) की आकस्मिक देयतायें शामिल हैं, जो कि विभिन्न तारीखों को लागू विनियम दरों के अनुसार हैं । तुलन पत्र की तारीख को लागू विनियम दरों के अनुसार यह राशि 126.18 लाख रुपये होगी (पिछले वर्ष 176.67 लाख रुपये) ।

4. पहले से चली आ रही व्यवस्था के अनुसार, निगम द्वारा वर्ष दर मे ग्रहीत निवेशों के मूल्यों में निवल ह्रास के लिये, यदि कोई हों, कोई व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि विकास बैंक के नाते ये निवेश दीर्घकालीन अवधि के लिये हैं । अकथित निवेशों के मामले में उनके मूल्य को नहीं आंका गया है। इन निवेशों की वसूली से यदि कोई हानि होगी, उनका गणन लाभ हानि लेखे में किया जा रहा है।

5. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 23(1)(घ) और 23(1)(च) के अन्तर्गत कुछ कम्पनियों के क्रमश: 35.57 लाख रुपये और 8.75 लाख रुपये (पिछले वर्ष 44.32 लाख रुपये) साधारण पूंजी के रूप में विनियोजित राशि शामिल है, कम्पनियों ने ऐच्छिक परिसमापन कर दिया है और संभवत: निगम की नियोजित पूरी राशि वसूल न की जा सकेगी इसके लिये कोई व्यवस्था नही की गई है।

6. निवेशों में 18.48 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है (दातव्य आरक्षित निधि के उपयोग से 3.51 लाख रुपये और विशेष अनुदान से 14.97 लाख रुपये (पिछले वर्ष 15.48 लाख रुपये) जो कि निगम के प्रवर्तन कार्यों के तौर पर तकनीकियों और उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने की दृष्टि मे कुछ सलाहकारी संगठनों से शेयरों में सम-मूल्य पर पिछले वर्षों में निगम ने विनियोजित किये थे ।

7.(क) ऋणों और अग्रिमों में 70.19 लाख रु० (पिछले वर्ष 169.40 लाख रुपये) शामिल हैं जिनमें सम्बन्धित अधिकार तथा हित औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(ख) के अधीन हस्तान्तरित किये गये ।

(ख) ब्याज आय में 12.10 लाख रुपये (पिछले वर्ष 22.08 लाख रुपये) शामिल नहीं है, यह राशि उन ऋणों तथा अग्रिमों का ब्याज है जिनके अधिकार तथा हित औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (ख) के अधीन हस्तान्तरित किये गये हैं, यह राशि हस्तान्तरी को देय ब्याज की राशि से अलग रख दी गई है ।

8. कुछ कम्पनियों का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था, उनमें तुलन पत्र की तारीख के दिन कुल 406.87 लाख रु० (पिछले वर्ष 383.65 लाख रु०) बकाया थे। यह निश्चित नहीं हो पाया है कि मुआवजे की राशि में से अथवा गारंटी से कितनी राशि वसूल हो सकेगी। इसके अतिरिक्त तुलन पत्र की तारीख को कुछ कम्पनियों से 796.84 लाख रु० (पिछले वर्ष 1092.19 लाख रुपये) देय हैं जिनकी देयताओं औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम के अधीन अवरुद्ध हो गई है। उचन्त लेखे में पड़ी रकमों, निवल कर आधार पर संदिग्ध ऋणों के लिये आरक्षित निधियों को देखने के बाद ऐसा माना गया है कि संदिग्ध ऋणों, अग्रिमों और फुटकर देनदारों के लिये उचित व्यवस्था है ।

9. (क) पहले की भांति, जिन मामलों में निगम की बकाया को प्राप्त करने की संभावनायें कम आंकी गई हैं, उनमें ब्याज, वचनबद्धता प्रभार और कमीशन, आदि का गणन नहीं किया गया है।

(ख) जिन कुछ खातों में न्यायालयों से आदेश प्राप्त किये गये हैं उनमें ब्याज का गणन प्राप्त होने पर ही किया जाता रहा है ।

10. फुटकर ऋणों में एक राज्य से ली जाने वाली 30.00 लाख रु० (पिछले वर्ष 57.50 लाख रु०) की राशि शामिल है, जो कि दो वार्षिक किस्तों के रूप में पुर्नस्थापन योजना के कारण वित्तपोषित संस्था के शेयरों के बेचने से देय है ।

11. वर्ष के दौरान 26.23 लाख रु० की राशि (पिछले वर्ष 7.12 लाख रु०) संदिग्ध ब्याज लेखे को अन्तरित कई दी गई, क्योंकि वर्षों में बकाया ब्याज की रकमें प्राप्त की गई हैं।

12. आयकर विभाग के संकेत पर जिन मामलों में निगम के पक्ष में फैसला हुआ है, ट्रिब्यूनल/उच्च न्यायालय में अपील/सन्दर्भ किया गया है। ट्रिब्यूनल/उच्च न्यायालय में विचाराधीन इन अपीलों/सन्दर्भों में तुलन पत्र की तारीख को सम्बन्धित राशि 40.60 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 58.19 लाख रुपये) । 1977-78 तक के मूल्यांकन वर्षों तक का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है।

13. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32(2) की व्यवस्थाओं के अनुसार, इस वर्ष के लेखों में, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिये 1.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसे निगम की आय से समायोजित कर लिया गया है। समरूप परिवर्तनों मे पिछले वर्ष की रकमों पर प्रभाव पड़ा है तथा पिछले वर्ष के निवल लाभ से समायोजित किया गया है। इसी प्रकार, 30 जून, 1980 तक संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिये 745.00 लाख रुपये की कुल व्यवस्था की गई, जिसे निगम द्वारा दिये गये कुल ऋणों तथा अग्रिमों को घटाकर दिखाया गया है ।

14. चालू वर्ष के साथ पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुरूप तुलनात्मक बनाने के लिये पुन: एकत्रित किया गया है ।

परिशिष्ट

1 जुलाई, 1979 से 30 जून, 1980 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

क्रम संख्या	संस्था का नाम तथा परियोजना स्थल	परियोजना लागत	वित्त के साधन					
			शेयर पूंजी		ऋण	आस्थगित अदायगी	अन्य (आन्तरिक प्रोद्भूत को मिलाकर	जोड़
			साधारण शेयर	अधिमान शेयर				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आन्ध्र प्रदेश								
1.	आन्ध्र प्रदेश आयल एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज लि०, दीवीपारू, जिला गुंटूर प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक, जी रामा रायुडू	333.00	110.00	—	189.00	13.65	20.35	333.00
2.	आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि०, पट्टनचेरू, जिला मेडक (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्धः निदेशक एस० डी० एम० राव	39.25	10.00	—	25.00	—	4.25	39.25
3.	भद्राचलम पेपर बोर्ड्स लि० सरापका, जिला खम्मम (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : के० एल० चुग	510.00 (अति व्यय)	—	—	376.00	—	134.00	510.00
4.	सिरकार पेपर मिल्स लि० गुडीपल्लीपाडू जिला नेल्लौर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : डी० शेषा रेड्डी	600.00	200.00	—	400.00	—	—	600.00
5.	डेल्टा पेपर मिल्स लि०, वेंडरा, जिला पश्चिमी गोदावरी अध्यक्ष : एस० एस० जय राव, आई० ए० एस०	58.00 (अति व्यय)	—	—	15.00	—	43.00	58.00
6.	के० सी० पी० लि०, मछेरला, जिला गंटूर अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : बी० एल० दत्त (बी० रामाकृष्णा ग्रुप)	502.00	—	—	350.00	—	152.00	502.00

—क

द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता का विवरण

(रुपये लाखों में)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता (सकल)						परियोजना का विवरण अथवा सहायता का प्रयोजन
रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा ऋण (रुपये के बराबर)	हामीदारियां		गारंटियां	जोड़	
		साधारण और अधिमान शेयर	डिबेंचर			
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
47.00	—	10.00	—	13.65	70.65	प्रतिवर्ष 5891 टन हाइड्रोजनेटिड क्रूड मिक्सड फैट्टी एसिड, 360 टन ग्लिसरीन (उप उत्पाद के रूप में) तथा 2880 टन नहाने के साबुन के उत्पादन के लिये नई परियोजना ।
7.50	—	—	—	—	7.50 (अति०)	प्रतिवर्ष स्कूटर बनाने की क्षमता 15000 से बढ़ाकर 18000 करने तथा मोटर साइकिलों के संयोजन के लिये सुविधायें जुटाकर विशाखन योजना ।
69.00	—	—	—	—	69.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 37802 टन कार्टन बोर्ड तथा लेखन तथा छपाई कागज के उत्पादन के लिये नई परियोजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना
90.00	—	24.00	—	—	114.00	प्रति वर्ष 9500 टन लेखन तथा छपाई कागज के उत्पादन के लिये नई परियोजना ।
7.50	—	—	—	—	7.50 (अति०)	प्रति वर्ष 30 टन लेखन तथा छपाई को बनाने के लिये नई परियोजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना ।
87.50	—	—	—	—	87.50 (अति०)	सीमेंट की उत्पादन क्षमता 2.54 से बढ़ाकर 3.50 लाख टन करने के लिये आधुनिकीकरण-व-विस्तार योजना ।

परिशिष्ट

(रुपये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आन्ध्र प्रदेश (जारी)								
7.	क्लेमैन पोर्सलैन्स लि०, नन्दीगांव, जिला महबूबनगर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्धक निदेशक : सी० रामाकृष्णा	157.00	45.00	—	97.00	—	15.00	157.00
8.	कोल्लेरु पेपर्स लि०, बोम्मूलूरु, जिला कृष्णा अध्यक्ष : के० आर० के० शास्त्री, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : एम० सेशावतरम	82.00 (अति व्यय)	—	—	65.60	—	16.40	82.00
9.	नागार्जुन पेपर मिल्स लि०, पट्टनचेरु इण्डस्ट्रियल काम्पलैक्स, जिला मेडक (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : ऐश्वर सिंह	121.67	27.26	—	80.00	—	14.41	121.67
10.	नेल्लोर को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, वासगमित्ता, जिला नेल्लोर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एन० गोपाला कृष्णैय्या	170.00	76.80	—	82.00	—	11.20	170.00
11.	नोवोपैन इण्डिया लि०, पट्टनचेरु, जिला मेडक (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एम० आर० पै० प्रबन्ध निदेशक : जी० वी० कृष्णा रेड्डी	145.00 (अति व्यय)	—	—	120.00	—	25.00	145.00
12.	रिपब्लिक फोर्ज कं० लि०, हैदराबाद अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक : के० वी० नटराजन, आई० ए० एस० (आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार कम्पनी)	565.00	40.00	—	400.00	—	125.00	565.00

क (जारी) लाखों में)						
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
30.00	—	8.75*	—	—	38.75	प्रतिवर्ष 1320 टन मृतिकाशिल्प टेबल वायर के उत्पादन के लिये नई परियोजना।
16.50	—	—	—	—	16.50 (अति०)	प्रतिदिन 25 टन लेखन, छपाई व विशेष कागज के उत्पादन के लिये नई परियोजना के अति व्यय को आंशिक रूप से पूर करना।
20.00	—	8.36*	—	—	28.36	प्रतिवर्ष 4125 टन टिणू, एम० जी० पोस्टर और नीले मैच कागज के उत्पादन के लिये नई परियोजना।
20.00	—	—	—	—	20.00 (अति०)	12,096 तकुओं से बढ़ाकर 25,056 तकुए कर के उत्पादन बढ़ाने की विस्तार योजना
15.00	—	—	—	—	15.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 12900 टन प्लेन और लैमिनेटिड पार्टिकल बोर्डों का उत्पादन करने के लिये नई परियोजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना
100.00	—	—	—	—	100.00	फोर्जिंग्स के उत्पादन के लिये कार्बन और धातु स्टील की क्षमता 4800 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8550 टन करके अन्य बातों के साथ-साथ आधुनिकीकरण व विस्तार योजना।

प्रत्यक्ष अभिदान

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आन्ध्र प्रदेश (जारी)								
13.	श्री कृष्णा आयल कम्पलैक्स लि०, वेमपहाड़ जिला नलगोंडा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : एम० रमणा रेड्डी	682.00	234.00	—	433.00	—	15.00	682.00
14.	श्री रायलसीमा पेपर मिल्स लि०, गोंडीपारला, जिला कुरनूल (अधिसूचित पिछड़ा जिला) निदेशक : टी० जी० वसन्था गुप्ता	551.00 (अति व्यय)	—	—	308.00	—	243.00	551.00
15.	श्री अम्बुजा पैट्रोकैमिकल्स लि०, जिला मेडक (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रभारी निदेशक : राजेश जे० हरिवल्लभदास	4.84	—	—	4.84	—	—	4.84
16.	तेलंगाना पेपर मिल्स लि०, नयकांगुडम, जिला खम्मम (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : वी० कृष्णमोहन	595.00	180.00	—	400.00	—	15.00	595.00
17.	बोल्रो लि०, पट्टनचेरु, जिला मेडक (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : ए० एच० टोबा-कोवाला बिहार	1690.00	400.00	—	1090.00	—	200.00	1690.00
18.	बिहार कास्टिक एण्ड कैमि-कल्स लि०, जिला पलामू (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : आर के० सिन्हा प्रबन्ध निदेशक : वी० एस० भारकतीया	2350.00	780.00	—	1482.00	—	87.20	2350.00

क (जारी)

(रुपये लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
100.00	—	25.00	—	—	125.00	उन्नत किस्म के हाइब्रिड बीजों के विकास के लिये प्रतिवर्ष 50,000 टन कास्टर बीज की क्षमता वाली नई औद्योगिक इकाई की नई परियोजना।
75.00	—	—	—	—	75.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 42,000 टन छपाई और लेखन कागज के उत्पादन के लिये नई परियोजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
—	2.21 (ज० मा०)	—	—	—	2.21 (अति०)	कुछ उपकरणों का आयात
100.00	—	20.00	—	—	120.00	प्रतिवर्ष 10,000 टन लेखन तथा छपाई कागज के उत्पादन के लिये नई परियोजना।
40.00	52.99 (ज० मा०)	17.50	—	—	110.49	प्रतिदिन 4 टन तकनीकी ग्रेड फासलोन तथा प्रतिदिन 5 टन मैलथियन के उत्पादन के लिये नई परियोजना।
50.00	105.83 (स्वे० क्रो०)	71.00	—	—	226.83	प्रतिवर्ष 33,000 टन कास्टिक सोडा 13,200 टन तरल क्लोरीन, 21,400 टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 26,000 टन एमोनियम क्लोरीन के उत्पादन के लिये नई परियोजना।

ज० मा० जर्मन मार्क
स्वे० क्रो० स्वेडिश० क्रोनर

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
बिहार—(जारी)								
19.	हथवा मैटल्स एण्ड ट्यूब्स @ लि०, जसीडीह, जिला सन्थाल परगना (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : श्रीमती दुर्गेश्वरी साही, प्रबन्ध निदेशक : ए० डी० सिंह							
20.	महालक्ष्मी फाईबर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, और मांझी जिला रांची प्रबन्ध निदेशक : एम के० बोपानी	71.00	—	—	35.00	7.29	28.71	71.00
21.	नालन्दा सीरैमिक्स लि०, गेतालसूद, जिला रांची प्रभारी निदेशक : आर० एन० चौधरी	90.00	13.50	—	76.50	—	—	90.00
22.	नार्थ बिहार शूगर मिल्स लि०, बगहा, जिला चम्पारन (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक : तुलसीदास कानोडिया	155.00 (अति व्यय)	—	—	128.00	—	27.00	155.00
23.	रिफ्लैक्ट्री स्पैशलिटीज (इण्डिया) लि०, जमतारा, जिला सन्थाल परगना, (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : बिहारी अग्रवाल	49.69 (अति व्यय)	—	—	38.00	—	11.69	49.69
24.	ऊषा एलायज् एण्ड स्टील लि०, आदित्यपुर, जिला सिंहभूम अध्यक्ष : बी० के० झावर प्रबन्ध निदेशक : ब्रिज के झावर	190.00	—	—	124.00	—	66.00	190.00

@परियोजना की लागत का गणन वर्ष 1976–77 के लिये किया जा चुका है।

स्वे० क्रो० : स्वेडिश क्रोनर

'क' (जारी)

(रुपये, लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
—	—	5.00	—	—	5.00	प्रतिवर्ष 1200 टन की स्थापित क्षमता वाली कापर और अलाय ट्यूब का उत्पादन करने के लिये नई परियोजना।
35.00	—	—	—	—	35.00 (अति०)	अन्य बातों के साथ-साथ तकुओं की क्षमता 15,840 से बढ़ाकर 19,800 करने के लिये आधुनिकीकरण व विस्तार योजना।
15.00	—	—	—	—	15.00 (अति)	प्रतिवर्ष 3,000 टन % कोरेटिव प्रोक्लेन टेबलवेयर का उत्पादन करने के लिये संयंत्र की पुनर्स्थापन योजना।
32.00	—	—	—	—	32.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 7,500 टन लेखन कागज तथा छपाई कागज, रंगीन कागज, आदि के उत्पादन के लिये नई परियोजना लगाकर विशाखन योजना लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
9.00	—	—	—	—	9.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 5,000 टन ढलाई की मृत्तिकाशिल्प, 3,000 टन प्लास्टिक मृत्तिकशिल्प, 2,800 टन एयर सैटिंग सीमेंट तथा रैमिंग मासिस आदि और 7,500 टन तथा बढ़िया दर्जे की एल्यूमिना ईंटों के उत्पादन के लिये नई परियोजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
50.00	—	—	—	—	50.00 (अति०)	कम्पनी के विशेष प्रकार के स्टील के कुल उत्पादन को 25% से बढ़ाकर 55% तक करने के लिये तथा लेडल इन्जैक्शन की सुविधाओं के लिये विशाखन-व-आधुनिकीकरण योजना।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
गुजरात								
25.	अभय मिल्स लि०, अहमदाबाद अध्यक्ष : एस० एम० पटेल	162.00	—	—	130.00	—	32.00	162.00
26.	अहमदाबाद एडवान्स मिल्स लि०, अहमदाबद, अध्यक्ष : नवल एच० टाटा उपाध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक : डा० एफ० ए० मेहता (टाटा ग्रुप)	382.00	—	—	220.00	—	162.00	382.00
27.	अहमदाबाद श्री रामाकृष्णा मिल्स कं० लि०, गोमतीपुर अहमदाबाद अध्यक्ष : अरविन्द एन० लालभाई प्रबन्ध निदेशक : प्रियकान्त ठाकुरलाल मुन्शी, श्रीमती नन्दिनीबेन प्रियकान्त मुन्शी	147.00	—	—	100.00	—	47.00	147.00
28.	आर्योदय गिनिंग एण्ड मैनू-फक्चरिंग कं० लि०, असारवा, अहमदाबाद, अध्यक्ष : जे० पी० गोयनका	268.00	—	—	168.00	—	100.00	268.00
29.	भारत विजय मिल्स लि०, कलोल, जिला: मेहसाणा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : जयकृष्ण हरि-वल्लभदास प्रबन्ध निदेशक : डी० बी० पटेल, ए० पी० पटेल	336.00	—	—	200.00	—	136.00	336.00
30.	गुजरात अलकालीज एण्ड कैमिकल्स लि०, पो० आ० पैट्रोकैमिकल्स, जिला बड़ौदा अध्यक्ष : जे० जे० मेहता प्रबन्ध निदेशक : एच० आर० पाटंकर आई० ए० एस०	673.00	—	—	448.00	—	225.00	673.00

—'क' (जारी)

(रुपये, लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
32.50	--	--	—	—	32.50	25,088 तकुओं और 504 करघों सहित कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण ।
55.00	--	--	—	—	55.00	61,244 तकुओं और 1224 करघों सहित कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण ।
25.00	—	—	—	—	25.00	31,160 तकुओं और 1224 करघों सहित कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण ।
42.00	—	—	—	—	42.00	43,384 तकुओं और 902 करघों सहित कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण ।
50.00	—	—	—	—	50.00 (अति०)	37,072 तकुओं और 592 करघों सहित कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल की आधुनिकीकरण योजना का दूसरा चरण ।
16.67	32.46 (अ० मा०)		—	49.13	— (अति०)	प्रतिवर्ष कास्टिक सोडा की उत्पादन क्षमता 37,425 से बढ़ाकर 66,600 टन करके हाइड्रोक्लोनिक एसिड की उत्पादन क्षमता 15,000 से बढ़ाकर 33,000 टन करके विस्तार योजना ।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	गुजरात (जारी)							
31.	गुजरात एरोमेटिक्स लि०, अंकलेश्वर, जिला : बड़ौच (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : के० टी० सतारा-वाला अध्यक्ष : पी० एस० धार-वाडकर	100.00 (प्रति व्यय)	32.60	—	62.40	—	5.00	100.00
32.	गुजकैम डिस्टिलर्स इण्डिया लि०, अंकलेश्वर जिला बड़ौच (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक : लक्ष्मीकान्त भागूभाई प्रबन्ध निदेशक : जोनत कुमार भागूभाई	@						
33.	इन्दु-निसान आक्सो केमिकल इण्डस्ट्रीज लि०, बाजवा, जिला बड़ौदा प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : एन० आई० भुन्वा	1620.00	500.00	—	1120.00	—	—	1620.00
34.	एल. डी० वार्विंग इण्ड-स्ट्रीज, प्राइवेट लि०, अंकलेश्वर, जिला बड़ौच (अधिसूचित पिछड़ा जिला) पूर्णकालिक निदेशक : जे० एन० मेहरा टी० आर० मेहरा वी० के० मेहरा	455.00	125.00	—	284.00	—	46.00	455.00
35.	मफ्त लाल फाइन स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, (1) नवसारी, जिला वलसाड (2) मक्षगांव बम्बई (महाराष्ट्र) अध्यक्ष : अरविन्द एन० मफ्तलाल प्रबन्ध निदेशक एवं प्रधान : पद्मनाभ ए० मफ्तलाल (मफ्तलाल ग्रूप)	1187.00	—	—	600.00	—	587.00	1187.00

@परियोजना की लागत का गणन वर्ष 1978–79 में किया जा चुका है।

—'क' (जारी)

(रुपये लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
—	—	1.98* (सु० नि०)	—	—	1.98 (अति०)	प्रतिवर्ष 5,000 टन सिन्थेटिक फैसल्स के उत्पादन के लिये नई परियोजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
—	—	1.47* (सु० नि०)	—	—	1.47 (अति०)	प्रतिवर्ष एसेटिक एसिड की उत्पादन क्षमता 3,000 से बढ़ाकर 6,000 टन तथा एसेटलडेहाइड की उत्पादन क्षमता 2,400 से बढ़ाकर 6,000 टन करके विस्तार योजना।
175.00	—	50.00	—	—	225.00	प्रतिवर्ष 12,500 टन आक्सो-अल्कोहल के उत्पादन के लिये नई परियोजना।
64.00	—	14.00	—	—	78.00	विस्कोज स्पैशल सूत तथा पोलियस्टर विस्कीज ब्लैन्डिड सूत के उत्पादन के लिये 12,320 तकुए लगाने की विस्तार योजना।
150.00	—	—	—	—	150.00	कम्पनी की 1,20,584 तकुओं और 2068 करघों वाली दो संकलित वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण।

*सुरक्षित निर्गम में अभिदान।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	गुजरात—(जारी)							
36.	महेश्वरी मिल्स लि०, अहमदाबाद अध्यक्ष : डा० मोहन लाल पीरामल प्रबन्ध निदेशक : श्रीमती अलका एम० शाह	255.00	—	—	180.00	—	75.00	255.00
37.	मर्सडैन स्पिनिंग एंड मैनु-फैक्चरिंग कं० लि०, अहमदाबाद अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक : चन्द्रकान्त बाकूभाई प्रबन्ध निदेशक : रमेश भाई बाकूभाई सनतकुमार बाकूभाई	153.00	—	—	110.00	—	43.00	153.00
38.	मोनोग्राम मिल्स कं० लि० अहमदाबाद अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक : चन्द्रकान्त बाकूभाई प्रबन्ध निदेशक : रमेशभाई बाकूभाई सनतकुमार बाबूभाई	215.00	—	—	160.00	—	55.00	215.00
39.	न्यू स्वदेशी मिल्स आफ अहमदाबाद लि०, अध्यक्ष : ए० सी० रुंगटा (बिरला ग्रुप)	520.00	—	—	350.00	—	170.00	520.00
40.	पी० जी० टैक्सटाइल मिल्स लि०, बड़ौदा प्रबन्ध निदेशक : जी० पी शाह	140.00	—	—	112.00	—	28.00	140.00
41.	पालीमेर कारपोरेशन आफ गुजरात लि०, जवाहरनगर, बड़ौदा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जे० जे० मेहता (गुजरात राज्य सरकार कम्पनी)	427.00	—	—	226.00	—	201.00	427.00 (अति व्यय)
42.	रेमन गुजरात लि०, ताप्तिथैय्या जिला सूरत अध्यक्ष : एच० के० शाह उपाध्यक्ष : एस० के० शाह	525.00	200.00	—	286.00	—	39.50	525.00

—क (जारी)

(रुपये, लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
45.00	—	—	—	—	45.00	कम्पनी की 29,464 तकुओं और 536 करघों वाली संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण ।
27.50	—	—	—	—	27.50	कम्पनी की 37,324 तकुओं और 735 करघों वाली संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण ।
40.00	—	—	—	—	40.00	कम्पनी की 38,188 तकुओं और 706 करघों वाली संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण ।
87.50	—	—	—	—	87.50	कम्पनी की 93,445 तकुओं और 1862 करघों वाली दो संकलित वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण ।
28.00	—	—	—	—	28.00	कम्पनी की 32,536 तकुओं और 636 करघों वाली संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण ।
20.00	—	—	—	—	20.00**	**प्रतिवर्ष 5000 टन मोनोमिथाइलमैथाक्राइलेट मोनोमर, 2000 टन पोलीमिथाइल मेथाक्राइलेट शीटों और 1500 टन पोलीमिथोइल मेथाक्राइलेट पैलेट्स के उत्पादन के लिए और साथ ही कम्पनी के पुनर्स्थापन के लिये नई परियोजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना ।
70.00	—	20.00	—	—	90.00	प्रतिवर्ष 60,000 प्रोपेल शाफ्ट और 2,50,000 यू० जे० किट का उत्पादन करने के लिये नई परियोजना ।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	गुजरात—(जारी)							
43.	आर० बी० रोड्डा एण्ड कं० लि०, (इकाई : सीमा टैक्सटाइल) अहमदाबाद अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक : एस० के० सोमानी (बिरला ग्रुप)	358.00	—	—	250.00	—	108.00	358.00
44.	रिलायन्स टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज़ लि०, नरोडा, अहमदाबाद अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक : डी० एच० अम्बानी (रिलायन्स टैक्सटाइल ग्रुप)	@	—	—	—	—	—	—
45.	श्री अम्बिका मिल्स लि०, (i) अहमदाबाद (ii) बड़ौदा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक : जय कृष्ण हरिवल्लभदास (श्री अम्बिका हरिवल्लभ दास ग्रुप)	925.00	—	—	500.00	—	425.00	925.00
46.	श्री अरबूदा मिल्स लि०, अहमदाबाद अध्यक्ष : जयकृष्ण हरि-बल्लभदास प्रबन्ध निदेशक : मुरुगेश जे० हरिवल्लभदास राजन आर० हरिवल्लभदास मैत्रेय बी० हरिवल्लभदास (श्री अम्बिका हरिवल्लभ-दास ग्रुप)	552.00	—	—	350.00	—	202.00	552.00
47.	सिल्वर वाटन मिल्स लि० अहमदाबाद अध्यक्ष : आर० आर० अग्रवाल	190.00	—	—	130.00	—	60.00	190.00
48.	एस० एल० एम० मानेक-लाल इण्डस्ट्रीज़ लि० (i) वतवा, जिला अहमदाबाद (ii) बम्बई, महाराष्ट्र, अध्यक्ष : जयकृष्ण हरिवल्लभ दास	190.00	—	—	140.00	—	50.00	190.00

@परियोजना की लागत का गणन वर्ष 1978-79 में किया गया है।

क (जारी)

(रुपये, लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
62.50	—	—	—	—	62.50	24,896 तकुओं और 476 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
—	—	8.00* (सु० नि०)	—	—	8.00	(i) 9,600 पूरक तकुओं वाली वर्स्टेड स्पिनिंग मिल लगाने (ii) (क) प्रोसेसिंग हाउस में कुछ बैलेन्सिंग उपकरण (ख) कम्प्यूटर, डीजल जनरेटर, एफ्लुएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट, बायलर आदि स्थापित करने की विस्तार योजना ।
125.00	—	—	—	—	125.00	कम्पनी की दो संकलित वस्त्र मिलों, अहमदाबाद में एक केन्द्रीय प्रोसेसिंग हाउस और बड़ौदा में 1,20,744 तकुओं वाली और 2016 करघों वाली अन्य संकलित वस्त्र मिल की आधुनिकीकरण पुनर्स्थापन योजना।
87.50	—	—	—	—	87.50	56,748 तकुओं वाली और 1287 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
32.50	—	—	—	—	32.50	36,880 तकुओं और 564 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
35.00	—	—	—	—	35.00	एयर कम्प्रैशर, रोटेरी ब्लोअर, वाटर एयरिंग पम्प आदि का उत्पादन करने वाले कम्पनी के दो संयंत्रों का आधुनिकीकरण।

*सुरक्षित निर्गम में अभिदान ।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	गुजरात (जारी) (ii) बम्बई, महाराष्ट्र अध्यक्ष : जयकृष्ण हरिबल्लभ दास							
49.	सूरत डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, कपोदरा, जिला सूरत महाप्रबन्धक : श्री के० टी० श्राफ	250.00	—	—	25.00	—	165.00	250.00
	हरियाणा							
50.	ईस्ट इण्डिया मिन्टेक्स लि० धारुहेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़ (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : एच० पी० मरोडिया	406.00	140.00	—	251.00	—	15.00	406.00
51.	एस्कार्टस एम्पलाइज एन्सि-लरीज लि०, फरीदाबाद अध्यक्ष : एस० डी० एस० मोंगिया कार्यकारी निदेशक : वी० पी० बेदी	60.95	0.45	—	35.00	—	25.00	60.95
52.	ग्राऊ बेक्स लि०, फरीदाबाद प्रस्तावित महाप्रबन्धक : सी० पी० विज	95.00	35.00	—	60.00	—	—	75.00
53.	ओरिएन्ट स्टील एण्डा इण्ड-स्ट्रीज लि०, फरीदाबाद अध्यक्ष:- आर० एल०राज गढ़िया	45.00 (अति व्यय)	—	—	20.00	—	25.00	45.00
54.	रामाफायबर्स लि०, बामला जिला भिवानी (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : अनिल हाड़ा	440.00	130.00	—	280.00	—	30.00	440.00
55.	रोहतक टैक्स्टाइल मिल लि० रोहतक निदेशक : एस० आर० भालोटिया, बी० डी० भालोटिया	111.47	10.00	—	90.00	—	11.47	111.47

*प्रत्यक्ष अभिदान

—'क' (जारी)

(रुपये लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
42.50	—	—	—	—	42.50 (अति०)	39,072 तकुओं से बढ़ाकर 50,256 तकुए करने की विस्तार योजना।
65.00	—	14.00	—	—	79.00	कृत्रिम लच्छेदार धागे के उत्पादन के लिये 11,424 पूरक तकुओं वाली नई स्पिनिंग मिल।
65.95	35.00	—	—	—	35.00 (अति०)	विभिन्न प्रकार के कारबोरेटरों का उत्पादन करने के लिए बलेन्सिंग उपकरणों का स्थापन।
75.00	22.50	—	750	—	30.00	भारी व्यापारिक वाहनों के लिए प्रतिवर्ष 24, 000 एयर ब्रेकों के उत्पादन के लिए नई परियोजना।
*20.00	—	—	—	—	20.00 (अति०)	एम० जी० पोस्टर और क्राफ्ट पेपर की उत्पादन क्षमता 2100 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 6600 टन करने के साथ विस्तार व संतुलन योजना लागत के अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
85.00	—	17.00	—	—	102.00	विस्कोज स्टैपल यार्न और कृत्रिम लच्छेदार धागे के उत्पादन के लिये 13,680 पूरक तकुओं वाली नई स्पिनिंग मिल।
22.50	—	—	—	—	22.50	20,124 तकुओं वाली कम्पनी की वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	हरियाणा (जारी)							
56.	सहगल पेपर मिल्स लि०, धारुहेड़ा जिला महेन्द्रगढ़ (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : एम० एम०	690.00 (अति व्यय)	—	—	410.00	—	280.00	690.00
	हिमाचल प्रदेश							
57.	गैबरायल इण्डिया लि०, परवानू जिला सोलन (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : दीपचन्द आनन्द प्रबन्ध निदेशक : बी० आर० सिन्हा	16.50 (अति व्यय)	—	—	14.45	—	2.05	16.50
	कर्नाटक							
58.	एसोसियेटिड सीमेंट कं० लि०, (i) बाडी जिला गुलबर्गा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) (ii) गागल, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष : एन० ए० पालकीवाला उपाध्यक्ष : पी० एस० मिस्त्री (ए० सी० सी० ग्रुप)	11500.00	—	—	8600.00	—	2900.00	11500.00
59.	बृन्दावन एलायज लि०, बैंगलौर प्रबंध निदेशक : यू० कृष्णन	240.00	—	—	182.00	—	58.00	240.00
60.	दीपक इन्सलेटिड केबल कार्पोरेशन लि० मैसूर बेलवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक : ए० पी० मेहता [कार्यकारी निदेशक : डी० ए० मेहता	400.00	63.00* (सु० नि०)	—	262.00	—	75.00	400.00

—क (जारी)

(रुपये लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
110.00	—	—	—	—	110.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 8000 टन बढ़िया लेखन और छपाई कागज, 6000 टन स्पेशल ग्रेड साफ्ट कागज और 3000 टन कार्बन रहित प्रतिलिपि कागज के उत्पादन के लिये नई परियोजना के लागत के अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करने के लिये।
—	7.69 (स्वे० को०)	—	—	—	7.69	आयातित उपकरणों की लागत में वृद्धि को आंशिक रूप से पूरा करना।
750.00	—	—	—	—	750.00 (अति०)	ड्राई प्रासेस सीमेंट की उत्पादन क्षमता प्रति-वर्ष 6.00 लाख टन से बढ़ाकर 16.00 लाख टन करने और वाडी में 25 मेगावाट क्षमता कैप्टिव थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना करने (ii) गागल में प्रतिवर्ष 5.60 लाख टन सीमेंट का उत्पादन करने के लिये ड्राई प्रोसेस सीमेंट की नई इकाई लगाने के लिये विस्तार योजना।
45.50	—	—	—	—	45.50	निरन्तर कास्टिंग मशीन और प्रतिवर्ष 46,000 टन माइल्ड और विशेष स्टील बिलेट और रोल्ड उत्पादों के उत्पादन के लिये रोलिंग मिल लगाकर विशाखन करना।
—	26.70 (ज० मा०)	—	—	—	26.70 (अति०)	बियरिंग में प्रयोग की जाने वाली 1250 लाख, सूइयों, 5 लाख केजों और 6 लाख बुशों के प्रतिवर्ष उत्पादन के लिये नई परियोजना लगाकर विशाखन योजना।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	कर्नाटक (जारी)							
61.	ई० आई० डी० पैरी इन्डिया लि०, देवनहल्ली जिला बंगलौर अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : एसो जान (पैरी ग्रुप)	143.00	—	—	143.00	—	—	143.00
62.	गंगावती शूगर्स लि०, मार्ली, गंगावती तालूक, जिला रायचूर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : टी० शामन्ना उपाध्यक्ष : एन० चांदप्पा	47.14	—	—	47.14	—	—	47.24
63.	गोकक पटेल वायकाक लि०, गोकक फाल्स, जिला बेलगाम (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : ए० बी० बिल्लि- मोरिया प्रबन्ध निदेशक : डी० जे० मदान	394.00	—	—	230.00	—	164.00	394.00
64.	काप केम लि०, बेलागोला इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला मैसूर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : जे० सी० कपूर	365.00	100.00	—	230.00	—	35.00	365.00
65.	काप स्टील लि०, बंगलौर अध्यक्ष : वी० टी० कृष्णा- मूर्ति	270.00	—	—	188.00	—	82.00	270.00
66.	कर्नाटक ब्लैड्स लि०, बेलागोला इण्डस्ट्रियल एरिया, मैसूर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : आर० एस० हनुमान	1030.00	350.00	—	645.00	—	35.00	1030.00
67.	किर्लोस्कर इलैक्ट्रिक कं० लि०, बंगलौर, अध्यक्ष व प्रबन्धक निदेशक : रवि एल० किर्लोस्कर (किर्लोस्कर ग्रुप)	230.00	—	—	100.00	—	130.00	230.00

£पाउण्ड स्टर्लिंग

—'क' (जारी)

(रुपये लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
53.00	—	—	—	—	53.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 50 टन परिष्कृत और विशेष औजारों की क्षमता वाला टूल रूम लगाकर विशाखन योजना।
7.50	—	—	—	—	7.50 (अति०)	कम्पनी की वित्तीय पुनर्स्थापना।
57.50	—	—	—	—	57.50	90070 तकुओं और 83 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल नं० 2 का आधुनिकीकरण।
55.00	—	7.00	—	—	62.00	प्रतिवर्ष 4500 टन ऐसेटिक एसिड के उत्पादन के लिए नई परियोजना
47.00	—	—	—	—	47.00	निरन्तर कास्टिंग प्लान्ट और रोलिंग मिल लगाकर विशाखन योजना।
40.00	26.17(£) 27.13 (ज० मा०)	30.00	—	—	133.90	प्रतिवर्ष 1200 लाख स्टेनलेस स्टील रेजर ब्लेड और शेविंग उपकरण के उत्पादन के लिये नई योजना।
50.00	—	—	—	—	50.00 (अति०)	बिजली उपकरण जैसे इलैक्ट्रिक मोटर, पावर एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर, वैल्डिंग जनरेटर, कन्ट्रोल उपकरण आदि का उत्पादन करने वाले कम्पनी के बंगलौर संयंत्रों का आधुनिकीकरण।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	कर्नाटक (जारी)							
68.	मणीमरी मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन लि०, (I) मैसूर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) (II) कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल अध्यक्ष : केशव महिन्द्रा कार्यकारी निदेशक : जयन्ती गुप्ता	750.00	75.30 (सु० नि०)	—	510.00*	—	164.70	750.00
69.	मैसूर सीमेंट लि०, अम्मासन्द्रा, जि० तुमकुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : जी० डी० बिरला मुख्य अधिकारी : एन० एल० हमीरवासिया (बिरला ग्रुप)	650.00	—	—	428.00	—	222.00	650.00
70.	रेमन बोर्डस (प्रा०) लि०. थन्डावापुरा, जिला मैसूर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : वी० रामन	162.00	35.00	—	102.00	—	25.00	162.00
71.	सरोज अलाएज एण्ड स्टील लि०, होजपैंट, जिला बेलारी अध्यक्ष : गोविन्ददास अग्रवाल प्रबन्ध निदेशक : गोपाल दास सराफ	144.00	3.00	—	122.00	—	19.00	144.00
72.	ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० इकाई : (1) बंगलौर वायर राड मिल, बंगलौर	340.00	—	—	272.00	—	68.00	340.00
	(II) भोरुका टैक्सटाइल्स, सस्तूर, जिला धारवाड़ (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : पी० डी० अग्रवाल	481.00	—	—	336.00		145.00	481.00
73.	तुंगभद्रा फायबर्स लि०, होसाल्ली, जिला रायचूर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : बी० एस० हनुमान आई ए० एस०	3000.00	675.00	75.00	2235.00	—	15.00	3000.00

@प्रत्यक्ष अभिदान
सु० नि० सुरक्षित निर्गम

'क' जारी

(रुपये, लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
60.00	—	—	12.00**	—	72.00 (अति०)	(1) प्रतिवर्ष 300 रिंग स्पिनिंग और टिव-स्टिंग फ्रेमों का उत्पादन करने के लिये मैसूर में नई परियोजना और (II) प्रतिवर्ष 250 माइक्रोप्रोसेसर आधारित डाटा प्रोसेसिंग उपकरण और 250 मैट्रिक्स प्रिन्टर्स के उत्पादन के लिये कलकत्ता में नई परियोजना लगाकर विस्तार/विशाखन योजनायें।
107.00	—	—	—	—	107.00 (अति०)	कुछ क्वैरी और डस्ट कलैक्शन उपकरण का पुनर्स्थापन और इसकी सीमेंट फैक्ट्री में प्रि-कैलकिनेशन तकनीकी अपनाकर आधुनिकीकरण योजना।
42.00	—	6.00@	—	—	48.00	प्रतिवर्ष 3000 टन इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन प्रेस बोर्डों और प्रि-कम्प्रेसड बोर्डों के उत्पादन के लिये नई परियोजना ।
30.50	—	—	—	—	30.50	प्रतिवर्ष 16,200 टन रोल्ड उत्पादों के उत्पादन के लिये रोलिंग मिल मिल लगा कर विशाखन योजना ।
—	97.14 (£)	—	—	—	97.14	प्रतिवर्ष 50,000 टन हाई कार्बन वायर राड्स के उत्पादन के लिये विशाखन योजना ।
65.00	—	—	—	—	65.00	विस्कोज स्टैपल यर्न और सिन्थेरेटिक ब्लैन्डिड यार्न के उत्पादन के लिये 17,204 पूरक तकुओं वाली नई मिल लगाकर विस्तार करना
400.00	—	75.00 (इक्विटी) 10.00 (अधिमान)	—	—	485.00	प्रतिवर्ष 10,000 टन पोलीनोसिक फायबर के उत्पादन के लिये नई परियोजना ।

*परिवर्तनीय बोर्डों की 50.00 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

**परिवर्तनीय बांड

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	कर्नाटक (जारी)							
74.	वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि०, दान्डेली, जिला नार्थ कनारा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एन० डी० बांगुर (बांगुर ग्रुप)	615.00	—	—	326.00	—	289.00	615.00
	केरल							
75.	अपोलो टायर्स लि०, चालाकुडडी, जिला त्रिचूर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : रौनक सिंह (रौनक सिंह ग्रुप)	237.00	—	—	200.00	—	37.00	237.00
76.	फोम मैटिंग्स (इण्डिया) लि०, अलेप्पी (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : के प्रभाकरन (केरल राज्य सरकार कम्पनी)	243.00	100.00	—	108.00	—	35.40	243.00
77.	केरल मिनरल्स एण्ड मैटल्स लि०, शंकरामंगलम, जिला : क्विलोन अध्यक्ष : के० टी० चांदी प्रबन्ध निदेशक : एम० जोसफ, आई० ए० एस० (केरल राज्य सरकार कंपनी	@	—	—	—	—	—	—
78.	केरल सालवेन्ट एक्स्ट्रेशन लि०, इरिंजालाकुडा, जिला त्रिचूर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : पी० वी० देवासी प्रबन्ध निदेशक : के० एल फ्रांसिस	6.30	—	—	5.00	—	1.30	6.30
79.	मालाबार सीमेंटस लि०, वालायार, जिला पालघाट अध्यक्ष : के० टी० चांदी प्रबन्ध निदेशक : जोसफ लोपेज (केरल राज्य सरकार कम्पनी)	3350.00	750.00	—	2600.00	—	—	3350.00

@परियोजना की लागत का गणन वर्ष 1978-79 में किया जा चुका है।

क—(जारी)

(रुपये, लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
75.00	—	—	—	—	75.00 (अति०)	लिखने, छापने और लपेटने के कागज की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 60000 से 66000 टन बढ़ाने के लक्ष्य से आधुनिकीकरण व सन्तुलन योजना ।
50.00	—	—	—	—	50.00 (अति०)	इकाई की वित्तीय पुनर्स्थापना के लिए।
27.00	—	—	—	—	27.00	प्रतिवर्ष 30,60,000 वर्ग मीटर फोम लगी हुई नारियल चटाई के उत्पादन के लिये नई परियोजना ।
150.00	—	—	—	—	150.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 22,000 टन टिटैनियम डायक्साइड पिगमेंट के उत्पादन के लिये परियोजना ।
5.00	—	—	—	—	5.00 (अति०)	नये गोदाम का निर्माण और ब्लीचर-ब-न्यूट्रलाइजर इकाई की क्रय लागत को आंशिक रूप से पूरा करने के लिये।
300.00	—	—	—	—	300.00	प्रतिवर्ष 4.15 लाख टन पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन के लिये नई परियोजना।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	केरल (जारी)							
80.	प्रीमियर टायर्स लि०, कलामसेरी, जिला एर्नाकुलम अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : सी० एस० देसाई							
81.	टी० के० कैमिकल्स लि०, वेली इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला त्रिवेन्द्रम, (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एस० सी० त्रिक्खा	69.30 (अति० व्यय)	—	—	59.50	—	9.80	69.30
	मध्य प्रदेश :							
82.	बिरला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, सतना पूर्णकालिक निदेशक : एम पी० बिरला, एस० के० बिरला, जे० आर० बिरला (बिरला ग्रुप)	4350.00	—	—	1960.00	—	2390.00	4350.00
83.	ग्वालियर सुगर कं० लि०, दबारा, जिला ग्वालियर अध्यक्ष : जे० के० श्रीवास्तव प्रबन्ध निदेशक : एच० के श्रीवास्तव	350.00	—	—	260.00	—	90.00	350.00
84.	हुकम चन्द मिल्स लि०, इन्दौर, अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : भन्नालाल ओंकारमल	307.00	—	—	170.00	—	137.00	307.00
85.	इन्डोबर्मा पैट्रोलियम कं० लि०, (I) गोपालपुर जिला बिलासपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) (II) मल्लेश्वरा, जिला: चिकमगलूर कर्नाटक कार्यवाहक अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : ए० पी० भल्ला (भारत सरकार उपक्रम)	495.76	—	—	350.00	—	145.76	495.76

*परियोजना की लागत का गणन वर्ष 1977-78 में किया जा चुका है।

क—(जारी)

(रुपये, लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.50	—	—	—	—	7.50 (अति०)	स्वचालित वाहनों के टायरों और ट्यूबों प्रत्येक की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 4,60,000 से बढ़ाकर 5,85,000 करने की विस्तार योजना।
3.00	—	—	—	—	3.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 2,850 टन मैंगनीज सल्फेट मोनी-हाइड्रेट और 950 टन इलैक्ट्रोलिक मैंगनीज डायक्साइड के उत्पादन के लिये नई परियोजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
45.00	94.49	—	—	—	139.49 (अति०)	प्रतिवर्ष 8.00 लाख टन साधारण पोर्टलैण्ड सीमेंट के उत्पादन के लिये संयंत्र लगाने के साथ-साथ आधुनिकीकरण-व-विस्तार योजना।
65.00	—	—	—	—	65.00	गन्ना पेरने की प्रतिदिन क्षमता 1100 टन से बढ़ा कर 1150 टन करने के साथ-साथ आधुनिकीकरण व विस्तार योजना।
42.50	—	—	—	—	42.50 (अति०)	69,820 तकुओं और 1416 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल के आधुनिकीकरण योजना का द्वितीय चरण।
115.00	—	—	—	—	115.00	(I) गोपालपुर में दो चरणों में औद्योगिक विस्फोटक की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 5000 उसे बढ़ाकर 20000 टन कर के और (II) कर्नाटक में मल्लेश्वरा में प्रतिवर्ष 5000 टन साइट मिश्रित स्लरी विस्फोटक के उत्पादन के लिये नई परियोजना लगाकर विस्तार योजना।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्य प्रदेश (जारी)								
86.	मध्य प्रदेश ग्लाईकेम इण्डस्ट्रीज लि०, रायपुर अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एम० के० चतुर्वेदी, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : ओ० पी० नाम्बियार	210.00	61.60	—	133.40	—	15.00	210.00
87.	मध्य प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कार्पोरेशन लि०, सनावद जिला खरगौन (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : बी० एल० जैन प्रबन्ध निदेशक : अरुण कुमार, आई० ए० एस० (मध्य प्रदेश सरकार कंपनी)	109.00	32.00	—	62.00	—	15.00	109.00
88.	मोहता इस्पात लि०, रतलाम (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष: एम० के० मोहता	175.00	10.00	—	130.00	—	35.00	175.00
89.	मैसूर सीमेंट्स लि०, नरसिंहगढ़, जिला दमोह (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : जी० डी० बिरला उपाध्यक्ष : एस० के० बिरला (बिरला ग्रुप)	940.00 (अति० व्यय)	—	16.50	609.00	—	314.50	940.00
90.	ओरियन्ट प्लाईवुड एण्ड विनीयरिंग इण्डस्ट्रीज लि०, रायपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : के० सी० सेठी	94.00 (अति० व्यय)	—	—	72.00	—	22.00	94.00
91.	रेमण्ड वूलन मिल्स लि०; ओरेसमेटा जिला बिलासपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : विजयपत सिंघानिया (जे० के० सिंघानिया ग्रुप)	3140.00	—	100.00	2200.00*	—	840.00	3140.00

*600 लाख रुपये राशि के परिवर्तनीय बांड सम्मिलित हैं।

@परिवर्तनीय बांड

क—(जारी)

(रुपये, लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
50.40	—	7.00	—	—	57.40	प्रतिवर्ष 6000 टन मिश्रित फैट्टी एसिड, 900 टन ग्लिसरीन और 6000 टन हाइड्रोजेनेटेड कैस्टर आयल के उत्पादन के लिये नई परियोजना।
77.00	—	—	—	—	77.00	17320 तकुओं से बढ़ाकर 25240 करके विस्तार योजना।
32.50	—	—	—	—	32.50	प्रतिवर्ष 16,500 टन रोल्ड प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिये रोलिंग मिल लगाकर विशाखन।
—	88.33 (ज० मा०)	—	—	—	88.33 (अति०)	प्रतिवर्ष 5 लाख टन पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन करने के लिए नई इकाई लगा कर कम्पनी की विस्तार योजना लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
12.10	—	—	—	—	12.10 (अति०)	प्रतिवर्ष 26 लाख वर्ग मीटर कमर्शियल प्लाइवुड, डेकोरेटिव प्लाइवुड, विनीयर, ब्लैक बोर्ड और फ्लश दरवाजों का उत्पादन करने के लिये नई परियोजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
100.00	—	—	100.00@	—	200.00	प्रतिवर्ष 5 लाख टन पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन करने के लिये नई इकाई लगाकर विशाखन योजना।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	मध्य प्रदेश (जारी)							
92.	आर० जे० क्लैड मैटल्स (प्रा०) लि०, देवास (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एन० एल० हिंगोरानी, प्रबन्ध निदेशक : एस० आर० हिंगोरानी	188.00	60.00	—	113.00	—	15.00	188.00
93.	यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि०, काली परेड इण्डस्ट्रियल एस्टेट, भोपाल अध्यक्ष : केशब महिन्दर प्रबन्ध निदेशक: डब्ल्यू० आर० कोर्री (यूनियन कार्बाइड ग्रुप)	579.00	—	—	250.00**	—	329.00	579.00
	महाराष्ट्र							
94.	ऐजिस कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि०, जिला जलगांव (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : जयकृष्ण हरिवल्लभदास प्रबन्ध निदेशक : ब्रह्मभट्ट	1000.00	45.00	—	760.00	—	195.00	1000.00
95.	एलकाइल अमीन्स कैमिकल्स लि० पातालगंगा इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला कोलाबा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : वाई० एम० कोठारी	430.00	110.00	20.00	282.50	—	17.50	430.00
96.	बजाज आटो लि०, अकुर्डी, पुणे अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : राहुल कुमार बजाज (बजाज ग्रुप)	292.00	—	—	168.00	—	124.00	292.00
97.	बाम्बे डाईंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, बम्बई अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : एन० एन० वाडिया (नौरोसजी वाडिया ग्रुप)	685.00	—	—	420.00	—	265.00	685.00

**डिबेंचरों का सुरक्षित निर्गम

—सूची (जारी)

(रुपये, लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
34.00	—	7.30	—	—	41.30	प्रतिवर्ष 1200 टन कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स का उत्पादन करने के लिये नई परियोजना।
—	—	—	3.90 (मु० नि०)	—	3.90 (मनि०)	प्रतिवर्ष 5000 टन मिथाइल साइसोसाइनेट आधारित कीटनाशक के लिये नई इकाई लगाकर विस्तार योजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
78.35	26.87 (ज० मा०)	—	—	—	105.22	प्रतिवर्ष 5000 टन फैट्टी एल्कोहल्स के उत्पादन के लिये नई इकाई लगाकर विशाखन योजना।
40.00	—	7.50	—	—	47.50	प्रतिवर्ष 2000 टन एलिफैटिक अमीन्स का उत्पादन करने के लिये नई परियोजना।
42.00	—	—	—	—	42.00	प्रतिवर्ष 1,30,000 स्कूटरों और 18750 तिपहियों का उत्पादन करने वाले कम्पनी के संयंत्र का आधुनिकीकरण।
105.00	—	—	—	—	105.00	कम्पनी की दो संकलित वस्त्र मिलों, 1,26,224 तकुओं और 2,160 करघों वाली स्प्रिंग मिल और 95064 तकुओं और 886 करघों वाली वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	महाराष्ट्र (जारी)							
98.	बाम्बे मैलीएबल आयरन@ कास्टिंगज एण्ड अलायड इण्डस्ट्रीज लि०, अम्बरनाथ जिला थाना अध्यक्ष : एन० एस० सेतुरमन मुख्य कार्यकारी : एम० ए० गोगी, आर० पी० शर्मा							
99.	नेशनल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, बम्बई, अध्यक्ष : धरमसे एम० खटाऊ प्रबन्ध निदेशक : पी० सी० गुहा (खटाऊ ग्रुप)	245.00	—	—	170.00	—	75.00	245.00
100.	डान मिल्स कं० लि०, बम्बई, अध्यक्ष : बी० एम० मेहता प्रबन्ध निदेशक : एन० आर० रुइया	245.00	—	—	168.00	—	77.00	245.00
101.	दीपक फर्टिलाइजर एण्ड पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि०, तलोजा जिला कोलाबा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : सी० के० मेहता	800.00 (अति व्यय)	150.00	—	630.00	—	20.00	800.00
102.	एलफिन्सटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लि० बम्बई, अध्यक्ष : किशोरी लाल जालान उपाध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : अशोक कुमार जालान	273.00	—	—	210.00	—	63.00	273.00
103.	घाटगे पाटिल इण्डस्ट्रीज लि० ऊचागांव, जिला कोल्हापुर अध्यक्ष : एन० डब्ल्यू० गुर्जर प्रबन्ध निदेशक : बी० एम० घाटगे, जे० बी० पाटिल	625.00	39.00	—	381.00	—	205.00	625.00

@ परियोजना की लागत का गणन वर्ष 1979-80 में किया जा चुका है।

—'क' (जारी)

(रुपये, लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
—	4.24	—	—	—	4.24 (अति०)	प्रतिवर्ष 7000 टन लो अलाए मैलीएबल आयरन कास्टिंग्स का उत्पादन करने के लिये अतिरिक्त सुविधायें जुटाकर विशाखन योजना।
70.00	—	—	—	—	70.00	पावर कन्ट्रोल केबल इन्सुलेटिड वायर्स एण्ड एल्यूमीनियम तार छड़ों का उत्पादन करने वाले कम्पनी के संयंत्र का आधुनिकीकरण।
42.00	—	—	—	—	42.00	56,040 पूरक तकुओं वाली कम्पनी की स्पिनिंग मिल का आधुनिकीकरण।
140.00	—	25.00	—	—	165.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 90,000 टन एनहाइड्रेन लिक्विड अमोनिया के उत्पादन के लिये नई परियोजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
52.50	—	—	—	—	52.50	51,956 तकुओं और 935 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
—	50.27 (ज० मासें)	—	—	—	40.27	इसके फाउन्ड्री प्रभाग के लिये हाई प्रेशर मोल्डिंग शाइन के आयात के साथ-साथ कम्पनी की पुनर्स्थापना व आधुनिकीकरण।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	महाराष्ट्र (जारी)							
104.	गोगटे स्टील लि०, तारापुर जिला थाना अध्यक्ष : बी० एम० गोगटे	38.00	—	—	30.40	—	7.60	38.00
105.	ग्रिन्डवेल नार्टन लि०, ऊरान जिला कोलाबा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : जे० सी० आदम्स प्रबन्ध निदेशक : एन० डी० सिघवा	225.00	—	—	150.00	—	75.00	225.00
106.	हिन्दुस्तान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, बम्बई, अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : एस० के० थैंकरसी (थैंकरसी ग्रुप)	595.00	—	—	376.00	—	219.00	595.00
107.	इण्डियन एल्यूमिनियम कं० लि०, (1) तलोजा, जिला कोलाबा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) (2) कालवे, जिला कोलाबा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) (3) नासिक (4) कासरसाडा, जिला कोल्हापुर (5) इन्द्रगंज, जिला कोल्हापुर (6) बेलगाम (अधिसूचित पिछड़ा जिला) कर्नाटक (7) मूरी, जिला रांची, बिहार (8) अलुपुरम, जिला एर्नाकुलम केरल (9) हीराकुड जिला सम्बलपुर, उड़ीसा (10) बेलूर, जिला हावड़ा, पश्चिमी बंगाल, अध्यक्ष : केशव महिन्द्रा प्रबन्ध निदेशक : टी० डी० सिन्हा	8690.00	—	—	4406.00	—	4284.00	8690.00
108.	कमला मिल्स लि०, बम्बई, अध्यक्ष : राजीव गोयनका	365.00	—	—	270.00	—	95.00	365.00

—'क' (जारी)

(रुपये, लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.60	—	—	—	—	7.60 (अति०)	प्रतिवर्ष 44000 माइल्ड और स्पेशल स्टील बिलेटों के उत्पादन के लिये कम्पनी की परियोजना की पुनर्व्यवस्था योजना।
37.50	—	—	—	—	37.50	बांडिड एब्रेसिव्स उत्पादन करने वाले कम्पनी के संयंत्र का आधुनिकीकरण।
94.00	—	—	—	—	94.00 (अति०)	1,78,020 तकुओं और 3630 करघों वाली कम्पनी की तीन संकलित मिलों के आधुनिकीकरण का द्वितीय चरण।
200.00	—	—	—	—	200.00	एल्यूमिनियम इंगोट्स के उत्पादन के लिये स्थापित क्षमता में प्रतिवर्ष 13750 टन की वृद्धि कर विस्तार करना, रोल्ड उत्पादों में 10,300 टन प्रतिवर्ष और फायल्स में 1375 टन प्रतिवर्ष की वृद्धि करके उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये विस्तार/संतुलन/आधुनिकीकरण योजनाएं, नासिक में नई इकाई लगाना और निम्नांकित उत्पादों में 47000 टन प्रतिवर्ष की वृद्धि करके उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अलुपुरम में संतुलन सुविधाओं को स्थापित करना, 40000 टन प्रति वर्ष अलुमिना क्षमता बढ़ाने के लिए बेलगाम में सन्तुलन सुविधाओं को जुटाना और मूरी में अलुमिना संयंत्र का आधुनिकीकरण और कसारसाडा और इन्दरगंज में नई खानों के विकास के लिये भी।
67.50	—	—	—	—	67.50	62,176 तकुओं और 1042 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
महाराष्ट्र—(जारी)								
109.	खानदेश स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लि०, जलगांव, (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : सुरेश कुमार बी० जैन	320.00	—	—	240.00	—	80.00	320.00
110.	किर्लोस्कर आयल इंजिन्स लि०, पुणे अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक: एस० एल० किर्लोस्कर (किर्लोस्कर ग्रुप)	735.00	—	—	411.00	—	324.00	735.00
111.	माधवनगर काटन मिल्स लि०, माधवनगर, जिला सांगली प्रबन्ध निदेशक : पी० एम० जैन	185.70	15.00	—	148.00	—	22.70	185.70
112.	महाराष्ट्र ऐंटी बायोटिक्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०, नागपुर, (भारत सरकार उपक्रम)	324.00	100.00	—	206.50	—	17.50	324.00
113.	मालेगांव कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, मालेगांव, जिला नासिक अध्यक्ष : शब्बीर अहमद हाजी गुलाम रसूल प्रबन्ध निदेशक : बी० कुमार	481.00	241.00	—	240.00	—	—	481.00
114.	मेल्ट्रोन सेमी-कन्डकटर्स लि० नासिक अध्यक्ष : हरीश महिन्द्रा प्रबन्ध निदेशक : एस० राजगोपाल, आई० ए० एस०	@						
115.	मोरारजी गोकुलदास स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं० लि०, बम्बई, अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : ए० जी० पीरामल प्रबन्ध निदेशक : डी० जी० पीरामल	460.00	—	—	300.00	—	160.00	460.00

@ परियोजना की लागत का गणन वर्ष 1978-79 के लिये किया जा चुका है।

—क (जारी)

(रुपये लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
60.00	—	—	—	—	60.00	26572 तकुओं और 513 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
100.00	—	—	—	—	100.00 (अति०)	विभिन्न प्रकार की डीजल एन्जिन्स बाइमेटल बियरिंग्स और बूशिश का उत्पादन करने वाले कम्पनी के संयंत्र का आधुनिकीकरण।
37.00	—	—	—	—	37.00	40124 तकुओं और 244 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
76.50	—	—	—	—	76.50	प्रतिवर्ष 320.76 लाख डायलों, 53.46 लाख एम्पलों, 320.76 लाख कैपसूलों और 2886.84 लाख जीवन रक्षक और अन्य औषधियों के उत्पादन के लिये नई परियोजना।
65.00	—	—	—	—	65.00	25080 पूरक तकुओं सहित नई सूती स्पिनिंग मिल।
—	—	1.33	—	—	1.33 (अति०)	प्रतिवर्ष 78 लाख सेमी कन्डक्टर पावर डिवाइसिस का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना।
75.00	—	—	—	—	75.00	108416 तकुओं और 1843 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	महाराष्ट्र (जारी)							
116.	नाथ पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०, बाहेगांव, जिला औरंगाबाद (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : एन० एल० कागलीवाल	112.00 (अति व्यय)	—	—	67 00	—	45.10	112.10
117.	नेशनल रेमन कारपोरेशन लि०, मोहोन, कल्याण के समीप जिला थाना अध्यक्ष : बी० आर० पटेल	331.00	—	—	244.00	—	87.00	331.00
118.	नेशनल टैक्सटाइल कार-पोरेशन (महाराष्ट्र उत्तर) लि०, (इकाई सावतराम राम प्रसाद मिल्स) अकोला अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : वी० बी० जोशी (भारत सरकार उपक्रम)	160.00	—	—	129.00	—	31.00	160.00
119.	नेशनल टैक्सटाइल कार-पोरेशन (साउथ महाराष्ट्र) लि०, (1) इकाई : भारत टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई (2) इकाई : दिग्विजय टैक्स-टाइल मिल्स, बम्बई (3) इकाई: जूपिटर टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई (4) इकाई : न्यू हिन्द टैक्स-टाइल मिल्स, जिला धूलिया (अधिसूचित पिछड़ा जिला) (5) इकाई : धूले टैक्सटाइल मिल्स, जिला धूलिया (अधिसूचित पिछड़ा जिला) (6) इकाई : चालीस गांव टैक्सटाइल मिल्स, जिला जलगांव (अधिसूचित पिछड़ा जिला)	1532.00	—	—	1377.00	—	155.00	1532.00

—'क' (जारी)

(रुपये लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
16.00	—	—	—	—	16.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 6,600 टन पैक करने और लपेटने के कागज के उत्पादन के लिये नई परियोजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
—	64.20 (स्वे० को०)	—	—	—	64.20 (अति०)	प्रतिवर्ष नाइलोन टायर यार्न को फैब्रिक में परिवर्तन करने की क्षमता 1600 टन से बढ़ाकर 2805 करके विस्तार योजना।
48.00	—	—	—	—	48.00 (अति०)	14272 तकुओं और 310 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
459.00	—	—	—	—	459.00	268876 तकुओं और 5854 करघों वाली कम्पनी की छः संकलित वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	महाराष्ट्र (जारी)							
(7)	इकाई : अपोलो टैक्स-टाइल्स, मिल्स, बम्बई	225.00	—	—	202.50	—	22.50	225.00
(8)	इकाई : मूम्बई टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक डी० पी० केलकर (भारत सरकार उपक्रम)	345.00	—	—	309.00	—	36.00	345.00
120.	पोदार मिल्स लि०, (1) बम्बई (2) जयपुर, राजस्थान अध्यक्ष डा० रमानाथ ए० पोदार उपाध्यक्ष : कान्ति कुमार आर० पोदार	428.00	—	—	340.00	—	86.00	428.00
121.	पदमजी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०,. थेर गांव, पूना के समीप अध्यक्ष एस० एल० किर्लोस्कर कार्यकारी निदेशक : एम० पी० जातीया	945.00	—	—	406.00	—	539.00	945.00
122.	रस्टन एण्ड होर्नबी (इण्डिया) लि० चिंचवड, पुणे प्रभारी निदेशक : डेविड मैस्कैटेन्स	@						
123.	सह्याद्रि एस० एस० के०लि यशवन्त नगर जिला जसतारा अध्यक्ष : पी० डी० पाटिल प्रबन्ध निदेशक : सी० बी पुजारी	257.00	20.00	—		—	107.00	257.00
124.	संघवी स्टील्स लि०, तलोजा, जिला कोलाबा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रभारी निदेशक : सी० एम० संघवी	125.50	13.50	—	112.00	—	—	125.50

@परियोजना की लागत का गणन वर्ष 1978–79 के लिये किया जा चुका है।

—'क' (जारी)

(रुपये लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
67.50	--	—	—	—	67.50	51276 तकुओं और 902 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
103.00	—	—	—	—	103.00	53232 तकुओं और 1154 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
85.00	--	—	—	—	85.00	75012 तकुओं और 930 करघों वाली कम्पनी की दो संकलित वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण।
—	45.33 (ज० मा०) 46.15		—	—	91.48 (अति०)	ग्लासिन, ग्रीसप्रूफ, मैनीफोल्ड, एअर मेल, और कार्बननाइजिंग टिशू किस्मों सहित स्पेशलिटी पेपर की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 8400 टन से बढ़ाकर 15900 टन करके विस्तार योजना।
—	—	8.00	—	—	8.00 (अति०)	अन्य बातों के साथ साथ प्रतिवर्ष 1000 उच्चतर अश्व शक्ति वाले डीजल इंजनों के उत्पादन के लिये सुविधायें जुटाकर विस्तार व-आधुनिकीकरण योजना।
35.00	—	—	—	—	35.00 (अति०)	प्रतिदिन गन्ना पेरने की क्षमता 1250 टन से बढ़ाकर 2200 टन करके विस्तार योजना।
28.00	—	—	—	—	28.00	प्रतिवर्ष 16000 टन माइल्ड स्टील, हार्ड कार्बन स्टील और हाई अलाय स्टील रोल्ड उत्पादों का उत्पादन करके विशाखन योजना।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	महाराष्ट्र (समाप्त)							
125.	श्रीदत्ता शेतकारी एस० एस० के० लि०, शिरोल जिला कोल्हापुर प्रबन्ध निदेशक : एन० ए० सरनोबात	270.00	27.00	——	136.00	——	107.00	270.00
126.	श्रीराम मिल्स लि०, बम्बई प्रबन्ध निदेशक : आर० एन० जोशी (प्रताप लाल भोगीलाल ग्रुप)	298.52	—	——	195.00	—	193.52	298.52
127.	श्री बल्लभ ग्लास वर्क्स लि० बायसर जिला थाना अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : जे० ए० तकतावाला प्रबन्ध निदेशक : सी० ए० तकतावाला	162.00 (अति व्यय)	—	—	162.00	:—	—	162.00
128.	सुदर्शन एल्यूमिनियम इण्ड-स्ट्रीज लि०, नासिक प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक एस० सी० चोखानी	250.00	80.00	—	143.75	—	26.25	250.00
129.	दि न्यू सिटी आफ बाम्बे मन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, बम्बई प्रबन्ध निदेशक : गौतम कानोडिया	319.00	—	—	220.00	—	99.00	319.00
130.	एक्स्लो इण्डिया लि०, (1) थाना (2) नासिक अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : सी० बी० सरन उड़ीसा	167.00	—	—	120.00	—	47.00	167.00
131.	जयश्री कैमिकल्स लि०, गंजम मुख्य अधिकारी : ए० स० के० बांगुर	183.00 (अति व्यय)	—	—	125.00	—	58.00	183.00
132.	उड़ीसा इन्डस्ट्रीज लि०, लटकाटा, जिला : सुन्दरगढ़ अध्यक्ष : बी० एन० मोहन्ती प्रबन्ध निदेशक : विशन दयाल झुनझुनवाला	356.83	—	—	267.00	—	89.83	356.83

—'क' (जारी)

(रुपये लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
45.00	—	—	—	—	45.00 (अति०)	प्रतिवर्ष गन्ना पेरने की क्षमता 1250 टन से बढ़ाकर 2000 टन करके विस्तार योजना।
50.00	—	—	—	—	50.00	1,22,576 तकुओं और 1449 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
—	23.19 (ज० मा०) 31.00 (स्वे० ओ०)	—	—	—	54.19 (अति०)	प्रतिवर्ष 55 लाख शीट ग्लास का उत्पादन करने के लिये नई इकाई लगाकर विस्तार योजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
36.00	—	8.75	—	—	44.75	प्रतिवर्ष 2400 टन एल्यूमीनियम एलाय एक्स्ट्रूजन के उत्पादन के लिये नई परियोजना।
50.00	—	—	—	—	50.00	56,056 तकुओं और 623 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
60.00	—	—	—	—	60.00	कम्पनी की (I) प्रोपेलर साफ्ट के उत्पादन में थाना इकाई और (II) स्टियरिंग गियर्स का उत्पादन करने वाली मासिक इकाई की आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन योजना।
25.00	—	—	—	—	25.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 3300 टन सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का उत्पादन करके विस्तार योजना की लागत में अति व्यय को पूरा करना।
75.00	—	—	—	—	75.00 (अति०)	रिफैक्ट्रीज की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 47500 टन से बढ़ाकर 70000 टन करके विस्तार योजना।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	पंजाब							
133.	अजय ईलैक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज लि०, मबहाली, चण्डीगढ़ के समीप अध्यक्ष : ले० जनरल जे० एस० अरोड़ा (सेवा निवृत्त)	20.00	—	—	20.00	—	—	20.00
13.	जगतजीत काटन टैक्सटाइल मिल्स लि०, चोहाल जिला होशियारपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक एम० एम० थापर (थापर ग्रूप)	2544.00	250.00 (सु० नि०)	—	2009.00	—	285.00	2544.00
135.	महावीर स्पिनिंग मिल्स लि० (इटाई : अरिहन्त स्पिनिंग मिल्स) मलेरकोटला जिला : संगरूर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष एस० पी० ओसवाल कार्यकारी निदेशक : एस० एल० सहगल	555.00	75.00	—	365.00	—	115.00	555.00
136.	मोरिन्डा कोआपरेटिव शूगर मिल्स लि०, मोरिन्डा, जिला रूपनगर महाप्रबन्धक : पी० एस० टुरना	403.00	125.00	—	236.00	—	42.00	403.00
137.	पंजाब फाइबर्स लि०, रेल माजरा, जिला होशियारपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : टी० के० ए० नायर आई ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : पदम कुमार जैन	481.00	163.00	—	303.00	—	15.00	481.00
138.	श्री भवानी काटन मिल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०, अबोहर जिला फिरोजपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : एन० के० मोहता	359.40	20.00	—	228.00	32.00	79.40	359.40

—'क' (जारी)

(रुपये लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
10.00	—	—	—	—	10.00	कम्पनी की पुनर्स्थापन योजना।
58.00	117.16 (ज० मा०)	—	—	—	175.16 (अति०)	प्रतिवर्ष 2000 टन नाइलोन टैक्सटाइल फिलामेंट धागे के उत्पादन के लिये नई इकाई लगाकर विशाखन।
60.00	—	—	—	—	60.00 (अति०)	25304 पूरक तकुओं सहित नई सूती वस्त्र मिल लगाकर विस्तार योजना।
55.00	—	—	—	—	55.00 (अति०)	अन्य बातों के साथ-साथ गन्ना पेरने की क्षमता 1000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 2250 टन करके आधुनिकीकरण व विस्तार योजना।
93.00	—	17.50	—	—	110.50	विस्कोज स्टैपल धागा और सिंथेटिक ब्लैन्डिड धागे के उत्पादन के लिये 15708 पूरक तकुओं वाली नई स्पिनिंग मिल।
57.00	—	—	—	—	57.00 (अति०)	अन्य बातों के साथ-साथ 34,164 तकुओं से बढ़ाकर 39,196 करके आधुनिकीकरण व विस्तार योजना का दूसरा चरण।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	पंजाब (जारी)							
139.	स्टील स्ट्रिप्स लि०, जीतवाला कलां जिला संगरूर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : ए० एस० चड्ढा प्रबन्ध निदेशक : आर० के० गर्ग	83.00 (अति व्यय)	—	—	67.00	—	16.00	83.00
140.	सुखना पेपर मिल्स लि०, नंगला तहसील राजपुरा जिला पटियाला प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : प्रीतम सिंह	383.00	127.00	—	241.00	—	15.00	383.00
141.	यूनाइटेड पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०, असरों, जिला होशियारपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : वी० आर० पटेल	@						
	राजस्थान							
142.	अजय पेपर मिल्स लि०, भिवाड़ी, जिला अलवर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष आर० एल० राजगढ़िया	536.00	124.75	—	351.00	—	60.25	536.00
143.	दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स क० लि०, कोटा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक : डा० भरत राम प्रबन्ध निदेशक : डा० चरत राम (श्रीराम ग्रुप)	457.23	—	—	226.93	—	230.30	457.23
144.	गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि०, हनुमानगढ़ जिला श्रीगंगानगर अध्यक्ष : रमाकान्त शर्मा, आई० ए० एस०	551.00	248.80	—	302.00	—	0.20	551.00

@परियोजना की लागत का गणन वर्ष 1978-79 के लिये किया जा चुका है।

क—(जारी)

(रुपये लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
19.00	—	—	—	—	19.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 10,000 टन माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन एण्ड लो एलाय रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स का उत्पादन करने के लिये नई परियोजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
60.00	—	17.50	—	—	17.50	प्रतिवर्ष 9,900 टन एम० पी० क्राफ्ट पैकिंग और पेटने के कागज के उत्पादन के लिये नई परियोजना।
12.50	—	—	—	—	12.50 (अति०)	प्रतिवर्ष 15,000 टन लेखन, मुद्रण, पैकिंग और लपेटने के कागज के उत्पादन के लिये नई परियोजना।
91.00	—	15.00	—	—	106.00	काटन कार्डिड यार्न और सिन्थेटिक ब्लेंडिड यार्न के उत्पादन के लिये 16720 पूरक तकुओं वाली नई वस्त्र मिल लगाकर विशाखन योजना।
	100.90 (ज० मा०)	—	—	—	100.90 (अति०)	कोटा स्थित कम्पनी के पी० वी० सी० संयंत्र का उन्नत डिजाइन व तकनीकी उपकरण द्वारा कुछ उपकरणों का नवीकरण/पुन उपकरण द्वारा कुछ उपकरणों का नवीकरण पुनर्स्थापन।
70.00	—	—	—	—	70.00	25,080 पूरक तकुओं वाली नई सूती वस्त्र मिल।

परिशिष्ट

(1)	(2)	3)	4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	राजस्थान (जारी)							
145.	जयपुर मैटल्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लि०, जयपुर प्रबन्ध निदेशक : अशीम चैटर्जी (कमानी ग्रुप)	42.00	—	—	42.00	—	—	42.00
146.	जे० के० इण्डस्ट्रीज लि०, कांकरौली जिला उदयपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष एच० एस० सिंघानिया (जे० के० सिंघानिया ग्रुप)	67.00	—	—	60.00	—	7.00	67.00
147.	कृष्णा मिल्स लि०, ब्यावर जिला अजमेर प्रबन्ध निदेशक : एम० डी० राठी	167.00	—	—	105.00	—	62.00	167.00
148.	माड्रन सिन्टेक्स (इण्डिया) लि०, डेसुला जिला अलवर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : एच० एस० रांका	286.00	—	—	150.00	—	136.00	286.00
149.	रेलिएन्स कैमोटेक्स इण्डस्ट्रीज लि०, मेवाड़ इण्डस्ट्रियल इस्टेट गांव कानपुर जिला उदयपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : एस० एल० श्राफ	29.00 (अति व्यय)	—	—	24.00	—	5 00	29.00
150.	श्री राजस्थान सिन्टेक्स लि० उदयपुरा जिला डूंगरपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक वी० के० लाडिया	475.00	163.00	—	297.00	—	15.00	475.00
151.	सिद्धा सिन्टेक्स लि०, गांव थाना जिला उदयपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : एस० पी० जैन	465.00	154.00	—	296.00	—	15.00	465.00

'क' (जारी)

(रुपये लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
21.00	—	—	—	—	21.00 (अति०)	कम्पनी का वित्तीय पुनर्स्थापन।
15.00	—	—	—	—	15.00 (अति०)	कम्पनी की बिजली आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करने के लिये 2 डीजल जनरेटरों के आयात के लिये।
25.00	—	—	—	—	25.00	24,776 तकुओं और 626 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
50 00	—	—	—	—	50.00 (अति०)	19,200 तकुओं से बढ़ाकर 26,880 करके विस्तार योजना।
24.00	—	—	—	—	24.00 (अति०)	सिन्थेटिक ब्लैन्डिड यार्न के उत्पादन के लिये 12,480 पूरक तकुओं वाली नई वस्त्र मिल की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
75.00	—	19.00	—	—	94.00	विस्कोस स्टैपल यार्न तथा सिन्थेटिक ब्लैन्डिड यार्न के उत्पादन के लिये 18,680 पूरक तकुओं वाली नई वस्त्र मिल।
90.00	—	18.00	—	—	108.00	सूती कार्डिड सूत तथा पोलियस्टर विस्कोस ब्लैन्डिड यार्न के उत्पादन के लिये 15,840 पूरक तकुओं वाली नई वस्त्र मिल।

परिशिष्ट

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	6)	(7)	(8)	(9)
राजस्थान—(जारी)							
152. स्टेन्टर्ड वूलन्स लि०, जोधपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : एस० वी० मोहता	142.00	33.00	94.00	—	15.00	142.00	50.00*
तमिलनाडु							
153. अशोक लेलैण्ड लि०, एन्नौर, जिला चिंगलेपट अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक : आर० जे० साहनी (अशोक लेलैण्ड ग्रुप)	410 00	—	—	245.00	—	165.00	410.00
154. एशियन बियरिंग लि०, बागलपुर जिला धर्मापुरी (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : एस० एम० पालनियप्पा चेट्टियार	1635.00	500.00	—	1089.00	—	46.00	1635.00
155. वैस्ट एण्ड क्राम्पटन इंजीनियरिंग लि०, मद्रास अध्यक्ष : एम० के० कुमार प्रबन्ध निदेशक : एस० जे० विन्सेंट	362.00	—	—	200.00	—	162.00	362.00
156. धनलक्ष्मी मिल्स लि०, तिरपुर जिला कोयम्बटूर प्रबन्ध निदेशक एम० नानजप्पा सी० ए० नानजप्पा,	238.00	—	—	160.00	—	78.00	238.00
157. गंगप्पा पेपर मिल्स लि०, वडाकुथु जिला दक्षिणी आरकोट (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : टी० जी कृष्ण मूर्ति	137.00 (अति व्यय)	33.00	—	104.00	—	—	137.00
158. इण्डिया सीमेंट लि०, शंकरनगर जिला तिरुनलवेली अध्यक्ष : एस० जगन्नाथन आई० सी० एस (निवृत्त) प्रबन्ध निदेशक : के० एस नारायणन	332.00	—	—	220.00	—	112.00	332.00

*अब घटाकर 35.00 लाख रुपये कर दी गई।

**प्रत्यक्ष अभिदान

'क' (जारी)

(रुपये लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
—	**5.00	—	—	—	55.00	कार्पेट यार्न के उत्पादन के लिये 1200 पूरक तकुओं वाली नई वूलन स्पिनिंग मिल।
61.25	—	—	—	—	61.25 (अति०)	व्यापारिक तथा भारी वाहन तथा इण्डस्ट्रियल इंजनों का उत्पादन करने वाले कम्पनी के संयंत्रों का आधुनिकीकरण पुनर्स्थापन।
80.00	60.40 (ज० मा)	40.00	—	—	180.40	प्रतिवर्ष 41.00 लाख गर्षणरहित बियरिंग उत्पादन के लिये नई परियोजना।
50.00	—	—	—	—	50.00	कम्पनी की डायनमी और स्टार्टर फैक्ट्री एवं पम्प फैक्ट्रियों के आधुनिकीरण के साथ ही इसकी फाउन्ड्री को पम्प फैक्ट्री के समीप नये स्थल पर ले जाना।
40.00	—	—	—	—	40.00	53,148 तकुओं और 470 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
20.00	—	—	—	—	20.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 10,000 टन एम० एफ० मुद्रण पोस्टर तथा लेखन कागज, आदि के उत्पादन के लिये नई परियोजना की लागत में हुए अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
55.00	—	—	—	—	55.00 (अति०)	कम्पनी की सीमेंट फैक्ट्री की आधुनिकीकरण योजना।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	तमिलनाडु–(जारी)							
159.	जनार्दन मिल्स लि०, कोयम्बतूर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक शिवदत्ता राय संघाई	181.00	—	—	135.00	—	46.00	181.00
160.	नेशनल टैक्सटाईल कार-पोरेशन लि०, (इकाई श्री शारदा मिल्स पोडनपुर जिला कोयम्बतूर अध्यक्ष के० श्रीनिवासन प्रबन्धक निदेशक : मूसा रजा आई० ए० एस० (भारत सरकार का उपक्रम)	129.00	—	—	116.00	—	13.00	129.00
161.	नेशनल टैक्सटाइल कार-पोरेशन (तमिलनाडु एण्ड पाण्डिचेरी), लि०, (इकाई : कोयम्बटूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स) कोयम्बटूर अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : पी० के० वीरास्वामी (भारत सरकार का उपक्रम)	297.00	—	—	267.00	—	30.00	297.00
162.	निजाम पेपर एण्ड बोर्ड लि०, पुल्लनविदुथी, अलंगुडी, तालुक, जिला पुडुकोट्टई (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : ए० आर० नूर मोहम्मद	355.00	110.00	—	230.00	—	15.00	355.00
163.	साउदर्न पैट्रो कैमिकल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, तूती कोरिन जिला तिरुनेलवेली अध्यक्ष एम० ए० चिदम्बरम उपाध्यक्ष-व-प्रधान : एस० वेंकिटरामण, आई० ए० एस०	575.00	—	—	460.00	—	115.00	575.00

*बाद में घटाकर 23.50 लाख रुपये कर दिया गया।

'क' (जारी)

(रुपये लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
35.00	—	—	—	—	35.00	25,236 पूरक तकुओं वाली कम्पनी की की मिल का आधुनिकीकरण।
39.00	—	—	—	—	39.00	24,948 तकुओं और 214 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
90.00	—	—	—	—	90.00 (अति०)	80,316 तकुओं और 564 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
60.00	—	15.00	—	—	75.00	प्रतिवर्ष 6,600 टन लेखन, मुद्रण और सफेद कागज के उत्पादन के लिये नई परियोजना लगाना।
80.00*	—	—	—	—	80.00 (अति०)	आयातित तरल अमोनिया को उतारने, प्राप्ति, रख-रखाव, तथा परिवहन की सुविधाओं की प्रतिस्थापना।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	तमिलनाडु (जारी)							
164.	तमिलनाडु एलाय फाउंड्री कं० लि०, होसुर जिला धर्मापुरी (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : सईद मोहम्मद इस्माइल प्रबन्ध निदेशक : पी० एस चन्द्रशेखर	193.20	55.00	—	123.20	—	15.00	193.20
165.	तमिलनाडु सीमेंट कारपोरेशन लि०, (I) अलंगूलम जिला रामानाथपुरम (अधिसूचित पिछड़ा जिला	3 01.00	87.00	—	214.00	—	—	301.00
	(II) अलंगूलम जिला रामानाथपुरम (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : सी० बी० आर० पानीकर, आई० ए० एस० प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : आई० महादेवन, आई० ए एस (तमिलनाडु राज्य सरकार कम्पनी)	212.00	62.00	—	100.00	—	50.00	212.00
166.	डब्ल्यू० एस० इन्सुलेटर्स आफ इण्डिया लि०, पोरुर जिला चिंगलपेट अध्यक्ष : के० एस० नारायणन प्रबन्ध निदेशक : एन० एस० सेथुरमन	360.00	—	—	288.00	—	72.00	360.00
	उत्तर प्रदेश							
167.	अजन्ता टैक्सटाइल लि०, लोनी रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया जिला गाजियाबाद प्रबन्ध निदेशक : डी० के० हाडा	49.33	—	—	30.00	—	19.33	49.33

** प्रत्यक्ष अभिदान ।

'क' (जारी)

(रुपये लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
46.60	—	10.00**	—	—	56.60	प्रतिवर्ष 1000 टन स्फेरियोडल ग्रेफाइट, 500 टन मैलेबल लोहा और 500 टन कच्चा लोहा अलाय कास्टिंग के उत्पादन के लिये नई परियोजना।
74.00	—	—	—	—	74.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 9.00 लाख टन सीमेंट का उत्पादन करने वाले कम्पनी के वर्तमान संयंत्र का आधुनिकीकरण।
35.00	—	—	—	—	35.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 30,000 टन एस्बेस्टस शीट तथा शीट उत्पाद के उत्पादन के लिये नई इकाई लगाकर विशाखन योजना।
75.21	—	—	—	—	75.21 (अति०)	इन्सुलेटर्स के उत्पादन को प्रतिवर्ष 7500 टन से बढ़ाकर 12000 टन प्रतिवर्ष करके विस्तार योजना।
30.00	—	—	—	—	30.00 (अति०)	मोटे सूत के उत्पादन के लिये पूर्व और पश्चात स्पिनिंग मशीनरी लगाना और आन्तरिक बिजली क्षमता को बढ़ाने के लिये डीजल जनरेटर सेटों का लगाना।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	उत्तर प्रदेश (जारी)							
168.	ए० आर० सी० सीमेंट लि० पुनवकुल जिला : देहरादून प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : सी० एम० चड्ढा	424.00	150.00	—	274.00	—	—	424.00
169.	बलरामपुर चीनी मिल्स लि० बलरामपुर जिला गोंडा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : जी० एल० सरोगी	61.00	—	—	48.00	—	13.00	61.00
170.	बाजपुर कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, बाजपुर जिला नैनीताल महाप्रबन्धक : वी० पी० शर्मा	550.00	275.00	—	275.00	—	—	550.00
171.	दि एल्गिन मिल्स कं० लि० कानपुर अध्यक्ष : एन० एस० भाट (सूरजमल नागर मल ग्रुप)	596.00	—	—	400.00	—	196.00	596.00
172.	इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लि० पनकी, कानपुर अध्यक्ष : ए० एल० मुदालियार प्रबन्ध निदेशक : डा० एस एस० बैजल (आई० सी० आई० ग्रुप)	568.00 (अति व्यय)	—	—	568.00	—	—	568.00
173.	जे० के० काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कानपुर अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक : सोहन लाल सिंघानिया (जे० के० सिंघानिया ग्रुप)	332.00	—	—	232.00	—	100.00	332.00
174.	केशर शूगर वर्क्स लि०, बहेरी जिला बरेली मुख्य अधिकारी : जी० एस० हरनल [किलाचन्द (तुलसीदास) ग्रुप]	300.00	—	—	205.00	—	95.00	300.00

'क' (जारी)

(रुपये लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
68.50	—	22.50	—	—	91.00	प्रतिदिन 165 टन पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन के लिये नई परियोजना।
12.00	—	—	—	—	12.00	अन्य बातों के साथ-साथ गन्ना पेरने की क्षमता प्रतिदिन 1219 टन से बढ़ाकर 1600 टन करके कम्पनी की आधुनिकी, करण व विस्तार योजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
62.00	—	—	—	—	62.00 (अति०)	अन्य बातों के साथ-साथ गन्ना पेरने की क्षमता प्रतिदिन 1600 टन से बढ़ाकर 3000 टन करके कम्पनी की आधुनिकीकरण व विस्तार योजना।
100.00	—	—	—	—	100.00	1,18,092 तकुओं और 2,376 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
—	300.00 (स्वे० क्रो०)	—	—	—	300.00 (अति०)	यूरिया की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 450000 टन से बढ़ाकर 6,75,000 टन करके कम्पनी की विस्तार योजना के भाग के रूप में लगाये जा रहे आंतरिक बिजली संयंत्र के लिये उपकरणों का आयात।
58.00	—	—	—	—	58.00	44908 तकुओं और 987 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
50.00	—	—	—	—	50.00	अन्य बातों के साथ-साथ गन्ना पेरने की क्षमता प्रतिदिन 1700 टन से बढ़ा कर 2200 टन करके आधुनिकीकरण व विस्तार योजना।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	उत्तर प्रदेश (जारी)							
175.	मोदी कारपेट्स लि०, कुल्लीपुर जिला राय बरेली (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रधान व अध्यक्ष : केदार नाथ मोदी (मोदी ग्रुप)	137.31 (अति व्यय)	—	—	85.89	—	51.42	137.31
176.	मोदी इन्डस्ट्रीज लि०, मोदी नगर जिला मेरठ प्रबन्ध निदेशक : यू० के० मोदी (मोदी ग्रुप)	733.00	103.00 (सु० नि०)	—	500.00	—	130.00	733.00
177.	नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन (उत्तर प्रदेश) लि०, (i) इकाई : लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स, नाकुर रोड़ जिला सहारनपुर	187.00	—	—	168.00	—	19.00	187.00
	(ii) इकाई : न्यू विक्टोरिया मिल्स कानपुर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक : शिरोमणि शर्मा (भारत सरकार उपक्रम)	350.00	—	—	315.00	—	35.00	350.00
178.	पेंटागन स्क्रयूज एण्ड फास्टनर्स लि०, साहिबाबाद इण्डस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद प्रबन्ध निदेशक : एस० तेजबीर सिंह	271.00	100.00	—	171.00	—	—	271.00

सु० नि०—

'क' (जारी)

परिशिष्ट
(रुपए लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
17.00	—	—	—	—	17.00 (अति०)	प्रति वर्ष 10 लाख किलोग्राम कार्पेट यार्न और 9.33 लाख वर्ग मीटर टफ्टेड कार्पेट के उत्पादन के लिए नई परियोजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना ।
125.00	—	—	—	—	125.00 (अति०)	अन्य बातों के साथ-साथ स्पेशल स्टील मदों के उत्पादन में कुल उत्पादन की 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करके कम्पनी की इंटीग्रेटिड स्टील संयंत्र का आधुनिकीकरण ।
56.00	—	—	—	—	56.00 (अति०)	44504 तकुओं और 385 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण ।
105.00	—	—	—	—	105.00 (अति०)	53512 तकुओं और 1205 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण ।
81.00	—	—	—	—	81.00	प्रति वर्ष 2000 टन सैल्फ ट्रैपिंग स्क्रियूज एवं मशीन और वुड स्क्रियूज प्रत्येक के 500 टन के उत्पादन के लिए नई परियोजना ।

सुरक्षित निर्गम ।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	उत्तर प्रदेश (जारी)							
179.	रेनूसागर पावर कं० लि०, रेनूसागर जिला मिर्जापुर प्रधान : एस० एस० कोठारी अध्यक्ष : डी० एन० हिम्मतरामका (बिरला ग्रुप)	3228.00	—	—	2703.00	—	525.00	3228.00
180.	सियरसोल कन्टेनर्स लि०, हरीवाला, समीप देहरादून निदेशक : पी० एन० मलैया पी० मलैया बी० डी० मलैया	72.00	29.00	—	43.00	—	—	72.00
181.	शिवा पेपर मिल्स लि०, माओ धमोरा, जिला रामपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : पी० के० जैन	590.00	185.00	—	375.00	—	30.00	590.00
182.	शिवालिक सेलूलोस लि०, गजरौला जिला मुरादाबाद (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : इन्दर पी० चौधरी	182.12 (अति व्यय)	—	—	103.62	—	78.50	182.12
183.	श्री भवानी पेपर मिल्स लि०, राय बरेली इन्डस्ट्रियल एरिया जिला राय बरेली (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : सुधीर टंडन	600.00	200.00	—	385.00	—	15.00	600.00
184.	ट्रांस एशिया कारपेट्स लि०, सिकन्दराबाद इन्डस्ट्रियल एरिया, जिला बुलन्दशहर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : ए० वी० बिरला	88.00	—	—	68.00	—	20.00	88.00

'क' (जारी)

(रुपए लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
320.00	—	—	—	—	320.00 (अति०)	पावर जनरेटिंग क्षमता 135 मेगावाट से बढ़ाकर 270 मेगावाट करके विस्तार योजना ।
15.00	—	5.00	—	—	20.00	प्रति वर्ष 150 लाख पेपर पल्प माउल्डिड एग ट्रे के उत्पादन के लिए नई परियोजना ।
93.00	—	20.00	—	—	113.00	प्रति वर्ष 10,000 टन लेखन और मुद्रण कागज के उत्पादन के लिए नई परियोजना ।
30.00	—	—	—	—	30.00 (अति०)	प्रतिदिन 20 टन लेखन और मुद्रण कागज के उत्पादन के लिए नई परियोजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना ।
105.00	—	29.00	—	—	134.00	प्रति वर्ष 8,250 टन लेखन, मुद्रण, क्राफ्ट, रैपिंग और पैकिंग कागज का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना ।
14.00	—	—	—	—	14.00 (अति०)	डिजाइनदार वरियों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त संतुलन उपकरण सहित दो एक्स सिन्स्टर/विल्टन करघों की वृद्धि करके विस्तार योजना ।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	उत्तर प्रदेश (जारी) :—							
185.	त्रिवेणी शीट ग्लास वर्क्स लि०, इरादतगंज, जिला : इलाहाबाद अध्यक्ष : ए० बी० गांगुली	406.00	—	—	225.00	—	181.00	406.00
186.	यू० पी० कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लि०, पुरकुलगांव जिला : देहरादून प्रबन्ध निदेशक : रवि प्रकाश, आई० ए० एस० (उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कम्पनी)	806.00	269.00	—	537.00	—	—	806.00
187.	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट कार्पोरेशन लि०, (i) डल्ला (ii) चुनार जिला : मिर्जापुर अध्यक्ष : ए० बी० मलिक, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : माता प्रसाद, आई०ए०एस० (उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कम्पनी)	1350.00 (अति व्यय)	450.00	—	900.00	—	—	1350.00
188.	यू० पी० ट्विगा फाइबर ग्लास लि०, सिकन्दराबाद इंडस्ट्रियल एरिया, जिला : बुलन्दशहर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : डा० बी० वी० सूद गुरदियाल सिंह	197.52 (अति व्यय)	—	—	146.10	—	51.42	197.52
	पश्चिमी बंगाल							
189.	कांकास्ट प्रोडक्ट्स लि०, कल्याणी जिला : नादिया (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : बी० के० बर्मन	260.00	80.00	—	165.00	—	15.00	260.00

—'क' (जारी)

(रुपए लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
40.00	—	—	—	—	40.00 (अति०)	शीट ग्लास की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 50 लाख वर्ग मीटर से बढ़ा कर 80 लाख वर्ग मीटर करके विस्तार योजना।
200.00	—	—	—	—	200.00	प्रतिवर्ष 21000 टन कैल्शियम कार्बाइड के उत्पादन के लिए नई परियोजना।
100.00	—	—	—	—	100.00 (अति०)	प्रति वर्ष 16.80 लाख टन पोर्टलैण्ड ब्लास्ट फरनेस स्लैग सीमेंट का उत्पादन करने के लिए नई पृथक स्थल सीमेंट परियोजना लगाकर विस्तार योजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
32.00	—	—	—	—	32.00 (अति०)	फाइबर ग्लास के उत्पादन और इसको वस्त्रों में परिवर्तन और प्रति वर्ष 2100 टन स्थापित क्षमता सहित वृद्धि के लिए नई परियोजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना।
35.00	—	10.00	—	—	15.00	प्रति वर्ष 1050 टन नान फैरस मेटालिक स्ट्रिप्स के उत्पादन के लिए नई परियोजना।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	पश्चिमी बंगाल —(जारी)							
190.	फ्लैन्डर मैकनील गियर्स लि०, मजेरहाट कलकत्ता प्रबन्ध निदेशक : एच० एच० पैने (मैकनील एण्ड मैगर ग्रुप)	333.00	100.00	—	220.00	—	13.00	333.00
191.	हीन लेहमैन (इण्डिया) लि०, दुर्गापुर जिला : बर्दवान (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : गुरु गोविन्दा बसु प्रबन्ध निदेशक : जी० के० डागा	72.97	—	—	33.40	—	39.57	72.97
192.	हिन्दुस्तान लीवर लि०, हल्दिया जिला मिदनापुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : टी० थामस उपाध्यक्ष : ई० एच० शिम्मोन (हिन्दुस्तान लीवर ग्रुप)	—	—	—	—	—	—	—
193.	हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, उत्तरपाड़ा जिला : हुगली (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : बी० एम० बिरला उपाध्यक्ष : जी० पी० बिरला (बिरला ग्रुप)	2000.00	—	—	1310.00	—	690.00	2000.00

—'क' (जारी)

(रुपए लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
50.00	—	—	—	—	50.00	2300 लाइट और हैवी ड्यूटी ट्रान्समिशन गियर्स और मानक उपस्करों का उत्पादन करने वाले कम्पनी के संयंत्र का आधुनिकीकरण ।
—	15.18 (ज० मा०)	—	—	—	15.18 (अनि०)	प्रति वर्ष 3000 वर्ग मीटर वैल्डिड वेज वायर इन्डिस्ट्रयल स्क्रीन्स का उत्पादन करके विस्तार योजना ।
—	—	0.06 (मु० नि०)	—	—	0.06 (अनि०)	कम्पनी की साधारण शेयर पूंजी में प्रवासी हित को कम करने के लिए सुरक्षित साधारण शेयरों का कम्पनी द्वारा अधिग्रहण ।
250.00	—	—	—	—	250.00 (अनि०)	कम्पनी के आटोमोबाइल डिवीजन का आधुनिकीकरण और वर्तमान एम्बैसडर माडल में कुछ विशिष्ट संशोधन करके उसके स्थान पर सवारी कार के लिए माडल का प्रवर्तन ।

में अभिदान ।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	पश्चिमी बंगाल (जारी) :—							
194.	कानोडिया विस्कान्सन सैन्ट्रीफ्यूगल लि०, कल्याणी जिला : नादिया (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष एवं प्रमुख अधिकारी : एस० के० दास	230.00	75.00	—	138.00	—	17.00	230.00
195.	नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा) लि०, (1) इकाई : बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स (नं० 1), कारनगर जिला : हुगली (2) इकाई : बंगाल टैक्स्टाइल मिल्स, कासिमाबाजार, मुर्शिदाबाद (3) इकाई : लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स, रिशरा, जिला : हुगली (4) इकाई : बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स, सेरामपुर, जिला : हुगली (5) इकाई : रामपूरिया काटन मिल्स, रामपुर, जिला : हुगली (अधिसूचित पिछड़े जिले) अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक: एस० के० बैनर्जी (भारत सरकार उपक्रम)	818.00	—	—	680.00	—	138.00	818.00
196.	नेपच्यून पेपर मिल्स लि०, मानिकपाड़ा जिला : मिदनापुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक: श्री गोपाल डागा	550.00	168.00	—	382.00	—	—	550.00

*बाद में घटाकर 99.00

—'क' (जारी)

(रुपए लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
30.00	—	5.00	—	—	35.00	प्रतिवर्ष 500 टन हाई एलाय स्टील वर्टिकल सैन्ट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स और 150 टन हाई एलाय स्टील स्टटिक कास्टिंग्स का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना ।
227.00	—	—	—	—	227.00	कम्पनी की पांच स्पिनिंग/संकलित वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण ।
102.50*	—	20.00	—	—	122.50	प्रतिवर्ष 9900 टन लेखन और मुद्रण कागज का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना ।

लाख रुपए कर दी गई ।

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	पश्चिम बंगाल (जारी) :—							
197.	पैपीरस पेपर्स लि०, कल्याणी जिला : नादिया (अधिसूचित पिछड़ा (जिला) प्रभारी निदेशक : गौतम कानोडिया	122.00 (अति व्यय)	—	—	80.00	—	42.00	122.00
198.	सामानी फैरो अलायस लि०, कल्याणी जिला : नादिया (अधिसूचित पिछड़ा (जिला) अध्यक्ष: बी० पी० खेतान प्रबन्ध निदेशक: एम० के० सामानी	185.00	—	—	135.00	—	50.00	185.00
199.	तेगा इंडिया लि०, कल्याणी जिला : नादिया (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : ओ० पी० अन्तिया प्रबन्ध निदेशक : मदन मोहनका	42.63	10.00 (मु० नि)	—	10.00	—	22.63	42.63
200.	वेस्ट बंगाल कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, शिमला जिला : हुगली (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष: यू० भटटाचार्य	270.00	114.00	—	156.00	—	—	270.00
201.	वेस्ट बंगाल फिलामेंट एण्ड लैम्प्स लि०, कल्याणी जिला : नादिया (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एम० एम० सेन, आई० ए० एस० (सेवा निवृत्त) दिल्ली	476.60	166.00	—	295.00	—	15.00	476.00

मु० नि० — सुरक्षित निर्गम में अभिदान

—'क' (जारी)

(रुपए लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
20.00	—	—	—	—	20.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 10270 टन एम० जी०/एफ० जी० विरंजित तथा अविरंजित कागज के उत्पादन के लिए नई परियोजना की लागत में अति व्यय को आंशिक रूप से पूरा करना ।
33.75	—	—	—	—	33.75	प्रतिवर्ष 20,000 टन रोल्ड प्रोडक्ट्स की उत्पादन क्षमता वाले कम्पनी के वर्तमान संयंत्र में एक निरन्तर कास्टिंग मशीन और एक रोलिंग मिल लगाकर विशालकाय योजना ।
—	—	1.00* (मु० नि०)	—	—	1.00 (अति०)	कम्पनी का वित्तीय पुनर्स्थापन ।
40.00	—	—	—	—	40.00	7168 तकुओं से बढ़ाकर 25,208 तकुए करके विस्तार योजना ।
—	38.52 (ज० मा०)	20.00	—	—	58.52	जी० एल० एम० और अन्य प्रकार के लैम्पों के लिए 1040 लाख टंगस्टन फिलामेंटस के उत्पादन के लिए नई परियोजना ।

*सुरक्षित निर्गम में अभिदान

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	दिल्ली							
202.	दिल्ली फ्लोर मिल्स कं० लि०, प्रबन्ध निदेशक : आर० पी० जैन, गोआ	194.00	—	—	91.25	—	102.75	194.00
203.	मंडोवी पैलेट्स लि०, शिरोडा गोआ (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : वी० डी० चौगुले प्रबन्ध निदेशक : आर० एल० चौगुले (चौगुले ग्रुप)							
	पाण्डिचेरी							
204.	नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन (तमिलनाडु एण्ड पांडिचेरी) लि०, (इकाई : श्री भारती मिल्स) पाण्डिचेरी (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक : पी० के० दोरायस्वामी, आई० ए० एस० (भारत सरकार उपक्रम)	185.00	—	—	165.00	—	20.00	185.00
		112272.73	11249.56	211.50	74571.27	52.94	26187.46	112272.73

*बाद में घटाकर 23.07 लाख रुपए कर दिया गया।

**परियोजना की लागत का गणन वर्ष 1978-79 में किया जा चुका है।

†कालम 12 के अन्तर्गत, क्रम सं० 73 के अतिरिक्त साधारण और अधिमान शेयरों की हामीदारियों की सुविधा साधारण शेयरों से संबंधित थी।

टिप्पणियां :

(1) कुछ संस्थाओं के सामने जो 'औद्योगिक समूह' का नाम दिया गया है, वे उन उपक्रमों से संबंधित हैं जो एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अधीन पंजीकृत है, यह निगम को प्राप्त नवीनतम जानकारी पर आधारित है।

'क–(समाप्त)

(रुपए लाखों में)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
—	23.39* (ज० मा०)	—	—	—	23.39	प्रतिवर्ष 96,000 टन गेहूं पीसने की कम्पनी की आटा मिल का आधुनिकीकरण।
12.50	—	—	—	—	12.50 (अति०)	प्रतिवर्ष 18 लाख टन कच्चे लोहे के छर्रों की क्षमता वाले छर्रे बनाने के नए संयंत्र की लागत में क्षति व्यय को अंशिक रूप से पूरा करना।
55.00	—		—	—	55.00 (अति०)	20630 तकुओं और 386 करघों वाली कम्पनी की संकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
12603.93	1518.54	806.00†	115.90	13.65	15058.02	

(2) प्रत्येक संस्था के आगे अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों, आदि के नाम जो दिए गए हैं वह वित्तीय सहायता मंजूर करते समय थे।

(3) परियोजना लागत तथा वित्तीय साधन के आंकड़े वित्तीय सहायता मंजूर करते समय लगाए गए अनुमान पर निर्भर है।

आठ संस्थाओं को पहले के वर्षों में मंजूर सहायता को रुपया ऋणों में संपरिवर्तन करने से मंजूर राशि 109.26 लाख रुपए (रुपया ऋण) और 4 00 लाख रुपए (साधारण शेयरों की हामीदारियां)

परिशिष्ट—ख

30 जून, 1980 तक (रद्द की गई/वापिस ली गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद मंजूर की गई) निवल वित्तीय सहायता का राज्य/क्षे वार वितरण

(रुपए लाखों में)

राज्य/क्षेत्र	मंजूरियां						कुल का प्रतिशत
	परियोजनाओं की संख्या	रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा उप-ऋण	हामी-दारियां/ प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आन्ध्र प्रदेश .	101	5566.22	491.95	843.01	939.47	7840.65	7.5
असम .	11	637.93	115.86	377.50	—	1131.29	1.1
बिहार .	49	3143.74	337.19	448.68	329.75	42.59.36	4.1
गुजरात .	112	7513.77	687.21	741.06	158.94	9100.98	8.7
हरियाणा .	56	2694.63	322.70	308.77	19.08	3345.18	3.2
हिमाचल प्रदेश .	10	198.02	165.69	35.00	—	399.61	0.4
जम्मू और कश्मीर	6	230.00	—	7.50	—	237.50	0.2
कर्नाटक .	99	7568.53	578.45	592.94	221.52	8961.44	8.5
केरल .	39	3348.00	290.60	129.50	172.47	3940.57	3.8
मध्य प्रदेश .	32	2159.71	438.08	427.61	39.82	3065.22	2.9
महाराष्ट्र .	251	16210.17	1869.68	1175.11	375.93	19640.94	18.7
मेघालय .	2	280.00	—	4.09	—	284.09	0.3
नागालैण्ड .	1	50.00	—	—	—	50.00	0.1
उड़ीसा .	25	1832.23	217.25	210.00	—	2259.48	2.1
पंजाब .	42	2605.40	287.05	226.73	9.96	3129.14	3.0
राजस्थान .	42	3187.95	300.14	284.87	786.07	4559.03	4.3
तमिलनाडु	113	8341.78	846.94	878.92	1226.81	11294.45	10.8
त्रिपुरा	1	80.00	—	—	—	80.00	0.1
उत्तर प्रदेश .	126	8940.23	1546.33	660.03	353.59	11500.18	11.0
पश्चिमी बंगाल .	126	6021.49	880.24	452.93	532.13	7886.79	7.5
अण्डमान तथा निकोबार .	1	27.50	11.93	—	—	39.43	—
दिल्ली .	11	686.73	105.93	53.75	83.33	929.74	0·9
गोआ, .	6	504.00	—	120.00	—	624.00	0.6
पांडिचेरी .	3	147.00	—	9.35	8.16	164.51	0.2
जोड़ .	1265	81975.93	9503.22	7987.40	5257.03	104723.58	100.0

परिशिष्ट—ग

30 जून, 1980 तक (रद्द की गई/वापिस ली गई मंजूरियों के समायोजन के बाद) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का विवरण।

(रुपए, लाखों में)

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	मंजूरियां						कुल का प्रति शत
		परियोजनाओं की संख्या	रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा उप-ऋण	हामीदारियां/ प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	खनन और खदान :							
100	—कोयला खनन .	3	120.00	—	—	—	120.00	0.1
110	—कच्चा पैट्रोलियम .	1	—	—	350.00	—	350.00	0.3
120, 125, 127	—धातु खनन .	5	335.00	—	45.00	—	380.00	0.4
	खाद्य उत्पाद :							
206	—चीनी .	176	16330.28	7.86	85.34	—	16423.48	15.7
200,201,202, 204,210,211, 212,217,219, 222	अन्य उत्पाद .	15	442.18	30.48	47.72	—	520.38	0.5
231, 232, 241, 244, 247, 248, 249	वस्त्र .	266	15510.76	351.56	554.50	306.93	16723.75	16.0
251	पटसन उत्पाद .	25	1591.69	27.19	20 00	—	1638.88	1.5
268	नारियल जटा उत्पाद	1	27.00	—	—	—	27.00	—
270, 278	लकड़ी उत्पाद .	9	274.36	180.22	43.00	—	497.58	0.5
280, 281	कागज तथा कागज उत्पाद	71	5973.18	796.64	841.15	551.16	8162.13	7.8
290. 291,	चमड़ा उत्पाद रबर उत्पाद	9	246.75	13.57	53 00	—	313.32	0.3
300 से 303	रसायन और रसायन उत्पाद :—	22	1930.53	268.75	224.56	265.61	2689.45	2.6
310	मूल औद्योगिक संगठित तथा विघटित रसायन और गैसें	68	5485.98	927.48	885.23	445.01	7743.70	7.4
311	—उर्वरक और कीट नाशक	19	2746.39	737.47	547.93	1278.86	5310.65	5.1
316	—कृत्रिम तथा मानव निर्मित रेशे	22	1851.85	780.19	330.45	73.99	3036.48	2.9

परिशिष्ट—ग (जारी) :—

(रुपए, लाखों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
316	कृत्रिम रेसिन्स तथा प्लास्टिक सामान ।	13	425.00	360.94	107.50	—	893.44	0.8
305, 312 से 315, 318, 319	अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद	42	1273.20	182.33	241.28	—	1696.81	1.6
	अधातु खनिज उत्पाद :							
321	—कांच .	17	586.87	296.80	87.00	—	970.67	0.9
324, 328	—सीमेंट .	56	7103.00	530.98	523.39	18.54	8175.91	7.8
320, 323, 329	—अन्य अधातु खनिज उत्पाद	27	1182.18	263.10	203.11	—	1648.39	1.6
	मूल धातु तथा अलाय उद्योग :							
330 से 332	—लोहा तथा इस्पात एवं फेरो-अलाय	85	4971.63	744.90	760.59	103.26	6580.38	6.3
333 से 336, 339	—अलौह धातु उद्योग ।	23	1191.12	20.28	349.05	1945.65	3506.10	3.3
340, 341, 343, 344, 349।	—धातु उत्पाद सिवाय मशीनरी तथा परिवहन संयंत्र	44	1072.69	485.60	283.69	58.28	1900.26	1.8
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी :							
350	—कृषि यंत्र तथा पुर्जे	8	335.86	80.79	55.50	—	472.15	0.5
351 से 359	—मशीनरी और पुर्जे	78	2428.11	1130.30	376.18	103.76	4038.35	3.8
360 से 364, 366, 367, 369	—बिजली मशीनरी, उपकरण, उपस्कर, कल पुर्जे	58	1986.94	689.34	324.84	—	3001.12	2.9
	परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे							
371, 372	—लोकोमोटिव, रेलवे वैगन तथा कोच	4	122.90	—	10.00	—	132.90	0.1
374	—मोटर गाड़ियां तथा कल पुर्जे	25	1692.77	409.19	239.19	—	2341.15	2.2
375	—मोटर साइकिल, आटो साइकिल, स्कूटर पुर्जे	17	738.04	103.47	63.99	26.96	931.45	0.9
376	—अन्य परिवहन उपस्कर	3	198.20	8.85	—	—	207.05	0.2
247, 261, 358, 380, 382, 385	विविध निर्माण उद्योग	12	254.60	74.94	42.75	—	372.29	0.4
40, 41	बिजली और गैस	11	2248.00	—	215.00	—	2463.00	2.4
691	होटल उद्योग .	29	1298.87	—	63.85	79.03	1441.75	1.4
710	जहाजरानी उद्योग	1	—	—	13.61	—	13.61	—
	जोड़ .	1265	81957.93	9503.22	7987.40	5257.03	104723.58	100.0

परिशिष्ट–घ

आवेदन पत्रों की प्राप्ति और निपटान (उदार ऋण योजना को छोड़कर)

(रुपए, लाखों में)

राज्य/क्षेत्र	वर्ष के दौरान प्रक्रियारत आवेदन-पत्र				निपटान					
	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया (1-7-1979)		वर्ष के दौरान प्रक्रियारत		वर्ष के दौरान, वापस लिए, बन्द किए, अथवा निष्क्रिय श्रेणी में परिवर्तित आवेदन-पत्र		वर्ष के दौरान सहायता मंजूर (सकल) किए गए आवेदन		वर्ष के अन्त में बकाया आवेदन-पत्र (30-6-1980 को)	
	संस्थाओं की संख्या	राशि	संस्थाओं की संख्या	राशि	संस्थाओं की संख्या	राशि	संस्थाओं की संख्या	राशि	संस्थाओं की संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
आन्ध्र प्रदेश	4	395.51	14	3667.54	1	215.00	15	820.46	2	731.15
बिहार	—	—	6	2741.00	—	—	6	587.83	—	—
गुजरात	—	—	11	3525.37	—	—	9	516.08	2	685.00
हरियाणा	1	473.25	6	1384.00	—	—	6	376.00	1	517.00
हिमाचल प्रदेश .	1	7.80	1	8600.00	—	—	2	757.69	—	—
जम्मू और कश्मीर	—	—	1	659.00	—	—	—	—	1	659.00
कर्नाटक .	—	—	12	5951.00	—	—	11	1125.24	1	302.00
केरल .	1	21.00	8	3982.97	—	—	7	542.50	2	1305.47
मध्य प्रदेश	2	207.00	7	3090.20	—	—	8	595.03	1	373.50
महाराष्ट्र	2	392.00	18	5649.53	—	—	19	1081.14	1	250.00
उड़ीसा .	1	230.00	4	4388.50	1	3728.00	2	100.00	2	535.50
पंजाब .	—	—	7	2566.11	—	—	7	464.66	—	—
राजस्थान	1	99.00	15	5247.15	2	468.75	10	643.90	4	2909.50
तमिलनाडु	2	1632.65	5	1485.70	—	—	6	487.21	1	371.00
उत्तर प्रदेश	3	299.00	14	6784.22	—	—	14	1222.00	3	1095.00
पश्चिमी बंगाल	2	421.00	7	919.87	—	—	8	337.20	1	45.00
गोआ .	—	—	2	275.00	—	—	1	12.50	1	220.00
दिल्ली .	—	—	2	167.25	—	—	1	23.39	1	76.00
पांडिचेरी	—	—	1	64.00	—	—	—	—	1	64.00
जोड़ .	20*	4178.21	141	61148.41	4	4411.75	132**	9692.83	25@	10139.12

*78042.17 लाख रुपए की कुल राशि के लिए 92 संस्थाओं से प्राप्त आवेदन शामिल नहीं हैं जो कि कुल मूलभूत मुद्दों/महत्वपूर्ण मामलों के अभी न सुलझाए जाने के कारण सक्रिय कार्रवाईरत नहीं थे ।

**इसमें 76 संस्थाओं के उदार-ऋण योजना के दायरे से आने वाले 5000.50 लाख रुपए के लिए और 364.49 लाख रुपए सामान्य शर्तों पर उदार ऋण योजना के दायरे से बाहर के आवेदन-पत्र शामिल नहीं हैं ।

@इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से साथ मिलकर निगम द्वारा 41659.78 लाख रुपए के 58 संस्थानों से प्राप्त आवेदन जांच अधीन थे जिनमें संयुक्त रूप से वित्त व्यवस्था की जानी थी । इन मामलों में कुछ मूलभूत मुद्दों/मूल पहलुओं का समाधान किया जा रहा है ।

टिप्पणी : केवल मंजूरियों (जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता के हिस्से का द्योतक है) के आंकड़ों को छोड़कर सभी अन्य आंकड़े अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन संस्थाओं का सूचक है ।

परिशिष्ट—ङ

30 जून, 1980 तक प्रत्येक राज्य में (रद्द की गई/वापिस ली गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद) मंजूर की गई वित्तीय सहायता का उद्योगवार वितरण

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात	हरियाणा
1	2	3	4	5	6	7
	खनन और खदान :					
100	—कोयला खनन .	—	—	50.00	—	—
110	कच्चा पेट्रोलियम	—	350.00	—	—	—
120, 125, 127	धातु खनन	—	—	—	—	—
	खाद्य उत्पाद :					
206	—चीनी	1376.00	185.00	166.50	298.00	286.00
200, 201 202, 204, 210, 211, 212, 217, 219, 222	—अन्य खाद्य उत्पाद	88.00	—	33.00	—	26.90
231, 232, 241, 244, 247, 248, 249।	वस्त्र .	470.44	26.17	162.70	2670.17	609.73
251	पटसन उत्पाद .	126.00	78.50	34.00	—	—
268	नारियल जटा उत्पाद	—	—	—	—	—
270, 278	लकड़ी उत्पाद .	115.23	100.74	—	7.00	—
280, 281	कागज तथा कागज उत्पाद ।	1471.46	232.00	809.65	278.23	707.77
290, 291	चमड़ा उत्पाद .	93.75	—	75.00	—	—
300 से 303	रबर उत्पाद .	—	—	21.64	—	—
	रसायन तथा रसायन उत्पाद :					
310	—मूल औद्योगिक संघटित तथा विघटित रसायन तथा गैसें ।	548.96	—	252.79	953.11	—
311	—उर्वरक तथा कीटनाशक ।	1073.78	36.38	—	1620.00	—
316	—कृत्रिम तथा अन्य मानव निर्मित रेशे।	351.85	—	—	1003.66	23.00
316	—कृत्रिम रेसिन्ज तथा प्लास्टिक सामान।	162.24	90.00	—	63.50	—
305, 312 से 315, 318, 319।	—अन्य रसायन तथा उत्पाद ।	196.00	—	3.00	73.45	72.00

परिशिष्ट—ङ (जारी)

हिमाचल प्रदेश	जम्मू और कश्मीर	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मेघालय
8	9	10	11	12	13	14
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	112.50	—	—	—	—
—	—	1433.09	180.00	145.00	6274.70	—
—	—	92.50	—	—	68.00	—
77.00	105.00	693.79	291.68	605.96	3663.60	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	27.00	—	—	—
—	—	—	139.80	40.85	—	—
—	—	1364.05	115.79	—	445.71	—
—	—	—	18.57	—	—	—
—	—	165.00	324.54	—	214.81	—
—	—	324.87	1157.50	—	1493.45	—
20.00	—	236.00	306.00	83.90	31.50	—
—	—	485.00	85.88	195.71	207.23	—
—	32.50	15.00	—	—	294.30	—
2.50	—	95.08	283.00	194.78	168.35	14.09

परिशिष्ट—ङ (जारी)

30 जून, 1980 तक प्रत्येक राज्य में (रद्द की गई/वापिस ली गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद) मंजूर की गई वित्तीय सहायता का उद्योगवार विवरण

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	नागालैण्ड	उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु
1	2	15	16	17	18	19
	खनन और खदान					
100	—कोयला खनन	—	—	—	—	—
110	—कच्चा पेट्रोलियम .	—	—	—	—	—
120, 125, 127	धातु खनन .	—	75.00	—	—	85.00
	खाद्य उत्पाद :					
206	—चीनी .	50.00	205.00	494.50	235.00	1672.44
200, 201, 202, 204, 210, 211, 212, 217, 219, 222	—अन्य खाद्य उत्पाद	—	—	147.00	—	—
231, 232, 241, 244, 247, 248, 249	वस्त्र .	—	310.88	870.04	1551.93	1419.78
251	पटसन उत्पाद	—	145.00	—	—	—
268	नारियल जटा उत्पाद	—	—	—	—	—
270, 278	लकड़ी उत्पाद .	—	—	—	—	—
280, 281	कागज तथा कागज उत्पाद	—	302.08	390.73	51.00	246.00
290, 291	चमड़ा उत्पाद .	—	—	73.00	—	37.00
300 से 303	रबर उत्पाद .	—	—	—	286.89	336.04
	रसायन तथा रसायन उत्पाद :					
310	—मूल औद्योगिक संघटित तथा विघटित रसायन तथा गैसें।	—	164.29	—	47.23	1843 95
311	—उर्वरक तथा कीटनाशक।	—	—	—	253.98	453.50
316	—कृत्रिम तथा अन्य मानव निर्मित रेशे।	—	—	175.16	55.80	161.20
316	—कृत्रिम रेसिन्ज तथा प्लास्टिक सामान।	—	—	—	100.90	105.00
305, 312 से 315, 318 319	—अन्य रसायन तथा उत्पाद।	—	27.00	58.00	—	311.36

परिशिष्ट—ङ (जारी)

त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	जोड़	परियोजनाओं की संख्या
20	21	22	23	24	25
—	—	70.00	—	120.00	3
—	—	—	—	350.00	1
—	—	—	107.50	380.00	5
—	2671.75	—	150.00	16423.48	176
—	38.24	3.67	23.07	520.38	15
—	2104.15	697.52	393.21	16723.75	266
80.00	—	1175.38	—	1638.88	25
—	—	—	—	27.00	1
—	—	20.00	73.96	497.58	9
—	865.48	832.83	49.35	8162.13	71
—	—	16.00	—	313.32	9
—	444.44	758.09	138.00	2689.45	22
—	603.78	353.77	—	7743.70	68
—	1120.61	—	75.00	5310.65	19
—	291.99	—	—	3036.48	22
—	30.00	—	—	893.44	13
—	153.20	45.00	—	1696.81	42

परिशिष्ट—ङ (जारी)

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात	हरियाणा
1	2	3	4	5	6	7
	अधातु खनिज उत्पाद :					
321	–कांच तथा कांच उत्पाद ।	166.05	—	112.31	—	35.35
324; 328	–सीमेंट ।	647.39	—	474.76	727.30	—
320, 323, 329	–अन्य अधातु तथा खनिज उत्पाद ।	60.98	—	311.28	79.30	101.98
	मूल धातु अलाय उद्योग :					
330 से 332	–लोहा एवं इस्पात और फैरो अलायज ।	326.50	2.50	1373.13	—	480.23
333 से 336, 339	–अलौह धातु उद्योग	—	—	88.14	—	—
340, 341, 343, 344, 349	धातु उद्योग सिवाय मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर ।	—	—	—	47.00	247.00
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी :					
350	–कृषि यंत्र तथा पुर्जे	—	—	—	—	91.75
351 से 359	–मशीनरी तथा पुर्जे	121.82	—	87.86	406.59	114.37
360 से 364, 367, 369	बिजली मशीनरी, उपस्कर और कल पुर्जे ।	167.07	—	32.00	93.17	196.92
	परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे:					
371, 372	–लोकोमोटिव, रेलवे वैगन तथा कोच ।	—	—	15.00	—	—
374	–मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे ।	—	—	25.00	90.00	30.00
375	(मोटर साइकल, आटो साइकल स्कूटर तथा पुर्जे ।	51.79	—	50.00	—	167.28
376	–अन्य परिवहन उपस्कर ।	—	—	—	—	67.85
247, 261, 380, 382, 385, 824	विविध निर्माण उद्योग	56.34	—	—	—	87.05
40, 41	बिजली और गैस	—	30.00	—	90.00	—
691	होटल उद्योग	169.00	—	81.00	—	—
710	जहाजरानी उद्योग	—	—	—	—	—
	जोड़	7840.65	1131.29	4259.36	9100.98	3345.18
	राज्यवार परियोजनाओं की संख्या	(101)	(11)	(49)	(112)	(56)

परिशिष्ट—ङ (जारी)

हिमाचल प्रदेश	जम्मू और कश्मीर	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मेघालय
8	9	10	11	12	13	14
—	—	1.50	40.00	—	214.59	—
—	100.00	1653.00	300.00	1257.41	—	270.00
—	—	2.85	—	182.34	124.30	—
—	—	377.13	48.27	122.51	1765.05	—
—	—	215.00	307.02	—	320.24	—
—	—	303.40	—	—	115.85	—
—	—	32.50	33.00	—	101.95	—
120.19	—	456.05	—	87.75	1113.36	—
97.42	—	492.14	256.97	90.06	616.00	—
—	—	87.90	—	—	—	—
—	—	232.09	—	58.95	858.54	—
—	—	50.00	—	—	224.05	—
—	—	—	—	—	—	—
63.00	—	—	25.55	—	1020.65	—
—	—	—	—	—	1015.00	—
19.50	—	41.00	—	—	276.10	—
—	—	—	—	—	13.61	—
399.61	237.50	8961.44	3940.57	3065.22	19640.94	284.09
(10)	(6)	(99)	(39)	(32)	(251)	(2)

परिशिष्ट—ङ (जारी)

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	नागालैण्ड	उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु
1	2	15	16	17	18	19
	अधातु खनिज उत्पाद :					
321	—कांच तथा कांच उत्पाद ।	—	—	—	—	—
324, 328	—सीमेंट .	—	136.00	—	775.00	1344.05
320, 323, 329	—अन्य अधातु तथा खनिज उत्पाद ।	—	349.23	108.00	—	3.00
	मूल धातु अलाय उद्योग :					
330 से 332	—लोहा एवं इस्पात और फैरो अलायज ।	—	545.00	307.10	101.47	301.67
333 से 336, 339	—अलौह धातु उद्योग	—	—	—	668.35	1238.50
340, 341, 343, 344, 349	धातु उद्योग सिवाय मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर ।	—	—	65.50	131.24	107.32
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी :					
350	—कृषि यंत्र तथा पुर्जे	—	—	107.95	—	15.00
351 से 359	—मशीनरी तथा पुर्जे	—	—	—	—	617.21
360 से 364, 367, 369	बिजली मशीनरी, उपस्कर और कल पुर्जे ।	—	—	113.27	213.74	151.09
	परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे :					
371, 372	—लोकोमोटिव, रेलवे वैगन तथ कोच ।	—	—	—	—	—
374	—मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे ।	—	—	133.39	—	541.25
375	—मोटर साइकल, आटो-साइकल स्कूटर तथा पुर्जे ।	—	—	43.00	37.50	189.34
376	—अन्य परिवहन उपस्कर ।	—	—	—	—	—
247, 261, 380, 382, 385, 824	विविधी निर्माण उद्योग	—	—	42.50	—	—
40, 41	बिजली और गैस	—	—	—	—	—
691	होटल उद्योग	—	—	—	49.00	114.75
710	जहाजरानी उद्योग	—	—	—	—	—
	जोड़ .	50.00	2259.48	3129.14	4559.03	11294.45
	राज्यवार परियोजनाओं की संख्या	(1)	(25)	(42)	(42)	(113)

परिशिष्ट—ङ (जारी)

त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	जोड़	परियोजनाओं की संख्या
20	21	22	23	24	25
—	280.86	120.01	—	970.67	17
—	491.00	—	—	8175.91	56
—	44.00	281.13	—	1648.39	27
—	482.22	347.00	—	6580.38	85
—	75.00	593.85	—	3506.10	23
—	402.02	480.93	—	1900.26	44
—	90.00	—	—	472.15	8
—	40.00	829.30	43.85	4038.35	78
—	173.61	162.07	145.59	3001.12	58
—	—	30.00	—	132.90	4
—	101.93	270.00	—	2341.15	25
—	75.00	43.49	—	931.45	17
—	—	139.20	—	207.05	3
—	0.90	39.55	36.75	372.29	12
—	750.00	578.00	—	2463.00	11
—	170.00	—	521.40	1441.75	29
—	—	—	—	13.61	1
80.00	11500.18	7886.79	1757.68	104723.58	1265
(1)	(126)	(126)	(21)	(1265)	

परिशिष्ट च

वर्ष 1978 तथा 1979 के दौरान देश के चुने हुए उद्योगों की कुल विस्थापित क्षमता और औद्योगिक उत्पादन तथा उसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त औद्योगिक संस्थानों का योगदान

उद्योग	सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में				भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में			
	1978		1979		1978		1979	
	इकाइयों की संख्या	प्रतिशत उप-योग क्षमता	इकाइयों की संख्या	प्रतिशत उप-योग क्षमता	इकाइयों की संख्या	प्रतिशत उप-योग क्षमता	इकाइयों की संख्या	प्रतिशत उप-योग क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. रसायन तथा रसायन उत्पाद :								
–कास्टिक सोडा	32	80.6	33	71.5	6	64.8	6	74.0
–तरल क्लोरीन	26	52.5	27	48.2	4	52.9	5	59.8
2. उर्वरक :								
–नाइट्रोजन	31	66.6	33	57.2	3	78.6	3	71.4
–फास्फेटिक	38	71.3	44	61.5	2	108.4	2	92.9
3. सीमेंट	54	88.1	56	80.0	7	91.2	6	75.8
4. कागज तथा गत्ता	86	79.5	106	79.7	15	77.4	17	69.1
5. लोहा तथा इस्पात :								
–इस्पात की ढुलवां वस्तुएं .	52	48.4	58	42.9	1	70.0	2	61.9
–लोहे की लोचदार ढुलवां वस्तुएं .	12	80.0	14	60.9	3	34.2	3	39.0
–इस्पात की सिल्लियां तथा बिल्टें .	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	9	72.9	9	70.5
6. मशीनरी :								
–कृषि ट्रैक्टर .	11	99.4	13	102.0	2	93.2	3	96.0
–शक्ति टिलर्स	4	13.3	5	15.6	1	21.0	2	18.0
7. रबर उत्पाद :								
–आटोमोबाइल टायर .	16	88.2	16	87.4	4	70.5	3	63.1
–आटोमोबाइल ट्यूब .	16	75.5	16	67.3	4	60.8	3	56.4
8. बिजली मशीनरी तथा उपस्कर :								
–बिजली मोटरें	37	67.1	37	55.7	1	104.7	1	118.8
–ट्रांसफार्मर .	33	64.8	33	70.0	3	79.2	2	89.9
					2	25.5	2	20.4
–पी० आई० एल० सी० पावर तारें . –पी० वी० सी० पावर तारें .	12	49.3	12	40.3	3	49.0	3	75.7

परिशिष्ट—च (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9. आटोमोबाइल उद्योग :								
—मोटर साइकिल	4	97.9	4	97.4	5	26.0	7	45.3
—स्कूटर	12	62.4	12	61.3				
—तिपहिए	3	65.6	3	53.5				
—मोपेड	9	51.1	10	81.1				
10. कृत्रिम रेशे :								
—नाइलोन फिलामेंट धागा	8	93.0	8	92.5	3	99.7	3	89.7
—पोलेस्टर फिलामेंट धागा	8	79.4	8	117.0	3	107.3	5	88.9
—पोलेस्टर स्टेपल फाइबर	5	88.7	5	85.9	1	93.0	1	82.9
11. चीनी :								
—सहकारिताएं	136	98.9	142	64.7*	59	93.7	62	61.7
—अन्य	163		165		12	81.7	19	51.4
12. सूती वस्त्र :								
—धागा		200.9 (लाख तकुए) 9116 (धागा) (लाख कि० ग्राम)		206.1 (लाख तकुए) 9522 (धागा) (लाख कि० ग्राम)		16.7 (लाख तकुए) 839 (धागा) (लाख कि० ग्राम)		22.0 (लाख तकुए) 1209 (धागा) (लाख कि० ग्राम०)
	648$		661$		48£		62@	
—कपड़ा		2.1 (लाख खड्डियां) 32513 (कपड़ा) (लाख मीटर)		2.1 (लाख खड्डियां) 32060 (कपड़ा) (लाख मीटर)		0.10 (लाख खड्डियां) 1992 (कपड़ा) (लाख मीटर)		0.18 (लाख खड्डियां) 4054 (कपड़ा) (लाख मीटर)

*1979-80 के मौसम के लिए 15 अगस्त 1980 को उत्पादन पर आधारित (अनन्तिम)

$291 संयुक्त मिलें शामिल हैं ।

£11 संयुक्त मिलें शामिल हैं ।

@20 संयुक्त मिलें शामिल हैं ।

टिप्पणियां : 1. कालम 2, 3, 4 और 5 में दिए गए आंकड़े उद्योग, पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक (रसायन और उर्वरक विभाग), कृषि और सिंचाई (खाद्य विभाग) मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों और चीनी निदेशालय, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, टैक्स्टाइल कमिश्नर के कार्यालय और महानिदेशक तकनीकी विकास के कार्यालय से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित हैं । सूती वस्त्र से सम्बन्धित संख्याएं वास्तविक हैं । नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कुछ मामलों (पिछली रिपोर्ट के संदर्भ में) में वर्ष 1978 के 2 और 3 कालमों के आंकड़े संशोधित किए गए हैं ।

2. कालम 6, 7, 8 और 9 में दिए गए आंकड़े वित्तपोषित संस्थाओं से प्राप्त निगम की प्रश्नावली के उत्तरों पर आधारित हैं ।

परिशिष्ट

30 जून, 1980 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर
(प्रत्येक औद्योगिक संस्था के लिए

	सहकारिताएं		पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां				
	संस्थाओं की संख्या	ऋण	संस्थाओं की संख्या	ऋण	हामी-दारियां/ प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. रकमें जो दस लाख रुपए से अधिक न हों .	—	—	92	276.53	245.28	—	521.81
2. रकमें जो दस लाख रुपए से अधिक पर 20 लाख रु० से अधिक न हों .	1	20.00	53	672.11	169.58	—	841.69
3. रकमें, जो 20 लाख से अधिक पर 30 लाख रु० से अधिक न हों .	3	75.20	68	1584.49	179.36	3.71	1767.56
4. रकमें, जो 30 लाख रु० से अधिक पर 40 लाख रु० से अधिक न हों .	10	368.50	96	3071.38	355.69	20.78	3447.85
5. रकमें, जो 40 लाख रुपए से अधिक पर 50 लाख रुपए से अधिक न हों .	9	424.50	111	4664.53	452.54	38.68	5155.75
6. रकम, जो 50 लाख रुपए से अधिक पर 60 लाख रुपए से अधिक न हों .	15	851.75	61	3031.04	350.45	—	3381.49

—छ

की गई निवल वित्तीय सहायता का धन राशि के अनुसार वर्गीकरण
मंजूर की गई रकमों के अनुसार)

(रुपए, लाखों में)

जोड़				
संस्थाओं की संख्या	ऋण	हामिदारियां/प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों की गारंटियां	जोड़
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
92	276.53	245.28	—	521.81
54	692.11	169.58	—	861.69
71	1659.69	179.36	3.71	1842.76
106	3439.88	355.69	20.78	3816.35
120	5089.03	452.54	38.68	5580.25
76	3882.79	350.45	—	4233.24

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7. रकमें, जो 60 लाख रुपए से अधिक पर 70 लाख रुपए से अधिक न हों	13	854.50	58	3508.70	206.89	58.75	3374.34
8. रकमें, जो 70 लाख रुपए से अधिक पर 80 लाख रुपए से अधिक न हों .	16	1243.00	44	2993.43	286.89	38.64	3318.96
9. रकमें, जो 80 लाख रुपए से अधिक पर 90 लाख रुपए से अधिक न हों .	35	3095.43	43	3240.88	448.12	—	3689.00
10. रकमें, जो 90 लाख रुपए अधिक पर एक करोड़ रुपए से अधिक न हों	18	1772.50	34	2918.31	289.56	57.95	3265.82
11. रकमें, जो एक करोड़ रुपए से अधिक न हो	52	7925.77	240	48886.60	5003.04	5038.52	58928.16
जोड़ :	172	16631.15	900	74848.00	7987.40	5257.03	88092.43

छ—जारी (रुपए, लाखों में)

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
71	4363.20	206.89	58.75	4628.84
60	4236.43	286.89	38.64	4561.96
78	6336.31	448.12	—	6784.43
52	4690.81	289.56	57.95	5038.32
292	56812.37	5003.04	5038.52	66853.93
1072	91479.15	7987.40	5257.03	104723.58

परिशिष्ट ज

रियायती दरों पर वित्त प्रदान करने की शर्तें

(30 जून, 1980 को)

देश के कम विकसित भागों में उद्योगों का प्रसार करने की दृष्टि से उद्यमकर्ताओं को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की 1970 से एक योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत इन क्षेत्रों की परियोजनाओं को रियायती दरों पर वित्त प्रदान किया जाता है। यह योजना अब होटलों सहित निगमित तथा सहकारी क्षेत्र की सभी प्रकार की परियोजनाओं जैसे, नई, विस्तार अथवा विशाखन पर भी लागू होगी, चाहे उनकी पूंजीगत लागत कुछ भी हो। कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की इकाइयों को रियायती दरों पर वित्त प्रदान करने की इस संशोधित योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) स्थिति :

यह सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न राज्यों अथवा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के चुने हुए जिलों में पहले से स्थापित/स्थापित की जाने वाली सभी औद्योगिक परियोजनाओं को उपलब्ध हो सकेगी।

(2) योजना का क्षेत्र :

रियायती वित्त सभी पात्र परियोजनाओं (होटलों सहित) —नई तथा विशाखन-निगमित (लिमिटेड कम्पनियों) तथा सहकारी क्षेत्र को प्रदान किया जाता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अधिसूचित कम विकसित जिलों की परियोजनाओं को पुनरर्थापन के लिए भी उन्हीं शर्तों पर वित्त प्रदान करता है जिन शर्तों पर नई विस्तार परियोजनाओं को वित्त प्रदान किया जाता है।

(3) सहायता की सीमा :

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अकेले रियायती दरों पर वित्त प्रदान करने की समग्र सीमा, अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ समानुपातिक आधार पर 2.00 करोड़ रुपए तथा वैसे 1.00 करोड़ रुपए की सीमा में पहले के बकाया रियायती शर्तों पर मंजूर रुपया ऋणों, यदि कोई है, का गणन किया जाएगा। निगम सहित अन्य दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती शर्तों पर प्रदान की जाने वाली हामीदारी सहायता की सीमा 1.00 करोड़ रुपए होगी, चाहे परियोजना की लागत कुछ भी हो। इस बात का विचार किए बिना कि उसी प्रवर्तक/समूह की कोई अन्य इकाई उसी राज्य या भिन्न राज्यों में पहले ही रियायती शर्तों पर वित्तपोषित की गई है रियायती वित्त, इकाई क्रम के आधार पर अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में लगाई हुई परियोजनाओं को उपरोक्त सीमा के भीतर उपलब्ध करवाया जाता है।

(4) शर्तें :

(i) ब्याज की दर :

योजना के अन्तर्गत रुपया ऋणों पर तथा विदेशी ऋणों पर वर्तमान ब्याज की दर 11.85 प्रतिशत से कम ब्याज दर अर्थात् क्रमशः 10.25 और 10.75 प्रतिशत ली जाती है।

(ii) ऋणों की अदायगी अवधि :

निगम की सामान्य पद्धति रही है कि सहायता प्रदान करने वाली संस्था को ऋण अदायगी में मूलधन की प्रथम किस्त प्रदान करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाता है। कम विकसित क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए प्रत्येक मामले की लाभ सम्भावनाओं और साधन तथा स्रोतों की स्थिति को देखते हुए यह अवधि ऋण के प्रथम संवितरण की तारीख से पांच वर्ष तक बढ़ा दी जाएगी। कम विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं के प्रत्येक मामले में गुणावगुणों के आधार पर उनकी लाभ क्षमता और नकद बहाव स्थिति को देखते हुए अदायगी की सामान्य स्वीकृत अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(iii) प्रवर्तकों का योगदान तथा ऋण इक्विटी अनुपात :

प्रत्येक मामले में गुणावगुणों के आधार पर प्रवर्तकों का वित्तीय स्तर तथा ख्याति, योजना विशेष की परिपक्व अवधि, अन्य सम्बन्धित तत्व तथा लाभ क्षमता को देखते हुए परियोजना लागत में प्रवर्तकों द्वारा सामान्य योगदान से 17.5 प्रतिशत के लगभग योगदान तथा अधिक उन्मुक्त इक्विटी ऋण अनुपात पर विचार किया जाएगा।

(iv) साधारण और अधिमान पूंजी में साझेदारी :

प्रत्येक मामले में गुणावगुणों के आधार पर निगम अन्य जिलों/क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं की तुलना में कम विकसित क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए हामीदारी अथवा शेयर पूंजी में अधिक योगदान देने पर विचार करने पर तत्पर रहेगा।

(v) अन्य प्रभारों में कटौती :

रुपया ऋणों के मामले में निगम के सामान्य प्रभारों, हामीदारी प्रभार, आवेदनों की जांच के लिए अप्रतिदेय शुल्क, तथा विधिक प्रभारों में 50 प्रतिशत तथा आस्थगित अदायगी कमीशन के निवग प्रभार में 25 प्रतिशत की कटौती कर दी जायगी। हामीदारी कमीशन से सम्बन्धित निगम के सामान्य प्रभारों में भी 50 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

परिशिष्ट II

सरकारी वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पात्र जिलों/क्षेत्रों की समेकित पूंजी ।

(30 जून, 1980)

	राज्य	चुने हुए जिले
1.	आन्ध्र प्रदेश	अनन्तपुर, चित्तूर, कुडप्पा, करीमनगर, खम्मम, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, नेल्लौर, निजामाबाद, प्रकाशम, श्रीकाकुलम* और वारंगल ।
2.	असम	कछार*, गोआलपाड़ा*, कामरूप*, मिकिर हिल्स*, उत्तरी कछार हिल्स तथा लखमपुर* तथा नौगांव* ।
3.	बिहार	औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर*, भोजपुर, चम्पारन*£, दरभंगा*£, गया, मुंगेर, मुज्जफरपुर*£, नालन्दा, नवादा, पलामू*, पूर्णिया£, सहरसा*, संथाल परगना*, और सारन*£ ।
4.	गुजरात	अमरेली, बनासाकांठा, भावनगर, भड़ौच*, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाणा, पंचमहल, साबरकांठा तथा सुरेन्द्र नगर* ।
5.	हरियाणा	भिवानी, हिसार£, जींद तथा महेन्द्रगढ़$ ।
6.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा*, कांगड़ा*£, किन्नौर, कुल्लु*, लाहौल तथा स्पीती, सिरमूर*, और सोलन* ।
7.	जम्मू और कश्मीर	अनन्तनाग*, बारामूला*, डोडा, जम्मू*, कठुआ, लद्दाख, पूंछ*, राजौरी, श्रीनगर*, तथा उधमपुर ।
8.	कर्नाटक	बेलगांव, बीदर, बीजापुर, धारवाड़*, गुलबर्गा, हसन, मैसूर*, उत्तरी कनारा, रायचूर*, दक्षिणी कनारा तथा तुमकुर ।
9.	केरल	एलप्पी*, कन्नानौर*, मलापुरम*, त्रिचूर तथा त्रिवेन्द्रम ।
10.	मध्य प्रदेश	बालाघाट, बस्तर, बेतूल, बिलासपुर, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, देवास, गुना, होशंगाबाद, झबुआ, खरगौन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, रायसेन, राजगढ़, राजनंदगांव, रतलाम, रीवां, सहार, सिवनी, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, सरगुजा, टीकमगढ़, विदिशा तथा नाया सिहोर जिला ।
11.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद*, भंडारा, भीर, बुलढाणा, चन्द्रपुर*, कोलाबा, धूलिया, जलगांव, नान्देड़, उस्मानाबाद, परभणी, रत्नगिरी* और यवतमाल ।
12.	मणिपुर	सभी पांचों जिले* ।
13.	मेघालय	गोरो हिल्स*, संयुक्त खासी तथा जयन्तिया हिल्स*£ ।
14.	नागालैंड	कोहिमा*, मोकोकचुंग*, तथा तुएनसंग ।
15.	उड़ीसा	बालासोर, बोलंगीर*, डेनकनाल*, कालाहांडी*, क्योंझर*, कोरापूट*, मयूरभंज* तथा फूलबनी ।
16.	पंजाब	भटिंडा*£ फिरोजपुर$ गुरदासपुर, होशियारपुर* और संगरूर* ।
17.	राजस्थान	अलवर*, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भोलवाड़ा*, चूरु*, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झुनझुनू, झालावाड़, जोधपुर*, नागौर*, सीकर, सिरोही, टोंक तथा उदयपुर* ।
18.	सिक्किम	गंगटोक*, गयालसिंह*, मंगा*, एवं नमची* के सभी चार जिले ।
19.	तमिलनाडु	धर्मापुरी, कन्याकुमारी, मदुरै, उत्तरी अरकोट, पडुक्कोट्टई, रामानाथपुरम, दक्षिणी अरकोट, तंजावूर और तिरुचिरापल्ली ।
20.	त्रिपुरा	सभी तीनों जिले* ।
21.	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा*, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया*, बांदा, बाराबंकी, बस्ती*, बुलन्दशहर£, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद*, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी*£, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, टिहरी गढ़वाल, उन्नाव तथा उत्तर-काशी ।
22.	पश्चिमी बंगाल	बांकुरा, बीरभूम, बर्दवान, कूचबिहार, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुड़ी, मालदा, मिदनापुर*, मुर्शिदाबाद, नदिया*, पुरुलिया, तथा पश्चिमी दिनाजपुर ।

परिशिष्ट-III जारी

राज्य	चुने हुए जिले
केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह*	सम्पूर्ण क्षेत्र
2. अरुणाचल प्रदेश*	सम्पूर्ण क्षेत्र
3. दादरा और नगर हवेली*	सम्पूर्ण क्षेत्र
4. गोआ, दमन और दीव*	सम्पूर्ण क्षेत्र (केन्द्र शासित क्षेत्र के नगर पालिका के अधीन क्षेत्र को छोड़कर)
5. लक्षद्वीप*	सम्पूर्ण क्षेत्र
6. मिजोरम*	सम्पूर्ण क्षेत्र
7. पाण्डिचेरी	सम्पूर्ण क्षेत्र (केन्द्र शासित क्षेत्र के नगर पालिका के अधीन क्षेत्र को छोड़कर)

*ये जिले/क्षेत्र केन्द्रीय सरकार की निवेश आर्थिक सहायता के पात्र हैं।

£हाल ही में किए गए पुनर्गठन से पहले के जिले।

$हाल ही में पुनर्गठित जिले।

टिप्पणियां :

(i) आन्ध्र प्रदेश

श्रीकाकुलम जिला और 5 क्षेत्र :

रायलसीमा खण्ड के 22 ब्लाकों वाले दो क्षेत्र 13 ब्लाकों वाले क्षेत्र I में चित्तूर%, वंगारुपेलम% पूलिचेरला%, पुत्तूर%, चन्द्रगिरी तथा कालाहस्थी (चित्तूर जिले से) और कौड्र, राजुमपेट, सिद्धौत, कुड्डपा, कमलापुरम, प्रोद्दूतूर और पुलिवंडला (कुड्डपा जिले से) हैं और 9 ब्लाकों वाले हैं क्षेत्र II में तैदपत्तरी, सिहमाला, गुट्टी, कुडेर% (अनन्तपुर जिले से) और धोन, कुरनूल, बंगानपल्ली% नन्दयाल%, और गिदालूर (कुरनूल जिले से) तेलंगाना क्षेत्र से 43 ब्लाकों वाले 3 क्षेत्र 14 ब्लाकों वाले क्षेत्र I में महबूबनगर%, जदचेरला%, शादनगर%, केल्वाकुर्ति और अमरगंल (महबूबनगर जिले से) और नालगौंडा, मुंगाडी, नकराकल, सूर्यपेट, कोडाद%, कुजुरनगर%, मिरयलगुड़ा%, पेडावोरा%, तथा देवरकोण्डा%, (नालगौंडा जिले से) हैं, 14 ब्लाकों वाले क्षेत्र II में खम्मम, तिरुमालइपेलम, कैलूर%, येलेडू%, कोदागुडम%, अश्वारपेट%, बुर्गामपद% भद्राचलम%, (खम्मम जिले से) और महबूबाबाद, नरसामपेट, हनमकोंडा, थानापुर%, जंगांव%, और मुलुग% (वारंगल जिले से) है 15 ब्लाकों वाले क्षेत्र III में जहीराबाद, पत्तनचेरुवु%, नरसापुर%, मेडक%, सिद्दीपेट (मेडक जिले से), येदापाली% निजामाबाद%, कमारेड्डी%, डोम्माकोंडा, (निजामाबाद जिले से) और सिरसिल्ला%, करीमनगर, सुल्तानाबाद, पेदापल्ली, मंथानी% और हजूराबाद (करीम नगर जिले से) केन्द्रीय योजना के अधीन निवेश सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ii) हरियाणा

महेन्द्रगढ़ का पुनर्गठित जिला (महेन्द्रगढ़ तथा रिवाड़ी% उप-खण्डों वाला) भिवानी जिला (भिवानी और दादरी*%, उप-खण्डों वाला) और आठ ब्लाकों वाला एक क्षेत्र, अर्थात हिसार ब्लाक नं० 1 और बड़वाला ब्लाक (हिसार तहसील से), हांसी ब्लाक नं० 1 (हांसी तहसील से), बहुणा ब्लाक (फतेहाबाद तहसील से) टोहाणा ब्लाक/तहसील (टोहाणा तहसील से) हिसार जिले से जींद ब्लाक और जुलाण ब्लाक (जींद तहसील से) उचाना ब्लाक (नरवाणा तहसील से) जींद जिले से केन्द्रीय योजना के अधीन निवेश सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(iii) मध्य प्रदेश

छः क्षेत्र :

पूर्वी खण्ड से 12 ब्लाकों वाला एक क्षेत्र अर्थात कोरबा, बलौदा, चम्पा, कोटा, मस्तूरी और बिल्हा (बिलासपुर) ब्लाक (बिलासपुर जिले से); भाटापारा, सिम्गा, तिल्दा, धारगीवा (रायपुर) अभनपुर और राजिम ब्लाक (रायपुर जिले से), उत्तरी खण्ड से 9 ब्लाकों वाला क्षेत्र% अर्थात शिवपुरी एवं करेड़ा (शिवपुरी जिले से) दतिया और स्यौढ़ा (दतिया जिले से); भिंड मेहगांव और गोहद (भिंड जिले से) और मुरैना और जौरा (रैना जिले से); पश्चिमी खण्ड से

10 ब्लाकों वाला क्षेत्र अर्थात देवास, और टोंक खुर्द ब्लाक (देवास जिले से), गुलाना, शुजालपुर तथा शाजापुर ब्लाक (शाजापुर जिले से); पंचौर (सारंगपुर) और बियौरा ब्लाक (रायगढ़ जिले से) और चाचौरा राघौगढ़ और गुना ब्लाक (गुना जिले से); पश्चिमी खण्ड 2 के 12 ब्लाकों वाला क्षेत्र% अर्थात पोटलवाड़, एवं मेघनगर (झबुआ जिला से), बदनावर, धार और नालचा (धार जिले से) महेश्वर और बरवाहा (खरगौन जिले से) रतलाम और जौरा (रतलाम जिले से), मन्दसौर, महारगढ़ और नीमच (मन्दसोर जिले से), मध्य क्षेत्र से 11 ब्लाकों वाला 'क्षेत्र% अर्थात् बीना, इटावा, खुरी, बांदा (बिनेका) राहतगढ़, सागर, शाहगढ़ (अमरमऊ) (सागर जिले से), टीकमगढ़ और बलदेवगढ़ (टीकमगढ़ जिले से) विदिशा और ग्यारसपुर (विदिशा जिले से) और छतरपुर (छतरपुर जिले से); उत्तर पूर्वी खण्ड से 11 ब्लाकों वाला 'क्षेत्र% अर्थात रीवा और रायपुर (गढ़) (रीवा जिले से), मझौली, सीधी, देवसर और वैधान (सीधी जिले से) सोंहट, बैकुण्ठपुर, महेन्द्रगढ़, सुरजपुर और अम्बिकापुर (सरगुजा जिले से) केन्द्रीय योजना के अधीन निवेश सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(iv) तमिलनाडु

33 तालुकों वाले तीन क्षेत्र/खण्ड :

(उपतालुकाओं सहित) 12 तालुकाओं वाला क्षेत्र, अर्थात रामानाथापुरम, मुदुकुलातुर, शिवगंगा, परमाकुडी, थिरुवदानी, करायकुडी एवं थिरुपाथुर तालुक (रामानाथापुरम जिले से); मेलूर तालुका (मदुरै जिले से) पुडुकोट्टई, थिरुमयम, अलांगुडी, कुलाथुर तालुक (पुडुकोट्टई जिले से), दो क्षेत्र% एक 11 तालुकों वाला क्षेत्र अर्थात धर्मपुरी, पालकोड, होसुर, देनकेनोकोट्टा, कृष्णागिरी, उथानगराई हुरुर (धर्मापुरी जिले से) तिरुपतुर, वनियमबदी, वेल्लूर, वालाजापेट (उत्तरी आरकोट जिले से) तथा दूसरा 10 तालुकों वाला क्षेत्र अर्थात अरुपूकोटई, पिरुधनगर, सत्तूर, श्रीविलीपुतुर, राजापालयम् (रामानाथापुरम जिले के पश्चिमी रामानाथापुरम से) तिरुमंगलम, उसिलमपट्टी, निलाकोट्टई, डिंडीगुल, वेदासंदूर (मदुरै जिले से) केन्द्रीय योजना के अधीन निवेश सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

%10-7-1972 के बाद में चुने हुए जिलों/उपखण्डों/तालुकों/ब्लाकों/तहसीलों का द्योतक है।

*हाल ही में किए गए पुनर्गठन से पहले के जिले।

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 27th November 1980

NOTICE

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri V. Parthasarathi has assumed charge as Vice-Principal, State Bank Staff College, Hyderabad as from the 15th November 1980.

Sd./- S. C. NAGAR
Deputy Managing Director
(Personnel and Services)

STATE BANK OF MYSORE
(Associate of State Bank of India)
HEAD OFFICE : BANGALORE

Bangalore, the 10th December 1980

NOTICE

The Register of Shareholders of the State Bank of Mysore will remain closed from 31st January 1981 to 14th February 1981 (both days inclusive) for payment of 34th Dividend for the year ended 31st December 1980 to the Shareholders whose names stand registered in the books of the Bank as on the 14th February 1981.

Sd./- M. B. DESHMUKH
Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 1st November 1980

No. 5-ECA(11)/80-81.—With reference to this Institute's Notification Nos. 4-CA(1)/19/79-80 dated 15th March, 1980, 4-CA(1)20/77-78, dated 18th February, 1978 and 4-CA(1)/28/76-77 dated 9th March, 1977, it is hereby notified in persuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Date of Restoration
1.	8580	Shri Sri Narain Wahal, F.C.A., Chartered Accountant, C-39, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017.	15-10-1980
2.	10628	Shri Arvinder Singh Johar, F.C.A. Chartered Accountant, 17, 1032, Hari Singh Nalwa Street, Karol Bagh, New Delhi-110005.	30-9-1980
3.	15519	Shri Ajay Kumar Singh, A.C.A., M/s. Singora & Co., A-15/7 Vasant Vihar, New Delhi.	13-10-1980

P. S. GOPALAKRISHNAN
Secy.

Calcutta-700071, the 5th November 1980

No. 4-ECA(6)/80-81.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect from 3rd September, 1980 the name of Shri Kalyan Kumar Saha, 768/A, Block-P, New Alipore, Calcutta-700053. His membership number is 5303.

No. 5-ECA(11)/80-81.—With reference to this Institute's Notification No. 4ECA(11)/79-80 dated the 15th March, 1980 it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964 that in exercise of powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from 29th October, 1980 the name of Shri B. Sanyal, P.O. Aswini Nagar, Baguiati, Calcutta-700059. His membership number is 5760.

P. S. GOPALAKRISHNAN
Secy.

Madras-600034, the 31st October 1980

No. 4-SCA/5/80-81.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-section (i) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of Removal
1.	229	Shri T. R. Subbrama Aiyar K. K. Thampan & Co. Chartered Accountants Madhavan Nair Road Chalapuram Calicut-673002.	7-10-1980
2.	426	Shri D. V. Sarovar D. V. Sarovar & Co. Chartered Accountants Car Street Bellary-583101.	21-9-1980
3.	773	Shri O. Ramachandran Suri & Co. Chartered Accountants 8, Rutland Gate 4th Street. Madras-600006.	14-10-1980

No. 4-SCA/7/80-81.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-section (i) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Date of Removal
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	156	Shri N. C. Rajagopal N. C. Rajagopal & Co. Chartered Accountants 12, Sathyamurthy Street, Erode-638001.	25-10-1980

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	4993	Shri Kopalley Subba Rao Krishna & Co. Chartered Accountants 251, West Marredpalli Secunderabad.	18-10-1980
3.	20646	Shri R. Ramachandra Raju 45, Parthasarathi Naidu Street, Triplicane Madras-600005.	17-3-1980

No. 5-SCA/7/80-81.—With reference to this Institute's notification No. 4SCA(1)/9/79-80, dated 15th March 1980, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of Restoration
1.	5601	Shri B. H. Belgaumkar, F.C.A. Chartered Accountant P. O. Box 2632, Khartoum, Sudan.	15-10-1980
2.	18138	Shri S. Gopalakrishna Bhat, A.C.A. Chartered Accountant P. O. Box 416 Mufulira Zambia.	13-10-1980

No. 8-SCA/7/80-81.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Date of Cancellation
1.	12910	Shri M. Veeraraghavan, A.C.A. Accounts Officer (Telephones), Indian Telephone Industries Limited, Doorvaninagar Bangalore-560016.	1-4-1980
2.	19925	Shri R. Sankaran, A.C.A. 16, Workshop Road, Madurai-625001.	31-7-1980
3.	20377	Shri Dinesh Shenoy Bhamy, A.C.A. No. 177, Gokulam, III Stage Mysore-570002.	31-7-1980
4.	20451	Shri Murali R. Menon, A.C.A. Accounts Officer. M/s. Tata Iron & Steel Company Limited 'Bombay House' 24, Homi Modi Street, Fort, Bombay-400023.	3-11-1979
5.	20769	Shri G. Venkataramana Reddy A.C.A. M.I.G. Block-I, Flat-XI, A. P. Housing Board Flats, Mukarramjahi Road, Hyderabad-500001.	19-9-1980

The 17th November 1980

No. 4-SCA/8/80-81.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of Removal
1.	963	Shri Thomas Joseph, Near Sales Tax Office, Chengannur-689121.	20-9-1980
2.	5835	Shri B. K. N. Bhagwan, 77/19, Ratna Vilas Road, Basavanagudi Bangalore-560004.	5-10-1980

P. S. GOPALAKRISHNAN,
Secy.

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta, the 5th December 1980

No. 16-CWR(320)/80.—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, on account of death, the name of Shri Amrik Singh Oberoi, BA, FICWA, Sr. Systems Engineer, International Computers Ltd., Feltham, Middlesex, U. K. (Membership No. M/1050).

S. N. GHOSE
Secy.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 10th December 1980

No. U-16/53/78.Med.II(Karnt.).—In pursuance of the resolution passed at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon me the powers of the Corporation under Regulation 105 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, I hereby authorise Dr. S. R. Goil, No. 13/216, Meenakshi Koil Street, Shivaji Nagar, Bangalore 51 to function as medical authority with effect from 1-1-1971 for Bangalore City for the purposes of medical examination of the Insured Persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt. The appointment is uptill 31st December, 1981 or till a full-time Medical Referee joins whichever is earlier.

HAR MANDER SINGH,
Director General

New Delhi, the 15th December 1980

No. N.15/13/11/3/79-P&D (1).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the Schedule given below the first contribution and first benefit periods for Sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employ-

ment on the appointed day of midnight of 6th December, 1980 as indicated in the table given below :

Set	First contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A.	6-12-1980	31-1-1981	5-9-1981	31-10-1981
B.	6-12-1980	28-3-1981	5-9-1981	26-12-1981
C	6-12-1980	30-5-1981	5-9-1981	27-2-1982

SCHEDULE

"Revenue Village Sheikhpura Had Best No. 133 in the District of Kapurthala" in the State of Punjab.

No. N. 15/13/11/3/79-P&D (2).—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations 1950, the Director General has fixed the *7th December*, 1980 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the *Punjab Employees'* State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1953, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of *Punjab* namely;—

"Revenue Village Sheikhpura Had Bast No. 133 in the District of Kapurthala".

No. N. 15/13/11/2/76-P&D(1).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the Schedule given below the first contribution and first benefit periods for Sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of midnight of *6th December*, 1980 as indicated in the table given below :—

Set	First contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A.	6-12-1980	31-1-1981	5-9-1981	31-10-1981
B	6-12-1980	28-3-1981	5-9-1981	26-12-1981
C	6-12-1980	30-5-1981	5-9-1981	27-2-1982

SCHEDULE

(i) Municipal limits of Hoshiarpur including revenue villages of Naloian (Had Bast No. 225), Hoshiarpur (Had Bast No. 226), Bassi Khawaju (Mad Bast No. 227), Choli (Had Bast No. 228), Bassi Jana (Had Bast No. 229), Khwas Pur (Had Bast No. 246), Prem Garh (Had Bast No. 247), Darapur (Had Bast No. 248), Sotehari (Had Bast No. 249), Sikhlian (Had Bast No. 357), Bahadur Pur (Had Bast No. 358), Sukhia Bad (Had Bast No. 359), and Salwara (Had Bast No. 360); and

(ii) Revenue village of Chohal (Had Bast No. 494) in the District of Hoshiarpur in the State of Punjab.

No. N. 15/13/11/2/76-P&D(2).—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the *7th December*, 1980 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the *Punjab* Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1953, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of *Punjab* namely :—

(i) Municipal limits of Hoshiarpur including revenue villages of Naloian (Had Bast No. 225), Hoshiarpur (Had Bast No. 226), Bassi Khawaju (Had Bast No. 227), Choli (Had Bast No. 228), Bassi Jana (Had Bast No. 229), Khwas Pur (Had Bast No. 246), Prem Garh (Had Bast No. 247), Darapur (Had Bast No. 248), Sotehari (Had Bast No. 249), Sikhlian (Had Bast No. 357), Bahadur Pur (Had Bast No. 358), Sukhia Bad (Had Bast No. 359), and Salwara (Had Bast No. 360); and

(ii) Revenue village of Chohal (Had Bast No. 494) in the District of Hoshiarpur.

No. N. 15/13/7/3 76/-P&D(1).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the Schedule given below the first contribution and first benefit periods for Sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of midnight of 6-12-1980 as indicated in the table given below :—

Set	First contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A.	6-12-1980	31-1-1981	5-9-1981	31-10-1981
B.	6-12-1980	28-3-1981	5-9-1981	26-12-1981
C	6-12-1980	30-5-1981	5-9-1981	27-2-1982

SCHEDULE

1. (a) The areas within Municipal limits of Bijapur, and

(b) The areas comprising the revenue villages of Mahal Bagayat and Bhutanal in Taluka and District Bijapur, in the State of Karnataka.

No. N. 15/13/7/3/76-P&D(2).—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 7-12-1980 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely :—

1. (a) The areas within Municipal limits of Bijapur; and

(b) The areas comprising the revenue villages of Mahal Bagyat and Bhutanal in Taluka and District Bijapur.

FAQIR CHAND
Director (Plg. & Dev.),

Ahmedabad, the 10th December 1980

No. G/Adm/227(Consti)/79.—In the Notification of even number dated 28-2-1980 pertaining to Local Committee, ESIC, Petlad published at page 1267 and 1270 in Hindi & English respectively in the Gazette of Indian No. 15 dated 12-4-1980 at Sl. No. 5, the name of "Shri P. C. Patel, C/o Shree Vrajesh Textile Mills Pvt. Ltd., Station Road, Petlad : 388450". may be substituted in place of Shri Shaktiprasad. P. Zala. The Chairman, Regional Board, ESIC, Gujarat has declared the cessation of Membership of Shri S. P. Zala from Local Committee, Petlad under Regulation 10-A (4) (ii) of E.S.I. (General) Regulation, 1950.

J. S. GREWAL,
Regional Director &
Secretary, Gujarat Regional Board,
E.S.I. Corporation, Ahmedabad-14.

NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

New Delhi, the 3rd December 1980

No. NCDC.1-1/78-Admn.—In the notification No. NCDC-1-1(iii)/78-Admn. dated 16th February, 1979 published in the Gazette of India No. 9 Part III, Section 4 dated 3rd March, 1979, substitute entries under column 6 (Educational and Other Qualifications for Direct Recruitment) in respect of Commercial Artist by the following :—

Essential :—

(i) Diploma in Commercial Art/Fine Arts from a recognised University/Institution.

(ii) 5 years experience as Commercial Artist/as Artist in Fine Arts in the Publicity Department of Central Government/State Government/Semi Government Organisation/Public Undertaking and reputed advertising agencies.

Desirable :—

Knowldege of Photography.

The amendment shall take effect from 22nd September 1980.

K. J. S. BHATIA
General Manager

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

New Delhi-110001, the 12th December 1980

NOTICE

No. 25-21/80-LI.—Postal Life Insurance policies particularised below having been lost from the Departmental custody, Noitce is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director Postal Life Insurance Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

Sl. No.	Policy No & Date	Name of the Insurant	Amount
1.	339290-P	Shri P. Chellamm I	Rs. 5000/-

Sd./- ILLEGIBLE
DDG (PLI).

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER, NEW DELHI

New Delhi, the 23rd December 1980

Notification No. Adm. (R-II)/14(7)/80/35813.

G.S.R.—In exercise of the powers conferred by sub-section 7 of section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Employees' Regulations, 1962, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) (Amendment) Regulations, 1980.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the table below paragraph 3 of the Third Schedule to the Employees' Provdient Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1962 :—

(a) against serial No. 1 relating to the posts of Superintendent (Headquarters Office) to be promoted against 50% examination quota on the basis of competition examination (Part I of the Accounts Service Examination) :

(i) for the words, "subect to their possessing three years' experience and not exceeding the age limit of 45 years on the 1st day of the financial year in which the examination is held" appearing against the posts of Head Clerks (Regional Offices), Stenographers (Senior) (Headquarters and Regional Offices), Assistants (Headquarters Office) and Junior Technical Assistants (Headquarters Office) the words, "subject to their possessing two years' experience and not exceeding the age limit of 45 years on the 1st day of January of the year in which the examination is held, provided that, if two examinations are held in a calendar year, the crucial data with regard to the second examination will be the first day of July of the year in which the second examination is held" shall be substituted;

(ii) for the words "subject to their possession ten years' experience and not exceeding the age limit of 45 years on the 1st day of the financial year in which the examination is held" appearing against the posts of Upper Division Clerks (Headquarters and Regional Offices), Stenographers (Junior) (Headquarters and Regional Offices) and Lower

Division Clerks including Steno-typists, Telephone and Telex Operators, the words "subject to their possessing five years experience and not exceeding the age limit of 45 years on the 1st day of the January of the year in which the examination is held, provided that if two examinations are held in a calendar year the crucial date with regard to the second examination will be the first day of July of the year in which the second examination is held" shall be substituted;

(b) against serial No. 2 relating to the posts of Provident Fund Inspectors (Grade II) to be promoted against 50% examination quota on the basis of a competitive examination (Part I of the Accounts Service Examination) :

(i) for the words "subject to their possessing three years' experience and not exceeding the age limit of 45 years on the 1st day of the financial year in which the examination is held", appearing against the posts of Head Clerks and Machine Operators (Regional Offices), Stenoraphers (Senior) (Headquarters and Regional Offices), Assistants (Headquarters Office) and Junior Technical Assistants (Headquarters Office), the words "subject to their possessing two years' experience and not exceeding the age limit of 45 years on the 1st day of the January of the year in which the examination is held, provided that if two examinations are held in a calendar year the crucial date with regard to the second examination will be the first day of July of the year in which the second examination is held" shall be substituted;

(ii) for the words, "subject to their possessing ten years' experience and not exceeding the age limit of 45 years on the 1st day of the financial year in which the examination is held" appearing against the posts of Upper Division Clerks (Headquarters and Regional Offices), Stenographers (Junior) (Headquarters and Regional Offices), Lower Division Clerks (including Steno-typists, Telephone and Telex Operators), the words "subject to their possessing five years experience and not exceeding the age limit of 45 years on the 1st day of the January of the year in which the examination is held, provided that if two examinations are held in a calendar year, the crucial date with regard to the second examination will be the first day of July of the year in which the second examination is held" shall be substituted.

LAKSHMIDHAR MISHRA,
Central Provident Fund Commissioner.

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

32ND ANNUAL REPORT JUNE 30, 1980

NOTICE

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

NEW DELHI

Notice is hereby given that the THIRTY-SECOND ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA will be held on Tuesday, the 30th September, 1980 at 4.00 P.M. (Standard Time) at Hotel Imperial, Janpath, New Delhi, to transact the following business :

(1) To read and consider the Balance Sheet of the Corporation and the Profit and Loss Account for the year ended the 30th June, 1980, togeher with the Report by the Board on the working of the Corporation for the year and the Auditor's Report on the said Balance Sheet and Accounts.

(2) To elect under Section 34 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, one Auditor duly qualified to act as Auditor of Companies under sub-section (1) of Section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) by the parties mentioned in sub-section (3) of Section 4 of Industrial Finance Corporation Act, namely, scheduled banks, insurance companies, investment trusts and others like financial institutions and cooperative banks, in place of Messrs, Ray & Ray, Chartered Aicountants, Calcutta, who retire, but are eligible for re-election.

D. N. DAVAR
14th July, 1980 General Manager

NOTICE

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

NEW DELHI

In partial modification of Notice dated the 14th July, 1980, it is hereby notified that at the THIRTYSECOND ANNUAL GENERAL MEETING of the Shareholders of the Corporation to be held on Tuesday, the 30th September 1980, at 4.00 P.M. (Standard Time) at Hotel Imperial, Janpath, New Delhi, the following additional business will also be transacted.

To elect a Director by the shareholders of the Corporation representing the insurance companies, investment trusts and other like financial institutions referred to in Clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, in the casual vacancy caused by the resignaiton of Shri J. R. Joshi. The Director so elected shall hold office in terms of sub-section (3) of Section 11 of the IFC Act for the unexpired portion of the term of Shri Joshi *i.e.* till the 25th September, 1981.

D. N. DAVAR
26th August, 1980 General Manager

BOARD OF DIRECTORS

B. B. SINGH

Chairman

N. R. RANGANATHAN
B. ROY
Nominated by the Central Government

M. R. B. PUNJA
J. C. SANDESARA
S. K. DATTA
(Vacant)
Nominated by the Industrial Development Bank of India

O. P. GUPTA
P. C. D. NAMBIAR
Elected to represent Scheduled Banks

G. V. KAPADIA
(Vacant)
Elected to represent Insurance concerns, Investment Trusts and other like financial institutions

N. S. SAPKAL
J. U. PATEL
Elected to represent Cooperative Banks

Bankers

RESERVE BANK OF INDIA

Auditors

M/S. RAY & RAY
Chartered Accountants
M/S. B. L. AJMERA & CO.
Chartered Accountants

ADVISORY COMMITTEES

Chemical Process & Allied Industries

B. B. Singh, *Chairman*
J. U. Patel
O. P. Gupta
G. V. Kapadia
S. S. Sachdeva
D. G. Rao
S. L. Kapur
P. K. Sanyal
N. V. C. Rao
D. K. Roy
J. P. Kapur
D. M. Trivedi

Engineering

B. B. Singh, *Chairman*
J. C. Sandesara
S. K. Datta
Hari Bhushan
K. N. Ramaswamy
S. R. Tata
K. V. Sardesai
P. Sen
K. B. Rao
B. Ramachandra
Chandra Mohan
S. M. Patil
B. N. Khosla

Textiles

B. B. Singh, *Chairman*
J. U. Patel
J. C. Sandesara
S. K. Datta
M. D. Joshi
M. S. Pradhan
H. Ramakrishna Rao
I. B. Dutt
H. P. Bhattacharya
I. C. Shah
A. K. Bhansali
P. C. Mehta
S. S. Chhaparia

Sugar

B. B. Singh, *Chairman*
J. U. Patel
J. C. Sandesara
N. S. Sapkal
C. N. Raghavan
D. Sridharan
M. D. Joshi
N. A. Ramaiah
K. J. S. Bhatia
J. P. Mukherji
M. Lakshmikantham
A. L. N. Moorthy
D. K. Patel

Hotels

B. B. Singh, *Chairman*
O. P. Gupta
G. V. Kapadia
C. B. Jain
Miss Anjni Mehta
S. R. Ratnakar
Miss Thangam E. Philip
Pesi M. Shaw
S. N. Chib
P. Ananda Rau
C. L. Sharma

Jute

B. B. Singh, *Chairman*
J. C. Sandesara
S. K Datta
R. N. Chakraborty
S. K. Sarkar G. C. Iyer
K. Margabanthu
C. T. Das
L M. Roy
K. K. Bajoria
S. K. Bhattacharya
S. Sarkar

BRIEFLY ABOUT IFCI

Incorporation and Purpose

The Industrial Finance Corporation of India (IFCI) was established in 1948 under an Act of the Parliament with the object of providing medium and long-term credits to industrial concerns in India.

Capital

The authorised capital of IFCI is Rs. 20 croses. Of the paid-up capital now standing at Rs. 15 croses, 50% is held by the Industrial Development Bank of India (IDBI); the remaining 50% is held by scheduled banks, cooperative banks, insurance concerns and investment trusts, etc.

Management

The board of Directors consists of a whole-time Chairman and twelve directors. The Chairman is appointed by the Central Government after consultation with IDBI . Two directors are nominated by the Central Government and four by IDBI. Six directors are elected by shareholders other than IDBI.

Functions and Lending Policies

Any limited company in the public, joint or private sectors or a cooperative society incorporated and registered in India which is engaged, or proposes to engage itself, in the manufacture, preservation or processing of goods, or in the shipping, mining or hotel industry or in the generation or distribution of electricity or any other form of power, is eligible for financial assistance.

Assistance may take the form of long-term loans—both in the rupees and foreign currencies; underwriting of equity, preference and debenture issues; subscribing to equity, preference and debenture capital; guaranteeing of deferred payments in respect of machinery imported from abroad or purchased in India and guaranteeing of loans raised in foreign currency from foreign financial institutions.

Financial assistance from the Corporation is available for the setting-up of new industrial projects as also for the expansion, diversification, renovation or modernisation of existing ones.

Financial assistance, on concessional terms, is available for setting up industrial projects in industrially less developed districts in the States/Union Territories notified by the Central Government.

IFCI functions in accordance with the policies and guidelines indicated by the Government of India from time to time.

Promotional Activities

The Corporation has undertaken various promotional activities financed out of its Benevolent Reserve Fund and allocations of Interest Differential Funds received from Government.

Sources Of Funds

The main sources of funds of the Corporation other than its own capital, retained earnings, repayment of loans and sale of investments, are borrowings from the market by the issue of bonds, loans from the Central Government and foreign credits.

SUMMARY OF OPERATIONS

(Rs. Crores)

	1978-79			1979-80			1948-80		
	No.	Sanctions Amount	Amont disbursed	No.	Sanctions Amount	Amount disbursed	Amount sanctioned	Amount disbursed	Amount outstanding as on June 30, 1980
Loans									
Rupee	171	131·63	62·76	188	125·29	82·78	819·76	603·14	418·13
Foreign currency	25	11·83	4·12	28	15·16	7·91	95·03	70·51	24·72
Total	196	143·46	66·88	216	140·45	90·69	914·79	673·65	442·85
Underwritings									
Equity shares	39	9·41	2·22	37	7·38	1·73	48·69	19·44	16·37
Preference shares	2	0·45	0·30	1	0·10	—	10·66	8·17	4·83
Debentures	1	0·75	—	2	1·12	—	12·63	8·92	0·84
Total	42	10·61	2·52	40	8·60	1·73	71·03	36·53	22·04
Direct Subscriptions									
Equity shares	4	0·20	0·59	11	0·58	0·47	5·70	4·39	8·53*
Preference shares	—	—	0·02	—	—	—	0·32	0·32	0·84*
Debentures	1	0·02	0·02	1	0·04	0·04	1·88	1·88	0·06
Total	5	0·22	0·63	12	0·62	0·51	7·90	6·59	9·43
Guarantees									
For deferred payments	—	—	—	1	0·14	—	28·96	28·76	0·45
For foreign loans	—	—	0·20	—	—	—	23·61	23·53	0·08
Total	—	—	0·20	1	0·14	—	52·57	52·29	0·53
Grand Total	243@	154·29	70·23	269**	149·81	92·93	1047·24	769·06	474·85

*Includes Rs. 0·87 crore representing part of outstanding loans (overdue interest etc.) of 5 concerns converted into shares. Rs. 0·18 crore of convertible debentures of 3 concerns converted into equity shares and also Rs. 3·85 crores of outstanding loan amount converted into equity shares in respect of 39 concerns where the condition of right of conversion was stipulated at the time of sanction of loan assistance.

@These sanctions were made to 177 concerns.

**These sanctions were made to 202 concerns.

SPREAD OF ASSISTANCE

As on June 30, 1980

INDUSTRY	Amount sanctioned (Rs. Crore)	No. of projects	STATE/TERRITORY	Amount sanctioned (Rs Crores)	No. of projects
Chemicals :			Andhra Pradesh	78·41	101
Basic chemicals	77·44	68	Assam	11·31	11
Fertilisers and pesticides	53·11	19	Bihar	42·59	49
Synthetic fibres & resins	39·30	35	Gujarat	91·01	112
Other chemicals	16·97	42	Haryana	33·45	56
			Himachal Pradesh	4·00	10
	186·82		Jammu & Kashmir	2·38	6
			Karnataka	89·61	99
Textiles	167·24	266	Kerala	39·41	39
Sugar :					
Cooperatives	132·51	129	Madhya Pradesh	30·65	32
Others	31·72	47	Mahatashtra	196·41	251
			Meghalaya	2·84	2
	164·23				
			Nagaland	0·50	1
Cement	81·76	56	Orissa	22·60	25
Paper	81·62	71	Punjab	31·29	42
Iron & Steel	65·80	85	Rajasthan	45·59	42
Machinery	45·11	86			
Transport equipment	36·13	49	Tamil Nadu	112·94	113
Non-ferrous metals	35·06	23	Tripura	0·80	1
Electrical machinery and appliances	30·01	58	Uttar Pradesh	115·00	126
Rubber products	26·89	22	West Bengal	78·87	126
Electricity & gas	24·63	11	Andaman & Nicobar Islands	0·39	1
Metal products	19·00	44	Delhi	9·30	11
Jute manufactures	16·39	25	Goa	6·24	6
Hotel	14·42	29	Pondicherry	1·65	3
Others	52·13	100			
TOTAL	1047·24	1265	TOTAL	1047·24	1265

FINANCIAL SUMMARY

As on June 30, 1980

	Rs. Crores	US$ Million Equivalent*
CAPITAL AND RESERVES		
Authorised capital	20·00	25·41
Paid-up capital	15·00	19·06
Reserves	32·18	40·89
Paid-up capital and reserves	47·18	59·95
BORROWINGS		
Bonds	378·28	480·66
From foreign credit institutions	21·96	27·90
From Industrial Development Bank of India	23·50	29·86
From Government		
Interest Differential Funds under KfW lines of credit	3·03	3·85
Other loans	29·04	36·90
Total Borrowings	455·81	579·17
EARNINGS 1979-80		
Gross income	39·77	50·53
Gross profit before taxation	10·18	12·94
Provision for taxation	5·39	6·85
Net profit	4·79	6·09
Dividend	0·94	1·19

*Rupee amount converted @Rs. 7·87/US$

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1980 [(Under Section 35 of the Industrial Finance Corporation Act 1948 (15 of 1948)]

THE YEAR—A SYNOPTIC VIEW

The Board of Directors hereby present their Thirty-second Report on the operations of the Corporation, together with the audited Statement of Accounts for the year ended June 30, 1980.

2. The national economy, during the year under review, has been under a significant strain. Agricultural production showed a decline of about 10 per cent; industrial production declined marginally by about 1 per cent. The inflationary pressures also remained unabated. The severe drought in many parts of the country started the chain of events, which eventually created a very complex and difficult situation involving serious bottlenecks in rail transport power shortages, stagnant coal production. Rather disturbed industrial relations in different parts of the country affected the industrial production. The sharp increases in crude oil prices put a severe strain on the blance of payments position. The effect of rise in prices of crude oil and petrolcum products was naturally widespread, leading to increase in cost of transportation and cost of production of industries using oil products as inputs. The redeeming feature his, however, been the effective use made of the sizeable buffer stock of foodgrains and the foreign exchange reserves.

The growing sickness in industries, in the above background continued to be a cause of serious concern. The general approach of the concerned Institutions in tackling this problem has been to adopt an integrated, coordinated and action-oriented revival/rehabilitation programmes with the Industrial Development Bank of India (IDBI) in the lead.

The Government, however, have initiated vigorous steps to ease some of the above strains on the economy. In main, the effort has been to improve the availability of major industrial inputs like energy, transport and coal, in the short term, through better coordination, monitoring and ensuring more efficient utilisation of capacity. Side by side, as a part of medium term policy plan, the Government have also announced recently a growth-oriented industrial policy. It is hoped that the measures being undertaken by the Government together with the prospects of a good monsoon, would help the economy to revive.

Reviw Of Operations Durlng The Year

3. The gross financial assitance sanctioned by the Corporation during the year 1979-80 aggregated Rs. 150.58 crores for 237 projects, as against Rs. 154.77 crores for 215 projects in the previous year. The net financial assistance sanctioned, after adjusting cancellations amounting to Rs. 0.77 crore, was 149.81 crores for 237 projects. This was marginally less than the net financial assistance of Rs. 154.29 crores for 214 projects sanctioned in 1978-79.

4. Disbursements in 1979-80 were of the order of Rs. 92.93 crores, showing an increase of about 32.3 per cent over the previous year.

5. The details of assistance sanctioned during the year along with a brief description of each project are given in Appendix A to the Report. Some of the salient features of the operations of the corporation during the year are given in the following paragraphs.

The facility-wise sanction of net financial assistance showed that rupee loans accounted for Rs. 125.29 crores, while underwritings and direct subscriptions were of the order of Rs. 9.22 crores, and sanctions of sub-loans in foreign currencies amounted to Rs. 15.16 crores. The guarantees issued for foreign loan were to the extent of Rs. 0.14 crore. The financial assistance amounting to Rs. 92.93 crores disbursed during the year comprised rupee loans to the extent of Rs. 82.78 crores, foreign currency loans Rs. 7.91 crores and underwritings and direct subscriptions Rs. 2.24 crores.

Industries of high national priority and other selected industries of importance continued to claim a major share of the Corporation's assistance during the year, which accounted for 92.6 per cent of the total assistance sanctioned. For example, cotton textiles claimed 30.4 per cent and cement 13.5 per cent of the total assistance. Other high priority industries like fertilisers, paper and paper products, sugar, electricity, etc. were the beneficiaries of assistance amounting to 48.7 per cent of the total assistance sanctioned.

Sanctions According to Type of Project

6. The assistance sanctioned during the last two years according to type of project, is given in Table 1.

An analysis of the assistance sanctioned during the year under review shows that Rs. 57.84 crores were for 61 new projects, while modernisation/renovation, etc. of the 64 projects accounted for Rs. 23.77 crores. Expansion/diversification of 21 projects claimed Rs. 18.19 crores. It will be observed that 38.6 per cent of the total sanctions was for new projects.

7. Of the 61 new projects assisted, 40 were located in industrially less developed areas and were sanctioned assistance amounting to Rs. 39.25 crores. The new projects were of a very wide variety and comprised paper, textiles, cement, iron and steel, non-ferrous metals, wollen manufactures, miscellaneous non-metallic mineral products, industrial machinery, synthetic and manmade fibres, metal products, basic industrial chemicals, miscellaneous chemicals, motor vehicles and parts, coir products, electrical machinery and accessories, etc. units. Of these 61 new projects, 11 projects are being set up by the new entrepreneurs.

TABLE 1

Assistance Sanctioned During 1979-80 and 1978-79 Classified According to Type of Project

(Rs. Crores)

Type of project	1979-80		1978-79	
	No. of projects	Amount sanctioned	No. of projects	Amount sanctioned
New Projects	61	57·84	62	83·54
Expansion/Diversification	21	18·19	22	15·41
Modernisation/Renovation etc.	64	23·77	47	14·63
Sub-total :	146	99·80	131	113·58
Soft Loans Scheme	91	50.01	83	40.71
TOTAL	237	149·81	214	154·29

8. A significant feature of this year's assistance has been that projects with capital outlay of Rs. 5.00 crores and less, claimed 34.5 per cent of the assistance sanctioned to new projects as against 23.8 per cent in 1978-79. Assistance sanctioned to projects with a capital outlay of over Rs. 10.00 crores registered a share of 40.8 per cent as against 66.0 per cent last year.

Table 2 gives the classification of new projects assisted during the last two years according to the size of the total outlay.

TABLE 2

Classification of New Projects by Size of Capital Outlay—1979-80 and 1978-79

Size of capital outlay	No. of new projects		Percentage share in project cost		Assistance sanctioned (Rs. Lakhs)		Percentage share in assistance	
	1979-80	1978-79	1979-80	1978-79	1979-80	1978-79	1979-80	1978-79
Upto 300	17	22	6·6	5·0	708·71	814·39	12·3	9·8
301-400	6	7	4·0	3·0	388·35	440·36	6·7	5·3
401-500	11	10	11·3	5·6	898·52	730·25	15·5	8·7
501-1000	14	8	18·8	7·0	1426·32	852·26	24·7	10·2
Above 1000	13	15	59·3	79·4	2362·56	5516·56	40·8	66·0
TOTAL	61	62	100·0	100·00	5784·46	8353·63	100·0	100·0

Assistance for Projects in Less Developed Areas

9. During the year under review, assistance to projects located in the notified less developed districts/areas aggregated Rs. 68.97 crores in respect of 104 projects which was 46.0 per cent of total assistance as against 41.7 per cent in the previous year. Of the projects assisted in the notified industrially less developed districts/areas, 40 were new projects including 11 projects having a capital outlay of less than Rs. 3.00 crores and 12 projects with a capital outal between Rs. 3.00 crores and Rs. 5.00 crores. The remaining 17 projects had a capital cost of more than Rs. 5.00 crores each.

Sectoral Classification of Assistance

10. As in the last year, the assistance to the cooperative sector remained low. This was primarily because Corporation's assistance to sugar cooperatives remained stagnant, as the financial viability of the high cost new units in particular remained in doubt, in the absence of finalisation of a Scheme of incentives, still under the consideration of Government. While no new sugar co-operative was assisted during the year, two co-operative sugar factories were extended assistance for their expansion schemes and two others for their expansion-*cum*-modernisation programmes. In the case of textile cooperatives, assistance was sanctioned for two new projects; besides, three other cooperative mills were extended assistance for expansion schemes.

11. The Corporation's assistance to the public sector projects showed an increase as compared to the previous year. Assistance was sanctioned to 33 public sector projects, amounting to Rs. 25.19 crores, as against Rs. 20.73 crores for 23 such projects in 1978-79. There was a slight fall in the Corporation's assistance to the joint sector projects, as it came down from 17.2 per cent of the total sanctions in 1978-79 to 13.6 per cent in 1979-80. Assistance to the private corporate sector continued to be, more or less, the same, as in the last year. Table 3 gives the sector-wise classification of financial assistance sanctioned during the year.

Industry-wise Sanctions and Disbursements—1979-80

12. The industry-wise distribution of financial assistance sanctioned and disbursed during the year is shown in Table 4. Industry-wise statistical data in the Report has been presented according to the National Industrial Classification, 1970.

TABLE 3

Assistance Sanctioned Sector-wise—1979-80 and 1978-79

(Rs. Crores)

Sector	1979-80			1978-79		
	No. of projects	Net assistance sanctioned	Percentae of Total	No. of projects	Net assistance sanctioned	Percentage of Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cooperative Sector	9	4·34	2·9	9	4·72	3·1
Joint Sector	26	20·42	13·6	28	26·57	17·2
Public Sector	33	25·19	16·8	23	20·73	13·4
Sub-total :	68	49·95	33·3	60	52·02	33·7
Private Corporate Sector	169	99·86	66·7	154	102·27	66·3
TOTAL	237	149·81	100·0	214	154·29	100·0

TABLE 4

Industry-wise Sanctions and Disbursement—1979-80

(Rs. Lakhs)

Industry	Sanctions						Disbursements	
	No. of Projects	Loans	Underwritings/ Direct subscriptions	Guarantees	Total	Percentage of total sanctions	Amount	Percentage of total disbursements
Cotton Textiles								
—Cooperative sector	5	237·50	—	-	237·50	1·6	187·00	2·0
—Corporate sector	73	4194·00	122·50	—	4316·50	28·8	1562·33	16·8
	78	4431·50	122·50	—	4554·00	30·4	1749·33	18·8
Chemicals and chemical products								
—Basic industrial chemicals	15	1142·49	174·01	13·65	1330·15	8·9	282·53	3·0
—Synthetic fibres and resins	5	760·25	85·00	—	845·26	5·6	368·87	4·0
—Fertilisers	2	323·50	—	—	323·50	2·1	468·28	5·0
—Pesticides	2	92·99	21·40	—	114·39	0·8	14·80	0·2
—Other chemicals	7	349·90	32·00	—	381·90	2·5	100·00	1·1
	31	2669·14	312·41	13·65	2995·20	19·9	1234·48	13·3
Cement	14	1904·82	122·50	—	2027·32	13·5	2077·05	22·3
Paper and paper products	24	1279·48	164·86	—	1444·34	9·6	971·72	10·5
Iron & steel	16	683·96	22·30	—	706·26	4·7	244·51	2·6
Machinery and accessories	12	522·79	70·00	—	582·79	3·9	274·37	3·0
Motor vehicles and parts	5	463·75	27·50	—	491·25	3·3	246·58	2·7
Sugar								
—Cooperative sector	4	197·00	—		197·00	1·3	140·95	1·5
—Corporate sector	4	143·50	—	—	134·50	0·9	285·60	3·1
	8	331·50	—	—	331·50	2·2	426·55	4·6
Metal products	4	297·22	30·00	—	327·22	2·2	48·44	0·5
Electricity	1	320·00	—	—	320·00	2·1	725·00	7·8
Non-ferrours metals	13	271·00	23·75	—	294·75	2·0	34·68	0·4
Electrical machinery and appliances	8	264·73	21·33	—	286·06	1·9	297·23	3·0
Misc. non-metallic mineral products	5	166·50	8·75	—	175·25	1·2	104·57	1·1
Glass	3	126·19	—	—	126·19	0·8	220·26	2·4
Motor cycles, scooters and parts	3	84·50	—	—	84·50	0·6	45·25	0·5
Rubber products	4	72·50	1·00	—	73·50	0·5	134·22	1·4
Woollen manufactures	3	66·00	5·00	—	71·00	0·5	—	—
Wood products	2	27·10	—	—	27·10	0·2	20·50	0·2
Coir products	1	27·00	—	—	27·00	0·2	—	—
Mis. food products	1	23·07	—	—	23·07	0·2	178·48	1·9
Mining	1	12·50	—	—	12·50	0·1	35·00	0·4
Hotel	—	—	—	—	—	—	92·23	1·0
Misc. manufacturing industries	—	—	—	—	—	—	66·40	0·7
Jute manufactures	—	—	—	—	—	—	43·00	0·5
Agricultural machinery	—	—	—	—	—	—	20·00	0·2
Leather products	—	—	—	—	—	—	20·77	0·2
TOTAL	237	14045·25	921·90	13·65	14980·80	100·0	9292·62	100·0

Soft Loans Scheme

13. About 33 per cent of the sanctioned assistance during the year was under the Soft Scheme. The Corporation sanctioned assistance under the Scheme amounting to Rs. 50.01 crores for 91 projects which was higher by Rs. 9.30 crores over last year. The cotton textile industry was sanctioned 65.6 per cent of the total assistance under the Scheme followed by the engineering industry, which accounted for 24.4 per cent. The cement industry's share was 7.3 per cent and that of sugar 2.7 per cent. The mills owned and controlled by the National Textile Corporation, which became eligible under the Soft Loans Scheme only last year, were sanctioned assistance amounting to Rs. 12.45 crores for 19 projects.

Projects located in 12 State and one Union Territory availed themselves of the assistance under the Scheme. Of these, five States, viz., Maharashtra, Gujarat, West Bengal, Uttar Pradesh and Tamil Nadu accounted for about 83 per cent of the total assistance sanctioned under this Scheme. Assistance to projects in Maharashtra alone was of the order of Rs. 18.78 crores, being nearly 38 per cent of the total. This is because a large number of textile mills located in Maharashtra availed themselves of the assistance under the Scheme, The industry-wise break-up of the financial assistance sanctioned under the Soft Loans Scheme is given in Table 5.

TABLE 5

Financial Assistance Sanctioned under the Soft Loans Scheme—1979-80

(Rs. Crores)

Industry	Assistance sanctioned by the Corporation			
	No. of projects	Amount		
		On Soft terms	Normal terms	Total
Sugar	5	0·43	0·93	1·36
Cotton Textiles	59	19·90	12·91	32·81
Cement	5	0·84	2·82	3·66
Engineering	22	2·48	9·70	12·18
TOTAL :	91	23·65	26·36	50·01

State-wise Sanctions and Disbursement—1979-80

14. The Corporation's assistance was spread over fifteen States and three Union Territories. Table 6 gives in State-wise sanctions and disbursemnts during the year.

TABLE 6

State-wise Sanctions and Disbursements—1979-80

(Rs. Lakhs)

State/Territory	Sanctions							Disbursements	
	Loans		Under-writings /Direct subs-criptions	Gua-rantees	Total	Percent-age of total sanctions	No. of projects assisted	Amount	Percent-age of total disburse-ment
	Coope-rative sector	Corpo-rate sector							
Andhra Pradesh	20·00	860·70	113·61	13·65	1007·96	6·7	17	974·64	10·5
Bihar	—	296·83	76·00	—	372·83	2·5	8	160·71	1·7
Gujarat	42·50	1303·13	95·45	—	1441·08	9·6	26	1164·78	12·5
Haryana	—	360·00	38·50	—	398·50	2·6	7	245·89	2·7
Himachal Pradesh	—	7·69	—	—	7·69	0·1	2	26·47	0·3
Jammu & Kashmir	—	—	—	—	—	—	—	73·75	0·8
Karnataka	—	2072·74	140·00	—	2212·74	14·8	20	868·77	9·3
Kerala	—	542·50	—	—	542·50	3·6	8	165·09	1·8
Madhya Pradesh	—	756·32	118·20	—	874·52	5·8	12	595·21	6·4
Maharashtra	145·00	2611·80	50·58	—	2807·38	18·7	53	995·29	10·7
Meghalaya	—	—	—	—	—	—	—	10·00	0·1
Orissa	—	100·00	—	—	100·00	0·7	3	123·00	1·3
Punjab	55·00	486·66	35·00	—	576·66	3·8	9	440·37	4·8
Rajashtan	70·00	526·90	57·00	—	653·90	4·4	13	828·28	8·9
Tamil Nadu	—	844·96	65·00	—	909·96	6·1	5	568·74	6·1
Uttar Pradesh	62·00	1951·50	76·50	—	2090·00	13·9	22	1054·34	11·4
West Bengal	40·00	798·45	56·06	—	894·51	6·0	19	779·43	8·4
Delhi	—	23·07	—	—	23·07	0·2	1	180·86	1·9
Goa	—	12·50	—	—	12·50	0·1	1	37·00	0·4
Pondicherry	—	55·00	—	—	55·00	0·4	1	—	—
TOTAL :	434·50	13610·75	921·90	13·65	14980·80	100·0	237	9292·62	100·0

Economic Contribution of Projects Assisted During the Year

15. An analysis of the economic contribution of the 82 new, expansion and diversification projects assisted by the Corporation during the year is given in Table 7. This does not include cases of over-runs in project cost and modernisation schemes, etc. It will be observed from the Table that the Corporations assistance would help in creating additional capacities especially in consumer industries like sugar, cotton textiles, paper and cement. The total capital cost of these 82 projects would amount to Rs. 613.47 crores and the value of output expected would be of the order of Rs. 566.65 crores. The projects are also expected to create direct employment for 27,525 persons. The gross value added would amount to Rs. 212.84 crores.

TABLE 7

Direct Economic Contribution of New, Expansion and Diversification Projects Assisted by the Corporation During 1979-80

(Rs. Crores)

Industry	No of projects	Total capital cost	Direct employment to be created (Nos.)	Value of output	Gross value added	Capacity per annum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar	2	5·27	50	5·05	1·00	20,255 tonnes of sugar.
Cotton textiles	17	64·60	10270	107·95	25·46	2,56,184 spindles*
Paper and paper products	11	49·74	3295	45·56	17·51	75,775 tonnes of paper, 3,000 tonnes of electrical insulation boards and pre-compressed paper boards and 15 million nos. of peper pulp moulded egg trays*
Cement	6	186·26	2496	92·56	50·21	25.59 lakh tonnes of cement.*
Chemicals and chemical products	14	109·79	2670	116.90	38·31	5,000 tonnes of fatty alcohols, 62,175 tonnes of caustic soda, 39,400 tonnes of hydrochloric acid, 12,500 tonnes of oxo-alcohols, 13,200 tonnes of liquid chlorine, 26,000 tonnes of ammonium chloride 21,000 tonnes of calcium carbide 5,891 tonnes of hydrogenated crude/mixed fatty acids, 1,260 tonnes of glycerence, 6,000 tonnes of hydrogenated castor oil, 2,880 tonnes of toilet soap 4,500 tonnes of acetic acid, 15,000 tonnes of industrial explosives, 5,000 tonnes of site mixed slurry explosives, 2,000 tonnes of aliphatic amines, 1,000 tonnes of technical grade phosalone, 400 tonnes of malathion pesticides, 320.76 lakh vials, 53·46 lakh ampoules, 320·76 lakh capsules, 2886·84 lakh tablets of life saving and other drugs and processing of 50,000 tonnes of castor seed.
Iron & steel	3	6·11	614	8·20	3·14	2,650 tonnes of alloy castings and 1,200 tonnes of cold rolled clad strips.
Machinery and accessories	4	28·03	1451	21·84	10·65	4·1 million nos. of antifriction bearings. 125 million nos. of needles used in bearings, 0·5 million nos. of cages and assembly, 300 nos. of ring spinning and twisting frames and 50 tonnes of special and sophisticated tools.
Electrical machinery	3	9·62	590	9·04	4·16	4,500 tonnes of insulators, 116 million pieces of lamp filaments, 250 nos. of micro processor based data processing equipment and 250 nos. of matsix printers.
Non-ferrous metals	7	58·97	867	79·70	30·32	1,050 tonnes of copper based alloy strips, 7,100 tonnes or aluminium alloy extrusions, 13,760 tonnes of aluminium ingots, 10,300 tonnes of aluminium rolled products.
Other industries	15	95·08	5222	80·35	32·08	
TOTAL :	82	613·47	27525	566·65	212·84	

*Excludes marginal expansion in capacity involved in certain cases where assistance was sanctioned under the Soft Loans Scheme.

Leading Term and Conditions

16. *Rate of Interest* : During the year, there was no change in the rates of interest under the various schemes as also commission on under-writing and guarantees etc. However, institutions have decided to charge 1 per cent per annum additional interest, over and above the lending rates, in respect of assistance sanctioned to private limited companies and closely held companies whose shares are not listed on any Stock Exchange. The additional interest is charged from the date a project is expected to commence commercial production. Arising from the levy of tax at the rate of 7 per cent on the interest income of the institutions and commercial banks under the Finance Act, 1980, the all-India financial institutions, including the Corporation have suitably adjusted their interest rates with effect from July 1, 1980 to absorb the incidence of interest tax. The normal rate of interest is now 11.85 per cent per annum against 11 per cent previously, while the rates of interest applicable to projects located in the notified less developed districts/areas and under the Soft Loans Scheme stand revised to 10.25 per cent per annum and 8.10 per cent per annum from 9.5 per cent per annum and 7.5 per cent per annum respectively.

17. *Security for Loans* : Until recently, the Corporation was securing thee assistance santioned by it, other than under Soft Loans Scheme, by a regular legal mortgage of fixed assets, both present and future. The Corporation was accepting equitable mortgage in cases (i) where existing facility had already been secured by a regular legal mortgage, and (ii) where one of the institutions, in case of joint financing, had taken or was taking the legal mortgage. The institutions have now decided to accept equitable mortgage as a regular security in respect of loans, as well as, facilities like guarantees for deferred payments/guarantees for foreign loans, as was being done in the case of soft loans.

For securing bridging loans, which are granted as an interim measure pending creation of a regular security by borrower concerns, the all-India financial institutions had been taking bank guarantees. Consequent to the acceptance of the recommendations made in the report of the Inter Institutional Group on Coordination between Term Lending Institutions and Commercial Banks (popularly known as the

Bucher Committee), appointed by the Reserve Bank of India, the all-India financial institutions have decided not to insist on bank guarantees for disbursement of bridge finance. In line with the procedure adopted in the case of Soft Loans Scheme, the all-India financial institutions now disburse bridging loans against (a) personal guarantees of promoters/directors controlling the company; (b) letter of consent from bank(s) holding charge on the company's fixed assets to allow creation of an exclusive first charge or *pari passu* charge, as the case may be, in favour of the institutions and a floating charge over all moveable assets; (c) hypothecation of machinery and other moveable assets; (d) negativee lien on fixed assets in favour of the institutions; and (e) a demand promissory note of the borrower in favour of the Corporation.

18. *Applicability of Concessional Finance* : The institutions have been extending concessional finance to projects located in notified industrially less developed districts/areas. It has been clarified that the institutions would provide concessional assistance, within the existing ceilings to projects set up in specified backward areas on unit-wise basis, even though another unit of the same promoter/group in the same State or in a different State has already been assisted on concessional terms.

19. *Central Investment Subsidy* : The Central Government have clarified that an individual/company/group/legal intity will be entitled to central subsidy equivalent to 15 per cent of the investment on fixed assets subject to a maximum of Rs. 15.00 lakhs on unit-wise basis for each unit engaged in different lines of end-product irrespective of the number of units set up whether in the same backward area or in different backward areas within a State.

Consortium Financing

20. With joint financing as a way of working, the all-India financial institutions have been adopting a coordinated approach under the aegis of the Industrial Development Bank of India. This coordination is achieved through monthly Inter-Institutional Meetings (IIM) attended by the Chief Executives of the Institutions and fortnightly Senior Executives Meetings (SEM). During the year, the roles of IIM and SEM were delineated and re-defined. Under the present arrangement, while projects with capital cost upto Rs. 2.00 crores are expected to be financed by the State-level institutions and bank(s), and if absolutely necessary, in participation with IFCI and ICICI, those with capital cost between Rs. 2.00 crores and Rs. 3.00 crores could be processed either by IFCI or ICICI without reference to SEM even in regard to eventual sharing or participation in assistance.

Soft Loan Scheme

21. There has been no change in the general policy in the Soft Loans Scheme except that, during the year, it was decided to extent the Scheme to units manufacturing spare parts and components for internal combustion engines, subject to the conditions that the units should be in the corporate sector and not less than 10 per cent of the production should be supplied to the manufacturers of original equipment. Further, units manufacturing auto and miniature bulbs are now eligible for assistance under the Scheme. It has further been decided that where the entire loan is agreed to be sanctioned on soft terms and also in cases where soft loan component sanctioned was higher than the minimum of 20 per cent, a condition be stipulated in the letters of intent/loan agreements reserving the right to review the interest rates at the end of two years.

It has been decided that the case of companies which are making reasonable profits and which approach the financial institutions for assistance for the second phase of modernisation, the soft and normal loan components will be fixed in the proportion of 20 : 80 irrespective of the divident paying capacity of such concerns. Further, all assistance sanctioned under the Soft Loans Scheme will carry only two rates of interest, *viz.*, 8.10 per cent and 11.85 per cent per annum, irrespective of the area of the location of the unit. In other words, there would be no concessional rate of interest as applicable to units in backward areas in the case of assistance under the Soft Loans Scheme.

The Soft Loans Scheme has been available for modernisation of jute, cotton textiles, cement, sugar and certain engineering industries to overcome the backlog in modernisation, replacement and renovation of plant and equipment so as to achieve higher and more economic levels of production and thereby improve their competitiveness in the home as well as international markets. In regard to these, no convertibility clause is being insisted at present. The Government have now decided to extend this exemption to assistance for modernisation in any industry and for rehabilitation of sick units.

Economic Appraisal of Project

22. The corporation has been continuously refining its techniques of project evaluation. During the year, it was decided to introduce Social Cost-Benefit Analysis in the evaluation of projects and relevant guidelines were issued in this regard.

Other Policy Matters

23. During the year under review, the financial institutions took further steps to streamline the procedures for expeditious sanctions and disbursements of financial assistance. Two important decisions taken in this regard relate to (i) the introduction of the scheme of participation certificates for term loans, and (ii) execution of legal documents, including security, by the lead institution on behalf of other participating institution by virtue of a power of attorney granted in favour of the former. Thesee would broadly be on the following lines.

24. *Participation Certificates* : In order to avoid inconvenience to small and medium class entrepreneurs in dealing with more than one institution, the Corporation, along with other all-India financial institutions, has decided to introduce a scheme for 'participation certificates for term loans and underwriting assistance'. This Scheme is limited initially to rupee loans for projects with total cost not exceeding Rs. 10.00 crores and may be extended, if possible, to foreign currency loans at a later stage. Under the Scheme, where an entrepreneur approaches an institution for financial assistance, it may take the lead and appraise the project and sanction assistance. Further, the lead institution will enter into a loan agreement with the concern and the concern will create the stipulated security for the lead institution, which will hold the security in trust for the participants. The lead institution will issue participation certificates to the institutions who agree to grant term loans to the concern. The participation will be without recourse to the lead institution, i.e. the risk will be borne by the participating institutions. The disbursements and repayments of loan will be routed through the lead institution. The participating institutions will be entitled to sell, on mutually acceptable terms, pieces, or, strips of their participation to others (sub-participants). Certain aspects require further examination before introducing the scheme. In the meantime, it has been decided to secure the objective in view through execution of documents/security on behalf of the participating institutions by the lead institution by virtue of power of attorney granted in favour of the latter.

25. *Legal Documentation* : One of the reasons for delay between sanction and disbursement of assistance by the all-India financial institutions in joint financing cases is considerable time taken for completion of legal documentation (including security documents) by each institution separately. One way to eliminate this delay could, therefore, be for the financial institutions to authorise the lead institution in every case to complete the documentation including security on their behalf. The matter has been considered by the all India financial institutions and to start with, it has been agreed that each institution would execute a Power of Attorney in favour of other institutions participating in the financing of the project. As soon as sanction from all the participating institutions in respect of their share of assistance is available the lead institution would enter into with the borrowing concern a common set of documentation on behalf of itself and also as agent of the other participating institutions. The security in the stipulated form would also be finanlised and completed by the lead institutions. Thereafter, the lead institution would advise the participating institutions of the fact that the documentation and the security have been completed. This would enable the other institutions to disburse their part of the loan without any further documentation. The above

Scheme would not cover assistance from the Unit Trust of India for the time being as their assistance is in the form of subscription to the privately placed debentures.

KFW Loans

26. Until recently, sub-loans in DM out of KFW lines of credit were not normally available for large enterprises, viz., industrial concerns with a balance sheet total of more than Rs. 10.00 crores or annual turnover in excess of Rs. 20.00 crores. The Corporation has now been advised by the Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) that henceforth industrial concern having balance sheet total of over Rs. 20.00 crores or annual turnover of more than Rs. 40.00 crores will be considered as a large enteprise and hence not ordinarily fall within the scope of finance under KFW loans. Further, an industrial concern which is otherwise small, but where 50 per cent or more of the equity capital is held by a large enterprise as defined above, will too not be eligible for assistance under the KFW loans. In the case of an expansion project, existing balance sheet total and annual turnover will need to be taken into consideration together with the proposed additions.

Applications for Assistance

27. At the beginning of the year, applications from 20 concerns (excluding those received or dealt with under Soft Loans Scheme) for an amount of Rs. 41.78 crores were under active stages of processing jointly with other all-India financial institutions. In addition, applications from 92 concerns for an amount of Rs. 780.42 crores were also under examination of the Corporation alongwith other financial institutions but in these cases, there were certain basic issues/important matters remaining to be sorted out. During the year the Corporation received 141 applications for financial assistance.

During the year under review, the Corporation processed, in all applications (excluding those under the Soft Loans Scheme) from 161 concerns for an amount aggregating Rs. 653.27 crores singly or jointly with the other all-India financial institutions.

The Corporation sanctioned during the year gross financial assistance on normal terms of the order of Rs. 96.93 crores to 132 applicant concerns, which, together with the assistance sanctioned partly within and/or partly outside the scope of Soft Loans Scheme aggregating Rs. 53.65 crores, amounted Rs. 150.58 crores representing total gross financial assistance sanctioned during the year.

At the end of the year, applications from 25 concerns for an amount aggregating Rs. 101.39 crores jointly with the other all-India financial institutions were under various stages of active processing. In addition, applications from 58 concerns were also under examination of the Corporation alongwith other financial institutions in which certain basic issues/important matters were involved and remained to be sorted out. The applications in this category had problems of either management set-up or marketing constraints or of other basics to be fulfiled precedent to their active consideration. Out of 58 such applications, IFCI was to take lead in 13 cases, while IDBI and ICICI had the lead responsibility in the remaining 45 cases.

A statement showing receipt and disposal of applications (excluding those received or dealt with under the Soft Loans Scheme) State-wise is given in Appendix D to the Report.

JOURNAL REVIEW OF INDUSTRIES

28. Industrial production in 1979-80 declined marginally by about 1 per cent as against an increase of 7.6 per cent witnessed in 1978-79. Several factors contributed to the decline in industrial production. These were power shortage, stagnant coal production, drought condition in several parts of the country, strained industrial relations and inadequate supplies of critical raw materials, fuel and other inputs which go into the production of a wide range of consumer/industrial goods. Obviously, continued shortage of basic items have a ripple effect on other user industries, thus, contributing overall to the downward industrial production. Government's efforts in the last few months have been to revive the economy and to see that the industrial capacity built up is fully utilised. Towards this end, steps have been taken, which include removing some of the inadequacies especially the major ones relating to energy, transport and coal as also to ensure adequate supplies of critical industrial raw materials to the industries.

The Industrial Policy

29. In July 1980, Government made a Statement on Industrial Policy. In this Statement, Government's socio-economic objectives were spelt out, which, *inter-alia*, included (i) optimum utilisation of installed capacity, (ii) maximising production and achieving higher productivity, (iii) higher employment generation, (iv) correction of regional imbalances, (v) preferential treatment to agro-based industries, (vi) encouraging export-oriented and import-substitution industries, (vii) promoting economic federalism, (viii) protection to consumers against high prices and poor quality of products.

Reiterating Government's faith in the role of public sector undertakings in the national economy, the Statement has stressed the need for evolving effective operational systems of management in these undertakings. It has placed emphasis on development of management cadres in functional fields, such as operations, finance, marketing and information system. On the role of private sector, the policy recognises that it would be desirable to allow private sector undertakings to develop in consonance with targets and objectives of national plans and policies, but the growth of monopolistic tendencies, or, concentration of economic power and wealth in a few hands is not to be permitted.

The Statement has underlined Government's endeavour to remove artificial divisions between small and large scale industries and has stated that all efforts should be towards integrated industrial development. In this connection, it has been proposed to promote the concept of economic federalism with the setting-up of a few nucleus plants in each district, identified as industrially backward, to generate as many ancillaries and small and cottage units as possible.

Government have also raised the definitional investment limits for small-scale and ancillary units as also the tiny sector. Henceforth, the investment of a small scale unit, to be categorised as such, will be up to Rs. 20 lakhs, that of an ancillary unit Rs. 25 lakhs and tiny unit up to Rs 2 lakhs.

As regards removal of regional imbalances, the intention to encourage dispersal of industry and the setting-up of units in industrially backward areas has been spelt out clearly. For this purpose, special concessions and facilities would be offered which would be growth and performance oriented.

The Statement has envisaged that regular periodic assessments would be made of the impact of incentives provided to industries from time to time to see the extent to which they fulfilled their initial purpose. Accordingly, Government would review the system of incentives periodically.

Government has felt that in several industries, important from the point of view of the national economy, or, engaged in the production of articles of mass consumption, the productive capacity endorsed on the original licences or as amended in terms of the 1975 Notifications might not reflect the full productive potential of the unit. As a result of increase in labour productivity, or, technological improvements, productive capacities might have increased. In view of this, Government has proposed to recognise such capacities on a selective basis.

In regard to industrial sickness, the Statement has stated that while it recognised that it would be in the national interest to protect the investments in these undertakings by appropriate remedial action, the cases where there has been deliberate mismanagement and financial improprieties leading to sickness, the matter would have to be dealt with firmly. With a view to helping the all-India financial institutions to detect sickness in undertakings at an early stage, Government has proposed to introduce a check list to serve as "an early warning system" for identifying symptoms of sickness.

As regards mergers and amalgamation, the policy would encourage merger of existing sick undertakings which showed adequate potential for revival with healthy units capable of managing such undertakings and restoring their viability. For this purpose, the existing tax concessions under Section 72-A of the Income-Tax Act would be made more liberally available to amalgamation proposals which would serve the purpose of revival of sick units. Government has proposed

to review the existing guidelines with a view to facilitating greater reliance on voluntary merger of sick units with healthy units capable of implementing a viable revival scheme.

Government's further view has been that recourse to take over of the management under the Industries (Development and Regulation) Act should be taken only in exceptional cases on grounds of public interest where other means of revival of sick undertakings were not considered feasible. The Statement has added that where such take over became necessary, the State Governments would, in appropriate cases, be expected to assume responsibility for the financing and management of the undertaking.

The Assisted Industry Sector

30. The performance of some of the important industries whom the Corporation has rendered assistance has been broadly indicated in the following paragraphs. The performance during 1979 of some of the concerns assisted by the Corporation in these industries has been reviewed, based on a survey conducted in this regard.

Fertilisers

During the year 1979-80, the installed capacity of nitrogenous fertilisers increased from 32.6 lakh tonnes in 1978-79 to 38.9 lakh tonnes. There was an increase of 13.9 per cent in the installed capacity of phosphatic fertilisers which stood at 12.30 lakh tonnes of P_2O_5 in 1979-80. The capacity utilisation in the industry was not very satisfactory.

There was, however, an increase in the total production of nitrogenous fertilisers from 21.70 lakh tonnes to 22.26 lakh tonnes, whereas the production of phosphatic fertilisers showed a decline from 7.70 lakh tonnes to 7.57 lakh tonnes over the previous year. The power cuts and inadequate availability of inputs affected the production of nitrogenous fertilisers during the year, the capacity utilisation being 57.2 per cent only as compared to 66.6 per cent in 1978-79. The capacity utilisation of units manufacturing phosphatic fertilisers during the year was 61.5 per cent as against 71.3 per cent in the previous year. The decline in capacity utilisation in phosphatic fertilisers has been mainly due to inadequate availability of imported phosphoric acid.

In order to meet the rising demand for fertilisers in the country, which showed an increase of the order of 20.5 per cent in 1978-79 over 1977-78, Government has had to import about 33 lakh tonnes during the year.

There was no change in the prices of major fertilisers during the year 1979-80 as also in the scheme of fertiliser freight subsidy and the scheme of subsidy on movement of fertilisers by road. However, in June 1980, due to the steep increase in the price of petroleum products, Government revised the fertiliser prices with effect from June 8, 1980. The retail selling price of urea has been fixed at Rs. 2,000 per tonne and the price of other fertilisers suitably increased in order to maintain the parity between nitrogenous and other fertilisers.

The performance of four of the assisted concerns of the Corporation in the line had been marginal to satisfactory. However the utilisation of the capacity of the units had been affected mainly due to power shortage. In the case of two concerns, operational problems also affected their working besides complete shut-down by a concern in Karnataka because of non-availability of power. In respect of another concern, a joint sector project in Tamil Nadu, the production had to be stopped for about two months due to an explosion in the factory. In respect of a fourth concern, the capacity utilisation was as high as 90 per cent. This concern's expansion programme aimed at increasing the capacity of its urea plant from 4.50 lakh tonnes to 6.75 lakh tonnes per annum as also its proposal for import of equipment for its captive power plant has been approved by the financial institutions.

Cement

In 1979, there were 56 units operating in the country with an installed capacity of 22.75 million tonnes. As against this, the production of cement was of the order of 18.17 million tonnes showing a capacity utilisation of about 80 per cent. Production of cement was lower by 7.39 per cent as compared to that in the previous year. The industry was severely affected by shortages of coal and power supply as also by transport bottlenecks. Production was not commensurate with the demand for cement in the country. Accordingly, Government has had to stop the exports of cement and import about 1.3 million tonnes to bridge the gap between demand and supply. Government have sanctioned setting-up of additional capacity of about 27.52 million tonnes through the grant of fresh Industrial Licences, Letters of Intent and registration of mini cement plants by the Directorate General of Technical Development. A comprehensive review of the cement industry was carried out by a High Level Committee to examine, in particular the causes for the capacity, in the industry, not building up, in spite of the incentives given. The Committee recommended a three-tier retention price. The new system of retention prices was introduced in May 1979 and would be in force till March 31, 1982. Under the new system, low cost units would get Rs. 185 per tonne, medium cost units Rs. 205 per tonne and high cost ones Rs. 220 per tonne. In so far as new cement units and substantial expansions are concerned, they would continue to be allowed the higher price of Rs. 296 per tonne as per Government of India's Resolution of September 1977.

Inspite of the constraints, three of the assisted concerns of the Corporation in Tamil Nadu could achieve average capacity utilisation of about 90 per cent. However, in the last quarter of the year 1979, these units had to face shortage of limestone from quarries due to inundation caused by heavy rains during the month of November. Another unit in Tamil Nadu, which went into commercial production in August 1979, could not achieve capacity utilisation beyond 34 per cent due to coal shortage, power restrictions and teething troubles. Despite frequent power interruptions, the performance of an assisted concern located in Andhra Pradesh was satisfactory, though the utilisation of capacity remained low. A unit located in Bihar could utilise its capacity only to the extent of 63 per cent as compared to 77 per cent last year. The reasons for under-utilisation of capacity were again mainly power and coal shortages. The performance of a concern in the State sector in Uttar Pradesh was unsatisfactory with capacity utilisation around 50 per cent. Its expansion programme, which has experienced successive over-runs is presently under implementation.

Paper

In 1979, there were 106 units in the country manufacturing paper and paper board as against 86 in the previous year. The installed capacity in the paper industry went up from 12.65 lakh tonnes per annum in 1978 to 13.80 lakh tonnes in 1979 showing an increase of 1.15 lakh tonnes per annum. The production of paper and paper board in 1979 was estimated to be 11.00 lakh tonnes which was nearly 1.00 lakh tonne more than the previous year. In spite of increase in production, the country faced acute shortage of paper. In order to ensure availability of cultural varieties of paper to the common man at fair prices, Government issued the Paper Control Order on June 30, 1979, complementary to the Paper (Regulation of Production) Order 1978. Under the Order, the ex-factory price of white printing paper was revised upward from Rs. 2750 to Rs. 3000 per tonne. In order to augment supply of paper, Government imported 41,000 tonnes of printing paper in 1979-80.

In the Budget for 1980-81, Government, in order to increase domestic production of paper, announced concession in the rate of excise duty from 30 per cent to 20 per cent ad valorem on paper and paper board production of small manufacturers, whose clearances in the preceding financial year did not exceed 300 tonnes of paper and paper board.

The established assisted concerns of the Corporation in the paper industry did well during the year, in spite of power shortage. One of them utilised its capacity more than fully while in the case of others the capacity utilisation was reasonably satisfactory. However, the performance of the newly assisted units of the Corporation was not quite satisfactory.

Caustic Soda

The production of caustic soda in 1979-80 was 5.50 lakhs tonnes in the country as against 5.64 lakh tonnes in the previous year, showing a decline of about 2.5 per cent. The decline was mainly due to power cuts. Government has had to import caustic soda to supplement domestic production which was in addition to private imports. Government in

the Budget for 1980-81 raised the excise duty on caustic soda from 10 per cent to 15 per cent ad valorem.

The average utilisation of capacity of the reporting assisted concerns was 74.0 per cent as against the industry's performance of 71.5 per cent. One of our assisted units located in Gujarat utilised its capacity fully and another in Orissa performed well with capacity utilisation of 91 per cent. Yet another unit located in Kerala could utilise only 52 per cent of its capacity, though there was an improvement over the previous year. A unit located in the northern region could not maintain its level of capacity utilisation achieved in the previous year due to shortage of power. Two other units, one located in Tamil Nadu and the other in Andhra Pradesh performed well during the year, in spite of power cuts The unit in Tamil Nadu economised on power consumption by switching over to cell with metallic anodes which contributed to the improved working results of the unit. One other unit in Tamil Nadu went into production in February 1979 and achieved capacity utilisation of 80 per cent.

Automobile Tyres and Tubes

There was no change in the installed capacity of the automobile tyres and tubes industry as compared to the previous year, which stood at 79.29 lakh numbers of automobile tyres and 87.73 lakh numbers of tubes. The production of automobile tyres was 69.30 lakh numbers as compared to 69.90 lakh numbers in the previous year, showing a decline of 60,000 tyres. There was also a decline of 6.64 lakh numbers in the production of automobile tubes. The drop in production both in the automobile tyres and tubes was due to shortage of raw materials, power cuts, especially in the States of Maharashtra, Uttar Pradesh and West Bengal, and shortage of coal due to inadequate rail transport facilities. There was also labour strike in one of the major units producing carbon black in the country. In addition, the raw material cost was very high. Government allowed import of major raw materials required for the industry to ease the situation.

With the demand for automobile tyres and tubes picking up, the performance of some of the assisted concerns improved. One of the units located in Uttar Pradesh could utilise its capacity fully. Of the three units assisted by the Corporation in the southern region, the performance of one of them was satisfactory, though its capacity utilisation was affected due to power shortage. Another unit which went into production in March 1977, showed an improvement in the utilisation of its capacity, though marginally. Its working results however, remained adverse due to under-utilisation of capacity, teething troubles, subnormal industrial relations and substantial escalation in the raw material costs. The operations of another unit improved during the year, though its financial position remained unsatisfactory. The implementation of the company's expansion scheme originally contemplated to be completed in June 1979, envisaging an increase in the capacity from 4.60 lakhs each to 6.00 lakhs each of tyres and tubes per annum had been adversely affected by the prolonged strike in the factory, which had been called off recently. The capacity utilisation of another unit located in West Bengal was very low as the company continued to face labour problems, severe liquidity strains and also break down in its plant.

Mini Steel Plants

The production of electric arc furnace units licensed to produce ingots/billets in 1979-80 was estimated to be about 16.16 lakh tonnes as against 16.57 lakh tonnes in 1978-79. The decline in production was attributed to power cuts and non-availability of raw materials. Consequent to the recommendations made by professional consultants, Government announced measures to improve the economic viability of the mini steel plants which inter-alia included :

(i) Exemptions from customs duty of almost all categories of ferrous melting scrap used in the electric arc furnace;

(ii) Exemption was also given from counter vailing duty on import of melting scrap other than heavy melting scrap;

(iii) Allowing direct import of ferrous melting scrap by units on a selective basis under certain conditions in addition to placing imports of such scrap on the canalised list;

(iv) Abolition of excise duty on certain categories of heavy melting scrap procured from the integrated steel plants;

(v) Permission to diversify certain grades of carbon and alloy steel;

(vi) Applications for diversification from mini steel plants could be considered favourably by financial institutions;

(vii) To augment indigenous supplies, import of graphite electrodes was to be allowed; and

(viii) Steel re-rolling mills and mini steel plants made eligible for assistance under the Soft Loans Scheme.

The operations of the mini steel plants assisted by the Corporation have generally shown improvement. The average capacity utilisation of the reporting assisted units was around 70 per cent during the year under review. The main difficulty faced by most of the assisted units was shortage of power. Besides, some units faced difficulty in procuring raw materials, had strained labour relations and other operational difficulties. One of them, which diversified its production, improved the operations to a level which enabled it to repay the entire funded interest, besides meeting the current dues of the Corporation. One mini steel unit, which, in spite of the project having been completed a few years back but had not been able to commence production earlier, could be commissioned during the year. Two other mini steel plants, whose operations had improved in the previous year, consolidated their position further and started meeting their commitments to the institutions. One of them paid a substantial part of the funded interest as well. Yet another mini steel plant which had suspended its operations in earlier years, started production during the year. The assets of the unit have been given on lease to another company pending merger with the latter.

Agricultural Tractors

The production of tractors in the country has been increasing over the years, with continued rise in demand. There were 13 units manufacturing tractors with an installed capacity of 58,900 nos. Production of tractors in 1979 was 60,060 which was 13 per cent more than the previous year. The industry is expected to meet the anticipated demand of about 85,000 tractors by 1983-84. The industry is facing shortage of inputs like power, iron and steel, coal, furnace oil, tyres and tubes, and other items of automobile ancillaries. Government have allowed the imports of these items and have reduced th customs duty. Of late, the industry has started exporting tractors to some of the countries in the Afro-Asian region.

The performance of two of the assisted concerns was highly satisfactory. While the utilisation of capacity of one of the units was as high as 123 per cent, This unit could not utilise its capacity fully due to power and raw material shortage. The performance of the third unit was not satisfactory as this unit, apart from facing power and raw material shortages, also had problems of indigenisation of components, besides severe liquidity strains.

Power Tillers

The utilisation of capacity in the power tiller industry continued to be low due to lack of demand, though, of late, it was slowly picking up. As against the installed capacity of 16,000 nos. power tillers, production during 1979 was 2,488 numbers, showing an increase of 17 per cent over the previous year. Government exempted the power tiller industry from excise duty as a step to revive it. Government are considering the issue of giving further incentives in order to improve the capacity utilisation of the units in the industry.

Of the two reporting assisted units, one unit in the State of Karnataka has maintained its progress. With the market for tillers picking up, the company's working results showed improvement. However, a unit located in Uttar Pradesh continued to fare badly and its capacity utilisation was insignificant. Apart from power shortage, this unit also faced raw material shortages and market limitations.

Cotton Textiles

The number of cotton textile mills which stood at 648 in 1978 increased to 661 in 1979. Of these, 370 were spinning

mills and 291 composite mills. The total installed capacity was 206.09 lakhs spindles and 2.06 lakhs looms. The production in 1979 was 32,060 lakhs metres of cotton fabrics and 9.522 lakhs kgs. of yarn as against 32,513 lakhs metres of cloth and 9.116 lakhs kgs. of yarn manufactured in the previous year. The production in the organised sector was affected by severe power cuts and also by long periods of strikes. Government introduced two measures to check the rise in the prices of textiles. These were (i) scheme of roll back in prices and (ii) voluntary price reduction scheme.

In line with the general performance of the industry in the country, the assisted units of the Corporation fared well.

Synthetic Textiles

There are at present about 1.36 lakhs authorised powerlooms and 700 knitting machines in synthetic textiles sector. The installed capacity of cellulosic and non-cellulosic fibre yarns including art-silk fibres was 1.84 lakhs tonnes. In 1978-79, production of the said yarns was of the order of 1.93 lakhs tonnes as against 1.73 lakh tonnes in 1977-78. During the period from April 1979 to October 1979, the production was to the tune of 1.12 lakhs tonnes. Additional capacity to the extent of 1.42 lakh tonnes in the sector is presently under implementation.

The financial performance of most of the assisted concerns was satisfactory during the year under review. Their avarage utilisation of capacity was also reasonably satisfactory. Two of our assisted units could utilise their capacity fully. One unit located in Madhya Pradesh could not fully utilise its capacity because of power cuts and shortage of raw materials. Another unit located in U.P. improved its performance over the previous year; in the case of polyester yarn, its utilisation of capacity was 124 per cent as against 83 per cent as against 83 per cent achieved last year. One assisted unit in Gujarat improved its performance to 83 per cent from 49 per cent recorded in the previous year. Another assisted unit manufacturing polyester staple fibre could not maintain its level of production as compared to the last year. The main reasons for its low capacity utilisation were shortage of raw materials and power, operational problems and strained industrial relations.

Jute

The production of jute goods during the period January—September, 1979 was lower by 7.5 per cent as compared to the corresponding period of the previous year. The main reason for decline in production was recurring strikes. The industry enjoyed favourable market conditions both at home and abroad. Further, the supply of raw materials was adequate and cheap and the industry got remunerative prices for its finished goods.

The performance of the assisted concerns of the Corporation was in line with that of the industry as a whole.

Sugar

The production of sugar in 1979-80 season was estimated to be 38.77 lakh tonnes which is about 19 lakh tonnes less than previous year. The shortfall in production was due to inadequate availability of sugarcane. Mention was made in the last year's Report about de-control of sugar in August 1978. In September 1979, Government resorted to price control both at the factory as well as at the retail level. In December 1979, Government introduced the dual pricing system.

The performance of the assisted sugar units of the Corporation was not generally satisfactory and the production came down steeply mainly because of inadequate availability of sugarcane.

END-USE SUPERVISION AND FOLLOW-UP

31. The Corporation has four Regional-Officers at Bombay, Calcutta, Delhi and Madras and an equal number of branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Kanpur besides nine other offices in different States. These offices of the Corporation have been equipped with the necessary technical, financial and legal staff who undertake regular follow-up of the assisted concerns with necessary guidance from the Head Office. The follow-up procedures of the Corporation are designed to call for information which any prudent management in charge of a project would collect and analyse with a view to ensuring successful operations of the project.

Procedures

32. The follow-up procedures devised by the Corporation comprise the following :

(i) Obtaining periodical progress reports on the forms prescribed;

(ii) Carrying out site inspections of the factory and books of account of the assisted concerns at frequent intervals;

(iii) Examining half-yearly/yearly statements of working results and financial position of the assisted concerns;

(iv) Appointing, in suitable cases, official/non-official nominees on the boards of directors/management of assisted concerns to watch the interests of the Corporation and to report developments, from time to time, in regard to the operations and management of the company; and

(v) Entrusting the monitoring of assisted concerns, wherever necessary, to Technical Consultancy Organisation (TCOs) sponsored by the all-India financial institutions and/or other outside organisations.

CONSORTIUM APPROACH—LEAD INSTITUTION CONCEPT DURING FOLLOW-UP STAGE

33. With a view to improving the monitoring mechanism for tackling problems during followup stages, particularly those relating to industrial sickness, the concept of 'lead institution' has been extended to the sphere of follow-up by the all-India financial institutions. Lead institutions have been designated in respect of all the follow-up cases. The lead institution has the primary responsibility for maintaining a close watch over the affairs of the relative concerns. It co-ordinates matters with the other institutions concerned and maintains necessary rapport with the bankers as well. These arrangements have led to better monitoring of the progress of the assisted concerns.

In the case of sick units, the lead institution also takes the initiative in the formulation, implementation and monitoring of progress under the rehabilitation plans in consultation and co-ordination with other financial institutions/banks. According to the understanding amongst the Institutions, the lead institution has now the authority to take decisions in certain specified operational matters pertaining to the assisted concerns without consulting the other Institutions, subject, however, to other participating institutions and banks being informed about the view taken by it. Further, a concern, need not now ordinarily approach all the institutions participating in the project separately for approvals and it will be sufficient if only the lead institution is contacted in the matter.

Progress Reports

34. With a view to having uniformity, common formats for the institutions at the all-India level have been evolved requiring submision of progress reports on a quarterly basis, both during the construction and operation periods, keeping in view the special features of each industry. Apart from enabling the Corporation and other institutions to advise the concern to take remedial steps, the progress reports help the institutions to disburse funds for the project in keeping with the progress achieved and the financial plan.

The lead institution designated for follow-up purposes is now primarily responsible for watching the timely receipt of progress reports from the assisted concerns and examining the same as also advising the assisted concerns to take such remedial or corrective steps as might be considered appropriate in the relevant circumstances. The other institutions are to be kept informed of the development.

Inspections

35. From the date the agreement is executed and so long as any part of the loan remains outstanding, the Corporation carries out site inspections both during the construction and operation periods of the projects and inspects books of account

of the assisted concerns. In the case of joint financing, the primary responsibility for carrying out detailed inspection is that of the 'lead institution. Such inspections are carried out generally by teams of financial and technical officers of the Corporation.

The inspection team satisfies itself that the principal sum of loan received from the Corporation is kept in a separate bank account and is utilised for the purpose for which it has been sanctioned. While the Regional/Branch Offices forward 'Flash Inspection Reports,' the 'Detailed Inspection Reports' are finalised and circulated by the lead institution concerned.

After the project has gone into commercial production the first inspection is generally carried out in the form and manner of a re-appraisal so that the causes of the variances of the profitability projections could be identified properly and the project could be re-assessed in its proper perspective.

Inspection Reports are also forwarded in the case of sub-loans in foreign currencies to the respective foreign financial institutions, wherever necessary.

The annual audited financial statements, circulars etc., and minutes of shareholders, meetings are carefully studied and analysed to assesss their progress, profitability and other financial aspects of the project compared with the performance of at least the preceding three years.

Problem Cases

36. The Advisory Services Department, which was established at Head Office of the Corporation in 1973 for rendering advice and guidance to new entrepreneurs and others in technical and financial fields, both at the pre-implementation and postimplementation stages of the projects including intensive monitoring of problem projects, was re-named as the Problem Cases Department (PCD). A Financial Reconstruction Cell has also been created in that Department to examine reconstruction proposals in respect of sick units assisted by the Corporation. In the matter of revival of sick undertakings, which requires a coordinated approach, the Department maintains close rapport and coordination with other financial institutions and commercial banks as also the Screening Committee headed by the Secretary, Department of Industrial Development, set up by the Government of India. The Problem Cases Department also keeps in touch with the Department of Industrial Development in the Ministry of Industry in respect of applications for takeover of management under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 and for monitoring action after takeover of management and for preparing reviews for the Screening Committee.

Nominee Directors

37. An important feature in the building up of a close relationship between the Corporation and the management of assisted concerns is the appointment of its nominees on their Boards of Directors. In pursuance of Section 25(2) of the IFC Act, the Corporation, as a matter of policy, reserves for itself the right to appoint generally not more than two directors on the board of an industrial concern assisted by it. In the case of joint financing, the practice has also emerged of having one or more common nominees of the participating institutions, where agreed upon.

The Corporation is exercising the right to nominate its representatives on the boards of all assisted concerns where substantial financial assistance has been sanctioned and/or where the conditions for conversion of loans into equity have been stipulated in the agreements for financial assistance. The Corporation also uses its discretion in nominating directors on the boards of assisted concerns generally under the following circumstances :

(i) Where the Corporation's commitments are comparatively large;

(ii) where defaults have been made in the payment of principal and/or interest on the Corporation's loan; and

(iii) where there are otherwise special circumstances calling for vigilance or a closer watch on the operations of the assisted concern.

The persons nominaated as directors are either Corporation's own officers or non-officials from a common panel of suitable persons drawn and maintained by IDBI with the prior approval of the Central Government.

The persons nominated as directors by the Corporation hold office during its pleasure and are not liable to hold any qualification shares or to retire by rotation. In order to make the system of nominee directors more effective, the financial institutions aim at rotating the directors nominated on the Boards of the assisted concerns after a period of three to four years, as far as possible. Again, the total number of directorships in the case of non-official directors, either in their personal capacity or as nominees of the financial institutions is expected to be limited so that they could take desired interest in the functioning of the concerned companies.

The nominee directors are expected to see, as far as possible, that the managements of such concerns do not conduct their affairs in a manner prejudicial to public policy. To enable the nominee directors to keep themselves in touch with the operations of the concern, same proformae as devised for progress reports on industrywise basis are being used for facilitating reporting of certain information and operational data by the companies for consideration at every meeting of the Board of Directors. The feedback received from the nominee directors through their report, as also, their discussions with senior officers of the Corporation have greatly helped in timely identification of factors coming in the way of improved performance of assisted concerns.

Coordination with Banks

38. The Inter-Institutional Committee appointed by the Reserve Bank of India (Known as the Bhuchar Committee) made valuable recommendations covering the entire gamut of lending operations of term-lending institutions and commercial banks. Pursuant to these recommendations, guidelines were issued in November 1978 by the Reserve Bank of India to facilitate close coordination between term-lending institutions and commercial banks during the stage of project monitoring and follow-up and rehabilitation of sick projects as also in regard to the appraisal and financing of projects.

Based on the recommendations of the Bhuchar Committee, a Standing Coordination Committee for considering policy issues pertaining to co-ordination between banks and term lending institutions has been constituted by the Reserve Bank of India under the Chairmanship of a Deputy Governor. This Committee normally confines its deliberations to broad policy matters and general principles relating to coordination. Matters relating to rehabilitation measures needed for industrial sector as a whole, including small-scale industry where several units are affected by sickness, are also referred to the Committeee.

Conversion of Loans into Equity

39. In accordance with the guidelines issued by Government, the Corporation is reserving the right of conversion of a part of the loans extended by it into equity capital of the assisted concerns on terms which are negotiated and settled in advance. However, the conversion option is not being made applicable in the light of the instructions received from the Government from time to time in the following cases :

(a) loans sanctioned in foreign currencies;

(b) aggregate rupee financial assistance to an industrial concern not exceeding Rs. 25 lakhs;

(c) rupee loans, irrespective of the amount sanctioned, to all those undertakings which are either in the 'public sector' or which attract the provisions of Section 619 B of the Companies Act, 1956; and

(d) rupee loans granted under the Soft Loans Scheme.

Government have recently announced certain changes in the policy guidelines for insertion of the convertibility clause in agreements governing assistance to industrial units by financial institutions. The changes made are as follows :

(1) The mandatory insertion of the convertibility clause will be necessary hereafter only in respect of financial assistance exceeding Rs. 1.00 crore instead of Rs. 50.00 lakhs at present.

(2) The financial institutions should exercise the conversion option in such a way that they acquire not more than 40 per cent of the share capital of the existing concern. However, in case of persistent

default in repayment of dues, or mismanagement of the company, or continuous closure for over three months of an industrial unit of a company producing goods and services essential to the community, the financial institutions may, with the concurrence of the Government, exercise the option of conversion in such a way that their shareholding can go upto 51 per cent or above.

(3) As in the case of Soft Loans Scheme, the convertibility clause need not be inserted in case of modernisation assistance, additional balancing equipment within the existing capacity, rehabilitation of sick units or for financing small over-runs in respect of projects already financed by institutions.

The Corporation as on June 30, 1980, had stipulated the conditions relating to conversion of rupee loans into equity in respect of 409 concerns covering 587 cases of sanction (loan agreements executed in respect of 423 cases) after prior negotiations with the sponsors of the projects and in consultation with IDBI. The conversion right was actually exercised in the case of 41 concerns as on June 30, 1980, in most of the other cases the time for the exercise of the right had not yet arrived and in a few cases it was considered expedient, taking into account all relevant factors, to waive the exercise of the right.

Progress of Repayments

40. Defaults by some of the assisted concerns of the Corporation in meeting their obligations to the Corporation could be attributed to two sets of factors; one relates to market constraints, higher cost of inputs, non-availability or inadequate availability of raw materials, power shortages, etc; the other relates to internal causes and deficiencies like delays in implementation of projects, inadequate and weak management, with deleterious effect on the performance of the assisted concerns. These factors act either individually or in combination.

Industry-wise Analysis of Defaults

41. The industry-wise break-up of defaults as on June 30, 1980 along with the comparative figures for the previous year is given in Table 8.

During the year under review, the number of defaulting concerns in the engineering group was 84 as against 67 in the previous year. Power cuts and strained labour relations affected the operations of some of these units and, in turn, created in most of the concerns, working capital problems. Weak and inadequate management also contributed to the unsatisfactory state of affairs in some cases. The Corporation together with other institutions concerned, continuously reviewed their operations and efforts were made to bring them back to normal working. In cases, where the assisted concerns were not managed properly and consequently performance was not satisfactory, the Corporation, in consulation with the other institutions concerned tried to interest acceptable entrepreneurs to take over the management of some of thesee concerns.

In the previous year's Report, it was stated that two sick units in the electrical industry were successfully rehabilitated by inducting professional management. These two units were able to further improve their position during the year. One of them has not only started meeting its current obligations, but has also been paying a part of the overdue interest. In respect of the other unit, the controlling interest has been allowed to be passed on to another group, possessing adequate managerial and financial resources. There is a proposal to merge one of the profit making concerns in the group with this unit in order to ensure the latter's long term viability. The operations of another unit manufacturing electrical consumer goods and fractional horse power motors improved considerably after it was merged with a healthy unit and it has started honouring the current dues to the Corporation. In respect of one other unit engaged in the manufacture of radio, transistors and electronic equipment, its merger with a healthy concern will take place after the approval of the concerned High Court. Another unit engaged in the manufacture of switch gear, air circuit breakers and transformers has been merged with multi-unit financially sound concern. The performance of a unit engaged in the manufacture of electric meters and conductors had improved considerably after the State Government took over its management from the private promoters in 1977.

The working of a sick mini steel unit in the public sector improved substantially during the latter part of the year, consequent to the strengthening of its top management.

Efforts are being made to rehabilitate a unit engaged in the manufacture of steel castings and another unit manufacturing aluminium cans and alloys by merger with healthy concerns.

In respect of three units for which Receivers had been appointed earlier under Section 30 of the IFC Act, the respective High Courts passed the sale orders. The sale of assets of two of the units are likely to be effected soon after the intending buyers fulfil the conditions of sale.

TABLE 8

Industry-wise Classification of Defaults

(Rs. Lakhs)

Industry	Defaults as on June 30, 1979				Defaults as on June 30, 1980				Defaults as percentage of loans outstanding
	No. of concerns	Principal	Interest	Total	No. of concerns	Principal	Interest	Total	
Mining	3	47·50	39·75	87·25	4	64·00	52·53	116·53	39·1
Sugar	46	443·29	300·29	743·58	70	896·40	503·94	1400·34	15·0
Misc. food products	4	1·75	2·20	3·95	4	4·33	5·13	9·46	3·2
Textiles	29	364·92	206·71	571·63	35	389·00	188·20	577·20	9·0
Jute manufactures	6	86·91	53·68	140·59	8	114·52	41·27	155.79	19·9
Wood products	3	2·54	8·95	11·49	4	6·56	18·64	25·20	7·1
Paper and paper products	15	106·06	70·05	176·11	21	117·30	132·93	250·23	5·7
Leather products	2	6·00	4·27	10·27	3	11·08	7·11	18·19	10·0
Rubber products	7	196·37	76·12	272·49	7	216·34	86·89	303·23	18·9
Basic industrial chemicals	6	48·98	55·09	104·07	11	84·59	69·69	154·28	9·8
Fertilisers and pesticides	3	63·87	58·08	121·95	2	41·37	58·80	100·17	4·8
Synthetic fibres and resins	3	25·75	16·79	42·72	4	56·02	22·39	78·41	5·3
Misc. chemicals	6	32·00	7·26	39·26	8	53·75	12·98	66·73	9·8
Glass and glass products	6	28·61	14·55	43·16	6	35·66	22·22	57·88	12·3
Cement	2	59·86	51·13	110·99	3	81·96	61·72	143·68	3·7
Misc. non-metallic mineral products	5	39·68	23·20	62·88	6	29·18	16·40	45·58	7·2
Iron & Steel	18	306·98	181·80	488·78	17	216·48	118·07	334·55	13·3
Non-ferrous metals	3	96·51	19·95	116·46	3	110·86	19·85	130·71	78·9
Metal products	14	57·20	70·12	127·32	16	108·01	86·82	194·83	19·8
Machinery and accessories	17	136·51	64·09	220·60	24	159·39	97·84	257·23	15·0
Electrical machinery, apparatus, appliances and parts	14	194·37	121·62	315·99	18	227·83	110·59	338·42	20·8
Transport equipment	4	138·12	33·75	171·87	9	191·09	66·74	257·83	19·7
Misc. manufacturing industries	—	—	—	—	3	2·00	3·73	5·73	2·8
Hotel	11	45·03	52·48	97·51	10	61·39	70·79	132·18	13·2
Electricity	1	1·25	—	1.25	—	—	—	—	—
TOTAL	228	2530.06	1532.11	4062.17	296	3279.11	1875.27	5154·38	11·6

Receivers had been appointed in the case of two units engaged in the manufacture of taps and gauges and fasteners respectively.

As a result of a joint study by the institutions, of the problems of the assisted scooter manufacturing units, rehabilitation plans have been evolved to put some of them on viable footing.

The number of defaulting concerns in the textile industry was 35 as against 29 in the previous year. Lack of proper management was the main cause for the units in the textile industry making defaults in their payment obligations to the institutions. Power cuts and strained industrial relations further aggravated the problems. In respect of textile units in the cooperative sector, the institutions are making efforts to recover the defaulted amounts through the good offices of the concerned State Governments.

In the case of seven units nationalised under the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974, compensation amounts stipulated under the said Act were inadequate to meet the dues of the Corporation, particularly in view of the relatively low priority of the Corporation's claims in the scheme of distribution of compensation money envisaged under the Act. In all the said seven cases, the Corporation had filed its claims before the Commissioner of Payments, but only in three cases, the Corporation's claims had been adjudicated and in two cases, the amounts awarded to the Corporation had been received and adjusted towards part satisfaction of the dues. The Corporation had also filed suits against the guarantors in all the cases for recovery of its dues. In one case, the suit had been decreed and the defendants had preferred an appeal against the order. In another case, the suit had been dismissed and it had been decided by the Corporation to prefer an appeal against the order.

The Corporation also filed claims before the Commissioner of Payments in respect of three coal companies financed by it, whose mines had been nationalised under the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act/Coal Mines (Nationalisation) Act. In one case, the Corporation's claim had been adjudicated and some amount had been awarded out of the compensation money. The Corporation had preferred an appeal against the order of the Commissioner of Payments.

The number of concerns in default in the sugar industry during the year was 70 as compared to 46 in the previous year. Decontrol of sugar in August 1978 and the consequences that followed, coupled with the drought conditions, had an adverse effect on the production of sugar in 1979-80 season.

Due to the rehabilitation measures evolved by the institutions/banks one sugar unit in Tamil Nadu, which had suffered a major set back in its operations during the 1975-76 season recovered fully and was able to clear a substantial part of its overdue liabilities.

During the year, the defaulting concerns in the chemical industry showed signs of improvement. With the take-over by a healthy concern, a unit engaged in the manufacture of super-phosphate improved its operations and started meeting its commitments to the Corporation.

The management of a paper unit engaged in the manufacture of gloss-coated paper was transferred to a well established unit with proven managerial ability pending implementation of the merger programme. The unit had already started showing encouraging results under the new management. Another unit which had been lying closed since 1978 was showing encouraging results under the new management. As a result, the Corporation had been able to realise the value of its equity shareholding in full and 55 percent of its term loans/deferred payment dues along with overdue interest in cash. The unit's operations had started picking up.

A unit engaged in the manufacture of rubber chemicals based on foreign technology had been put on the road of recovery by arranging its merger with a healthy concern in a large group.

A concern engaged in the manufacture of ethyl alcohol styren monomer and polystyrene, whose change in management and consequent improvement in its operations were reported in the previous year's Report, showed remarkable recovery during the year. Government's approval to its merger with a financially sound company is still awaited.

Steps have been initiated for the revival of a unit in the cooperative sector engaged in the manufacture of vegetable oil from cotton seed, and other seeds by leasing its factory to a healthy unit in the cooperative sector in the same State.

A unit engaged in the manufacture of cycle tyres and tubes, whose factory had been leased out to another concern in February 1977, started paying the dues of the Corporation.

42. Tables 9 and 10 show the amounts which were due by way of interest on loans and instalments of principal and the amounts that were realised during each of the last three years. The amounts in default at the end of each of the three years are also shown therein.

TABLE 9

Recovery of Interest

(Rs. Lakhs)

Year ended June 30	Loans outstanding at the beginning of the year	Arrears of interest outstanding at the beginning of the year	Amount of interest due during the year	Total of columns 3&4	Amount of interest received during the year	Defaults of interest at the end of the year*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1978	28469·84	1211·10	2582·96	3794·06	2082·61	1506·55
1979	32830·31	1506·55	3155·05	4661·60	2613·86	1532·11
1980	37067·64	1532·11	3615·99	5148·10	2941·93	1875·27

*Excluding amounts for which extension of time was granted; such cases have not been treated as defaults.

TABLE 10

Repayment of Principal

(Rs. Lakhs)

Year ended June 30	Loans outstanding at the beginning of the year*	Arrears of principal outstanding at the beginning of the year	Amount of principal due during the year	Total of columns 3 & 4	Amount of principal received during the year	Defaults of principal outstanding at the end of the years**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1978	28469·84	1470·38	2532·39	4002·77	1828·63	2115·47
1979	32830·31	2115·47	2987·08	5102·55	2184·83	2530·06
1980	37067·64	2530·06	3683·65	6231·71	2265·51	3279·11

*Excluding amount due on account of defaulted deferred payment instalments guaranteed and met by the Corporation and interest due thereon, which are shown separately in Table 11.

**Excluding amounts for which extension of time was granted; such cases have not been treated as defaults.

The interest in default of Rs. 1875.27 lakhs as on June 30, 1980 formed 4.2 per cent of the outstanding loans, both rupee and foreign currency, of Rs. 442.85 crores as against 4.1 per cent in the previous year. The above mentioned amount of Rs. 1875.27 lakhs does not, however, include the amount of further defaults committed during the year by some of the assisted concerns, whose credit record has been very unsatisfactory, as mentioned in the Notes forming part of the Accounts. Further, principal in default of Rs. 5279.11 lakhs was 7.4 per cent of the out-standing loans as against 6.7 per cent in the previous year.

The position of defaults in the payment of instalments of deferred payments guaranteed and met by the Corporation and interest and other charges due thereon for each of the last three years is shown in Table 11 below.

Overall Position of Repayments

43. Taking both the principal and interest amounts totalling Rs. 488.72 crores that fell due for repayment/payment during the entire period i.e. 1948-80, the loans recovery ratio for the said period works out to about 88 per cent, after adjusting the effect of rescheduling of overdue amounts, both on account of interest and principal.

TABLE 11

Arrears Outstanding in respect of Deferred Payments Guaranteed by the Corporation

(Rs. Lakhs)

Year ended June 30	Amount of arrears due at the beginning	Defaults during the year	Total	Recoveries during the year	Amount of arrears outstanding at the end of the year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1978	138·36	35·36	173·72	9·86	163·86
1979	163·86	20·97	184·83	6·93	177·90
1980	177·90	6·07	183·97	16·27	167·70

REVIEW OF OPERATIONS—1948—80

44. The Corporation's experience in the field of development banking now spans over a period of thirty-two years. With the financial assistance of Rs. 1047.24 crores for 1265 projects, the Corporation has indeed made important and significant contributions to the industrial growth in diverse fields.

When it started its operations, the Corporation's assistance was primarily confined to traditional industries. Now, with the sound technological base having been built-up over the years and general economic development in the country, projects coming up for assistance to the Corporation are of varied type more often involving advanced and sophisticated technology. The capital costs required to be financed for these projects have also increased substantially, both, on account of technological sophistication and inflation as such. This has accelerated the adoption of 'constortium financing' approach aiming at sharing of risks, resources and expertise. The Corporation has played the role of a major partner in this regard.

The challenges thrown up in the areas of project appraisal and follow-up, particularly in recent years, have been variegated. The Corporation has in the process gathered considerable knowledge and experience, which helps it not only to take its own investment decisions, but also to assist in the healthy growth of its assisted concerns. The 'post-oil crisis', inflation, abroad and in India, has specially posed new and difficult problems for industrial projects. Accordingly, the assumption and parameters for appraisal and evaluation of projects, as also, for on-going follow-up have needed review and refinement almost constantly. The financial institutions including the Corporation have also faced, in an ever increasing measure, the problem of financing of over-run in capital costs of projects in this context. The increased cost of inputs, contributing to increase in the overall cost of production, have often threatened the very viability of the assisted projects. The external factors coupled with internal deficiencies, including management problems, have led to unsatisfactory working of some of the assisted concerns. As catalyst of industrial development, the Corporation and the other financial instiutions have to keep in closer touch with the working of industrial units, with a view to help in evolving timely measures for saving the projects from going sick, or, with a view to revive/rehabilitate those which have become sick. The Corporation has continually adjusted itself to the developments on the industrial scene, seeking help of Governments, both Central and State, fiscal, or, otherwise, wherever called for, collectively with the other financial institutions, or, individually, depending on the overall circumstances.

The 'Spread' and 'Coverage'

45. As on June 30, 1980, the assistance amounting to Rs. 1047.24 crores sanctioned by the Corporation for 1265 projects, of 1072 concerns (involving total capital outlay of Rs. 7744.27 crores), has the country-wide 'spread', covering different sectors.

Assistance amounting to Rs. 166.31 crores was claimed, for 173 projects, by the 'cooperative' sector, and, assistance aggregating to Rs. 216.10 crores, for 205 projects, by 'public' and 'joint sectors. The assistance to private corporate sector, for 887 projects, accounted for the assistance amounting to Rs. 664.83 crores.

66. Disbursements aggregate Rs. 769.06 crores, which represented 73.4 per cent of sanctioned assistance. The total assistance outstanding as on June 30, 1980 amounted to Rs. 474.85 crores.

Industrial Cooperatives

47. The Corporation's cumulative assistance to 173 projects in the industrial 'cooperative' sector, amounting to Rs. 166.31 crores, has almost entirely been in the form of rupee loans (20.3 per cent of the total rupee loan assistance amounting to Rs. 819. 76 crores sanctioned by the Corporation).

An analysis of the assistance sanctioned to the 'cooperative' sector reveals that about 81 per cent of the assistance has been for new projects.

Nearly 45 per cent of the assistance sanctioned to the industrial cooperatives has gone to 79 projects located in the notified less developed districts/areas.

48. The State-wise and Industry-wise distribution of assistance to industrial cooperatives upto June 30, 1980 is given in Table 12.

Sugar cooperatives with an assistance of Rs. 132.51 crores have been the major beneficiaries of the Corporation's assistance to the 'cooperative' sector (79.7 per cent of the total assistance sanctioned to the 'cooperative' sector). In the cotton spinning sector, 39 cooperatives have accounted for the assistance amounting to Rs. 27.29 crores (16.4 per cent of the total assistance sanctioned to 'cooperative' sector). Five other cooperatives in industries like fertilisers, vegetable oil extraction, jute and synthetic fibres have been granted assistance amounting to Rs. 6.51 crores (3.9 per cent of the total assistance sanctioned to 'cooperative' sector).

TABLE 12

Assistance Sanctioned to Industrial Cooperatives—1948-80

(Rs. Lakhs)

State/Territory	Assistance sanctioned Industry-wise								percentage of Total
	Sugar		Cotton Spinning		Other		Total		
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	
Andhra Pradesh	12	1131·00	4	235·00	—	—	16	1366·00	8·2
Assam	1	60·00	—	—	1*	78·50	2	138·50	0·8
Bihar	1	90·00	1	24·70	—	—	2	114·70	0·7
Gujarat	12	898·50	2	242·50	3**	550·00	17	1691·00	10·2
Haryana	4	286·00	1	100·00	—	—	5	386·00	2·3
Karnataka	13	1095·25	3	179·00	1***	22·50	17	1296·75	7·8
Kerala	2	180·00	1	82·00	—	—	3,	262·00	1·6
Madhya Pradesh	1	80·00	1	80·00	—	—	2	160·00	1·0
Maharasthra	51	6169·70	14	997·00	—	—	65	7166·70	43·1
Orissa	2	205·00	2	109·00	—	—	4	314·00	1·9
Punjab	4	370·00	1	100·00	—	—	5	470·00	2·8
Rajasthan	1	95·00	2	164·50	—	—	3	259·50	1·5
Tamil Nadu	9	924·00	2	85.00	—	—	11	1009·00	6.1
Uttar Pradesh	15	1517·00	4	290·00	—	—	19	1807·00	10·9
West Bengal	—	—	1	40·00	—	—	1	40·00	0·2
Goa	1	150·00	—	—	—	—	1	150·00	0·9
TOTAL	129	13251·45	39	2728·70	5	651·00	173	16631·15	100·00

*Jute cooperative.

**Two units of one cooperative in fertiliser industry and one cooperative in synthetic fibere industry.

***Vegetable oil extraction cooperative.

The 'Public', 'Joint' and 'Private Corporate' Sectors

49. As on June 30, 1980, the financial assistance sanctioned to the corporate sector has amounted to Rs. 880.93 crores, in respect of 1092 projects. This includes assistance to the extent of Rs. 102.14 crores for 106 'public' sector projects and Rs. 113.96 crores for 99 projects in the 'joint' sector. Assistance to the tune of Rs. 664.83 crores has been provided for 887 projects in the 'private' corporate sector.

50. Industry-wise distribution of the cumulative assistance sanctioned to the 'public' and 'joint' sector projects is given in Table 13 and the 'private corporate' sector in Table 14.

TABLE 13

Industry-wise Distribution of Assistance to Public and Joint Sector Projects

(Rs. Lakhs)

Industry	No. of projects	Project cost	Assistance sanctioned
Textiles	53	15574·87	3479·00
Basic industrial chemicals	21	23775·45	3238·23
Fertilisers	6	47899·03	2330·50
Cement	9	23438·00	2174·00
Paper	11	21700·44	2117·90
Sugar	14	7311·88	1370·34
Iron & Steel	13	11822·93	1278·05
Electrical machinery, apparatus, appliances and parts	12	6114·47	827·15
Misc. chemicals	13	4347·89	801·57
Synthetic fibres and resins	4	8655·00	717·99
Machinery	6	3596·98	569·46
Scooters and parts	7	3272·00	338·99
Glass and glass products	4	2801·19	321·26
Rubber products	3	4846·00	298·50
Mining	4	6550·17	295·00
Misc non-metallic mineral products	4	1492·00	295·75
Misc. food products	3	1366·00	240·00
Jute manufactures	2	1290·00	225·00
Metal products	3	1225·00	214·33
Leather products	6	1151·60	212·32
Wood products	2	833·00	115·23
Misc. manufacturing industries	3	477·00	92·50
Natural gas	1	400·00	30·00
Coir products	1	243·40	27·00
TOTAL	205	200184·30	21610·07

TABLE 14

Industry-wise Distribution of Assistance to Private Corporate Sector Projects

(Rs. Lakhs)

Industry	No. of projects	Assistance sanctioned
Textiles	174	10516·05
Paper and paper products	60	6044·23
Cement and cement products	47	6001·91
Iron & Steel	72	5302·23
Basic industrial chemicals	47	4505·47
Machinery	80	3941·04
Non-ferrous metal industry	23	3506·10
Transport equipment and parts	42	3273·56
Synthetic and man-made fibres, resins and plastic materials	30	2961·93
Fertilisers and pesticides	11	2680·15
Electricity	10	2433·00
Rubber products	19	2390·95
Electrical machinery, apparatus, appliances and parts	46	2173·97
Sugar	33	1801·69
Metal products	41	1685·93
Hotel	29	1441·75
Misc. non-metallic mineral products	23	1352·64
Jute manufactures	22	1335·38
Misc. chemicals	28	872·74
Glass and glass products	13	649·41
Mining	5	555·00
Others	32	1057·13
TOTAL	887	66482·36

51. Details of assistance sancitoned to the corporate sector are reviewed in the following paragraphs .

Rupee Loans

Assistant sanctioned in the form of rupee loans has amounted to Rs. 653.53 crores accounting for 74.2 per cent of the total assistance to the corporate sector. The disbursement of rupee loans ot the corporate sector as on June 30, 1980 has amounted to Rs. 446.54 crores.

Foreign Currency Loans

Foreign currency loans sanctioned by the Corporate to the corporate sector have amounted to Rs. 94.95 crores, while disbursements have amounted to Rs. 70.43 crores.

The position relating to foreign currency loans as on June 30, 1980 is given in Table 15.

TABLE 15

Foreign Currency Loans to the Corporate Sector

Currency	Sanctions (net)			Letters of Credit/ Commitments issued		Amount disbursed	
	No. of sub-loans	Foreign currency (million)	Rupee equivalent (lakhs)	Foreign currency (million)	Rupee equivalent (lakhs)	Foreign currency (million)	Rupee equivalent (lakhs)
Deutsche Marks	266	230·536	4711·48	195·567	4007·52	171·291	3497·42
U. S. Dollers	57	26·750	1963·27	26·750	1963·27	26·750	1963·27
French Francs	13	14·890	203·34	14·800	202·07	14·800	202·07
Pound Sterling	41	7·278	1291·91	5·938	812·43	4·608	808·82
Swedish Kroners	17	72·936	1325·36	35·822	665·52	29·579	571·84
TOTAL	394		9495·36		7650·81		7043·42

Underwritings

Upto June 30, 1980 the Corporation has sanctioned 600 applications for underwriting of equity shares preference shares and debentures for a net amount of Rs. 71.98 crores. The position in respect of the issues underwritten and finalised upto June 30, 1980 is given in Table 16.

Direct Subscriptions

As on June 30, 1980, the Corporation has sanctioned Rs. 7.90 crores in respect of 105 applications for direct subscription including Rs. 5.70 crores for equity shares, Rs. 0.32 crores for preference shares and Rs. 1.88 crores for debentures. Of these, direct subscriptions for 32 Right Issues in respect of shares and debentures held by the Corporation in pursuance of underwriting obligations has amounted to Rs. 3.83 crorse.

TABLE 16

Underwriting Operations

(Rs. Lakhs)

	Amount underwritten	Amount devolved	Percentage of (3) to (2)
(1)	(2)	(3)	(4)
Equity shares	3149·36	1957·42	62·2
Preference shares	996·84	814·00	81·7
Debentures	1075·50	892·80	83·0
TOTAL	5221·70	3664·22	70·2

Guarantees for Deferred Payments for Plant and Machinery

The net amount of guarantees for deferred payments sanctioned upto June 30, 1980, has amounted to Rs. 28.96 crores in respect of 45 applications. The total amount of guarantees actually issued upto June 30, 1980 is Rs. 28.76 crores. The amount outstanding under-guarantees as on June 30, 1980 is Rs. 0.45 crores.

Guarantees for Foreign Currency Loans from Financial Institutions Abroad

The Corporation has sanctioned guarantees for foreign currency loans amounting to Rs. 23.61 crores in respect of 6 applications as on June 30, 1980. The total amount of guarantees actually issued is Rs. 23.53 crores in respect of 5 applications and the amount outstanding in respect of these guarantees is Rs. 0.08 crore as on June 30, 1980.

Assistance to less Developed Areas

52. The Corporation, as on June 30, 1980, has sanctioned financial assistance agregating Rs. 425.33 crores for 473 projects in the notified less developed districts/areas. The constitutes 40.6 per cent of the net sanctions. Table 17 gives the position in respect of the Corproation's assistance to projects in less developed districst/areas.

TABLE 17

Assistance to Projects in Less Developed Areas

(Rs. Lakhs)

Year	Total assistance*	Assistance to projects share in less developed districts/areas*	per cent
Since inception to June 1970	32565	8464	26·0
1970-71	2666	527	19·8
1971-72	3693	1317	35·7
1972-73	4164	1990	47·8
1973-74	3546	1417	40·0
1974-75	3209	1726	53·8
1975-76	4777	2332	48·8
1976-77	9214	5941	64·5
1977-78	10721	5510	51·4
1978-79	15188	6412	42·2
1979-80	14981	6897	46·0
Sub-total : 1970-71 to 1979-80	72159	34069	47·2
Grand Total :	104724	42533	40·6

*Net effective sanctions as on June 30, 1980.

Table 18 gives industry-wise distribution of assistance sanctioned for projects in less developed districts/areas. The industries located in the notified less developed districts/areas, which have been beneficiaries of the Corporation's assistance are generally 'high priority' industries, like sugar, textiles, paper and paper porducts, cement, fertilisers, etc.

TABLE 18

Industry-wise Distribution of Assistance Sanctioned for Projects in Notified Less Developed Districts/Areas—1948-80

(Rs. Crores)

Industry	No. of projects	Project cost	Assistance sanctioned
Sugar	77	297·23	74·49
Chemicals and chemical products :			
Basic industrial chemicals	31	229·70	24·70
Fertilisers	9	512·25	18·78
Synthetic fibres	5	99·18	10·50
Synthetic resins	1	2·70	0·32
Other chemicals and chemical products	24	58·22	10·44
Textiles	101	294·85	64·78
Cement	25	480·73	52·29
Paper and paper products	39	324·20	50·90
Iron & steel	32	233·38	21·84
Non-ferrous metals	8	92·12	15·1
Rubber products	11	136·88	11·95
Machinery and accessories	15	103·50	11·83
Misc. non-metalic mineral products	13	48·72	9·42
Metal products	12	32·57	8·24
Transport equipment	10	70·70	5·72
Electrical machinery and appliances	12	32·59	6·61
Jute	8	16·34	4·47
Misc. food products	8	28·76	4·28
Wood products	5	20·18	4·03
Glass	5	25·13	3·94
Mining	5	64·11	3·02
Hotel	5	7·81	2·66
Leather products	6	12·39	2·15
Misc. manufacturing industries	3	5·52	1.08
Electricity	2	0·66	0·43
Coir products	1	2·43	0·27
TOTAL	473	3232·85	425·33

Concessional Assistance

53. In July 1970, the Corporation announced a package of concessions as part of a scheme to encourage the setting-up of new projects in the notified less developed districts/areas. The Scheme has been liberalised and its scope enlarged from time to time. The Scheme as of now covers all industrial projects—new, expansion, diversification or rehabilitation, irrespective of their capital cost. The salient features of the Scheme are set out in Appendix H to the Report and the list of notified less developed districts/areas in Appendix I to the Report.

Under the scheme of concessional finance, the Corporation has approved till June 30, 1980, concessional finance totalling Rs. 168.07 crores for 323 projects with a total capital outlay of Rs. 2187.55 crores. Table 19 shows the type of assistance sanctioned.

TABLE 19

Assistance Sanctioned on Concessional Terms

(Rs. Lakhs)

Type of facility	Assistance sanctioned on concessional terms
Rupee loans	13928·49
Foreign currency loans	982·02
Underwritings/Direct subscriptions	1896·46
TOTAL :	16806·97

SANCTIONS ACCORDING TO TYPE OF PROJECT

54. The classification of financial assistance sanctioned according to type of project by the Corporation upto June 30, 1980 is given in Table 20. Assistance of the order of Rs. 651.49 crores, being 62.2 per cent of the total sanctions by the Corporation, has been extended to new projects. The total capital outlay on such projects amounted to Rs. 4794.37 crores.

The existing projects have claimed assistance to the tune of Rs. 231.82 crores for their expansion and diversification schemes, being 22.1 per cent of the total assistance sanctioned. Assistance for modernisation and renovation etc. of the projects has accounted for Rs. 43.82 crores: this is in addition to Rs. 120.11 crores, sanctioned under the Soft Loans Scheme, together being 15.7 per cent of the total assistance sanctioned.

TABLE 20

Total Assistance Sanctioned Classified according to Type of Project

(Rs. Crores)

Type of project	Total cost of the projects	Net financial assistance sanctioned				Percentage of Total
		Loans	Underwritings and Direct subscriptions	Guarantees for deferred payments and for foreign loans	Total	
New Projects	4794·37	541·52	67·21	42·76	651·49	62·2
Expansion/Diversification	1734·25	212·57	10·25	9·00	231·82	22·1
Modernisation, renovation etc.	556·37	40·59	2·42	0·81	43·82	4·2
Sub-total :	7084·99	794·68	79·88	52·57	927·13	88·5
Under Soft Loans Scheme	659·28	120·11	—	—	120·11	11·5
TOTAL	7744·27	914·79	79·88	52·57	1047·24	100·0

Total Sanctions, Disbursements and Outstanding

55. The State-wise and Industry-wise distribution of the net financial assistance sanctioned upto June 30, 1980 is shown in Appendices B and C respectively of the Report. Appendix E shows the industry-wise distribution of the net finanical assistance sanctioned in each State, as on June 30, 1980. In Appnedix G, the net financial assistance has been classified according to the size of the amounts sanctioned.

56. The number and amount of net comulative sanctions, the amount disbursed and that outstanding as on June 30, according to the size of the amounts sanctioned.

TABLE 21

Total Sanctions, Disbursements and Outstandings

(Rs. Crores)

	Sanctions (net)		Assistance disbursed	Amount outstanding
	No. of sanctions	Amount		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Loans :				
Rupee Loans :				
—Soft Loans Scheme	187	120·11	31·69	31·69
—Normal loans	1469	699·65	571·45	386·44
Sub-total :	1656	819·76	603·14	418·13
Foreign Currency	339	95·03	70·51	24·72
Total :	1995	914·79	673·65	442·85
2. Underwritings :				
Equity shares	413	48·69	19·44	16·37
Preference shares	157	10·66	8·17	4·83
Debentures	30	12·63	8·92	0·84
Total :	600	71·98	36·53	22·04

1	2	3	4	5
3. Direct Subscriptions :				
Equity shares	94	5·70	4·39	8·53
Preference shares	8	0·32	0·32	0·84
Debentures	3	1·88	1·88	0·66
Total :	105	7·90	6·59	9·43
Total (1 to 3) :	2700	994·67	716·77	474·32
4. Guarantees :				
for deferred payments	45	28·96	28·76	0·45
for foreign loans	6	23·61	23·53	0·08
Total :	51	52·57	52·29	0·53
GRAND TOTAL	2751	1047·24	769·06	474·85

57. The net total financial assistance sanctioned and dis bursed during the last thirty-two years, classified according to the Five Year Plans is shown in Table 22.

TABLE 22

Assistance Sanctioned and Disbursed during the Five Year Plans

(Rs. Crores)

Year ending June, 30	Net financial assistance sanctioned				Financial assstance disbursed			
	Loans	Under-writings	Guaran-tees	Total	Loans	Under-writings	Guaran-tees	Total
PERIOD PRIOR TO THE FIRST PLAN :								
1949-51	8·13	—	—	8·13	5·79	—	—	5·79
THE FIRST PLAN :								
1952-56	27·02	—	—	27·02	10·94	—	—	10·94
THE SECOND PLAN :								
1957-61	49·05	3·56	16·30	68·91	40·62	1·31	15·11	57·04
THE THIRD PLAN :								
1962	17·84	0·73	0·48	19·05	10·92	0·24	0·41	11·57
1963	19·82	4·63	10·62	35·07	15·05	3·99	3·18	22·22
1964	23·61	4·34	13·16	41·11	16·94	1·96	6·39	25 29
1965	19·39	3·55	3·92	26·86	19·79	3·36	14·65	37·80
1966	21·47	3·96	1·35	26·78	23·99	4·48	2·17	30·64
Total :	102·13	17·21	29·53	148·87	86·69	14·03	26·80	127·52
THE ANNUAL PLANS :								
1967	12. 34	1·87	4·00	18 21	29·52	2·90	5·64	38·06
1968	14·62	1·48	0·85	16·95	23·35	1·06	2·61	27·02
1969	22·43	2·42	0·29	25·14	15·03	1·68	0·28	16·99
Total :	49·39	5·77	5·14	60·30	67·90	5·64	8·53	82·07
THE FOURTH PLAN :								
1970	11·10	1·19	0·13	12·42	16·86	0·85	0·34	18·05
1971	24·04	2·20	0·42	26·66	16·28	0·87	0·20	17·35
1972	32·36	4·57	—	36·93	20·99	1·00	0·11	22·10
1973	39·03	2·02	0·59	41·64	30·00	2·29	0·61	32·90
1974	32·94	2·48	0·04	35·46	28·75	1·46	0·05	30·26
Total :	139·47	12·46	1·18	153·11	112·88	6·47	1 31	120·66
THE FIFTH PLAN :								
1975	28·20	3·89	—	32·09	36·02	1·06	0·34	37·42
1976	44·67	3·10	—	47·77	41·57	2·40	—	43·97
1977	83·77	8·37	—	92·14	56·75	1·72	—	58·47
1978	101·45	5·48	0·28	107·21	56·92	5·10	—	62·02
Total :	258·09	20·84	0·28	279·21	191·26	10·28	0·34	201·88
1979	141·06	10·82	—	151·88	66·88	3·15	0·20	70·23
1980	140·45	9·22	0·14	149·81	90·69	2·24	—	92 93
GRAND TOTAL :	914·79	79·88	52·57	1047·24	673·65	43·12	52·29	769·06

PROMOTIONAL ACTIVITIES

58. In the recent years, the role of development banks like the Corporation have also increasingly encompassed activities which have generally come to be referred to as promotional activities. The Corporation has undertaken such activities on its own, and in some cases, along with the other all-India financial institutions. Some of the activities which it has undertaken jointly with other all-India financial institutions relate to the commissioning of feasibility studies, techno-economic surveys, conducting industrial potential surveys and setting-up of Technical Consultancy Organisations, etc. The Corporation has also set up two autonomous promotional organisations, viz., the Risk Capital Foundation and the Management Development Institute. Some of the promotional activities undertaken by the Corporation relate to providing assistance to small and new entrepreneurs as also technologists, development of ancillary and small industries, encouraging indigenous technology, etc. In order to promote research in the field of industrial financing/development banking, the Corporation has also established 'Chairs' in some of the leading universities/institutes in the country.

To give fillip to the developmental activities of the Corporation, the IFC Act was amended in 1972 to include a new Section which provides for the creation of the Benevolent Reserve Fund. The new Section specifies the activities for which the Fund could be utilised. They are, mainly, (a) meeting the cost of feasibility studies, project reports, market and techno-economic surveys, (b) assisting projects promoted by new entrepreneurs and technologists, (c) promoting research in financial and industrial management by creation of Chairs in universities and other academic institutions, and (d) meeting the cost of training of personnel of financial institutions, etc. As on June 30, 1979, allocations to the Benevolent Reserve Fund amounted to Rs. 242.00 lakhs. Of this a sum of Rs. 205.64 lakhs has already been utilised for various promotional schemes of the Corporation. With the allocation of Rs. 25 00 lakhs from the profits of the Corporation made during the year, the total amount in the Benevolent Reserve Fund as on June 30, 1980, amounts to Rs. 61.36 lakhs.

Another source for financing the promotional activities of the Corporation is the Interest Differential Funds received from the Government of India. These funds are received from the Government in the form of loans and grants, on a 50 : 50 basis. As on June 30, 1980, the Corporation had received a total amount of Rs. 308.90 lakhs as loans and an equal amount as grants. Out of the loans portion, an amount of Rs. 163.77 lakhs had been released to the Risk Capital Foundation as financial support to enable it to lend to new entrepreneurs and technologists, the interest being absorbed by the Corporation. The grants portion has been utilised, *inter-alia*, for the Management Development Institute, Technical Consultancy Organisations, etc.

59. The working of the Risk Capital Foundation, the Management Development Institute and the Technical Consultancy Organisations are discussed elsewhere in the Report. The following paragraphs give a brief account of the working of other promotional activities undertaken by the Corporation.

60. The Corporation is implementing four promotional schemes relating to (i) Assistance to Small Entrepreneurs; (ii) Promotion of Ancillary and Small-Scale Industries; (iii) Adoption of Indigenous Technology; and (iv) Encouragement to New Entrepreneurs and Technologists to set up Industries. The Corporation's assistance under these Schemes is in the nature of providing subsidy to entrepreneurs. In respect of the first two Schemes the subsidy is channelised through the Technical Consultancy Organisations sponsored by the all-India financial institutions.

The Scheme for Assistance to Small Entrepreneurs is meant to help such entrepreneurs to utilise the services offered by the Technical Consultancy Organisations, especially in matters relating to preparation of pre-feasibility studies, detailed project reports, market studies, or preparation of documents for seeking assistance from the financial institutions, technical guidance, etc. The cost of assignments taken up by these Technical Consultancy Organisations is subsidised by the Corporation to the extent of 80 per cent or Rs. 5,000/-, whichever is lower; the balance is to be met by the entrepreneurs. As on June 30, 1980, the subsidy amounting to about Rs. 6.57 lakhs under the Scheme, has been availed of by 240 entrepreneurs which has been channelised through nine Technical Consultancy Organisations for setting up 235 projects.

The assistance under the Scheme for the Promotion of Ancillary and Small-Scale Industries is made available for the purposes of (i) identification of products suitable for ancillarisation or for further processing in the small scale sector; (ii) preparation of feasibility studies; and (iii) provision of advice and guidance in the technical, marketing and financial areas to the ancillary or small scale units. As on June 30 1980, under the Scheme, assistance amounting to Rs. 1.20 lakhs had been disbursed for setting up 19 ancillary or small scale units.

Under the Corporation's Scheme for encouraging Adoption of Indigenous Technology, projects being set up with loan assistance from the Corporation can avail themselves of the assistance under the Scheme, which takes the form of a subsidy covering the interest payments due to the Corporation during the first three years of operations of the project.

The T. K. Chemicals Ltd., was the first unit to avail itself of the subsidy under the Scheme. Its project is located in the notified less developed area, *viz.*, Veli Industrial Area, Kochuveli, Trivandrum, Kerala and is engaged in the manufacture of 2,850 tonnes of manganous sulphate monohydrate and 950 tonnes of electrolytic manganese dioxide per annum, by utilising 1,900 tonnes of manganous sulphate monohydrate in the process. The Company obtained the technology for the manufacture of electrolytic manganese dioxide from the National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur, through the National Research Development Corporation of India. The Corporation has granted to the Company a subsidy to the extent of interest payable on the loan of Rs. 33.50 lakhs obtained by it from the Corporation, subject to a maximum of Rs. 3.00 lakhs per annum for three years. Accordingly, the Company has received a sum of Rs. 7.43 lakhs from the Corporation towards the subsidy under the Scheme.

61. The Corporation instituted in August 1979 a 'Chair' in the Department of Economics, University of Bombay. A Professor has since been appointed. In February 1980, the Corporation signed with the University of Calcutta a Memorandum of Understanding for the establishment of a 'Chair' at the University College of Business Studies (Commerce). In terms of the Understanding, the Corporation will give a grant of Rs. 60,000/- annually for meeting all expenses relating to the 'Chair'. With this, the Corporation has established four 'Chairs'; the others having been established earlier at the Indian Institute of Management, Ahmedabad and the Faculty of Management Studies, Univeristy of Delhi.

Apart from the appointment of IFCI Professors, the Memoranda of Understanding, which the Corporation has entered into with the concerned Universities/Institute also provide for institution of Doctoral Fellowships. One of the Doctoral Fellows in the Faculty of Management Studies, University of Delhi, has since been awarded a Doctorate Degree for her thesis entitled 'Information Systems for Investment Decisions in Backward Areas'.

62. The Technical Assistance Scheme, which has been instituted in April 1974, has been modified and restructured last year. Under the Scheme, the nominees of different State-level financial and developmental institutions attend training programmes by the Corporation which aim at acquainting them with the policies, procedures and practices followed in the Corporation. During the year under review, two programmes for middle-level executive and four programmes for senior-level executives of a week's duration have been held. Since its inception, 123 middle-level executives from 39 State-level institutions and 61 senior executives from 34 State-level institutions have availed themselves of the facilities under the Scheme.

RISK CAPITAL FOUNDATION

63. The Corporation filled an important gap in the institutional financing infrastructure for industrial development in the country, when, in 1975, it sponsored the Risk Capital Foundation (RCF). The creation of RCF was a step in the direction of broadening the entrepreneurial base in the country.

RCF provides assistance for meeting a part of the promoters' contribution to the equity of the project. Initially, RCF's assistance was restricted to the Corporation's assisted concerns. Later on, its assistance has been extended to the

assisted concerns of any one of the three all-India term lending institutions. RCF's assistance is limited to 50 per cent of the promoters' contribution to the equity of the project as stipulated by the all-India financial institutions, subject, of course, to a ceiling of Rs. 10 lakhs where there is only one promoter and Rs. 15 lakhs where there are two or more promoters of a project. RCF's assistance is available to the new entrepreneurs on their fulfilling certain eligibility criteria, such as their being technically, or, professionally qualified; having reasonable industrial, or, business experience; their contribution being at least 25 per cent of the promoters' contribution and involving no significant inter-corporate investment, etc.

TABLE 23

Sanctions and Disbursements of the Risk Capital Foundation

	1976 (June-December)	1977	1978	1979	1980 (January-June)	Total
Sanctions						
—Amount (Rs. lakhs)	25·90	27·50	28·39	68·40	35·85	186·04
—No. of promoters	9	4	10	16	9	48
—No. of projects	5	4	5	9	5	28
Disbursements						
—Amount (Rs. lakhs)	6·75	21·55	16·75	49·39	21·00	115·44
—No of promoters	1	6	4	14	5	30
—No. of projects	1	4	3	8	2	18

Table 23 gives the sanctions and disbursements of RCF since 1976.

Since June 1976, when RCF commenced operations, its sanctions and disbursements have been gradually rising. During the six months of its working in 1976, its sanctions have amounted to Rs. 25.90 lakhs for nine promoters in respect of five projects. After a marginal increase in the subsequent two years, sanctions of RCF rose significantly in 1979 and stand at Rs. 68.40 lakhs for 16 promoters of nine projects. In the grst six months of 1980, the sanctions have amounted to Rs. 35.85 lakhs for nine promoters of five projects. The cumulative sanctions as on June 30, 1980 stand at Rs. 186.04 lakhs and the beneficiaries are 48 promoters of 28 projects.

Disbursements also have shown a somewhat similar trend. Starting from Rs. 6.75 lakhs in 1976, disbursements have risen to Rs. 49.39 lakhs for 14 promoters of 8 projects in 1979. In the first half of 1980, disbursements have amounted to Rs. 21.00 lakhs for five promoters of two projects.

The cumulative disbursements as on June 30, 1980 stand at Rs. 115.44 lakhs in respect of 30 promoters of 18 projects.

RCF's assistance to entrepreneurs does not carry any interest. Only a nominal service charge is levied. Initially, a flat rate of 1 per cent annum was charged as service change. During the year, this has been revised and it now ranges between 1 per cent to 3 per cent, depending upon the period of the loan. RCF also levies contingent service charge of 40 per cent of the gross dividend payble on the equity shares acquired out of the loan from it.

At present, the Corporation meets the funds requirement of RCF for its operations. As on June 30, 1980, the Corporation had allocated a sum of Rs. 30.00 lakhs as grants and Rs. 175.32 lakhs as loans, the interest on the loans portion being absorbed by the Corporation. Latterly, the Corporation has agreed to RCF building up a corpus of Rs. 1.00 crore over a period of 2 to 5 years from the grants made available to be made available by the Corporation. It has been further decided to allocate a further sum of Rs. 25.00 lakhs by way of grant and an amount of Rs. 74.22 lakhs as loan, with the Corporation absorbing the interest on the loan. With this the Corporation has allocated Rs. 55.00 lakhs by way of grants and Rs. 249.54 lakhs as loans, making a total allocation of Rs. 304.54 lakhs.

Management Development Institute

64. Another institution established by the Corporation, in the seventies, is the Management Development Institute (MDI). In sponsoring this Institution, the raison d'tre was two-fold, viz. (i) upgrading the professional skills of the executives of development banks, (ii) imparting training in modern management techniques to the personnel in industry.

MDI, over the last six years of its operations, has in abandant measure, continued to serve the objectives for which it has been established. With the practical experience of the Corporation to support it, MDI has been able to Organise adequate programmes suted to specific industries. The development banks, both at the State and the all-India levels have deputed their executives, at different levels, to the development banking programmes of the Institute and increasing demands have been made on MDI for organising additional programmes in their field. This has led to the establishment in November, 1977, of a separate wing in MDI specifically in the field of development banking, which has come to be known as the Development Banking Centre (DBC). MDI's endeavour has been to combine practical experience with theory and if has been able to do this by developing case studies based on the working of the assisted concerns of the development banks. It faculty, which consists of a core faculty, as well as guest, faculty has a blend of practicising managers and academicians.

In the international arena also, MDI has established a name for itself and organisations like the UNIDO, UNDIP, the German Foundation for International Development, ILO, etc. have utilised the expertise of MDI for organising training programmes for participants from developing countries. Thus, MDI has had the privilege of not only training executives from India, but also from a number of countries in the Afro-Asian region.

General Management Programmes

65. MDI's endeavour has been to strengthen the course content of its on-going programmes and venture selectively into new fields. During 1979, MDI has organised 30 programmes for general participation and 5 'in-company' programmes suited to the specific needs of the institutions commissioning MDI for the purpose.

Realising the important role of the public sector enterprise in the country, MDI has conducted a programme on Financial Planning and Control in Public Sector Enterprise organised jointly with the Bureau of Public Enterprises Govt. of India. During the last six years, MDI has conducted 153 programmes in which 4512 participants have taken part. These programmes, have included 126 programmes for general participation and 27 'in-company' programmes. In 1980, MDI plans to conduct 61 programmes. During the first six months of the year, it has already conducted 18 programmes.

A significant development in regard to MDI has been the commissioning of the Hotel Management Programme, which has been sponsored by ILO/UNDP. The programme is spread over four years starting from January 1979 In the first year, three faculty members of MDI have undertaken a study tour, so as to equip themsleves for implementing the Hotel Management Programme. Also in 1979, a trainng programme on Accounting and Financial Management for Hotels was conducted.

Durng the first six months of 1980, training programmes on personnel management, hotel marketing and a three module programme on Management of Hotel Operations' covering marketing and sales forecasting, financial management and industrial relations have been conducted under the programme. During the latter half of the year, it is proposed to hold pro-

grammes on tourism economics and planning, finance and accounting for hotels, organisational effectiveness for hotel and tourism industry, and planning, designing and financing hotel properties.

Development Banking Programmes

66. DBC has become a pioneer in organising programmes in the field of development banking in the country. These programmes, which, are tuned to the needs of development banks in the country and abroad, have been well received. Some of the programmes conducted by the Development Banking Centre during the year included (i) Appraisal of Technical Aspects in Project Evaluation; (ii) Diagnostic and Anticipatory Project Monitoring and Follow-up; (iii) Techniques of Project Appraisal and Follow-up.

With the increasing importance of small scale enterprises, the Development Banking Centre made a beginning and turned its sights to the needs of training of personnel of such enterprises. Three Enterprenecurial Management Programmes, one each in the State of Bihar, Himachal Pradesh and Andhra Pradesh, were conducted. These programmes were primarily meant for prospective new and small entrepreneurs. The focus of its sixth General Course on Development Banking which hitherto was on post finance followup, was changed to financing and promoting small and medium enterprises. DBC also organised a programme on Causes and Incidence of Sickness among Small Enterprises.

The Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP), in cooperation with UNIDO, UNDP and EDI of the World Bank, commissioned DBC for conducting an international programme on "Executive Development of Middle Level Professional in Development Banks". In this programme, 25 executives from different countries participated.

It may be recalled that the Corporation has organised programmes on 'Identification, Promotion and Implementation of Industrial Projects' (IPIP) in various States. These programmes, which ase being organised through the Development Banking Centre, are meant to help the officials of the State Governments and the State level promotional and financial agencies to understand better the various aspects of project identification, formulation, evaluation and implementation of industrial projects. In 1979, DBC, on behalf of the Corporation, conducted an IPIIP programme for Andhar Pradesh at Hyderabad. In April 1980, an IPIIP programme was conducted for Orissa at Bhubaneswar. It may be mentioned that the latter programme was the second for the State of Orissa; the first one was conducted in 1975.

DBC (including the erstwhile development banking unit) has upto December 31, 1979, conducted 59 programmes in which 1768 participants have taken part. Of these, 10 have been 'in-company', programmes.

DBC has scheduled 19 programmes for general participation and two 'in-company' programmes in 1980. In the first six months of the year, it has already organised 12 programmes including an 'in company' programme.

Table 24 gives the programmes in different areas conducted by MDI, including DBC, over the last six years.

MDI Camps

67. MDI, which until recently has been functioning in a rented premises, has moved in January 1980 to its own campus located on a plot, measuring 36.38 acres in Gurgaon, 12 Kms from Delhi Airport. The cost of constructing the campus has amounted to about Rs. 165.00 lakhs, entirely financed/to be financed by the Corporation.

TABLE 24

Distribution of MDI's Programmes by Functional Areas (1974-79)

Classification of programmes	No. of programmes						
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	Total 1974-79
I. DBC							
General Participation	3	6	4	6	10	13	42
Identification, Promotion and Implementation of Industrial Projects' (IPIIP) Programmes	—	2	2	2	—	1	7
In-company Programmes	—	—	—	—	6	4	10
Total (a)	3	8	6	8	16	18	59
No. of Participants (b)	84	298	252	288	420	426	1768
II. MDI (other than DBC)							
General Participation :							
Specific Industry Programmes	2	5	7	5	6	5	30
Financial Management	2	4	6	9	7	9	37
General Management	3	3	3	4	7	7	27
Marketing Management	2	2	1	2	2	3	12
Personnel Management	2	1	2	2	4	5	16
Technical Management	—	—	1	1	—	1	3
'IPUP' Programmes	—	—	—	—	1	—	1
In-company Programmes	1	2	2	7	10	5	27
Total (c)	12	17	22	30	37	35	153
No. of participants (d)	370	588	789	863	789	1113	5412
Total programmes held (a+c)	15	25	28	38	53	53	4512
Total number of participants (b+d)	454	886	1041	1151	1209	1539	6280

TECHNICAL CONSULTANCY SERVICES FOR NEW ENTREPRENEURS

68. The Corporation has sponsored three Technical Consultancy Organisations (TCOs), apart from participating in those sponsored by IDBI and ICICI. The three TCOs sponsored are the Himachal Consultancy Organisation Limited (HIMCON) in Himachal Pradesh, the Rajasthan Consultancy Organisation Limited (RAJCON) in Rajasthan and the Madhya Pradesh Consultancy Organisation Limited (MPCON) In Madhya Pradesh. Besically, these Organisations are meant to cater to the consultancy requirements of new entrepreneurs and technologists and hence they undertake on a regular basis assignments in areas of project identification, project formulation, technical and management advice and guidance, etc. A review of the operations of the three Organisations is given in the following paragraphs.

Himachal Consultancy Organisation Ltd. (HIMCON)

69. On December 31, 1979, HIMCON completed three years of operations. Beginning with preparing project profiles, pre-feasibility studies, etc., HIMCON has now started providing a package of assistance to the entrepreneurs right from the stage of registering a unit with the Directorate of Industries, till implementation and subsequent monitoring. Through its Entrepreneurial Management Programmes, HIMCON has been trying to identify potential entrepreneurs who are given in-company training. Some of them have now set up projects, after HIMCON helped them in obtaining assistance from banks. In the field of ancillary development, HIMCON has made considerable progress in identifying projects for ancillary development in the tractor industry and also locating entrepreneurs for setting up these units.

During 1979, HIMCON completed 77 assignments, which included pre-feasibility/feasibility reports, market studies, survey reports, study relating to ancillary industries, tiny sector studies, etc. The investment envisaged has been estimated at Rs. 9.10 crores with employment potential of about 2700 personnel.

During the first six months of 1980, HIMCON completed 20 assignments. With this, HIMCON since its inception, has completed 146 assignments requiring an estimated investment of Rs. 3413.30 lakhs. This estimated investment is expected to generate employment opportunities for 7600 persons.

For the year ended December 31, 1979, HIMCON earned an income of Rs. 3.29 lakhs and incurred an expenditure of Rs. 3.19 lakhs, resulting in a gross profit of Rs. 9,858/-.

Rajasthan Consultancy Organisation Ltd. (RAJCON)

70. RAJCON, which was established in 1978, has begun diversifying its activities. Apart from preparing techno-economic feasibility studies, RAJCON has undertaken monitoring of sick industrial units. IDBI commissioned RAJCON for a study on the impact of industrialisation on the economic development of Alwar District.

During the year ended December 31, 1979, RAJCON completed 41 reports, which included 33 techno-economic feasibility reports, involving an estimated project cost of Rs. 5.17 crores and direct employment potential of about 1300 persons. These projects are mainly in the small-scale sector. Since the close of the year, i.e. December 31, 1979, RAJCON has completed 46 assignments, which included 20 projects briefs, 21 feasibility reports, one study of a sick unit and four other assignments. RAJCON went into operation in August 1978 and till June 1980, it has completed 91 assignments. The required investment is estimated at Rs. 801.83 lakhs, with an expected turnover of Rs. 2546.14 lakhs and direct employment potential for about 2200 persons.

For the year ended December 31, 1979, RAJCON earned an income of Rs. 2.57 lakhs, while the expenditure was of the order of Rs. 3.15 lakhs, showing a deficit of Rs. 57.470/-.

Madhya Pradesh Consultancy Organisation Ltd. (MPCON)

71. As stated in the last year's Report, MPCON was incorporated in March 1979 and it commenced business in May 1979. During the first eight months of its operations, MPCON completed six assignments. In the first half of 1980, MPCON completed ten assignments. As on June 30, 1980 in all 16 assignments have been completed requiring an estimated investment of Rs. 560 lakhs with an expected turnover of Rs. 1807.00 lakhs and direct employment potential of about 1400 persons.

TCOs sponsored by IDBI/ICICI

72. The Corporation continued to take active part in the working of the TCOs sponsored by IDBI and ICICI. During the year, the Corporation contributed to the initial paid-up capital of the West Bengal Consultancy Organisation Ltd., (WEBCON) sponsored by IDBI and the Industrial and Technical Consultancy Organisation of Tamil Nadu Ltd. (ITCOT) established by ICICI.

RESOURCES

Share Capital

73. The Authorised Capital of hte Corporation remained at Rs. 20 crores. The issued, subscribed and paid-up capital of the Corporation stood at Rs. 15 crores as on June 30, 1980.

The distribution of shares as on June 30, 1980 was as follows :

	No. of shares held	Percentage of the Total
Industrial Development Bank of India	15,000	50
Scheduled Banks	6,045	20
Insurance Concerns etc.	6,440	22
Cooperative Banks	2,515	8
TOTAL	30,000	100

Bonds

74. The Corporation made three bond issues during the year, viz., 6½ per cent Bonds 1989 in August, 1979 for Rs. 31.75 crores; 6½ per cent Bonds 1989 (2nd series in December, 1979 for Rs. 36.50 crores and 6¾ per cent Bonds 1992 for Rs. 35.00 crores in June, 1980. All the three issues were fully subscribed. Including the permissible 10 per cent of the amount of the issue, the total amount of bonds allotted was Rs. 113.50 crores.

Borrowings from the Central Government

75. As on June 30 1979, loans outstanding from the Central Government stood at Rs. 37.91 crores. During the year uder review, a sum of Rs. 0.74 crore was made available as loan by Government under Interest Differential Funds arising out of KFW loans. A sum of Rs. 6.58 crores was repaid during the year. The aggregate amount of Government loans outstanding at the end of the year was Rs. 32.07 crores.

Borrowings from the Reserve Bank of India

76. As in the past, borrowings from RBI were availed of for temporary periods during the year. As on June 30, 1980 there was no outstanding balance under this head.

Foreign Exchange Resources

77. A further loan of DM 10.00 million being the eighteenth line of credit was allocated to the Corporation. As at the close of the ear, the total amount of West German Credits made available to the Corporation including the above line of credit amounted to DM 212.500 mililon against which the Corporation had sanctioned sub-loans to the extent of DM 194.821 million. DM lines of credit are fully convertible and can be utilised for the import of capital goods, engineering knowhow and services, etc.

Government have permitted the Corporation to convert the amounts recovered from the DM sub-borrowers into foreign currencies and utilise the same, pending repayment to Creditanstalt fur Wiederaufbau, for financing imports by industrial concrens. Under the Scheme, the Corporation has alraedy transferred a sum of DM 14.120 million abroad and financed imports to the extent of DM 4.908 million thereagainst.

A further allocation of Sw. Kr. 25 million had been made available by the Government of India under the Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1979. As at the close of the year, the total amount of Swedish Kroner funds made available to the Corporation including the above allocation amounted to Sw. Kr. 75 million against which the Corporation had sanctioned sub-loans to the extent of Sw. Kr. 72.936 million. This allocation formed part of General Imports Segment which was fully convertible and could be utilised for the import of capital goods and services.

The total amount of UK funds made avaialble to the Corporation by the Government of India under UK/India Capital Investment Loans/Grants amounted to £ 9.500 million against which sub-loans for an aggregate amount of £ 7.278 million had been sanctioned upto the end of the year.

TABLE 25

Sources and Uses of Funds

(Rs. Crores)

	1977-78	1978-79	1979-80	1948-80
A. SOURCES OF FUNDS :				
Internal Sources				
1. Share capital	—	2·50*	2·50	15·00
2. Profit before tax	8·58	8·07	10·18	91·44
3. Repayment of loans by borrowers				
(a) Rupee loans	15·35	19·42	21·11	215·41
(b) Foreign currency sub-loans	2·94	2·68	2·48	35·65
4. Sale/redemption of investments	0·62	0·45	0·45	17·71
5. Recoveries in respect of amounts met under guarantee obligations	0·01	0·07	0·16	4·99**
Sub-total :	27·50	33·19	36·88	380·24
	(26·2)	(30·9)	(22·6)	(37·1)
Borrowings				
6. From the market by issue of bonds	58·39	35·02	113·50	433·94
7. From Central Government	2·37	0·62	0·74	115·64
8. From Industrial Develpment Bank of India	5·00	15·00	—	25·00
9. By way of transfer of rights and interests in certain loans	—	—	—	9·98
10. From foreign credit institutions				
(a) Loan in US$ from USAID	—	—	—	19·63
(b) Loans in DM from Kreditanstalt fur Wiederaufbau, West Germany	2·44	1·99	1·17	34·05
(c) Equipment credit in FF from Banque Francaise Du Commerce Exterieur Paris	—	—	—	2·02
Sub-total	68·20	52·63	115·41	640·23
	(64·9)	(48·9)	(70·8)	(62·6)
11. Specific Grant from Government@	0·46	0·62	0·74	3·09
	(0·4)	(0·6)	(0·5)	(0·3)
12. Opening cash and bank balances	8·86	21·10	9·87	—
	(8·5)	(19·6)	(6·1)	(—)
SOURCES OF FUNDS : TOTAL	105·02	107·54	162·90	1023·51
	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)

*Share application money in respect of the additional issue of share capital for Rs. 5·00 crores.

**Doest not include Rs. 2·66 crores converted into loan and Rs. 1·22 crores converted into equity shares which were disposed of under rehabilitation schemes in respect of two concerns.

@Out of Interest Differential Funds in terms of KFW loan agreements.

	1977-78	1978-79	1979-80	1948-80
B. USES OF FUNDS :				
I. Disbursement of assistance				
(a) Rupee loans	53·12	62·66	82·78	592·98
(b) Foreign currency sub-loans	3·64	4·12	7·91	70·51
(c) Subscriptions to shares and debentures of industrial concerns under underwriting obligations etc.	5·10	3·15	2·24	43·12
(d) Amount met under guarantee obligations	0·16	0·10	—	10·16
Sub-total :	62·02	70·03	92·93	716·77
	(59·1)	(65·1)	(70·0)	(70·0)
2. Loan amounts converted into equity shares of assisted concerns	0·25	1·22	0·93	6·00
	(0·2)	(1·1)	(0·6)	(0·4)
Repayment of borrowings				
3. Redemption of bonds	2·00	6·13	8·25	55·66
4. Repayment of loans to Central Government	7·61	7·55	6·58	83·56
5. Repayment of loans to foreign credit institutions	2·10	2·13	2·06	32·84
6. Repayment of other borrowings	2·27	2·12	1·56	10·90
Sub-total :	13·98	17·93	18·45	182·96
	(13·3)	(16·7)	(11·3)	(17·9)

	1977-78	1978-79	1979-80	1948-80
Others uses				
7. Subscription to share capital/initial capital of financial/developmental institutions	—	0·34	0·03	1·15
8. Allocations to Management Development Institute	0·57	0·74	0·78	3·75
9. Allocations Risk Capital Foundation	0·33	0·45	0·93	2·04*
10. Provision for Income Tax	3·11	3·53	5·39	42·05*
11. Dividend	0·65	0·65	0·94	9·50
12. Net miscellaneous uses	3·01	2·78	1·68	20·83
Sub-total :	7·67	8·49	9·75	79·02
	(7·3)	(7·9)	(6·0)	(7·7)
13. Closing cash and bank balances	21·10	9·87	40·84	40·84
	(20·1)	(9·2)	(25·1)	(4·0)
USES OF FUNDS : TOTAL	105·02	107·54	162·90	1023·59
	(100·00)	(100·00)	(100·00)	(100·0)

*Includes Income Tax to the extent of Rs. 38·80 crores actually paid.
NOTE : Figures in brackets indicate percentages to the total

ACCOUNTS

78. The gross profit for the year amounted to Rs. 1017.62 lakhs as against Rs. 807.03 lakhs for the year 1978-79. After providing Rs. 538.82 lakhs for taxation, the net profit amounted to Rs. 478.80 lakhs as against Rs. 454.00 lakhs for the year 1978-79. The appropriations to reserves amounted to Rs. 382.80 lakhs. Allocation to the Staff Welfare Fund was of the order of Rs. 2.00 lakhs.

Dividend

79. With the transfer of Rs. 84.80 lakhs to the General Reserve Fund out of profits for the year, the total amount in the Fund amounted to Rs. 16.73 crores. The Corporation has declared a dividend of 6½ per cent on the paid-up capital employed in respect of the year ended June 30, 1980.

Reserves

80. The sum total of the Reserves held by the Corporation as on June 30, 1980 stood at Rs. 32.18 crores which comprised the following :

	(Rs. Crores)
General Reserve Fund (under Section 32 of the IFC Act)	16·73
Reserve Fund (under Section 32A of the IFC Act)	1·00
Special Reserve (under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)	13·84
Benevolent Reserve Fund (under Section 32 B of the IFC Act)	0·61
Total Reserves :	32·18

The reserves exceeded the paid-up capital by Rs. 17.18 crores. The details of the various reserves held by the Corporation are given below.

General Reserve Fund

The General Reserve Fund increased to Rs. 1672.80 lakhs pursuant to the transfer of a sum of Rs. 84.80 lakhs out of the current year's profit to the Fund.

Reserve Fund

The balance in the Reserve Fund under Secton 32A of the IFC Act remained at Rs. 100.00 lakhs as on June 30, 1980 being the maximum permissible balance in the Fund under the Act.

Special Reserve

A sum of Rs. 273.00 lakhs has been transferred this year to the Special Reserve under Section 36(I)(viii) of the Income Tax Act, 1961 as against Rs. 216.00 lakhs transferred last year. With this transfer of Rs. 273.00 lakhs the balance to the credit of the Special Reserve stands at Rs. 1383.78 lakhs.

Benevolent Reserve Fund

A sum of Rs. 25.00 lakhs has been transferred out of the current year's profits to the Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act to be utilised as under :

(a) for meeting the cost of feasibility studies, project reports, market and techno-economic surveys and such other purposes which in the opinion of the Corporation may promote the development of industries:

(b) in the field of development banking and in financial and industrial management—

(i) for undertaking and promoting research;

(ii) for training in India or abroad of personnel of financial institutions; and

(iii) for creating chairs in universities, academic institutions and research foundations;

(c) for assisting projects promoted by technologists and new entrepreneurs—

(i) by subsidising the normal lending rate of interest of the Corporation in respect of loans or advances sanctioned to them;

(ii) by providing technical and managerial assistance to projects promoted by them especially in industrially less developed regions;

(d) for rendering any assistance that may be ancillary or incidental to the afore-mentioned purposes.

The amount to the credit of the Benevolent Reserve Fund was Rs. 61.36 lakhs as on June 30, 1980.

Provision for Income Tax

81. The assessment proceedings for the accounting years ended June 30, 1977, 1978 and 1979 were not finalised by the close of the annual accounts. In respect of the account ing year ended June 30, 1980 a sum of Rs. 538.82 lakhs has been provided in the accounts for taxation.

82. During the year, the Corporation incurred expenses on entertainment accounting to Rs. 57,345.12 (Rs. 43,950.63); an amount of Rs. 51,117.22 (Rs. 80,134.55) on the maintenance of staff transit rooms and an amount of Rs. 1,89,022.11 (Rs. 1,49,690.06) on publicity advertisements.

83. A summary of the Profit and Loss Statement for the year ending June 30, 1980 is given in Table 26.

TABLE 26
Summary of Profit and Loss Statement—1979-80

(Rs. Lakhs)

	This Year	Previous Year
The year's working shows a gross income of	3977·07	3314·30
Deducting from gross income :		
Interest paid on bonds and other borrowings	2629·72	2172·06
Other expenses	329·73	335·1
And after providing for taxation	538·82	353·3
The net profit for the year is :	478·80	454·00
Appropriations		
Transfer to General Reserve Fund	84·80	137·00
Transfer to Benevolent Reserve Fund	25·00	35·00
Transfer to Special Reserve [Under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961]	273·00	216·00
Transfer to Staff Welfare Fund	2·00	1·00
Payment of Dividend	94·00	65·00
	478·80	454·00

84. A statement showing the working results for the last five years is given in Table 27.

TABLE 27
Working Results for the Last Five Years

(Rs. Lakhs)

	For the years ended June 30				
	1976	1977	1978	1979	1980
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Interest earned	1788·94	2245·76	2657·59	3122·92	3722·89
Other income	108·98	117·41	162·24	191·38	254·18
Total Income	1897·92	2363·17	2819·83	3314·30	3977·07
Interest paid	1283.89	1545·31	1764·10	2172·06	2629·72
Discount and brokerage on bonds	51·47	75·77	49·99	15·25	47·91
Establishment expenses inclusive of medical fees and expenses and interest on employees, provident fund	138·31	112·20	128·15	148·15	181·93
Grant to Management Development Institute	5·00	5·00	5·00	5·00	5·00
Loss on investments	9·07	63·90	—	5·39	3·72
Other expenditure	52·55	74·72	90·07	160·62	91·17
Total expenditure :	1540·29	1877·20	2037·31	2507·27	2959·45
Gross profit:	357.63	485·97	782·52	807·03	1017·62
Provision for taxation (net)	148·13	221·97	310·52	353·03	538·82
Net profit :	209.50	264 00	472.00	454.00	478.80
To reserves	149·00	203·00	406·00	388·00	382·80
To Staff Welfare Fund	0 50	1.00	1.00	1.00	2.00
To dividend	60.00	60.00	65.00	65.00	94.00

ORGANISATION

Board of Directors

Chairman

85. Shri Baldev Pasricha relinquished office as Chairman on October 18, 1979. The Board place on record their appreciation of the valuable services rendered by Shri Pasricha during his tenure of office.

In terms of Section 10(1)(aa) of the IFC Act, 1948, the Industrial Development Bank of India, nominated with effect from September 28, 1979, Shri B. B. Singh, Chairman and Managing Director, National Fertilisers Ltd., New Delhi, as a Director in place of Shri C. T. Das. Subsequent, in terms of Section 10(1)(a) of the IFC Act, the Central Government appointed Shri B. B. Singh as the Chairman of the Corporation, *vide* Notification No. F 9/12/79-BO-I, dated October 16, 1979. Shri Singh assumed charge of the office of the Chairman, IFCI, with effect from October, 1979.

Other Directors

86. In terms of Section 10 (1) (b) of the IFC Act, 1948, the Central Government nominated with effect from August 31, 1979, Shri N. K. Das, Additional Economic Adviser, Department of Industrial Development, as a Director, *vice* Shri P. C. Nayak, Joint Secretary in the same Department, consequent to the latter's retirement from the Government service. Subsequently, the Central Government nominated with effect from April 11, 1980, Shri B. Roy, Joint Secretary; Department of Industrial Development, as a Director, in place of Shri N. K. Das. In terms of Section 10(1)(aa) of the IFC Act, 1948, the Industrial Development Bank of India (IDBI) nominated with effect from February 6, 1980, Shri S.K. Datta, Chairman, West Bengal Financial Corporation, as a Director, *vice* Shri B.B. Singh, who had been appointed as Chairman of the Corporation by the Central Government.

At the Annual General Meeting of the shareholders of the Corporation held on September 24, 1979, Sarvashri O. P. Gupta, Chairman and Managing Director, Punjab National Bank, G. V. Kapadia, formerly Chairman, General Insurance Corporation of India and N. S. Sapkal, Chairman, The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., were elected as Directors under sub-sections (c), (d) and (e) of Section 10 of the IFC Act, *vice* Sarvashri D. C. Gupta, B. C. Randeria and Shamrao Kadam.

Shri Bagaram Tulpule, Director, nominated by the Industrial Development Bank of India (IDBI) resigned from

The Board place on record their appreciation of the May 5, 1980.

The Board place on record their appreciation of the valuable services rendered by Sarvashri P. C. Nayak, C. T. Das, N. K. Das, D. C. Gupta, B. C. Randeria, Shamrao Kadam and Bagaram Tulpule while they were associated with the Corporation, and extend a hearty welcome to Sarvashri B. Roy, S. K. Datta, O. P. Gupta, G. V. Kapadia, and N. S. Sapkal, the new Directors.

Meeting of the Board and other Committees

87. Twelve meetings of the Board were held during the year, nine in New Delhi and one each at Bhubaneswar, Trivandrum and Madras. As in the past, whenever meetings of the Board were held outside Delhi, opportunity was taken by the Chairman and members of the Board to meet officials of the State Governments and other financial and developmental institutions based in the State capitals, and also representatives of local business and industry associations or chambers, with a view to having better appreciation of the industrial climate in the State or the region and the problems of some of the assisted concerns.

Advisory Committees

88. The number of meetings of the various Advisory Committees held during the year was as under :

Name of the Advisory Committee	*Number of meetings held*
Chemical Process and Allied Industries	7
Engineering	4
Sugar	5
Textiles	10
Hotels	1
Jute	2

These meetings considered applications for financial assistance for various types of projects from 61 concerns. The aforesaid Committees also reviewed the working of some of the sick units.

During the year, the Local Advisory Committees of the Corporation at Cochin and Bhubaneswar met. The Corporation is, at present, reviewing the working of these Committees.

Auditors

89. M/s. B. L. Ajmera & Co., Jaipur, were appointed by the Industrial Development Bank of India as auditors of the Corporation for the year ended June 30, 1980. At the last Annual General Meeting of the shareholders of the Corporation held on September 24, 1979, M/s. Ray and Ray, Calcutta, were elected auditors by the shareholders other than IDBI for the same period.

Progressive Use of Hindi in the Corporation

90. In pursuance of Government's policy regarding the progressive use of Hindi for official purposes, efforts are being made to promote the use of Hindi in the Corporation. Three Official Languages Implementation Committees, one each at Head Office, Bombay and Delhi Regional Offices are functioning to monitor the progress and to suggest ways and means of furthering the use of Hindi in the Corporation. The Official Languages Implementation Committee constituted at Head Office met seven times during the period under review.

The Corporation has adopted the Hindi Teaching Scheme of Government and the employees are regularly deputed for training in Hindi, Hindi Typewriting and Hindi Stenography. Hindi Teaching classes for Prabodh, Praveen and Pragya Examinations are conducted at Head Office of the Corporation. The employees working at other offices of the Corporation are also availing themselves of facilities provided by the Hindi Teaching Scheme. So far, 39 employees of the Corporation have qualified in the Pragya Examination conducted under the Hindi Teaching scheme. Besides, four stenographers and nineteen typists have qualified in Hindi Stenography and Hindi Typewriting Examinations respectively. In order to encourage the employees to learn Hindi, Hindi Typewriting and Hindi Stenography, the Corporation is granting an honorarium of Rs. 250/- for qualifying in each of the various Hindi examinations.

Pursuant to the visit of the Committee of Parliament on Official Language, the Corporation has prepared a time bound phased programme for implementation of Hindi in the Corporation. To facilitate the use of Hindi in official work, the Corporation has prepared a glossary of standard expressions, phrases, etc. used in official notings and communications.

Training of Personnel

91. The Corporation, during the year, Conducted sixteen short duration in-house training programmes for its staff in which 156 junior officers and 212 staff members participated. In addition, 35 officers were deputed to attend various training courses conducted by the Management Development Institute, New Delhi; the All India Management Association, New Delhi; Indian Institute of Public Administration, New Delhi; Indian Chemical Manufacturers Association, Calcutta, etc.

One officer was deputed to attend the International Executive Development Programme conducted by the Centre for Education and International Management (CEL), Geneva from October 1-26, 1979.

Another officer was deputed to attend the '1980 Executive Development Programme' conducted by the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) at Manila from May 4 to June 6, 1980.

Staff Welfare Fund

92. During the year, the Staff Welfare Fund Regulations were amended to provide for grant of merit scholarships to the children of employees for prosecuting Diploma Courses in addition to Degree Courses in various professional disciplines such as Medicine, Engineering, Architecture, Hotel Management, etc.

The Corporation has been maintaining 5 holiday homes at Srinagar, Puri, Bangalore, Ootacamund and Simla for the benefit of the employees and their families.

Staff Suggestion Scheme

93. During the year, the Scheme continued to receive encouraging response from the various categories of staff and 109 suggestions regarding various aspects of the work in the Corporation were received. These were examined by the Suggestion Scheme Committee from the point of view of their demonstrated or potential significance for bringing about improvement in the effectiveness and economy in the operations of the Corporation.

International Conferences

94. The Chairman of the Corporation attended the Special Conference convened by the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP), Manila, Philippines, of which the Corporation is a Founder Member. The Conference was held on May 5-6, 1980. The theme of the Conference was "Diversification of DFI Operations and Services".

Secondment of Staff

95. Consequent to his appointment as Executive Trustee of Unit Trust of India (UTI), Bombay, the services of Shri P. S. Gopalakrishnan, Joint General Manager, have been lent to the Unit Trust of India, initially on deputation basis for a period of two years from March 3, 1980.

A senior officer in the technical discipline has been deputed to the West Bengal Industrial Development Corporation Ltd. for a period of two years.

The term of deputation of another officer in the technical discipline with the Punjab Financial Corporation has been extended for a further period of one year.

Changes in Senior Management

96. Shri D. N. Davar, Joint General Manager, was promoted to the post of General Manager with effect from March 1, 1980.

The post of the Legal Adviser in the Corporation was raised to the rank of Joint General Manager with effect from May 1, 1980. The post is, at present, held by Shri A. K. Ghose.

Sarvashri R. N. Sahoo and M. N. Khushu, Deputy General Managers were promoted as Joint General Managers with effect from May 1, 1980.

Shri P. S. Gurung, Assistant General Manager (Technical), was promoted as Deputy Technical Adviser in the rank of Deputy General Manager with effect from May 1, 1980.

Sarvashri D. G. Ramaiah and S. K. Bhattacharya, Assistant General Managers were promoted as Deputy General Managers with effect from June 11, 1980 and August 22, 1980 respectively.

Sarvashri S. K. Rishi and K. C. Hukmani, Senior Managers (Technical) were promoted to the posts of Assistant General Managers (Technical) with effect from October 3, 1979. Sarvashri S. P. Banerjee, P. Brahmachari and F. M. Patnaik, Senior Managers (Technical) were promoted as Assistant General Managers (Technical) with effect from December 3, 1979, July 14, 1980, and June 24, 1980 respectively.

Shri V.S.R.K. Sastry, Senior Manager, was promoted to the post of Assistant General Manager (Statistics) with effect from June 2, 1980.

Sarvashri L. N. Jadhvani, Regional Manager and H. C. Sharma, Senior Manager, were promoted as Assistant General Managers with effects from June 2, 1980 and June 30, 1980 respectively.

Reorganisation of Department

97. The Advisory Services Department at Head Office was renamed as "Problem Cases Department" with effect from September 27, 1979. A 'Financial Reconstruction Cell' has been created in that Department to deal with reconstruction proposals in respect of the sick units assisted by the Corporation.

Foreign Tours

98. During the year 1979-80, the total amount of expenditure incurred in respect of three foreign tours undertaken by senior officials in connection with official work amounted to Rs. 36,944.49.

Acknowledgement of Assistance Received

99. The Board wish to place on record their appreciation of the assistance, cooperation and cordiality received from the various Ministries and Departments of the Government of India, the Industrial Development Bank of India and other all-India financial institutions and the State Governments and State-level financial and developmental institutions. The Board are grateful to the members, who have served on the various Advisory Committees of the Corporation, for their valuable assistance and advice and also to the non-officials, who served as the Corporation's nominees on the Boards of Directors of the various assisted concerns. The Board gratefully acknowledge the continued support and cooperation extended to the Corporation by the management of the Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Overseas Development Ministry of the U.K. Government and Swedish International Development Authority. The Board also wish to express their appreciation for the loyal and devoted service put in by the officers and the staff of the Corporation during the year.

On behalf of the Board of Directors

(Sd.)

B. B. SINGH

Chairman

Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended June 30, 1980

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA
REPORT OF THE AUDITORS

TO THE SHAREHOLDERS OF THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

We, the undersigned Auditors of the Industrial Finance Corporation of India, do hereby report to the shareholders upon the Balance Sheet and Accounts of the Corporation as at 30th June, 1980.

We have examined the attached Balance Sheet with the Accounts and Vouchers relating thereto and the audited returns from the Branches, which returns are incorporated in the above Balance Sheet, and report that where we have called for explanations and information, such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion, subject to the notes forming part of the accounts particularly note 13, the Balance Sheet together with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and properly drawn up in accordance with the Industrial Finance Corporation Act, 1948 and the Rules of the Corporation and exhibits, a true and correct view of the state of the affairs of the Corporation according to the best of our information and explanations given to us and as shown by the books of the Corporation.

Place : New Delhi
Date : 26th August, 1980

RAY & RAY
B. L. AJMERA & CO.
Chartered Accountants

INDUSTRIAL FINANCE

NEW

Balance Sheet as at

Serial No.	*Elabilities*	*Schedule*	*This Year* Rs.	*Previous Year* Rs.
(1)	Share Capital	A	15,00,00,000	10,00,00,000
	Share Application Money		—	2,50,00,000
(2)	Reserves and Reserve Fund	B	32,17,94,473	28,64,60,018
(3)	Long Term Borrowings	C	455,80,86,234	357,57,71,717
(4)	Current Liabilities and Provisions	D	27,72,93,094	23,11,54,614
(5)	Other Liabilities	E	2,97,48,243	3,73,45,117
(6)	Contingent Liabilities as per Contra	F	73,99,241	1,10,95,051
			534,43,21,285	426,68,16,517

As per our Report attached

Ray & Ray
B. L. Ajmera & Co.
Chartered Accountants

N. R. Ranganathan
J. C. Sandesara
O. P. Gupta
N. S. Sapkal
Directors

M. R. B. Punja
S. K. Datta
G. V. Kapadja
J. U. Patel
Directors

INDUSTRIAL FINANCE

NEW

Profit and Loss Account for the

Expenditure	Rs.	*This Year* Rs.	*Previous Year* Rs.
Interest on Bonds Borrowings etc.		26,239,72,177	21,72,06,035
Commitment Charges on foreign currency loans		2,54,722	2,22,261
Brokerage on issue of bonds		47,90,637	15,24,720
Discount on issue of bonds		—	—
Loss on Investments		3,71,595	5,38,908
Establishment Expenses		1,81,93,447	1,48,94,650
Directors' & Committee Members' fees & Expenses		1,12,818	1,35,410
Rent, Taxes, Insurance & Lighting		34,05,637	32,57,625
Postage, Telegrams, Stamps & Telephones		8,25,237	8,25,525
Printing, Stationery & Advertisement		9,68,980	10,91,201
Law Charges		51,240	35,167
Audit fees		56,000	46,000
Travelling & Halting Expenses		5,76,138	4,74,556
Other Expenses		24,28,596	17,34,854
Bad Debts written off		—	77,89,499
Depreciation		4,38,515	4,50,666
Grant to Management Development Institute		5,00,000	5,00,000
Provision for Taxation	5,38,81,635		
less. Income Tax refunds and adjustments in respect of earlier years	—	5,38,81,635	3,53,02,587
Net Profit for the year carried down		4,78,80,000	4,54,00,000
		39,77,07,374	33,14,29,674
Amounts Transferred to			
Special Reserve (Under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)		2,73,00,000	2,16,00,000
Benevolent Reserve Fund		25,00,000	35,00,000
Staff Welfare Fund		52,00,000	1,00,000
Proposed Dividend		94,00,000	65,00,000
		4,78,80,000	4,54,00,000

As per our report attached

Ray & Ray
B. L. Ajmera & Co.
Chartered Accountants

R. N. Ranganathan
J. C. Sandesara
O. P. Gupta
N. S. Sapkal
Directors

M. R. B. Punja
S. K. Datta
G. V. Kapadja
J. U. Patel
Directors

CORPORATION OF INDIA
DELHI

30th June 1980

Serial No.	*Assets*	*Schedule*	*This year* Rs.	*Previous year* Rs.
(1)	Cash and Bank Balances	G	40,84,20,924	9,86,73,618
(2)	Investments	H	32,42,92,557	29,69,00,623
(3)	Loans and Advances	I	442,84,68,344	372,60,57,357
(7)	Fixed Assets	J	2,10,14,381	1,48,58,474
(5)	Other Assets	K	15,47,25,838	11,92,31,394
(6)	Constituents' Obligations as Per Contra	L	73,99,241	1,10,95,051
			534,43,21,285	426,68,16,517

D. N. Davar
General Manager

B. B. Singh
Chairman

CORPORATION OF INDIA
DELHI

Year ended 30th June, 1980

Income	*This Year* Rs.	*Previous Year* Rs.
Interest (Less provisions made during the year for Bad & Doubtful Loans and Advances)	37,22,88,640	31,22,91,886
Commission	22,16,960	16,06,628
Profit on sale of Investments	39,18,094	22,87,167
Profit on sale of assets	2,528	5,232
Dividend	89,19,339	69,41,017
Commitment Charges	1,01,53,680	80,14,369
Miscellaneous Income	2,08,133	2,83,375
	39,77,07,374	33,14,29,674
Net Profit for the year brought down	4,78,80,000	4,54,00,000
	5,78,80,000	4,54,00,000

D. N. Davar
General Manager

B. B. Singh
Chairman

SCHEDULE A — **Annexed to and forming part of the**

SHARE CAPITAL — **Balance Sheet as at 30th June, 1980**

Description	Rs.	*This year* Rs.	*Previous year* Rs.
AUTHORISED :			
40,000 shares of Rs. 5000/- each.		20,00,00,000	20,00,00,000
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP			
(Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend under section 5 of the IFC Act 1948).			
(i) 10,000 shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up		5,00,00,000	5,00,00,000
(ii) 4,000 (Second Series) shares of Rs. 5,000/- each fully piad-up		2,00,00,000	2,00,00,000
(iii) 2,692(Third Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up		1,34,60,000	1,34,60,000
(iv) 3,308 (Fourth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up		1,65,40,000	1,65,40,000
(v) 10,000 (Fifth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up		5,00,00,000	—
		15,00,00,000	10,00,0000

Note : Guaranteed minimum annual dividend is 2¼% in case of Item (i) 4% in case of items (ii) and (iii) 4½% in case of item (iv) and 6% in case of item No. (v).

SCHEDULE B — **Annexed to and forming Part**

RESREVES AND RESERVE FUND — **of the Balance Sheet as at 30th June, 1980**

Description	Rs.	*This year* Rs.	*Previous year* Rs.
(i) General Reserve Fund			
(Under Section 32 of the IFC Act, 1948)			
Balance as per last Balance Sheet	15,88,00,000		14,51,00,000
Transferred from Profit & Loss Account	84,80,000		1,37,00,000
		16.72,80,000	15,88,00,00
(Ii) Reserve Fund			
(Under Section 32 A of the IFC Act, 1948)		1,00,00,000	1,00,00,000
(Iii) Benevolent Reserve Fund			
(Under Section 32B of the IFC Act Act, 1948)			
Balance as per last Balance Sheet	65,81,656		75,40,712
Transferred from Profit & Loss Account	25,00,000		35,00,000
	90,81,656		1,10,40,712
Less : Amount utilised	29.45.545		44,59,056
		61,36,111	65,81,656
(iv) Special Reserve			
(Under Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961)			
Balance as per last Balance Sheet	11,10,78,362		8,94,78,362
Transferred from Profit & Loss Account	2,73,00,000		2,16.00,000
		13,83,78,362	11,10,78, 362
		32,17,94,473	28,64,60,018

SCHEDULE C

LONG TERM BORROWINGS

[Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1980

Description	*This year* Rs.	*Previous year* Rs.
1. BONDS (UNSECURED—ISSUED UNDER SECTION 21 OF THE IFC ACT, 1948 GUARANTEED BY THE GOVERNMENT OF INDIA)		
5½% Bonds 1979	—	8,24,86,700
5¼% Bonds 1980	8,33,30,800	8,33,30,800
5¼% Bonds 1981	5,50,00,000	5,50,00,000
5¼% Bonds 1982	4,95,00,000	4,95,00,000
5¾% Bonds 1983	8,80,08,800	8,80,08,800
5¾% Bonds 1984	11,00,67,300	11,00,67,300
5¾% Bonds 1985	13,16,67,800	13,16,67,800
6% Bonds 1986	7,99,08,000	7,99,08,000
6% Bonds 1984	11,00,12,000	1,100,12,000
6% Bonds 1985	12,47,37,800	12,47,37,800
6% Bonds 1985 (Second Series)	16,54,79,200	16,54,79,200
6% Bonds 1986 (Second Series)	19,25,05,400	19,25,05,400
6% Bonds 1986 (Third Series)	32,45,87,200	32,45,87,200
6% Bonds 1987	19,88,73,800	19,88,73,800
6% Bonds 1987 (Second Series)	25,39,45,500	25,39,45,500
6¼% Bonds 1988	33,00,00,000	33,00,00,000
6¼% Bonds 1988 (Second Series)	35,01,54,000	35,01,54,000
6¼% Bonds 1989	34,93,75,000	—
6¼% Bonds 1989 (Second Series)	40,06,25,000	—
6¼% Bonds 1992	38,50,00,000	—
	378,27,77,600	273,02,64,300
2. BORROWINGS		
(i) From Industrial Development Bank of India (Under Section 21 (4) of the IFC Act, 1948) secured by 6¼ % 6₂% and 6¼% Adhoc Bonds of the face value of Rs. 25 crores issued by the Corporation	23,50,00,000	24,00,0,000
(ii) From Government of India (Under Section 21(4) of the IFC Act 1948)	29,03,74,377	35,59,02,242
(iii) From Government of India in terms of Agreement with Kreditanstalt-Fur--Wiederaufbau	3,03,50,500	2,31,80,500
(iv) From Foreign Credit Institutions in Foreign currencies. (secured by Guarantees of Government of India except to the extent of Rs. 42,80,739)	21,95,83,757	22,64,24,675
	435,80,86,234	357,57,71,717

SCHEDULE D — **Annexed to and forming part of the**

CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS — **Balance Sheet as at 30th June, 1980**

Description	*Rs.*	*Rs.*	*This year* *Rs.*	*Previous year* *Rs.*
A. CURRENT LIABILITIES				
(i) Short term borrowings from Reserve Bank of India secured by bonds issued by the Corporation of the face value of Rs. 3·25 crores (Under Section 21(3)(b) of the IFC Act, 1948)				3,00,00,000
(ii) Sundry Creditors :				
—Unclaimed Interest due on Bonds		4,78,39,018		
—Bonds matured but not presented for payment		2,14,61,079		
—Others		2,81,95,021	9,74,95,118	2,99,02,478
(iii) Interest accrued but not due :				
(a) On borrowings from :				
(i) Government of India	69,59,275			57,16,293
(ii) Foreign credit institutions in foreign currencies	1,77,933			2,04,543
	71,37,208			59,20,836
(b) On bonds	3,29,00,992			2,28,37,056
			4,00,38,200	2,87,57,892
(iv) Advance guarantee commission			47,200	51,712
(v) Advance received on account of legal charges			3,60,550	3,78,000
(vi) Unclaimed dividend			250	250
(vii) Commitment charges accrued on borrowings from foreign credit institutions in foreign currencies			13,629	283
(viii) Advance from applicants towards expenses for appraisal			4,32,850	4,96,893
B. PROVISION				
(i) Difference in exchange Suspense Account			3,44,79,499	3,77,15,454
(ii) Amounts held in suspense :				
(a) Interest	6,20,59,850			6,54,09,38 8
(b) Commitment Charges	66,311			66,311
(c) Incidential Charges	2,37,704			2,37,704
(d) Guarantee Commission	1,70,051			1,70,051
			6,25,33,916	6,58,83,454
Provision for Taxation :				
Balance as per last Balance Sheet		15,82,19,744		12,29,17,15
Add : Provision for the year		5,38,81,635		3,53,02,587
		21,21,01,379		15,82,1 9,744
Less : Adjustments in respect of earlier years		6,63,71,344		—
		14,57,30,035		15,82,19,744
Less : Tax deducted at source	72, 81, 920			9 9,73,885
Advance tax paid	10,59,56,233			11,67,77,661
		11,32,38,153		12,67,51,546
			3,24,91,882	3,14,68,198
(iv) Proposed Dividend			94,00,000	65,0 0,000
			13,89,05,297	14,15,67,106
			27,72,93,094	23,11,54,614

SCHEDULE E
OTHER LIABILITIES

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1980

Description	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
(i) Specific grant from Government			
Balance as per last Balance Sheet	59,49,276		41,54,000
Grant received in terms of Agreement with Kreditanstalt Wiederaufbau	74,22,000		61,65,000
	1,33,71,276		1,03,19,000
Less: Amount utilised	74,51,128		43,69,724
		59,20,148	59,49,276
(ii) Staff Welfare Fund :			
Balance as per last Balance Sheet	6,20,043		5,78,158
Less : Amount utilised	70, 363		58,115
	5,49,6 80		5,20,043
Add : Amount transferred from Profit & Loss Account	2,00,000		1,00,000
		7,49,68 0	6,20,043
(iii) Industrial Finance Corporation Employees, Provident Fund		1,72,20,415	1,43,51,798
(iv) Liability in respect of rights and interest in loans and advances transferred under Section 21B of the IFC Act, 1948		58,5 8, 000	1,64,14,000
		2,97,48,243	3,73,35,117

SCHEDULE F
CONTINGENT LIABILITIES AS PER CONTRA

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1980

Description	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
(i) Guarantees (Under Section 23(1)(b) of the IFC Act, 1948)		44,96,213	62,74,477
(ii) Foreign loan guarantees (Under Section 23(1)(c) of the IFC Act, 1948)		8,20,812	19,02,892
(iii) Deferred French Credit on account of principal amount		20,82,216	29,17,682
(iv) Underwriting contracts (Under Section 23(1)(d) of the IFC Act, 1948)			
(Previous year— Rs. 18,50,000/-)	66,33,000		
(v) Uncalled amount in respect of partly paid-up shares held as investment under Section 23(1)(d) and Section 23(1)(f) of the IFC Act, 1948)			
(Previous year—Rs. 13,88,598/-)	19,67,482		
		73,99,241	1,10,95,501

SCHEDULE G
CASH AND BANK BALANCES

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1980

Description		*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
(i) Cash and stamps in hand at Head Office and at Branches			49,067	21,230
(ii) Cheques in hand and under collection			3,08,58,058	3,08,54,974
(iii) Balance with Banks :				
(a) On Current Account—				
In India	7,65,72,726			3,90,95,605
Outside India	99,002			71,869
		7,66,71,728		3,91,67,474
(b) On Fixed Deposit Account—				
In Inda	25,84,50,000			—
Outside India	4,23,92,071			2,86,29,940
		30,08,42,071		2,86,29,940
			37,75,13,799	6,77,97,414
			40,84,20,924	9,86,73,618

SCHEDULE H
INVESTMENTS (AT COST)

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1980

Description	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
(i) Under Section 20 of the IFC Act, 1948 Initial Capital/Shares of certain financial institutions		96,00,000	96,00,000
(ii) Under Section 23(1)(d) of the IFC Act, 1948			
(a) Stocks, Shares, Bonds and Debentures of Industrial concerns	22,04,42,257		20,56,47,798
(b) Application money paid on shares, debentures etc.	—		—
		22,04,42,257	20,56,47,798
(iii) Under Section 23(1)(f) of the IFC Act, 1948			
(a) Shares	5,38,80,040		5 04,75,140
(b) Application money paid on shares	—		3,38,000
		5,38,80,040	5,08,13,140
(iv) Under Section 23(1)(i) of the IFC Act, 1948			
Debentures	5,59,600		1,69,400
Share acquired under the proviso to Section 23(1)(i) of the IFC Act, 1948	3,98,10,660		3,06,70,285
		4,03,70,260	3,08,39,68
		32,42,92,557	29,69,00,623
(a) Quoted Investments			
Book value		16,94,89,793	11,83,24,715
Market value		23,41,17,977	18,04,90,477
(b) Investments, for which quotations are not available			
Cost		15,48,02,764	17,35,908

SCHEDULE I
LOANS AND ADVANCES

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1980

Description	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous Rs.*
Loans and Advances :			
(Less provision for Bad and Doubtful Loans and Advances)			
In Indian Currency		418,12,72,668	348,51,35,103
In Foreign Currencies		24,71,95,676	24,09,22,254
		442,84,68,344	372,60,57,357
Notes :			
(a) Debts due by concerns in which the Directors of the Corporation are interested as Directors in the capacity of nominee Directors.		6,25,64,463	5,62,26,38
(b) Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which the Directors of the Corporation are interested as Directors in the capacity of nominee Directors.		48,00,000	1,15,37,91
(c) Total amount of instalments whether of principal or interest overdue by concerns in which the Directors of the Corporation are interested as Directors.		7,59,999	41,29,04

SCHEDULE J
FIXED ASSETS

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1980

Description	*Rs.*	*Rs.*	*This year* Rs.	*Previous year* Rs.
1. Leasehold Land & Buildings (including work-in-progress)				
Cost as per last Balance Sheet		53,36,313		16,25,270
Additions during the year		63,41,014		37,11,241
			1,16,77,327	53,36,313
2. Freehold Land & Buildings				
Cost as per last Balance Sheet		77,76,263		73,61,700
Additions during the year		1,700		4,14,563
		77,77,963		77,76,263
Less : Depreciation				
Upto last year	4,30,799			2,86,551
For the year	1,40,684			1,44,248
		5,71,483		4,30,799
			72,06,480	73,45,464
3. Motor Cars, Cycles, Furniture, Fixtures, Fittings, etc.				
Cost as per last Balance Sheet		41,09,787		33,53,682
Additions/Adjustments during the year		2,56,563		8,97,336
		43,66,350		42,51,018
Less : Sold/discarded		22,635		1,41,231
		43,43,715		41,09,787
Less : Depreciation				
Upto last year	19,33,090			17,03,899
For the year	2,97,831			3,06,418
	22,30,921			20,10,317
Deduct : On assets sold/discarded	17,780			77,227
		22,13,141		19,33,090
			21,30,574	21,76,697
			2,10,14,381	1,48,58,474

SCHEDULE K
OTHER ASSETS

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1980

Description	*Rs.*	*Rs.*	*This year* *Rs.*	*Previous year* *Rs.*
(a) Interest accrued but not due :				
(i) On Fixed Deposits with Banks		12,04,654		9,09,91
(ii) On Debentures		4,80,336		5,52,829
(iii) On Loans & Advances		9,53,33,938		7.60,06,676
(iv) Others		16,31,349		13,43,088
			9,86,50,277	7 97,22,506
(b) Commitment & Other Charges accrued			45,46,171	40,91,349
(c) Sundry Debtors :				
—Advances for construction & rental deposits of premises		69,96,000		
—Amount recoverable on account of Foreign currency sub-loans		97,42,559		
—Others		1,20,86,482	2,88 25,041	2,16,74,671
(d) Advances to Staff			47,63,866	45,30,999
(e) Stock of stationery			—	—
(f) Telephone Deposits			17,274	22,998
(g) Prepaid Expenses			44, 537	1.66 205
(h) Agency Commission accrued			44,392	57.423
(i) Ne Assets of Staff Welfare Fund			5,49,680	5,20,043
(j) Deposit under "Companies Depasits (Surcharge on Income Tax) Scheme 1976"			9,17,200	9,17,200
(k) Loans to Risk Capital Foundation (Interest free)			1,63,67,000	75,28,000
			15,47,25,838	11,92,31,394

SCHEDULE L
CONSTITUENTS' OBLIGATIONS AS PER CONTRA

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1980

Description	*This year* *Rs.*	*Previous year* *Rs.*
(a) Guarantees (Under Section 23(1)(b) of the IFC Act, 1948)	44,96,213	62,74,477
(b) Foreign Loan Guarantees (Under Section 23(1)(c) of the IFC Act, 1948)	8,20,812	19,02,892
(c) Deferred French Credit on account of principal amount	20,82,216	29,17,682
	73,99,241	1,10,95,051

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1. In accordance with the past practice, foreign currency loans availed of by the Corporation have been converted into Rupees at the erstwhile IMF parity rate viz. $ 1.00= Rs. 7.50 and DM 1.00= Rs. 2.05. At T.T. Selling rates ruling on 30th June, 1980, these borrowings would amount to Rs. 48.12 crores (previous year Rs. 47.90 crores). Foreign currency sub-loans granted to sub-borrowers have been accounted for at different rates of exchange. At T.T. Selling rates ruling on 30th June, 1980, these sub-loans including unpaid interest accounted for would amount to Rs. 46.90 crores (previous year Rs. 45.18 crores).

2. (a) "The Difference in Exchange Suspense Account" represents the aggregate of exchange difference which has actually arisen upto the date of the Balance Sheet. It includes the difference on conversion of balances with foreign banks at the current T.T. Selling rate as on 30th June, 1980.

(b) According to the basis adopted by the Corporation, the exchange loss recoverable from the sub-borrowers under Section 27(4)(a) of the IFC Act, 1948, as on the 30th June, 1980 amounts to Rs. 87.14 lacs (previous year Rs. 37.78 lacs). However, pending the final decision of the Government on the proposals made to it regarding the treatment of such exchange loss recoverable, no adjustments have been made in the accounts in connection therewith.

3. Under the head "Contingent Liabilities", the figures of contingent liabilities expressed in foreign currency have been shown at Rs. 73.99 lacs (previous year Rs. 110.95 lacs) at the rates of exchange prevailing on different dates. At the T.T. Selling rates prevailing on the date of Balance Sheet, the figure will be Rs. 126.18 lacs (previous year Rs. 176.67 lacs).

4. As per past practice, no provision is being made for net depreciation, if any, in the value of investments from year to year as the Corporation holds these investments, as a Development Bank, on a long term basis. In the case of unquoted investments, the value has not been ascertained. Losses on realisation of these investments, if any, are being accounted for in the Profit & Loss Account.

5. Investments under Section 23(1)(d) and 23(1)(f) of the IFC Act, 1948 include a sum of Rs. 35.57 lacs and Rs. 8.75 lacs respectively (previous year Rs. 44.32 lacs) in the share capital of some companies which have gone into liquidation and the Corporation is not likely to realise the full amount invested. No specific provision has been made in respect thereof.

6. Investments do not include shares of the par value of Rs. 18.48 lacs (Rs. 3.51 lacs by way of utilisation of the Benevolent Reserve Fund and Rs. 14.97 lacs out of the Specific Grant) (previous year Rs. 15.48 lacs) in certain Technical Consultancy Organisations subscribed to by the Corporation as part of the Corporation's promotional activities including assistance for projects promoted by technologists and new enterpreneurs.

7. (a) Loans and Advances include Rs. 70.19 lacs (previous year Rs. 169.40 lacs) in respect of which the rights and interest of the Corporation have been transferred under Section 21 B of the IFC Act, 1948.

(b) Interest Income does not include a sum of Rs. 12.10 lacs (previous year Rs. 22.08 lacs) being the interest on the loans and advances in respect of which the rights and interest of the Corporation have been transferred under Section 21 B of the IFC Act, 1948, which amount has been set off against the interest payable to the transferee.

8. An aggregate amount of Rs. 406.87 lacs (previous year Rs. 383.65 lacs) was due on the date of the Balance Sheet from certain companies, the undertakings of which have been acquired by the Central/State Government. It has not been possible to determine as to what portion of the said amount can be recovered either out of the compensation or from the guarantors. Besides, a sum of Rs. 796.84 lacs (previous year Rs. 1092.19 lacs) is due on the Balance Sheet date from certain companies whose liabilities have been frozen under the Industrial Development and Regulation Act. It is considered that the "Provision for Doubtful Debts", is sufficient to provide against the doubtful loans, advances and Sundry Debtors on a net of tax basis, as reduced by the amount of "Interest held in Suspense".

9. (a) As per past practice, the Corporation has not accounted for interest, commitment charges and commission etc. in cases where the possibility of recovery by the Corporation is considered remote.

(b) Interest on certain accounts where Court orders have been obtained are being accounted for as and when received.

10. "Sundry Debtors" include a sum of Rs. 30.00 lacs (previous year Rs. 57.50 lacs) being the balance amount due from a State Government in respect of the sale price of shares of an assisted concern sold to them under a Rehabilitation Scheme.

11. A sum of Rs. 26.23 lacs (previous year Rs. 7.12 lacs) was transferred from Interest held in Suspense Account to Income Account on recovery of the arrears of Interest credited to the former account in earlier years.

12. At the instance of the Income Tax Department, certain appeals/references have been made to the Tribunal/High Court in cases where the matters had been decided in favour of the Corporation. The total amount of tax involved in such appeals/references pending before the Tribunal/High Court on the date of the Balance Sheet is Rs. 40.60 lacs (previous year Rs. 58.19 lacs). Assessments have been completed upto the Assessment year 1977-78.

13. Pursuant to the provisions of Section 32(2) of the IFC Act, 1948, in this year's account provision has been made for bad and doubtful debts/loans and advances amounting to Rs. 1 crore which has been adjusted against the income of the Corporation. Corresponding changes have been effected in the figures of the previous year and the amount of net profit of previous year has been suitably adjusted. Similarly the total provision for doubtful loans and advances amounting to Rs. 745.00 lacs as on 30th June, 1980 has been shown as deduction from the total loans and advances given by the Corporation.

14. Previous year's figures have been recast wherever necessary to make them comparable to these of the current year.

APPENDIX A

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ANDHRA PRADESH								
1.	M/s. Andhra Pradesh Oil & Chemical Industrial Ltd., Dokiparru, Distt. Guntur. *Proposed Managing Director* : G. Rama Rayudu.	333·00	110·00	—	189·00	13·65	20·35	33 3·00
2.	M/s. Andhra Pradesh Scooters Ltd, Pattancheru, Distt. Medak. (Notified backward district) *Managing Director* : S. D. M. Rao.	39·25	10·00	—	25·00	—	4·25	39·25
3.	M/s. Bhadrachalam Paperboards Ltd., Sarapaka, Distt. Khammam. (Notified backward district) *Managing Director* : K. L. Chug.	510·00 (over-run)	—	—	376·00	—	134··00	510·00
4.	M/s. Circar Paper Mills Ltd., Gudipallipadu, Distt. Nellore (Notified backward district) *Managing Director* : D. Sesha Reddy.	600·00	200·00	—	400·00	—	—	600·00
5.	M/s. Delta Paper Mills Ltd., Vendra, Distt. West Godavari. *Chairman* : S.S. Jaya Rao, I. A. S. *Managing Director* : Bh. Vijaya Kumar Raju.	58·00 (over-run)	—	—	15·00	—	43·00	58·00
6.	M/s. K. C. P. Ltd., Macherla, Distt. Guntur. *Chairman & Managing Director*: *V. L. Dutt.* (V. Ramakrishna Group)	502·00	—	—	350·00	—	152·00	502·00
7.	M/s. Klayman Porcelains Ltd., Nandigaon, Distt. Mehbubnagar. (Notified backward district) *Managing Director* : C. Ramakrishna.	157·00	45·00	—	97·00	—	15·00	157·00
8.	M/s. Kolleru Papers Ltd., Bommuluru, Distt. Krishna. *Chairman* : K. R. K. Sastry, I. A. S. *Managing Director* : M Seshavataram.	82·00 (over-run)	—	—	65·60	—	16·40	82·00
9.	M/s. Nagarjuna Paper Mills Ltd., Pattancheru Indl. Complex, Distt. Medak. (Notified backward district) *Proposed Managing Director* : Aeshwar Singh.	121·67	27·26	—	80·00	—	14·41	121·67
10.	M/s. Nellore Coop. Spg. Mills. Ltd. Dasgamitta. Distt. Nellore, (Notified backward district) *Chairman* : N. Gopala Krishnaiah.	170·00	76·80	—	82·00	—	11·20	170·00
11.	M/s. Novopan India Ltd., Pattancheru, Distt. Medak. (Notified backward district) *Chairman* : M. R. Pai, *Managing Director* : G. V. Krishna Reddy.	145·00 (over-run)	—	—	120·00	—	25·00	145·00

*Direct subscription.

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1979 TO JUNE 30, 1980

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned.
Rupee loans	Foreign currency loans (rupee equivalent)	Underwritings		Guarantees	Total	
		Equity and preference shares	Debentures			
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
47·00	—	10·00	—	13·65	70·65	New project for the manufacture of 5,891 tonnes of Hydrogenated crude/mixed fatty acids, 360 tonnes of glycerine (as by-product) and 2,880 tonnes of toilet soap per annum.
7·50	—	—	—	—	7·50 (addl.)	Balancing-cum-diversification scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of scooters from 15,000 nos. to 18,000 nos. per annum and also setting-up of facilities for the assembly of motor cycles.
69·00	—	—	—	—	69·00 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the new project for the manufacture of 37,082 tonnes of carton board and writing and printing paper per annum.
90·00	—	24·00	—	—	114·00	New Project for the manufacture of 9,500 tonnes of writing and printing paper per annum.
7·50	—	—	—	—	7·50	For meeting a part of over-run in the cost of the new project for the manufacture of 30 tonnes of writing and printing paper per day.
87·50	—	—	—	—	87·50 (addl.)	Modernisation-cum-expansion scheme envisaging, inter-alia, increase in the capacity for the manufacture of cement from 254 lakh tonnes to 3·50 lakh tonnes per annum.
30·00	—	8·75*	—	—	38·75	New project for the manufacture of 1,320 tonnes of ceramic tableware per annum.
16·50	—	—	—	—	16·50	For meeting a part of over-run in the cost of the new project for manufacture of 25 tonnes of writing, printing and speciality paper per day.
20·00	—	8·36*	—	—	28·36	New Project for the manufacture of 4,125 tonnes of tissue, MG poster and blue match paper per annum.
20·00	—	—	—	—	20·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the spindleage from 12,096 to 25,056.
15·00	—	—	—	—	15·00 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the new project for manufacture of 12,000 tonnes of plain and laminated particle boards per annum.

APPENDIX A *(contd.)*

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ANDHRA PRADESH *(contd.)*							
12. M/s. Republic Forge Co. Ltd. Hyderabad. *Chairman & Managing Director* : K. V. Nabrajan, I. A. S. (Andhra Pradesh State Government Company)	565·00	40·00	—	400·00	—	125·00	565·00
13. M/s. Shree Krishna Oil Complex Ltd., Vempahad, Distt. Nalgonda. (Notified backward district) *Managing Director* : M. Ramana Reddy.	682·00	234·00	—	433·00	—	15·00	682·00
14. M/s. Shree Rayalaseema Paper Mills Ltd., Gondiparla, Distt. Kurnool. (Notified backward district) *Director* : T. G. Vasantha Gupta.	551·00 (over-run)	—	—	308·00	—	243·00	551·00
15. M/s. Shri Ambuja Petro-Chemicals Ltd., Pattancheru, Distt. Medak. (Notified backward district) *Director-in-charge* : Rajesh J. Harivallabhdas.	4·84	—	—	4·84	—	—	4·84
16. M/s. Telangana Paper Mills Ltd., Naikangudem, District. Khammam. (Notified backward district) *Managing Director* : V. Krishnamohan.	595·00	180·00	—	400·00	—	15·00	595·00
17. M/s. Volrho Ltd., Pattancheru, Distt. Medak. (Notified backward district) *Chairman* : A. H. Tobaccowala.	1690·00	400·00	—	1090·00	—	200·00	1690·00
BIHAR							
18. M/s. Bihar Caustic & Chemicals Ltd. Rehla, Distt. Palamau. (Notified backward district) *Chairman* : R. K. Sinha, *Managing Director* : V. S. Bharaktiya.	2350·00	780·00	—	1482·80	—	87·20	2350·00
19. M/s. Hathwa Metals & Tubes Ltd., Jasidih, Distt. Santhal Paraganas. (Notified backward district) *Chairman* : Smt. Durgeshwari Sahi *Managing Director* : A. D. Singh.	@	—	—	—	—	—	—
20. M/s. Mahalakshmi Fibres & Industries Ltd., Ormanjhi, Distt. Ranchi. *Managing Director* : *M. K. Nopany.*	71·00	—	—	35·00	7·29	28·71	71·00
21. M/s. Nalanda Ceramics Ltd., Getalsud, Distt. Ranchi. *Director-in-charge* : R. N. Chaudhary.	90·00	13·50	—	76·50	—	—	90·00
22. M/s. North Bihar Sugar Mills Ltd., Bagaha, Distt. Champaran, (Notified backward district) *Chairman & Managing Director* : Tulsidas Kanoria.	155.00 (over-run)	—	—	128·00	—	27·00	155·00

DM: Deutsche Mark. Sw. Kr: Swedish Kroner. @ Cost of the project accounted for in the year 1976-77.

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1979 TO JUNE 30, 1980

(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
100·00	—	—	—	—	100·00	Modernisation-cum-expansion scheme envisaging, *inter-alia*, increase in the capacity for the manufacture of the carbon and alloy steel forgings from 4,800 tonnes to 8,550 tonnes per annum.
100·00	—	25·00	—	—	125·00	New project envisaging the setting up of a new industrial unit with an installed capacity of processing 50,000 tonnes of castor seed per annum.
75·50	—	—	—	—	75·50 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the new project for the manufacture of 42,000 tonnes of printing and writing paper per annum.
—	2·21 (DM)	—	—	—	2·21 (addl.)	Import of certain equipment.
100·00	—	20·00	—	—	120·00	New project for the manufacture of 10,000 tonnes of writing and printing paper per annum.
40·00	52·99 (DM)	17·50	—	—	110·49	New project for the manufacture of 4 tonnes per day of technical grade phosalone and 5 tonnes per day of malathion.
50.00	105.83 (Sw. kr.)	71.00	—	—	226.83	New project for the manufacture of 33,000 tonnes of caustic soda, 13,200 tonnes of liquid chlorine, 21,400 tonnes of hydrochloric acid and 26,000 tonnes of ammonium chloride per annum.
—	—	5·00	—	—	5·00 (addl.)	New project for the manufacture of copper and copper alloy tubes with an installed capacity of 1,200 tonnes per annum.
35·00	—	—	—	—	35·00 (addl.)	Modernisation-cum-expansion scheme envisaging, *inter-alia*, increase in the spindleage from 15,840 to 19,800.
15·00	—	—	—	—	15·00 (addl.)	Rehabilitation scheme of Company's plant manufacturing 3,000 tonnes of decorative porcelain tableware per annum.
32·00	—	—	—	—	32·00 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the diversification scheme envisaging setting-up of a new project for the manufacture of 7,500 tonnes per annum of writing and printing paper, coloured paper, etc.

APPENDIX A—(*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BIHAR (*contd.*)								
23.	M/s. Refractory Specialities (India) Ltd., Jamtara, Distt. Santhal Parganas. (Notified backward district) *Chairman-cum-Managing Director* : Bihari Agarwal.	49·69 (over-run)	—	—	38·00		11·69	49·69
24.	M/s. Usha Alloys & Steels Ltd., Adityapur, Distt. Singhbhum. *Chairman* : B. K. Jhawar, *Managing Director* : Brij K. Jhawar.	190·000	—	—	124·00	—	66·00	190·00
GUJARAT								
25.	M/s. Abhay Mills Ltd., Ahmedabad. *Chairman* : S.M. Patel.	162·00	—	—	130·00	—	32·00	162·00
26.	M/s. Ahmedabad Advance Mills Ltd., Ahmedabad. *Chairman* : Naval H. Tata. *Vice-Chairman & Managing Director* : Dr. F.A. Mehta, (Tata Group)	382·00	—	—	220·00	—	162·00	382·00
27.	M/s. Ahmedabad Shri Rama Krishna Mills Co. Ltd., Gomtipur, Ahmedabad. *Chairman* : Arvind N. Lalbhai, *Managing Directors* : Priyakant Thakorlal Munshaw, Smt. Nandiniben Priyakant Munshaw.	147·00	—	—	100·00	—	47·00	147·00
28.	M/s. Aryodaya Ginning & Mfg. Co. Ltd., Asarwa, Ahmedabad. *Chairman* : J. P. Goenka.	268·00	—	—	168·00	—	100·00	268·00
29.	M/s. Bharat Vijay Mills Ltd., Kalol, Distt. Mehsana, (Notified backward district) *Chairman* : Jaykrishna Harivallabhdas, *Managing Directors* : D. B. Patel A. P. Patel	336·00	—	—	200·00	—	136·00	336·00
30.	M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd., Petrochemicals, Distt. Baroda. *Chairman* : J. J. Mehta. *Managing Director* : H. R. Patankar, I.A.S.	673·00	—	—	448·00	—	225·00	673·00
31.	M/s. Gujarat Aromatics Ltd., Ankleshwar, Distt. Broach. (Notified backward district) *Chairman* : K. T. Satarawala, *Managing Director* : P. S. Dharwadkar.	100·00 (over-run)	32·60	—	62·40	—	5·00	100·00
32.	M/s. Gujchem Distillers India Ltd., Ankleshwar, Distt Broach. (Notified backward district) *Chairman & Managing Director* : Laxmikant Bhagubhai, Managing Director : Janot Kumar Bhagubhai.	@	—	—	—	—	—	—
33.	M/s. Indu-Nissan Oxo Chemical Industries Ltd., Bajwa, Distt. Baroda. *Proposed Managing Director* : N. I. Bhuva.	1620.00	500.00	—	1120.00	—	—	1620.00

R.I.: Rights Issue. @Cost of the project accounted for in the year 1978-79.

APPENDIX A *(contd.)*

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1979 TO JUNE 30, 1980

(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
9·00	—	—	—	—	9·00 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the new project for the manufacture of 5,000 tonnes of castable refractories, 3,000 tonnes of plastic refractories, 2,800 tonnes of air setting cements and ramming masses etc. and 7,500 tonnes of high alumina bricks per annum.
50·00	—	—	—	—	50·00 (addl.)	Diversification-cum-modernisation scheme of the Company envisaging increase in the special grade steel from 25 per cent to 55 per cent and to set up facilities for ladle injection.
32·50	—	—	—	—	32·50	Modernisation of the Company's composite textile mill with 25,088 spindles and 504 looms.
55·00	—	—	—	—	55·00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 61,244 spindles and 1,224 looms.
25·00	—	—	—	—	25·00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 31,160 spindles and 536 looms.
42·00	—	—	—	—	42·00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 43,384 spindles and 902 looms.
50·00	—	—	—	—	50·00 (addl.)	Second phase of the modernisation scheme of the Company's composite textile mill with 37,072 spindles and 592 looms.
16·67	32·46 (DM)	—	—	—	49·13 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of caustic soda from 37,425 tonnes to 66,600 tonnes and hydrochloric acid from 15,000 tonnes to 33,000 tonnes per annum.
—	—	1·98 (R.I.)	—	—	1·98 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the new project for the manufacture of 5,000 tonnes of synthetic-cresoles per annum.
—	—	1·47 (R.I.)	—	—	1·47 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of acetic acid from 3,000 tonnes to 6,000 tonnes and accetaldehyde from 2,400 tonnes to 6,000 tonnes per annum.
175·00	—	50·00	—	—	225·00	New project for the manufacture of 12,500 tonnes of oxo-alcohals per annum.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
GUJARAT (*contd.*)								
34.	M/s. L.D. Weaving Industries Pvt. Ltd., Ankleshwar, Distt. Broach. (Notified backward district) *Whole-time Directors* : J.N. Mehra, T.R. Mehra, V.K. Mehra.	455·00	125·00	—	284·00	—	46·00	455·00
35.	M/s. Mafatlal Fine Spg. & Mfg. Co. Ltd., (i) Navsari, Distt. Bulsar. (ii) Mazagaon, Bombay, Maharashtra. *Chairman* : Arvind N. Mafatlal. *Managing Director & President* : Padmanabh A. Mafatlal. (Mafatlal Group)	1187·00	—	—	600·00	—	587·00	1187·00
36.	M/s. Maheshwari Mills Ltd., Ahmedabad. *Chairman* : Dr. Mohanlal Piramal. *Managing Director* : Smt. Alka M. Shah.	255·00	—	—	180·00	—	75·00	255·00
37.	M/s. Marsden Spg. & Mfg. Co. Ltd., Ahmedabad. *Chairman & Managing Director* : Chandrakant Bakubhai. *Managing Directors* : Rameshbhai Bakubhai, Sanat Kumar Bakubhai.	153.00	—	—	110.00	—	43·00	153·00
38.	M/s. Monogram Mills Co. Ltd., Ahmedabad. *Chairman & Managing Director* : Chandrakant Bakubhai. *Managing Director* : Rameshbhai Bakubhai, Sanat Kumar Bakubhai.	215·00	—	—	160·00	—	55·00	215·00
39.	M/s. New Swadeshi Mills of Ahmedabad Ltd., Ahmedabad. *President* : A.C. Roongta. (Birla Group)	52·00	—	—	350.00	—	170·00	520·00
40.	M/s. P.G. Textile Mills Ltd., Baroda. *Managing Director* : G.P. Shah.	140·00	—	—	112·00	—	28·00	140·00
41.	M/s. Polymer Corporation of Gujarat Ltd., Jawahar Nagar, Baroda. *Chairman & Managing Director* : J.J. Mehta. (Gujarat State Government Company)	427·00 (over-run)	—	—	226·00	—	201·00	427·00
42.	M/s. Ramon Gujarat Ltd., Tantithaiya, Distt. Surat. *Chairman* : H.K. Shah. *Vice-Chairman* : S.K. Shah.	525·50	200·00	—	286·00	—	39·50	525·50
43.	M/s. R.B. Rodda & Co. Ltd., (Unit: Soma Textiles) Ahmedabad. *Chairman & Managing Director* : S.K. Somany. (Birla Group)	358·00	—	—	250·00	—	108·00	358·00

APPENDIX A (*contd*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1979 TO JUNE 30, 1980

(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
GUJARAT (*contd.*)						
64·60	—	14·00	—	—	78·00	Expansion scheme envisaging setting up of a new spinning mill with a complement of 12,320 spindles for the manufacture of viscose staple yarn and polyester viscose blended yarn.
150·00	—	—	—	—	150·00	Modernisation of the Company's two composite textile mills with 1,20,584 spindles and 2,068 looms.
45·00	—	—	—	—	45·00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 29,464 spindles and 536 looms.
27·50	—	—	—	—	27.50	Modernisation of the Company's composite textile mill with 37,324 spindles and 735 looms.
40·00	—	—	—	—	40·00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 38,188 spindles and 706 looms.
87·50	—	—	—	—	87·50	Modernisation of the Company's two composite textile mills with 93,445 spindles and 1,862 looms.
28·00	—	—	—	—	28.00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 32,536 spindles and 636 looms.
20·00	—	—	—	—	20·00 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the new project for the manufacture of 5,000 tonnes of monomethyl methacrylate monomer, 2,000 tonnes of polymethyl methacrylate sheets and 1,500 tonnes of polymethyl methacrylate pellets per annum and also for the financial rehabilitation of the Company.
70·00	—	20·00	—	—	90·00	New project for the manufacture of 60,000 nos. of propeller shafts and 2,50,000 U.J. Kits per annum.
62·50	—	—	—	—	62·50	Modernisation of the Company's composite textile mill with 24,896 spindles and 476 looms.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
GUJARAT (*contd.*)								
44.	M/s. Reliance Textile Industries Ltd., Naroda, Ahmedabad. *Chairman & Managing Director* : D.H. Ambani, (Reliance Textile Group)	@						
45.	M/s. Shri Ambica Mills Ltd., (i) Ahmedabad, (ii) Baroda. *Chairman & Managing Director* : Jay Krishna Harivallabhdas, (Shri Ambica (Harivallabh Dass) Group)	925·00	—	—	500·00	—	425·00	925·00
46.	M/s. Shri Arbuda Mills Ltd., Ahmedabad. *Chairman* : Jaykrishna Harivallabhdas, *Managing Directors* : Murugesh J. Harivallabhdas, Rajan R. Harivallabhdas, Maitreya B. Harivallabhdas. (Shri Ambica (Harivallabh Dass) Group)	552·00	—	—	350·00	—	202·00	552·00
47.	M/s. Silver Cotton Mills Co. Ltd., Ahmedabad. *Chairman* : R.R. Agarwal.	190·00	—	—	130·00	—	60·00	190·00
48.	M/s. SLM-Maneklal Industries Ltd., (i) Vatva, Distt. Ahmedabad, (ii) Bombay, Maharashtra. *Chairman* : Jaykrishna Harivallabhdas.	190·00	—	—	140·00	—	50·00	190·00
49.	M/s. Surat Distt. Cooperative Spg. Mills Ltd., Kapodra, Distt. Surat. *General Manager* : K.T. Shroff.	250·00	—	—	85·00	—	165·00	250·00
HARYANA								
50.	M/s. East India Syntex Ltd., Dharuhara, Distt. Mohindergarh. (Notified backward district) *Chairman* : H. P. Lohia, *Managing Director* : H. P. Garodia.	406·00	140·00	—	251·00	—	15·00	406·00
51.	M/s. Escorts Employees Ancillaries Ltd., Faridabad. *Chairman* : S.D.S. Mongia, *Executive Director* : V.P. Bedi.	60·95	0·45	—	35·00	—	25·50	60·95
52.	M/s. Grau Brakes Ltd., Faridabad. *General Manager (Operations)*: C.P. Vij.	95·00	35·00	—	60·00	—	—	95·00
53.	M/s. Orient Steel & Industries Ltd., Faridabad. *Chairman* : R.L. Rajgarhia.	45·00 (over-run)	—	—	20·00	—	25·00	45·00
54.	M/s. Rama Fibres Ltd., Bamla, Distt. Bhiwani, (Notified backward district) *Managing Director* : Anil Hada.	440·00	130·00	—	280·00	—	30·00	440·00
55.	M/s. Rohtak Textile Mills Ltd., Rohtak. *Directors* : S.R. Bhalotia, B.D. Bhalotia.	111·47	10·00	—	90·00	—	11·47	111·47

@Cost of the project accounted for in the year 1978-79.

APPENDIX A (*contd*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1979 TO JUNE, 1980

(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
GUJARAT (*contd.*)						
—	—	8·00 (R.I.)	—	—	8·00	Expansion scheme envisaging (i) setting-up of a worsted spinning mill with a complement of 9,600 spindles; (ii) installation of— (a) certain balancing equipment in the processing house and, (b) computers, diesel generator, effluent treatment plant, boiler, etc.
125·00	—	—	—	—	125·00	Modernisation/replacement scheme of the Company's two composite textile mills and a central processing house at Ahmedabad and another composite textile mill at Baroda with 1,20,744 spindles and 2,016 looms.
87·50	—	—	—	—	87·50	Modernisation of the Company's composite textile mill with 56,748 spindles and 1,287 looms.
32·50	—	—	—	—	32·50	Modernisation of the Company's composite textile mill with 36,880 spindles and 564 looms.
35·00	—	—	—	—	35·00	Modernisation of the Company's two plants manufacturing air compressors, rotary blowers, watering pumps, etc.
42·50	—	—	—	—	42·50 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the spindleage from 39,072 to 50,256.
65·00	—	14·00	—	—	79·00	New spinning mill with a complement of 11,424 spindles for the manufacture of synthetic blended yarn.
35·00	—	—	—	—	35·00 (addl.)	Installation of balancing equipment for the manufacture of carburettors of various ranges and to eliminate the import contents of the components.
22·50	—	7·50*	—	—	30·00	New project for the manufacture of 24,000 pieces of Air Brakes for heavy commercial vehicles per annum.
20·00	—	—	—	—	20·00 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the expansion-cum-balancing scheme envisaging inter-alia, increase in the capacity for the manufacture of M.G. poster and kraft paper from 2,100 tonnes to 6,600 tonnes per annum.
85·00	—	17·00	—	—	102·00	New spinning mill with a complement of 13,680 spindles for the manufacture of viscose staple yarn and synthetic blended yarn.
22·50	—	—	—	—	22·50 (addl.)	Modernisation of the Company's textile mill with 20,124 spindles.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
HARYANA (*contd.*)								
56.	M/s. Sehgal Paper Mills Ltd., Dharuhera, Distt. Mohindergarh (Notified backward district) *Managing Director* : M.M. Sehgal.	690·00 (over-run)	—	—	410·00	—	280·00	690·00
HIMACHAL PRADESH								
57.	M/s. Gabriel India Ltd., Parwanoo, Distt. Solan. (Notified backward district) *Chairman* : Deep Chand Anand, *Managing Director* : V.R. Sinha.	16·50 (over-run)	—	—	14·45	—	2·05	16·50
KARNATAKA								
58.	M/s. Associated Cement Companies Ltd., (i) Wadi, Distt. Gulbarga, (Notified backward district) (ii) Gagal, Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh. *Chairman* : N.A. Palkhiwala, *Vice-Chairman* : P.S. Mistry, (A.C.C. Group)	11500·00	—	—	8600·00	—	2900·00	11500·00
59.	M/s. Brindavan Alloys Ltd., Bangalore *Managing Director* : U. Krishnan.	240·00	—	—	182·00	—	58·00	240·00
60.	M/s. Deepak Insulated Cable* Corporation Ltd., Mysore-Belawadi Indl. Area., Distt. Mysore, (Notified backward district) *Chairman & Managing Director* : A. P. Mehta, *Executive Director* : D.A. Mehta.	400·00	63·00 (R.I.)	—	262·00	—	75·00	400·00
61.	M/s. E.I.D. Parry (India) Ltd., Devanhalli, Distt. Bangalore, *Chairman-cum-Managing Director* Dr. Easo John. (Parry Group)	143·00	—	—	143·00	—	—	143·00
62.	M/s. Gangavati Sugars Ltd., Marli Gangavati Taluk, Distt. Raichur, (Notified backward district) *Chairman* : T. Shamanna, *Vice-Chairman* : N. Chandappa.	47·14	—	—	47·14	—	—	47·14
63.	M/s. Gokak Patel Volkart Ltd., Gokak Falls, Distt. Belgaum, (Notified backward district) *Chairman* : A.B. Bilimoria, *Managing Director* : D.J. Madan.	394·00	—	—	230·00	—	164·00	394·00
64.	M/s. Kap Chem Ltd., Belagola Indl., Area, Distt. Mysore, (Notified backward district) Proposed Managing Director : J. C. Kapur	365·00	100·00	—	230·00	—	35·00	365·00

*Direct subscription.

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1979 TO JUNE 30, 1980

(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
110·00	—	—	—	—	110·00 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the new project for the manufacture of 8,000 tonnes of superior quality writing and printing paper, 6,000 tonnes of special grade soft tissue paper and 3,000 tonnes of carbonless copying paper per annum.
—	7·69 (Sw.Kr.)	—	—	—	7·69 (addl.)	For meeting a part of the increase in the cost of imported equipment.
750·00	—	—	—	—	750·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of dry process cement from 6·00 to 16·00 lakh tonnes per annum and installation of a captive thermal power plant of 25 MW capacity at Wadi; and (ii) setting-up of a new dry process cement unit for the manufacture of 5·60 lakh tonnes of cement per annum at Gagal.
45·50	—	—	—	—	45·50	Diversification by setting up a continuous casting machine and a rolling mill for the manufacture of 46,000 tonnes of mild and special steel billets and rolled products per annum.
—	26·70 (DM)	—	—	—	26·70 (addl.)	Diversification scheme envisaging setting up of a new project for the manufacture of 125 million nos. of needles used in bearings, 0·5 million nos. of cages and 0·6 million nos. of bushes per annum.
53·00	—	—	—	—	53·00 (addl.)	Diversification scheme envisaging the setting-up of a tool room with capacity of 50 tonnes of special and sophisticated tools per annum.
7·50	—	—	—	—	7·50 (addl.)	Financial rehabilitation of the Company.
57·50	—	—	—	—	57·50	Modernisation of the Company's composite textile mill with 50,070 spindles and 83 looms.
55·00	—	7·00	—	—	62·00	New project for the manufacture of 4,500 tonnes of acetic acid per annum.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KARNATAKA (*contd.*)							
65. M/s. KAP Steel Ltd., Bangalore. *Chairman* : V.T. Krishnamurty. *Managing Director* : J.C. Kapur.	270·00	--	---	188·00	—	82·00	270·00
66. M/s. Karnataka Blades Ltd., Belagola Indl. Area. Distt. Mysore. (Notified backward district) *Chairman* : B.S. Hanuman, I.A.S.	1030·00	350·00	—	645·00	—	35·00	1030·00
67. M/s. Kirloskar Electric Co. Ltd., Bangalore. *Chairman & Managing Director* : Ravi L. Kirloskar, (Kirloskar Group)	230·00	—	—	100·00	—	130·00	230.00
68. M/s. Machinery Manufacturers Corporation Ltd., (i) Mysore (Notified backward district) (ii) Calcutta, West Bengal. *Chairman* : Keshab Mahindra, *Executive Director* : Jayanto Gupta.	750·00	75·30 (R.I.)	—	510·00*	—	164·70	750 00
69. M/s. Mysore Cements Ltd., Ammasandra, Distt. Tumkur, (Notified backward district) *Chairman* : G.D. Birla. *Chief Executive* : N. L. Hamirwasia, (Birla Group)	650·00	—	—	428·00	—	222·00	650.00
70. M/s. Raman Boards (P) Ltd., Thandavapura, Distt. Mysore. (Notified backward district) *Managing Direotor*: V. Raman.	162·00	35·00	—	102·00	—	25·00	162·00
71. M/s. Saroj Alloys & Steels Ltd., Hospet, Distt. Bellary. *Chairman*: Govenddas Agarwal, *Managing Director*: Gopaldas Saraf.	144·00	3·00	—	122·00	—	19·00	144·00
72. M/s. Transport Corpn. of India Ltd., Unit: (i) Bangalore Wire Rod Mill, Bangalore.	340·00	—	—	272·00	—	68·00	340·00
(ii) Bhoraka Textiles, Sattur, Distt. Dharwar. (Notified backward district) *Chairman*: P. D. Aggarwal.	481·00	—	—	336·00	—	145·00	481·00
73. M/s. Tungabhadra Fibres Ltd., Hosali, Distt. Raichur. (Notified backward district) *Chairmans* : B. S. Hanuman, I.A.S.	3000·00	675·00	75·00	2235·00	—	15·00	3000·00
74. M/s. West Coast Paper Mills Ltd., Dandeli, Distt. North Kanara. (Notified backward district) *Chairman* : N. D. Bangur. (Bangur Group)	615·00	—	—	326·00	—	289·00	615·00
KERALA							
75. M/s. Apollo Tyres Ltd., Chalakkudi, Distt. Trichur (Notified backward district) *Chairman and Managing Director* : Raunaq Singh. (Raunaq Singh Group)	237·00	—	—	200·00	—	37·00	237·00

*Includes an amount of Rs. 50 00 lakhs of convertible bonds. **Convertible bonds.
£ : Pound Sterling.

APPENDIX A (*Contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1979 TO JUNE 30, 1980

(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
47·00	—	—	—	—	47·00	Diversification scheme envisaging installation of a continuous casting plant and a rolling mill.
40.00	36·17 £ 27·73 (DM)	30.00	—	—	133·90	New project for the manufacture of 120 million stainless steel razor blades and shaving systems per annum.
50·00	—	—	—	—	50·00 (addl.)	Modernisation of the Company's existing plants at Bangalore manufacturing electrical equipment such as electric motors, power and distribution transformers, welding generators, control equipment etc.
60·00	—	—	12 00**	—	72·00 (addl.)	Expansion/diversification scheme envisaging setting-up of (i) a new project for the manufacture of 300 nos. of ring spinning and twisting frames per annum at Mysore and (ii) a new project for the manufacture of 250 nos. of microprocessor based data processing equipment and 250 nos. of Matirix Printers per annum at Calcutta.
107·00	—	—	—	—	107·00 (addl.)	Modernisation scheme envisaging replacement of certain quarry and dust collection equipment and adoption of pre-calcination technology at its cement factory.
42·00	—	6·00*	—	—	48·00	New project for the manufacture of 3,000 tonnes of electrical insulation press boards and pre-compressed boards per annum.
30·50	—	—	—	—	30·50	Diversification scheme envisaging installation of a rolling mill for the manufacture of 16,200 tonnes of rolled products per annum.
	97·14 (£)	—	—	—	97·14	Diversification scheme envisaging manufacture of 50,000 tonnes of high carbon wire rods per annum.
65·00	—	—	—	—	65·00	Expansion by setting up a new spinning mill with a complement of 17,024 spindles for the manufacture of viscose staple yarn and synthetic blended yarn.
400·00	—	75·00 (Equity) 10·00 (Preference)	—	—	485·00	New project for the manufacture of 10,000 tonnes of polynosic fibre per annum.
75·00	—	—	—	—	75·00 (addl.)	Modernisation-cum-balancing scheme aimed at increasing the manufacturing capacity of writing, printing and wrapping paper from 60,000 tonnes to 66,000 tonnes per annum.
50·00	—	—	—	—	50·00 (addl.)	For the financial rehabilitation of the unit.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KERALA (*contd.*)								
76.	M/s. Foam Mattings (India) Ltd., Alleppey. (Notified backward district) *Managing Director* : K. Prabhakaran. (Kerala State Government Company)	243·40	100·00	—	108·00	—	35·40	243·40
77.	M/s. Kerala Minerals and Metals Ltd. Sankaramangalam, Distt. Quilon. *Chairman* : K. T. Chandy, *Managing Director* : M. Joseph, I.A.S. (Kerala State Government Company)	@						
78.	M/s. Kerala Solvent Extractions Ltd., Irinjalakuda, Distt. Trichur. (Notified backward district) *Chairman* : P. V. Devassy. *Managing Director* : K. L. Francis.	6·30	—	—	5·00	—	1·30	6·30
79.	M/s. Malabar Cements Ltd., Walayar, Distt. Palghat. *Chairman* : K. T. Chandy, *Managing Director* : Joseph Lopez. (Kerala State Goverment Company)	3350·00	750·00		2600·00	—	—	3350·00
80.	M/s. Premier Tyres Ltd., Kalamaserry, Distt. Ernakulam. *Chairman and Managing Director* : C. S. Desai.	*						
81.	M/s. T. K. Chemicals Ltd., Veli Industrial Area, Distt. Trivandrum. (Notified backward district *Chairman* : S. C. Trikha	69·30 (over-run)	—	—	59·50	—	9·80	69·30
MADHYA PRADESH								
82.	M/s. Birla Jute Manufacturing Co. Ltd., Satna. *Whole-time Director*: M.P. Birla, S.K. Birla, J.R. Birla. (Birla Group)	4350·00	—	—	1960·00	—	2390·00	4350·00
83.	M/s. Gwalior Sugar Co. Ltd. Dabra, Distt. Gwalior. *Chairman*: J.K. Srivastava, *Managing Director*: H.K. Srivastava.	350·00	—	—	260·00	—	90·00	350·00
84.	M/s. Hukam Chand Mills Ltd., Indore. *Chairman and Managing Director*: Mannalal Onkarmal.	307·00	—	—	170·00	—	137·00	307·00
85.	M/s. Indo-Burma Petroleum Co. Ltd., (i) Gopalpur, Distt. Bilaspur. (Notified backward district) (ii) Malleswara, Distt. Chikmagalur, Karnataka. *Acting Chairman and Managing Director*: A.P. Bhalla. (Government of India Undertaking)	495·76	—	—	350·00	—	145·76	495·76
86.	M/s. Madhya Pradesh Glychem Industries Ltd., Raipur. (Notified backward district) *Chairman* : M.K. Chaturvedi, I.A.S. *Managing Director* : O.P. Nambiar.	210·00	61·60	—	133·40	—	15·00	210·00

@Cost of the Project accounted for in the year 1978-79. *Cost of the project accounted for in the year 1977-78.

APPENDIX A (*Contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1979 TO JUNE 30, 1980

(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
27·00	—	—	—	—	27·00	New project for the manufacture of 3·6 million square metres of foam backed coir mattings per annum.
150·00	—	—	—	—	150·00 (addl.)	New project for the manufacture of 22,000 tonnes of titanium dioxide pigment per annum.
5·00	—	—	—	—	5·00 (addl.)	For meeting a part of the cost of construction of a new godown and purchase of a bleacher-cum-neutraliser unit.
300·00	—	—	—	—	300·00	New project for the manufacture of 4·15 lakh tonnes of portland cement per annum.
7·50	—	—	—	—	7·50 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the manufacturing capacity from 4,60,000 to 5,85,000 nos. each of automobile tyres and tubes per annum.
3·00	—	—	—	—	3·00 (addl.)	For meeting a art of over-rum in the cost of the new project for the manufacture of 2,850 tonnes of manganese sulphate monohydrate and 950 tonnes of electrolytic manganese dioxide per annum.
45·00	94·49 (DM)	—	—	—	139·49 (addl.)	Modernisation-cum-expansion scheme envisaging, inter-alia, setting up a plant for the manufactuer of 8·00 lakh tonnes of ordinary portland cement per annum.
65·00	—	—	—	—	65·00	Modernisation-cum-expansion scheme envisaging, inter-alia, increase in the crushing capacity of sugarcane from 1,100 tonnes to 1,500 tonnes per day.
42·50	—	—	—	—	42·50 (addl.)	The second phase of modernisation scheme of the Company's composite textile mill with 69,820 spindles and 1,416 looms.
115·00	—	—	—	—	115·00	Expansion scheme envisaging (i) increase in the capacity for the manufacture of industrial explosives from 5,000 to 20,000 tonnes per annum in two stages at Gopalpur, and (ii) setting-up of a new project for the manufacture of 5,000 tonnes site-mixed slurry explosives per annum at Malleswara in Karnataka.
50·40	—	7·00	—	—	57·40	New project for the maufacture of 6,000 tonnes of mixed fatty acids, 900 tonnes of glycerine and 6,000 tonnes of hydrogenated caster oil per annum.

APPENDIX A (*contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MADHYA PRADESH (*contd.*)								
87.	M/s. Madhya Pradesh State Textile Sinewad Corporation Ltd., Distt. Khargone. (Notified backward district) *Chairman* : B.L. Jain, *Managing Director* : Arun Kumar, I.A.S. (Madhya Pradesh State Government Company)	109·00	32·00	—	62·00	—	15·00	10·00
88.	M/s. Mohta Ispat Ltd., Ratlam. (Notified backward district) *Chairman* : M.K. Mohta.	175·00	10·00	—	130·00	—	35·00	175·99
89.	M/s. Mysore Cements Ltd., Narsingarh, Distt. Damoh. (Notified backward district) *Chairman* : G.D. Birla, Vice-Chairman : S.K. Birla. (Birla Group)	940·00 (over-run)	—	16·50	609·00	—	314·50	940·00
90.	M/s. Orient Plywood & Veneering Industries Ltd., Raipur. (Notified backward district) *Managing Director* K.C. Sethi.	94·00 (over-run)	—	—	72·00	—	22·00	94·00
91.	M/s Ragmond Woollen Mills Ltd., Aresmeta, Distt. Bilaspur, (Notified backward district) *Chairman and Managing Director* : Vijaypat Singhania. (J.K. Singhania Group)	3140·00	—	100·00	2200·00*	—	840·00	3140·00
92.	M/s. R.J. Clad Metals (P) Ltd., Dewas. (Notified backward district) *Chairman* : N.L. Hingorany, *Managing Director* : S.R. Hingorany.	188·00	60·00	—	113.00	—	15·00	188·00
93.	M/s. Union Carbide India Ltd., Kali Parade Industrial Estate, Bhopal. *Chairman* : Keshub Mahindra, *Managing Director* : W.R. Correa,. (Union Carbide Group)	579·00 (over-run)	—	—	250·00@	—	329·00	579·00
MAHARASHTRA								
94.	M/s. Aegis Chemical Industries Ltd., Distt. Jalgaon. (Notified backward district) *Chairman* : Jai Krishna Harivallabhdas. *Managing Director* : N.M. Brahmbhatt.	1000·00	45·00	—	760·00	—	195·00	1000·00
95.	Alkyl Amines Chemials Ltd., Patalganga Industrial. area, Distt. Claba, (Notified backward district) *Chairman Managing Director* : Y. M. Kothari.	430·00	110·00	20·00	282·50	—	17·50	430·00
96	M/s. Bajaj Auto Ltd., Akurdi, Pune. *Chairman and Managing Director* : Rahul Kumar Bajaj. (Bajaj Group)	292·00	—	—	168·00	—	124·00	292·00
97.	M/s. Bombay Dyeing & Mfg. Co. Ltd , Bombay *Chairman and Managing Director* N. N. wadia. (Nowrojec Wadia Group)	685·00	—	—	420·00	—	265·00	685·00

*Includes an amount of Rs.600.00 lakhs of convertable bonds **Convertable bonds @Rights Issue of Debentures

APPENDIX A (*Contd.*)

(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
77·00	—	—	—	—	77·00	Expansion scheme envisaging increase in the spindleage from 17,320 to25,240
32·50	—	—	—	—	32·50	Diversification by setting up a rolling mill for the manufacture of 16,500 tonnes of rolled products per annum.
—	88·33 (DM)	—	—	—	88·33 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the Company's expansion scheme envisaging the setting-up of a new uinit for the manufacture of 5 lakh tonnes of portland cement per annum.
12·10	—	—	—	—	12.10 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the new project for the manufacture of 26 lakh square metres of commercial plywood, decorative plywood, veneers, blackboard and flush doors per annum.
100·00	—	—	100·00**	—	200· 00	Diversification scheme by setting up a new unit for the manufacture of 5 lakh tonnes of portland cement per annum.
34·00	—	7·30	—	—	41·30	New project for the manufacture of 1,200 tonnes of cold rolled clad strips per annum.
—	—	—	3·90 (R.I.)	— —	3·90 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the expansion scheme envisaging the setting-up of a new unit for the manufacture of 5,000 tones of methyl isocyanate based pesticides per annum.
78·35	26·87* DM	—	—	—	105·22	Expansion scheme envisaging the setting-up of a new unit for the manufacture of 50,00 tonnes of fatty alcohols per annum.
40·00	—	7·50	—	—	47·50	New project for the manufacture of 2,000 tonnes of Aliphatic amines per annum.
42·00	—	—	—	—	42·00	Modernisation of the Company's plant manufactureing 1,30,000 nos. of scooters and 18,750 nos. of 3-wheelers per annum.
105·00	—	—	—	—	105·00	Modernisation of the Company's two composite textile mills viz., spring Mills with 1,26,224 spindles and 2,160 looms and Textile Mills with 95,064 spindles and 886 looms.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	MAHARASHTRA (*contd.*)							
98.	M/s. Bombay Malleable Iron Castings & Allied Industries Ltd., Ambernath, Distt. Thana. *Chairman* : N.S. Sethuraman, *Chief Executives*. M.A. Joshi, R.P. Sharma.	@						
99.	M/s. Cable Corporation of India Ltd., *Chairman*: Dharamsey M. Khatau, *Managing Director*: P.C. Guha. (Khatau Group)	254·00	—	—	170·00	—	75·00	245·00
100.	M/s. Dawn Mills Co. Ltd., Bombay. *Chairman*: B.S. Mehta, *Managing Director*: N.R. Ruia	245·00	—	—	168·00	—	77·00	245·00
101.	M/s. Deepak Fertilizer & Petro-Chemicals Corporation Ltd., Taloja, Distt. Colaba. (Notified backward district) *Proposed Managing Director*: C. K. Mehta.	800·00 (over-run)	150·00	—	630·00	—	2·00	800·00
102.	M/s. Elphinstone Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd., Bombay. *Chairman*: Kishorilal Jalan, *Vice-Chairman-cum-Managing Director*: Ashok Kumar Jalan,	273·00	—	—	210·00	—	63·00	273·00
103.	M/s. Ghatge Patil Industries Ltd., Uchagaon, Distt. Kolhapur. *Chairman*: N.W. Gurjar, *Managing Directors* V. M. Ghatge, J. B. Patil.	625·00	39·00	—	381·00	—	205·00	625.00
104.	M/s. Gogte Steels Ltd., Tarapur. Distt. Thana *Chairman*: B.M. Gogte.	38·00	—	—	30·40	—	7·60	38·00
105.	M/s. Grindwell Norton Ltd., Uran, Distt. Colaba. (Notified backward district) *Chairman*: J. C. Adams, *Managing Director*: H. D. Sidhwa.	225·00	—	—	150·00	—	75·00	225·00
106.	M/s. Hindoostan Spg. & Wvg. Mills Ltd., Bombay. *Chairman & Managing Director*: S.K. Thackersey. (Thackersey Group)	595·00	—	—	376·00	—	219·00	595·00
107.	M/s. Indian Aluminium Co. Ltd. (i) Taloja, Distt. Colaba. (Notified backward district) (ii) Kalwe, Distt. Colaba, (Notified backward district) (iii) Nasik. (iv) Kasargada, Distt. Kolhapur. (v) Indergunj, Distt. Kolhapur. (vi) Belgaum. (Notified backward district) Karnataka. (vii) Muri Distt. Ranchi, Bihar. (viii) Alupuram, Distt. Ernakulam, Kerala. (ix) Hirakud, Distt. Sambalpur, Orissa. (x) Bolur, Distt. Howrah, West Bangal. *Chairman*: Keshub Mahindra, *Managing Director*: T.D. Sinha.	8690·00	—	—	4406·00	—	4284·00	8690·00

@ Cost of the project accounted for in the year 1978-79

APPENDIX A (*Contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1979 TO JUNE 3, 1980

(Rs. Lakh)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
—	4·24 (DM)	—	—	—	4·24 (addl.)	Diversification scheme envisaging the setting-up of addtional facilities for the manufacture of 7,000 tonnes of low alloy/malleable iron castings per annum.
70·00	—	—	—	—	70·00	Modernisation of the Company's plant manufacturing power and control cables, insulated wires and aluminium wire rods.
42·00	—	—	—	—	42·00	Modernisation of the Company's Spinning mill with a complement of 56,040 spindles.
140·00	—	25·00	—	—	165·00 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the new project for the manufacture of 90,000 tonnes of anhydrous liquid ammonia per annum.
52·50	—	—	—	—	52·50	Modernisation of the Company's composite textile mill with 51,956 spindles and 935 looms.
—	50·27 (DM)	—	—	—	50·27	Modernisation - cum - replacement scheme of the Company envisaging, inter-alia, import of a high pressure moulding line for its Foundry Division.
7·60	—	—	—	—	7·60 (addl.)	Rehabilitation scheme of the Company's project for the manufactue of 44,000 tonnes of mild and special steel billets per annum.
37·50	—	—	—	—	37·50	Modernisation/replacement scheme of the Company's plant manufacturing bonded abrasives.
94·00	—	—	—	—	94·00 (addl.)	Second phase of the modernisation scheme of the Company's three composite textile mills with 1,78,020 spindles and 3,630 looms.
200·00	—	—	—	—	200·00 (addl.)	Expansion in the installed capacities for production of aluminium ingots by 13,750 tonnes per annum, expansion/ balancing/modernisation schemes for increasing the capaity of production of rolled products by 10,300 tonnes per annum and foils by 1,375 tonnes per annum, setting-up of a new unit at Nasik and installation of balancing facilities at Alumpuram for incerease in the production capacity of extruded products by 4,700 tonnes per annum, setting-up of balancing facilities at Belgaum to increase alumina capacity by 40,000 tonnes per annum and modernisation of the alumina plant at Muri and also for the development of new mines at Kasargada and Indergunj.

APPENDIX A *(contd.)*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MAHARASTRA *(contd.)*								
108.	M/s. Kamala Mills Ltd., Bombay *President*: Rajeev Goenka.	365.00	—	—	270.00	—	95.00	365.00
109.	M/s. Khandesh Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd., Jalgaon. (Notified backward district) *Chairman* Suresh Kumar B. Jain, *Managing Director* R.B. Jain.,	320·00	—	—	240·00	—	80·00	320·00
110.	M/0. Kirloskar Oil Engines Ltd., Pune *Chairman and Managing Director* S. L. Kirloskar. (Kirloskar Group)	735·00	—	—	411·00	—	324·00	735·00
111	M/s Madhavnagar Cotton Mills Ltd., Madhavnagar, Distt. Sangli. *Managing Director*: P.M. Jain.	185·70	15·00	—	148·00	—	22·70	185·70
112.	M/s Maharashtra Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd., Nagpur. *Manager (Formulation)* : R. Vishwanathan. (Government of India Undertaking)	324·00	100·00	—	206·50	—	17·50	324·00
113.	M/s. Malegaon Cooperative Spg. Mills Ltd., Malegaon, Distt. Nasik. *Chairman* : Shabbir Ahmed Haji Gulam Rasool. *Managing Director* : B. Kumar.	481·00 @	241·00	—	240·00	—		481.00
114.	M/s. Meltron Semi-Conductors Ltd., Nasik. *Chairman*: Harish Mahindra, *Managing Director* : S. Rajgopal, I.A.S.							
115.	M/s. Morarjee Goculdas Spg. & Wvg. Co. Ltd., Bombay. *Chairman & Managing Director* : A.G. Piramal, *Managing Director*: D.G. Piramal.	460·00	—	—	300·00	—	160·00	460·00
116.	M/s. Nath Pulp & Paper Mills Ltd., Waluegaon, Distt. Aurangabad. (Notified backward district) *Managing Director* N.L. Kagliwal.	112·10	—	—	67·00	—	45·10	112·10
117.	M/s. National Rayon Corporation Ltd., Mohone, Near Kalyan, Distt. Thana. *Chairman*: B.R. Patel. [Kapadia (Killick) Group]	331·00	—	—	244·00	—	87·00	331·00
118.	Ms. National Textile Corporation(Maharashtra North) Ltd., (Unit: Savatram Ram Prasad Mills) Akola. *Chairman anp Managing Director* V.B. Joshi. (Government of India Undertaking)	160·00	—	—	129·00	—	31·00	160·00

@Cost of the project accounted for in the year 1978-79

APPENDIX A (*Cond.*)

(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
67·50	—	—	—	—	67·50	Modernisation of the Company's composite textile mill with 62,176 spindles and 1,042 looms.
60·00	—	—	—	—	60·00	Modernisation of the Company's composite textiles mill with 26.572 spindles and 513 looms.
100·00	—	—	—	—	100·00 (addl.)	Modernisation of the Company's plants manufacturing various types of diesel engines, bimetal bearings and bushes.
37·00	—	—	—	—	37·00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 40,124 spindles and 244 looms.
76·50	—	—	—	—	76·50	New project for the manufacture of 320·76 lakh vials, 53·46 lakh ampoules 320.76 lakh capsules and 2886·84 lakh tablets of life saving and other drugs per annum.
65·00	—	—	—	—	65·00	New cotton spining mill with a complement of 25,080 spindles.
—	—	1·33	—	—	1·33 (addl.)	New project for the manufacture of 7·8 million semi-conductor power devices per annum.
75·00	—	—	—	—	75·00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 1,03,416 spindles and 1,848 looms.
16·00	—	—	—	—	16·00	For meeting a part of over-run in the cost of the new project for the manufacture of 6,600 tonnes of packing and wrapping paper per annum.
—	64·20 (Sw. Kr.)	—	—	—	64·20 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the capacity of conversion of nylon tyre yarn into fabric from 1,650 to 2,805 tonnes per annum.
43300	—	—	—	—	43.00 (addl.)	Modernisation of the Company's composite textile mill with 14,272 spindles and 310 looms.

APPENDIX A—(*contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	MAHARASHTRA—(*contd.*)							
119.	M/s. National Textile Corporation (South Maharashtra) Ltd.,							
	(i) Unit : Bharat Textile Mills, Bombay. (ii) Unit : Digvijay Textile Mills, Bombay. (iii) Unit : Jupiter Textile Mills, Bombay, (iv) Unit : New Hind Textile Mills, Bombay, (v) Unit : Dhule Textile Mills, Distt. Dhulia (Notified backward district) (vi) Unit : Chalisgaon Textile Mills, Distt. Jalgaon. (Notified backward district)	1532·00	—	—	1377·00	—	155·00	1532·00
	(vii) Unit : Apollo Textile Mills, Bombay.	225·00	—	—	202·50	—	22·50	225·00
	(viii) Unit : Mumbai Textile Mills, Bombay.	345·00	—	—	309·00	—	36·00	345·00
	Chairman-cum-Managing Director : D.P. Kelkar. (Government of India Undertaking)							
120.	M/s. Podar Mills Ltd., (i) Bombay. (ii) Jaipur, Rajasthan *Chairman* : Dr. Ramanath A. Podar, *Vice-Chairman* : Kanti Kumar R. Podar.	428·00	—	—	340·00	—	88·00	428·00
121.	M/s. Pudumjee Pulp & Paper Mills Ltd., Thergaon, Near Pune. *Chairman* : S.L. Kirloskar, *Executive Director* : M.P. Jatia.	945·00	—	—	406·00	—	539·00	945·00
122.	M/s. Ruston & Hornsby (India) Ltd., Chinchwad, Pune. *Director-in-Charge*: David Mascarenhas. (Thapar Group)	@						
123.	M/s. Sahyadri S.S.K. Ltd., Yeshwant Nagar, Distt. Satara. *Chairman*: P.D. Patil, *Managing Director*: C.V. Pujari.	257·00	20·00	—	130·00	—	107·00	257·00
124.	M/s. Sanghvi Steels Ltd., Taloja, Distt. Colaba. (Notified backward district) *Director-in-Charge*: C.M. Sanghvi.	125·50	13·50	—	112·00	—	—	125·50
125.	M/s. Shree Datta Shetkari S. S. K. Ltd., Shirol, Distt. Kolhapur. *Managing Director*: N.A. Sarnobat.	270·00	27·00	—	136·00	—	107·00	270·00
126.	M/s Shree Ram Mills Ltd., Bombay *Managing Director*: R.N. Joshi (Prataplal Bhogilal Group)	298.52	—	—	195·00	—	103.52	298.52
127.	M/s. Shree Vallabh Glass Works Ltd., Boisar, Distt. Thana. *Chairman & Managing Director*: J.A. Taktawala, *Managing Director*: C.A. Taktawala.	162·00 (over-run)	—	—	162·00	—	—	162·00
128.	M/s. Sudershan Aluminium Industries Ltd., Nasik. *Proposed Managing Director*: S.C. Chokhani.	250·00	80·00	—	143·75	—	26·25	250·00
129.	M/s. The New City of Bombay Manufacturing Company Ltd., Bombay. *Managing Director*: Gautam Kanoria.	319·00	—	—	220·00	—	99·00	319·00

@Cost of the project accounted for in the year 1978-79.

APPENDIX A—(*contd*)
(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
459·00	—	—	—	—	459·00	Modernisation of the Company's six composite textile mills with 2,68,876 spindles and 5,854 looms.
67·50	—	—	—	—	67·50	Modernisation of the Company's composite textile mill with 51,276 spindles and 902 looms.
103·00	—	—	—	—	103·00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 53,232 spindles and 1,154 looms.
85·00	—	—	—	—	85.00	Modernisation of the Company's two composite textile mills with 75,012 spindles and 930 looms.
—	45·33 (DM) 46·15 (£)	—	—	—	91·48 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of speciality papers including glassine grease proof, manifold, airmail and carbonising tissue varieties from 8,400 tonnes to 15,900 tonnes per annum.
—	—	8·00	—	—	8·00 (addl.)	Expansion-cum-modernisation scheme envisaging, inter-alia, setting-up of facilities for the manufacture of 1,000 nos. of higher horse power diesel engines per annum.
35·00	—	—	—	—	35·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the crushing capacity of sugarcane from 1,250 tonnes to 2,200 tonnes per day.
28·00	—	—	—	—	28·00	Diversification scheme envisaging the manufacture of 16,000 tonnes of mild steel, high carbon steel and high alloy steel rolled products per annum.
45·00	—	—	—	—	45·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the crushing capacity of sugarcane from 1,250 tonnes to 2,000 tonnes per day.
50·00	—	—	—	—	50·00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 1,22,576 spindes and 1,449 looms.
—	23·19 (DM) 31·00 (Sw.Kr.)	—	—	—	54·19 (addl.)	For meeting apart of over-run in the cost of expansion scheme envisaging setting-up of a new unit for the manufacture of 5·5 million square metres of sheet glass per annum.
36·00	—	8·75	—	—	44·75	New project for the manufacture of 2,400 tonnes of aluminium alloy extrusions per annum.
50·00	—	—	—	—	50·00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 56,056 spindles and 623 looms.

APPENDIX A—(*contd.*)

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MAHARASHTRA— *contd.*)							
130. M/s. XLO India Ltd., (i) Thana, (ii) Nasik. *Chairman and Managing Director:* C.B. Saran.	167·00	—	—	120·00	—	47·00	167·00
ORISSA							
131. M/s. Jayshree Chemicals Ltd., Ganjam. *Chief Executive*: S.K. Bangur.	183·00 (over-run)	—	—	125·00	—	58·00	183·00
132. M/s. Orissa Industries Ltd., Latkata, Distt. Sundergarh. *Chairman:* B.N. Mohanti. *Managing Director:* Bishan Dayal Jhunjhunwala.	356·83	—	—	267·00	—	89·83	356·83
PUNJAB							
133. M/s. Ajay Electrical Industries Ltd., Mohali, Near Chandigarh *Chairman:* Lt. Gen. J. S. Aurora (Retd.)	20·00	—	—	20·00	—	—	20·00
134. M/s. Jagatjit Cotton Textile Mills Ltd., Chohal, Distt. Hoshiarpur. (Notified backward District) *Chairman and Managing Director:* M.M. Thapar. (Thapar Group)	2544·00	250·00 (R.I)	—	2009·00	—	285·00	2544·00
135. M/s. Mahavir Spinning Mills Ltd., (Unit: Arihant Spinning Mills) Malerkotla, Distt. Sangrur. (Notified backward district) *Chairman:* S.P. Oswal, *Executive Director:* S.L. Sehgal.	555·00	75·00	—	365·00	—	115·00	555·00
136. M/s. Morinda Cooperative Sugar Mills Ltd., Morinda, Distt. Roopnagar. *General Manager:* P.S. Turna.	403·00	125·00	—	236·00	—	42·00	403·00
137. M/s. Punjab Fibres Ltd., Rail Majra, Distt. Hoshiarpur. (Notified backward district) *Chairman:* T.K.A. Nair, I.A.S., *Managing Director:* Padam Kumar Jain.	481.00	163.00	—	303.00	—	15.00	481.00
138. M/s. Shree Bhawani Cotton Mills & Industries Ltd., Abohar, Distt. Ferozepur (Notified backward district) *Chairman and Managing Director:* H.K. Mohta	359·40	20·00	—	228·00	32·00	79·40	359·40
139. M/s. Steel Strips Ltd., Jotwal Kalan, Distt. Sangrur. (Notified backward district) *Chairman:* A.S. Chadha, *Managing Director:* R.K. Garg.	83·00 (over-run)	—	—	67·00	—	16·00	83·00
140. M/s. Sukhna Paper Mills Ltd., Nangla, Tehsil Rajpura, Distt. Patiala. *Proposed Managing Director:* Pritam Singh.	383·00 @	127·00	—	241·00	—	15·00	383·00
141. M/s. United Pulp & Paper Mills Ltd., Asron, Distt. Hashiarpur. (Notified backward District) *Managing Director:* V.R. Patel.							
RAJASTHAN							
142. M/s. Ajay Paper Mills Ltd., Bhiwadi, Distt. Alwar. (Notified backward district) *Chairman:* R.L. Rajgarhia.	536·00	124·75	—	351·00	—	60·25	536·00

@Cost of the project accounted for in the year 1978-79

APPENDIX A—(*contd.*)
(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
60·00	—	—	—	—	60·00	Modernisation/replacement scheme of the Company's (i) Thana unit engaged in the manufacture of propeller shafts and (ii) Nasik unit manufacturing steering gears.
25·00	—	—	—	—	25·00 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the expansion scheme envisaging the manufacture of 3,300 tonnes of sodium hydrosulphite per annum.
75·00	—	—	—	—	75·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of refractories from 47,500 tonnes to 70,000 tonnes per annum.
10.00	—	—	—	—	10.00	Rehabilitation scheme of the Company.
58·00	117·16 (DM)	—	—	—	175·16 (addl.)	Diversification by setting up a new unit for the manufacture of 2,000 tonnes of nylon—6 textile filament yarn per annum.
60·00	—	—	—	—	60·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging the setting-up of a new cotton textile mill with a complement of 25,304 spindles.
55·00	—	—	—	—	55·00 (addl.)	Modernisation-cum-expansion scheme envisaging, inter-alia, increase in the crushing capacity of sugarcane from 1,000 tonnes to 2,250 tonnes per day.
93·00	—	17·50	—	—	110·50	New spinning mill with a complement of 15,708 spindles for the manufacture of viscose staple yarn and synthetic blended yarn.
57·00	—	—	—	—	57·00 (addl.)	Second phase of the modernisation-cum-expansion scheme envisaging, inter-alia, increase in the spindleage from 34,164 to 39,196.
19·00	—	—	—	—	19·00 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the new project for the manufacture of 10,000 tonnes of mild steel, medium carbon, high carbon and low alloy cold rolled steel strips per annum.
60·00	—	17.50	—	—	77·50	New project for the manufacture of 9,900 tonnes of M.G. Kraft, packing and wrapping paper per annum.
12·50	—	—	—	—	12·50 (addl.)	New project for the manufacture of 15,000 tonnes of writing, printing, packing and wrapping paper per annum.
91·00	—	15·00	—	—	106·00	Diaersification seheme envisaging setting-up of a new textile mill with a complement of 16,720 spindles for the manufacture of cotton carded yarn and synthetic blended yarn.

APPENDIX A—*(contd.)*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
RAJASTHAN—*(contd.)*								
143.	M/s. Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd., Kota. *Chairman and Managing Director :* Dr. Bharat Ram. *Managing Director:* Dr. Charat Ram. (Shri Ram Group)	457·23	—	—	226·93	—	230·00	457·23
144.	M/s. Ganganagar Sahakari Spg. Mills Ltd., Hanuman Garh, Distt. Sriganganagar. *Chairman:* Rama Kant Sharma, I.A.S.	551·00	248·80	—	302·00	—	0·20	551·00
145.	M/s. Jaipur Metals & Electricals Ltd., Jaipur. *Managing Director:* Ashim Chatterjee. (Kamani Group)	42·00	—	—	42·00	—	—	42·00
146.	M/s. J.K. Industries Ltd., Kankroli, Distt. Udaipur. (Notified backward district) *Chairman:* H.S. Singhania. (J.K. Singhania Group)	67·00	—	—	60·00	—	7·00	67·00
147.	M/s. Krishna Mills Ltd., Beawar, Distt. Ajmer. *Managing Director*: M.D. Rathi.	167·00	—	—	105·00	—	62·00	167·00
148.	M/s. Modern Syntex (India) Ltd., Desula, Distt. Alwar. (Notified backward district) *Managing Director:* H.S. Ranka.	286·00	—	—	150·00	—	136·00	286·00
149.	M/s. Reliance Chemotex Industries Ltd., Mewar Industrial Estate, Village Kanpur, Distt. Udaipur. (Notified backward district) *Managing Director:* S.L. Shroff.	29·00 (over-run)	—	—	24·00	—	5·00	29·00
150.	M/s. Shree Rajasthan Syntex Ltd., Udaipura, Distt. Dungarpur. (Notified backward district) *Proposed Managing Director:* V.K. Ladia.	475·00	163·00	—	297·00	—	15·00	475·00
151.	M/s. Siddha Syntex Ltd., Village Thana, Distt. Udaipur. (Notified backward district) *Proposed Managing Director:* S.C. Jain.	465·00	154·00	—	296·00	—	15·00	465·00
152.	M/s. Standard Woollens Ltd., Jodhpur. (Notified backward district) *Managing Director:* S.V. Mohta.	142·00	33·00	—	94·00	—	15·00	142·00
TAMIL NADU								
153.	M/s. Ashok Leyland Ltd., Ennore, Distt. Chingleput. *Chairman and Managing Director:* R.J. Sahaney. (Ashok Leyland Group)	410·00	—	—	245·00	—	165·00	410·00
154.	M/s. Asian Bearings Ltd., Bagalur, Distt. Dharmapuri. (Notified backward district) *Managing Director :* S.M. Palaniappa Chettiar.	1635·00	500·00	—	1089·00	—	46·00	1635·00
155.	M/s. Best & Crompton Engineering Ltd., Madras. *Chairman:* M.K. Kumar. *Managing Director:* S.J. Vincent	362·00	—	—	200·00	—	162·00	362·00
156.	M/s. Dhanalakshmi Mills Ltd., Tirupur, Distt. Coimbatore. *Managing Director:* M. Nanjappa, C.M. Nanjappa.	238·00	—	—	160·00	—	78·00	238·00

*Since reduced to Rs. 35.00 lakhs. **Direct Subscription.

APPENDIX A—(*contd.*)
(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
—	100·90 (DM)	—		—	100.90 (addl.)	Renovation/replacement of certain equipment of improved design and technology in PVC plant of the Company at Kota.
70·00	—	—	—	—	70·00	New cotton textile mill with a complement of 25,080 spindles.
21·00	—	—	—	—	21·00 (addl.)	Financial rehabilitation of the Company.
15·00	—	—	—	—	15·00 (addl.)	For import of two diesel generating sets to meet a part of Company's power requirements.
25.00	—	—	—	—	25.00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 24,776 spindles and 626 looms.
50.00	—	—	—	—	50.00 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the spindleage from 19,200 to 26,820.
24·00	—	—	—	—	24.00 addl.	For meeting a part of over-run in the cost of the new spinning mill with a complement of 12,480 spindles for the manufacture of synthetic blended yarn.
75·00	—	19·00	—	—	94·00	New textile mill with a complement of 13,680 spindles for the manufacture of viscose taple yarn and synthetic blended yarn.
90·00	—	18·00	—	—	108·00	New spinning mill with a complement of 15,840 spindles for the manufacture of cotton carded yarn and ployester viscose blended yarn.
50·00*	—	5·00**	—	—	55·00	New woollen spinning mill with a complement of 1,200 spindles for the manufeture of carpet yarn.
61·25	—	—	—	—	61·25 (addl.)	Modernisation/replacement of the Company's plant manufacturing commercial and heavy duty vehicles and industrial engines.
80·00	60·40 (DM)	40·00	—	—	180·40	New project for the manufacture of 4·1 million anti-friction bearings per annum.
50·00	—	—	—	—	50·00	Modernisation of the Company's dynamo and starter factory and pump factory as also to shift its foundry to a new location adjacent to the pump factory.
40·00	—	—	—	—	40·00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 53,148 spindles and 470 looms.

APPENDIX A (*contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TAMIL NADU (*contd.*)								
157.	M/s. Gangappa Paper Mills. Ltd., Vadakuthu, Distt. South Arcot. (Notified backward district) *Managing Director:* T.G. Krishnamurthy.	137·00 (over-run)	33·00	—	104·00	—	—	137·00
158.	M/s. India Cements Ltd., Sankarnagar, Distt. Tirunelveli. *Chairman:* S. Jagannathan,I.C.S. (Retd.), *Managing Director:* K.S. Narayanan.	332·00	—	—	220·00	—	112·00	332·00
159.	M/s. Janardana Mills Ltd., Coimbatore. *Chairman ; Managing Director* Sheodutta Rai Sanghai.	181·00	—	—	135·00	—	46·00	181·00
160.	M/s. National Textile Corporation Ltd., (Unit: Sri Sarada Mills) Podanur, Distt. Coimbatore. *Chairman :* K. Sreenivasan, *Managing Director:* Moosa Raza, I.A.S. (Government of India Undertaking)	129·00	—		116·00	—	13·00	129·00
161.	M/s. National Textile Corporation (Tamil Nadu & Pondicherry) Ltd., (Unit: Coimbatore Spg. & Wvg. Mills) Coimbatore. *Chairman-cum-Managing Director :* P.K. Doraiswamy. (Government of India Undertaking)	297·00	—	—	267·00	—	30·00	297·00
162.	M/s. Nizam Paper & Board Mills Ltd. Pullanviduthy, Alangudi Taluk, Distt. Pudukottai. (Notified backward district) *Managing Director:* A.R. Noor Mohammed.	355·00	110·00	—	230·00	—	15·00	355·00
163.	M/s. Southern Petro-Chemical Industries Corporation Ltd., Tuticorin, Distt. Tirunelveli, *Chairman:* M.A. Chidambaram, *Vice-Chairman-cum-President :* S. Venkitaraman,I.A.S.	575·00	—	—	460·00	—	115·00	575·00
164.	M/s. Tamil Nadu Alloy Foundry Co. Ltd., Hosur, Distt. Dharmapuri. (Notified backward district) *Chairman:* Syed Mohamed Ismail, *Managing Director:* P.S. Chandrasekar.	193·20	55·00	—	123·20	—	15·00	193·20
165.	M/s. Tamil Nadu Cement Corporation Ltd., (i) Alangulam, Distt. Ramanathapuram. (Notified backward district)	301·00	87·00	—	214·00	—	—	301·00
	(ii) Alangulam, Distt. Ramanathapuram. (Notified backward district) *Chairman:* C.V.R. Panikar, I.A.S., *Proposed Managing Director:* I. Mahadevan, I.A.S. (Tamil Nadu State Government Company)	212·00	62·00	—	100·00	—	50·00	212·00
166.	M/s. W.S. Insulators of India Ltd., Porur, Distt. Chingleput. *Chairman:* M.S. Narayanan, *Managing Director:* N.S. Sethuraman.	360·00	—	-	288·00	—	72·00	360·00
UTTAR PRADESH								
167.	M/s. Ajanta Textiles Ltd., Loni Road Industrial Area, Distt. Ghaziabad. *Managing Director:* D.K. Hada.	49·33	-	—	30·00	—	19·33	49·33

*Subsequently reduced to Rs. 23.50 lakes. **Direct subscription.

APPENDIX A (*contd.*)

(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
20·00	—	—	—	—	20·00 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the new project for the manufacture of 10,000 tonnes of M.F. printing, poster and writing paper per annum.
55·00	—	—	—	—	55·00 (addl.)	A scheme of modernisation of the Company's cement factory.
35·00	—	—	—	—	35·00	Modernisation of the Company's spinning mill with a complement of 25,236 spindles.
39·00	—	—	—	—	39·00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 24,948 spindles and 214 looms.
90·00	—	—	—	—	90·00 (addl.)	Modernisation of the Company's composite textile mill with 80,316 spindles and 364 looms.
60·00	—	15·00	—	—	75·00	New project for the manufacture of 6,600 tonnes of writing, printing and cultural varieties of paper per annum.
80·00*	—	—	—	—	80·00 (addl.)	Installation of facilities for unloading, reception, handling and transport of imported liquid ammonia.
46·60	—	10·00**	—	—	56·60	New project for the manufacture of 1,000 tonnes of spheroidal graphite, 500 tonnes of malleable iron and 500 tonnes of cast iron alloy castings per annum.
74·00	—	—	—	—	74·00 (addl.)	Modernisation of the Company's existing cement plant manufacturing 9 lakh tonnes of cement per annum
35·00	—	—	—	—	35·00 (addl.)	Diversification scheme envisaging the setting-up of a new unit for ths manufacture of 30,000 tonnes of asbesto sheets and sheet projects per annum.
75·21	—	—	—	—	75·21 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of insulators from 7,500 tonnes to 12,000 tonnes per annum.
30·00	—	—	—	—	30·00 (addl.)	Installation of additional pre and post-spinning machinery to manufacture yarn of coarser counts and diesel generating sets to enhance captive power capacity.

APPENDIX A (*contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UTTAR PRADESH (*contd.*)								
168.	M/s. A.R.C. Cement Ltd., Punkkul, Distt. Dehradun. *Proposed Managing Director* : C.M. Chadha.	424·00	150·00	–	274·00	—	—	424·00
169.	M/s. Balrampur Chini Mills Ltd., Balrampur, Distt. Gonda. (Notified backward district) *Chairman* : G.L. Saraogi.	61·00 (over-run)	..		48·00	—	13·00	61·00
170.	M/s. Bazpur Cooperative Sugar Factory Ltd., Bazpur, Distt. Nainital. *General Manager* : V.P. Sharma.	550·00	275.00	–	275·00	—	—	550·00
171.	M/s. Elgin Mills Co. Ltd., Kanpur. *Chairman* : N.S. Bhat. (Soorajmull Nagarmull Group)	596·00	—	—	400·00	—	196·00	596·00
172.	M/s. Indian Explosives Ltd., Panki, Kanpur. *Chairman* : A.L. Mudaliar, *Managing Director* : Dr. S.S. Baijal. (I.C.I. Group)	568·00 (over-run)	—	–	568·00	—	—	568·00
173.	M/s. J.K. Cotton Spg. & Wvg. Mills Ltd., Kanpur. *Chairman-cum-Managing Director* : Sohanlal Singhania. (J.K. Singhania Group)	332·00		–	232·00	—	100·00	332·00
174.	M/s. Kesar Sugar Works Ltd., Baheri, Distt. Bareilly. *Chief Executive* : G.S. Harnal. (Kilachand (Tulsidas) Group)	300·00	—	—	205·00	—	95·00	300·00
175.	M/s. Modi Carpets Ltd., Cullipur, Distt. Rae Bareli. (Notified backward district) *Chairman and president* : Kedar Nath Modi. (Modi Group)	137·31 (over-run)	—	—	85·89	—	51·42	137·31
176.	M/s. Modi Industries Ltd., Modinagar, Distt. Meerut. *Managing Director* : U.K. Modi. (Modi Group)	733·00	103·00 (R.I.)	—	500·00	—	130·00	733·00
177.	M/s. National Textile Corporation (Uttar Pradesh) Limited., (i) Unit : Lord Krishna Textile Mills, Nakur Road, Distt. Saharanpur.	187·00	—	–	168·00	—	19·00	87·00
	(ii) Unit : New Victoria Mills, Kanpur. *Chairman and Managing Director* : Shiromani Sharma. (Government of India Undertaking)	350·00	—	—	315·00	–	35·00	350·00
178.	M/s. Penragon Screws and Fasteners Ltd., Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad. *Managing Director* : S. Tejbir Singh.	271·00	100·00	—	171·00	—	—	271·00
179.	M/s. Renusagar Power Co. Ltd., Renusagar, Distt. Mirzapur. *Chairman* : S.S. Kothari, President : D.N. Himmatramka. (Birla Group)	3228·00	—	—	2703·00	—	525·00	3228·00
180.	M/s. Searsole Containers Ltd., Harrawala, Near Dehradun. *Director* : P.N. Maliah, P. Maliah, B.B. Maliah.	72·00	29·00	–	43·00	—	—	72·00
181.	M/s. Shiva Paper Mills Ltd., Mao Dhamora, Distt. Rampur. (Notified backward district) *Proposed Managing Director* : P.K. Jain.	590·00	185·00	.	375·00	—	30·00	590·00

APPENDIX A (*contd.*)
(Rs. lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
68·50	—	22·50	—	—	91·00	New project for the manufacture of 165 tonnes of portland cement per day.
12·00	—	—	—	—	12·00	For meeting a part of over-run in the cost of the Company's modernisation-cum-expansion scheme envisaging, inter alia, increase in the crushing capacity of sugarcane from 1,219 tonnes to 1,600 tonnes per day.
62·00	—	—	—	—	62·00 (addl.)	Modernisation-cum-expansion scheme of the Society envisaging, inter-alia, increase in the crushing capacity from 1,600 tonnes to 3,000 tonnes per day.
100·00	—	—	—	—	100·00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 1,18,092 spindles and 2,376 looms.
—	300·00 (Sw,Kr.)	—	—	—	300·00	Import of equipment for captive power plant being set up as a part of the Company's expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of urea from 4,50,000 tonnes to 6,75,000 tonnes per annum.
58·00	—	—	—	—	58·00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 44,908 spindles and 987 looms.
50·00	—	—	—	—	50·00	Modernisation-cum-expansion scheme envisaging, inter-alia, increase in the crushing capacity of sugarcane from 1,700 tonnes to 2,200 tonnes per day.
17·00	—	—	—	—	17·00 (addl.)	For meeting a part of over-run in the cost of the new project for the manufacture of 10 lakh kgs. of carpet yarn and 9·33 lakh square metres of tufted carpets per annum.
125·00	—	—	—	—	125·00 (addl.)	Modernisation of the Company's steel plant envisaging, inter-alia, increase in production of special steel items from 5% to 75% of the total production.
56·00	—	—	—	—	56·00 (addl.)	Modernisation of Company's composite textile mill with 44,504 spindles and 385 looms.
105·00	—	—	—	—	105·00 (addl.)	Modernisation of the Company's composite textile mill with 53,512 spindles and 1,205 looms.
81·00	—	—	—	—	81·00	New project for the manufacture of 2,000 tonnes of self-tapping screws and 500 tonnes each of machine and wood screws per annum.
320·00	—	—	—	—	320·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the power generating capacity from 135 MW to 270 MW.
15·00	—	5·00	—	—	20·00	New project for the manufacture of 15 million nos. of paper pulp moulded egg trays per annum.
93·00	—	20·00	—	—	113·00	New project for the manufacture of 10,000 tonnes of writing and printing paper per annum.

APPENDIX A (*contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UTTAR PRADESH (*contd.*)								
182.	M/s. Sivalik Cellulose Ltd., Gajraula, Distt. Moradabad. (Notified backward district) *Managing Director :* Inder P. Choudhrie.	182·12 (over-run)	—	—	103·62	—	78·50	182·12
183.	M/s. Shree Bhawani Paper Mills Ltd., Rae Bareli Indl. Area, Distt. Rae Bareli. (Notified backward district) *Managing Director :* Sudhir Tandon.	600·00	200·00	-	385·00	—	15·00	600·00
184.	M/s Transasia Carpets Ltd., Sikandrabad Industrial Area. Distt.-Bulandshahr. (Notified backward district) *Chairman :* AV. Birla.	88·00	-	—	68·00	—	20·00	88·00
185.	M/s. Triveni Sheet Glass Works Ltd., Iradutganj, Distt. Allahabad. *Chairman :* A.B. Ganguli.	406·00	-	—	225·00	-	181·00	406.00
186.	M/s. U.P. Carbide & Chemicals Ltd., Purkulgaon, Distt. Dehradun. *Managing Director :* Ravi Prakash, I.A.S. (Uttar Pradesh State Government Company)	806·00	269·00	-	537·00	-	—	806·00
187.	M/s. Uttar Pradesh State Cement Corporation Ltd. (i) Dalla, (ii) Chunar. Distt. Mirzapur. *Chairman :* A.B. Mallik, I.A.S., *Managing Director :* Mata Prasad, I.A.S. (Uttar Pradesh State Government Company)	1350·00 (over-run)	450.00	-	900·00	-	-	1350·00
188.	M/s. U.P. Twiga Fibre Glass Ltd., Sikandrabad Indl. Area Distt. Bulandshahr. (Notified backward district) *Managing Director :* Dr. B.V. Sood, Gurdiyal Singh.	197·52 (over-run)	—	—	146·10	—	51·42	197·52
WEST BENGAL								
189.	M/s. Concast Products Ltd., Kalyani Distt. Nadia. (Notified backward district) *Proposed Managing Director :* B.K. Burman.	260·00	80·00	-	165·00	-	15·00	260·00
190.	M/s. Flander Macneill Gears Ltd., Majerhat, Calcutta. *Managing Director :* H.H. Paine. (Macneill & Magor Group)	333·00	100·00		220·00	—	13·00	333·00
191.	M/s. Hein Lehmann (India) Ltd., Durgapur, Distt. Burdwan. (Notified backward district) *Chairman :* Guru Gobinda Basu, *Managing Director :* P.K. Daga.	72·97	—	-	33·40	—	39·57	72·97
192.	M/s. Hindustan Lever Ltd., Haldia, Distt. Midnapore, (Notified backward district) *Chairman :* T. Thomas, *Vice-Chairman :* E.H. Shimmin. (Hindustan Lever Group)							
193.	M/s Hindustan Motors Ltd., Uttarpara, (Notified backward district) *Chairman :* B.M. Birla, *Vice-Chairman :* G.P. Birla. (Birla Group)	2000·00	—		1310·00	—	690·00	2000·00

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 12 OCT 1981 GOVT OF INDIA